(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक-2 नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौबीसवां दिवस संख्या-17

गुरुवार,

दिनांक 19 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत ।

जालौर में ग्रेनाइट खनन

429. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान खनिज विकास निगम द्वारा जालौर में ग्रेनाइट खनन का कार्य कब से किया जा रहा है तथा इस पर मार्च 1990 तक कितनी पूंजी का व्यय किया गया ?

(2) उक्त खनन द्वारा मार्च, 1990 तक कितने घन मीटर ग्रेनाइट का उत्पादन किया गया एवं इसका बाजार में मूल्य क्या है कितने घन मीटर ग्रेनाइट का मार्च, 1990 तक विक्रय किया गया ? कितना मूल्य लिया गया एवं किसे बेचा गया ?

(3) क्या यह सही है कि बाजार में अपना उत्पादन नहीं बेच पाने के कारण यह पूरा उत्पादन निगम की ही दूसरी इकाई राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया ? यदि हां, तो कितने मूल्य में ? हस्तांतरण के पश्चात् घाटे की क्या स्थिति रही ?

(4) जिस ग्रेनाइट को आर एस जी एम लिमिटेड भी किसी कार्य में नहीं ले पाई उसके विक्रय के लिए विभाग की क्या योजना है एवं इस घाटे के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खनिज राज्य मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) :

(1) जालौर में ग्रेनाइट खनन का कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना पर निगम को हस्तान्तरित किया गया था और तब से निगम द्वारा लगातार किया जा रहा है । मार्च, 1989 तक जालोर ग्रेनाइट माइन्स में 39·66 लाख रु. की पूंजी थी । वर्ष 1989-90 से लेखों का अंकेक्षण जारी है ।

(2) स्थापना से लेकर मार्च, 1989 तक निगम ने 1005 घन मीटर ग्रेनाइट लक्स का उत्पादन किया जिसका मूल्य

(श्री कालूलाल गुर्जर)

19·51 लाख रुपये था । निगम को इसके अतिरिक्त हस्तान्तरण पर 767 घन मीटर स्टाक मिला था। मार्च, 1989 तक 1547 घन मीटर ग्रेनाइट बेचा गया जिसका मूल्य 25·36 लाख रुपये था । इस 10 वर्ष की अवधि में किस पार्टी को कितना ग्रेनाइट, किस मूल्य पर बेचा गया यह सूचना समयाभाव के कारण संकलित नहीं की जा सकी है ।

(3) यह सही है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर जो ग्रेनाइट नहीं बेचा जा सका उसे अन्य खरीददारों को कम मूल्य पर बेचने के बजाय निगम की सहायक कम्पनी राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट एण्ड मार्बल लि. को उसकी आवश्यकता को देखते हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित रियायती मूल्य पर बेच दिया गया । यह माल राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल लिमिटेड को 12·04 लाख रुपये में बेचा गया । इस बेचान से निगम को लगभग 4·74 लाख रुपये का कम मूल्य प्राप्त हुआ ।

(4) इस माल को निविदायें आमन्त्रित करके बेचने के प्रयास जारी हैं और चिराई करके बेचने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ग्रेनाइट भण्डारों की प्रवृत्ति के कारण ग्रेनाइट ब्लाक्स का छोटा आकार एवं दरारें एवं ज्योलोजिकल दोष होने के कारण वांछित विक्रय मूल्य प्राप्त न होना ही घाटे का प्रमुख कारण है जिसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं, ठहराया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : क्या यह सही है कि शेष बचा हुआ ग्रेनाइट ब्लाक जो छोटी साइज में है उसको उपयोग में लाने के लिए निगम कोई नई फैक्ट्री लगाने की सोच रहा है ?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन छोटे ब्लाक्स की चिराई करके टाइल्स बनाने के लिये एक कारखाना जालोर में लगाने का तय किया जा चुका है जिसकी करीब 12 लाख रुपये की लागत आयेगी ।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उत्तर में बड़ा अन्तर है.... (व्यवधान)

प्रश्न और उत्तर में बड़ा अन्तर है ।

एक माननीय सदस्य : आप के कहने में भी तो अन्तर पड़ गया ।

श्री टीकमचन्द कांत : जबाब और उत्तर बोल गया मैं । प्रश्न और उत्तर में बड़ा अन्तर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1990 तक कितनी पूंजी का व्यय किया गया, उसके जगह इन्होंने बताया कि पूंजी उसमें कितनी है । दूसरा, घाटा कितना हुआ उसकी जगह इन्होंने बताया इतना कम मूल्य प्राप्त हुआ । आज तक इसमें घाटा कितना है यह नहीं बताया गया । जो पूछा गया है उसको उत्तर में कहीं उल्लेख नहीं है ।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम मूल्य प्राप्त होना भी घाटा है। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा और क्या उत्तर

(श्री कालूलाल गुर्जर)

हो सकता है 4·74 लाख रुपये का कम मूल्य प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह है कि यही घाटा हुआ।

श्री टीकमचन्द कांत : पूंजी लगाई गई उसका ब्याज यह सब लगा करके आज तक जो आपने बेचान किया उससे जो घाटा हुआ वह बतायें, आपने तो यह बताया है कि इतना मूल्य कम प्राप्त हुआ है। इसका तो कोई मतलब नहीं निकला।

श्री कालूलाल गुर्जर : इसमें फायदा नहीं हुआ है। बाकी जैसा मैंने पहले बताया 10 वर्ष का जो रिकार्ड था, वह हम ट्रेस आउट नहीं कर पाये।

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर जानबूझकर इस ढंग से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू से कन्फ्यूज्ड हैं। जवाब और उत्तर को तो एक बोल रहे हैं। इसमें पूंजी का पहले दिया हुआ है कि 39 लाख रुपये की पूंजी लगाई हुई है। यह जो माल बेचा है उसका बताया हुआ है कि इतने का माल था इतने कम मिले।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस उत्तर को देखें और प्रश्न को भी देखें।

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा हुआ है आय खण्ड (1) पढ़िये उसमें पूंजी का लिखा हुआ है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट नहीं है....

श्री अध्यक्ष : 9·66 लाख रुपये की पूंजी सन् 1989 तक जालौर ग्रेनाइट में थी और 89-90 के लेखों का अंकेक्षण जारी है। यह टोटल पूंजी आ गई। इसमें जितने का माल था उससे जो कम पैसा मिला वह आ गया।

श्री टीकमचन्द कांत : इसमें घाटा कहां स्पष्ट हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्नों के द्वारा जानकारी चाहता हूं। मुझे जानकारी मिली कि जालोर में आर. एस. एम. डी. सी. की जो ग्रेनाइट प्लांट था वह बेचा गया है। यदि हां तो किस वजह से बेचा गया है ? दूसरी मुझे जानकारी मिली है जोधपुर में जो बहुत बड़ा ग्रेनाइट का प्लांट था वह घाटे की वजह से बेचा गया है। यदि हां, तो किस कारण से बेचा गया है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने यह कहा है कि इस प्लांट को जिस कारण से बेचा गया है उसके कारण मैंने प्रस्तुत किये हैं कि जो ब्लाक्स वहां गये छोटे प्रकार के थे कि उनके भाव कम थे इसलिये इससे घाटा लगा और घाटा लगने के कारण इसको बेचा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जोधपुर का ?

श्री कालूलाल गुर्जर : इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री मदन दिलावर ।

अटरू क्षेत्र में भू-आवंटन

430. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू के अटरू व खेड़ली गंज पंचायत में पिछले वर्ष राजस्व अभियान के तहत किन-किन लोगों को भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कोई प्रभावशाली व धनाढ्य लोगों के सुपुत्रों को भी भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किन-किन को व इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर भूमि आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) पिछले वर्ष में राजस्व अभियान के द्वारा विधान सभा क्षेत्र अटरू के अटरू व खेडली-गंज पंचायत में जिन-जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई थी उनकी सूची (परिशिष्ट–क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिन 29 आवंटियों को अनियमित रूप से भूमि आवंटित की गई है, उनकी सूची (परिशिष्ट–ख) सदन की मेज पर रख दी गई है । राजस्व अभियान के दौरान की गई उपरोक्त अनियमित आवंटन कार्यवाही के लिये मुख्य तौर पर बाद प्रारम्भिक जांच श्री ताराचंद बगडा, तहसीलदार/अटरू को दोषी पाया गया है । इस समस्त प्रकरण की विस्तृत जाँच की जा रही है ।

(3) जी हां, मुख्य रूप से दोषी पाये गये अधिकारी तहसीलदार अटरू को तत्काल प्रभाव से उनके विरुद्ध विभागीय जांच के विचाराधीन रहते हुए निलम्बित किया जा चुका है । विस्तृत जांच के पश्चात् उसके नतीजे के आधार पर अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । अनियमित आवंटन को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विनोद और देवेन्द्र को जो भूमि आवंटित हुई है क्या इनके पिता रमेश और इन्द्रजीत और जनार्दन सिंह भाला आवंटन कमेटी के सदस्य हैं और क्या इनमें से कोई थानेदार भी है ?

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री रमेश चंद, दूदलखा ने आवंटन कमेटी के सदस्य के रूप में उन्होंने भाग लिया है । यह

(श्री नत्थी सिंह)

बात सही है कि वह विधिसम्मत सदस्य नहीं थे। तत्कालीन अटरू विधानसभा के जो माननीय सदस्य थे मदन महाराज उन्होंने 9-6-89 को एक चिट्ठी लिख दी कि वह मेरे प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे और उनको बैठा लिया यह गलत बात की गई है। यह सही है कि उनके दो बेटों विनोद अदलखा और देवेन्द्र अदलखा और उनके नौकर सूरजमल को और भतीजे भीमसेन को तीनों 10-10 बीघा और एक को 6 बीघा जमीन आवंटित की गई, जो अनियमित पाई गई है। इसी तरह से आपने इन्द्र जीत यादव के बारे में पूछा है, उन्होंने भी भाग लिया उस कमेटी में लेकिन वह भी बाकायदा मेम्बर नहीं थे और उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को भूमि आवंटित कराई है। कैलाश चन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद है और उनको भी कराई है और उसमें उनके पद का दुरुपयोग है। दूसरे हरिराम मीणा और थे, वह भी वहीं थे, उनको भी बैठाया गया यह जो आपने प्रदीप सिंह के बारे में पूछा है, उनको भी दी गई है 4 बीघा यह बात सही है कि उनके पिता जनार्दन सिंह झाला अटरू के थानेदार रहे हैं। यह सारी बात अनियमित पाई गई है। इसलिए तहसीलदार को सारी बात मालूम थी, उन्होंने सत्य को छिपाया, उनको निलम्बित किया गया। एक अधिकारी जो उस समय लगाया गया था, उनके खिलाफ हमने इन्क्वायरी कर दी है। जितने भी अधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और जो 29 लोगों का आवंटन रद्द किया गया है, उन्हें 14 (4) के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल आर्य। आप बैठिये। देखिये, मैं जिस माननीय सदस्य की इच्छा होती है, वह यहां से भांप कर उनका नाम लिख लेता हूँ। आपने बताया है, फिर आप क्यों खड़े होते हो ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह आवंटन हो रहा था, उस समय जो गरीब लोग आवंटन के इच्छुक थे, उन्होंने इस बात की शिकायत कर दी थी कि हम लोग गरीब लोग है, हमने इसके फार्म भी भर रखे हैं, हमारा आवंटन नहीं करके प्रभावशाली लोगों को आवंटन किया जा रहा हैं। उसके बावजूद भी जो वहां पर एस. डी. ओ. थे, उन्होंने उनको अलाटमेन्ट किया।

नम्बर दो, क्या यह भी सही है कि यह जो आपने तहसीलदार के खिलाफ जांच की और उसको सस्पेण्ड किया, यह सस्पेण्ड कब और किया जबकि लोगों ने शिकायतें उसी समय कर दी थी। अब इनको सस्पेण्ड किया, कार्यवाही की अब तक, 29 लोगों के नाम अलाटमेन्ट किया है। इनको अब तक निरस्त क्यों नहीं किया है ? कार्यवाही चल रही है, कब तक निरस्त कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप पहले।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह बात सही नहीं है। सही तथ्य यह है कि 550 आदमियों को अलाटमेन्ट किया गया, उसमें 29 में अनियमितताएँ थी लेकिन यह सारे तथ्य एक तारांकित प्रश्न में जवाब में माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने तारांकित प्रश्न पूछा है, उसी समय वह मेरे नोटिस में लाये है, तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई थी, वह करेक्ट नहीं थी। इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, बताया तब मैंने मालूमात कराई, जांच कराई, उस समय यह तथ्य सही पाये गये कि तहसीलदार ने हमको भी सूचना गलत दी थी इसलिए उनको सस्पेण्ड किया गया। अभी इसी सत्र में जांच हुई है थोड़े दिन पहले और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और तभी इनको निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल मीणा। देखिये आप, पुनरावृत्ति मत करिये, इस प्रश्न का जो मुख्य मुद्दा था, वो लगभग कवर हो गया है।

उसके अलावा पूछिये। आप

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : वह नहीं हुआ है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, भूमि आवंटन में गड़बड़ी हुई, आवंटन गलत किया गया, तहसीलदार को सस्पेण्ड किया। भू-आवंटन कमेटी का चेयरमैन एस. डी. ओ. के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री नत्थी सिंह : एस. डी. ओ. उस समय नहीं था लेकिन दूसरे जो परियोजना अधिकारी थे, के. एल. मीणा को इन्चार्ज बनाया गया था और उनका कहना यह था कि मुझे तहसीलदार ने इत्तला दी लेकिन उनके खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जाँच शुरू कर दी गई है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब एस. डी. ओ. नहीं था····

श्री अध्यक्ष : आप बहस मत करिये। यह कह रहे हैं एस. डी. ओ. था ही नहीं वहाँ।

श्री परसादीलाल मीणा : एस. डी. ओ. ने आवंटन क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : क्या मतलब हुआ, उन्होंने अपना रिप्रजेन्टेटिव बनाया था परियोजना अधिकारी को। बैठिये आप। (व्यवधान)

बिराजिये आप। माननीय श्री रामकरण जी। आप बैठिये। आप बिराजिये। देखिये बहुत से लोगों ने आठ उठा रखे हैं। आप बैठिये आपका नाम नहीं है। जिनका नाम है, उनको पूछूँगा। (व्यवधान)

आपको बीच में अलाऊ नहीं करूंगा। जिन्होंने पहले मुझे कहा है मैं उनके नाम ले रहा हूँ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मेरे सवाल

(श्री रामकरण सिंह)

हैं। एक तो यह हैं कि क्या यह परम्परा पड़ गई है कोई माननीय सदस्य जिस कमेटी का मेम्बर है और वह कोई चिट्ठी लिख दी किसी के लिए तो इसे मेम्बर मान लिया जाय ? दूसरा यह है कि क्या इस तरह की कमेटी जो अलॉटमेन्ट कमेटी, अभी माननीय राजस्व मन्त्री ने बताया कि ऐसे-ऐसे आदमी बैठे जिसमें पूर्व में कोई एस. एच. ओ. भी थे और कुछ प्रमुख व्यक्ति भी थे। तो क्या यह अलाटमेन्ट वैधानिक थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी। अब यह सवाल ऐसे ही आयेंगे। पूछिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 में "प्रशासन गांवों की ओर" के समय लगभग सभी जगहों पर ऐसी अनियमितताएं हुई और खास तौर से पिछले सत्र में हमने आपसे निवेदन करके पूछा था कि स्वयं मेरे क्षेत्र में जिस प्लाट पर अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी हुई थी, वहाँ पट्टा कर दिया था तो ऐसे अधिकारी, ऐसे जन प्रतिनिधि के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की अब तक और मेरा सुझाव है क्या आप इसे उचित मानेंगे कि सरपंच, प्रधान, विधायक, सांसद ये अगर कहीं इन मामलों से इन्वाल्व होते हैं होते हैं तो इनके मामलों को आप क्या लोकायुक्त को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर जी। (व्यवधान) पहले पूछिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : मेरा एक निवेदन है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता था, अब जब निरस्तीकरण की बात आ ही गई है, पहली बात तो नहीं है कि जमीन का गलत आवंटन हुआ, उसके लिए सरकार ने कह ही दिया है। तो मैं जो पूछना चाहता था, वह बात पूरी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनधिकृत सदस्य कब से बैठ रहे थे ? इसके लिए क्या तत्कालीन एस. डी. ओ. जिम्मेदार नहीं था ? उस मीटिंग में एस. डी. ओ. नहीं था लेकिन जो अधिकृत मेम्बर नहीं है, वे कमेटी में कैसे बैठ रहे थे अब तक पहली बात।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ, यह जो जमीन अलाट हुई हैं क्या इस पर एक इंच जमीन पर भी खेती हो सकती है। शुद्ध पत्थर है, आबादी से लगे हुए है। प्लाट काटकर दिये गये हैं अभी अलाटमेन्ट के बाद में प्लाट बेचने के लिए यह जमीन अलाट की गई है। इसमें जिन अधिकारियों का भी षड्यन्त्र है, वो सब पेनेलाइज्ड किये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कोमटा। तो आप क्यों खड़े हुए है, पता नहीं लगता।

श्री हीरालाल इन्दौरा। हां पूछिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया कि एस. डी. एम. की जगह दूसरे आफिसर को इन्चार्ज बनाया और बाद में यह कह दिया कि उसके विरुद्ध भी कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। यह क्या मतलब है। जब एस. डी. एम. था ही नहीं तो कार्यवाही किस पर कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप पूछ रहे हैं। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : अलाटमेन्ट के समय उस जमीन की किस्म क्या थी। यदि सिवाय चक थी तो उस जमीन की किस्म सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की गई या नहीं और यदि सवाय चक थी तो अलाटमेन्ट में क्या एवं कैसे खामी रह सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो कोटपूतली से आने वाली माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या किसी का प्रतिनिधि या विधायक उस कमेटी में बैठ सकता है। यह तो मैंने पहले ही कहा है इसीलिए तो हमने उसको अनियमित माना है कि अटरू के विधायक पूर्व के जो मदन महाराज थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी और वहां बैठा लिया उसको यह गलत बात है। ऐसे प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता। एस. एच. ओ. कमेटी में नहीं बैठा जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य ने कहा है, एस. एच. ओ. के बैठे को आवंटन हुआ है, उसको गलत माना गया है। और जहाँ तक सवाल है जो एस. डी. ओ. थे, यह मैंने नहीं कहां "प्रशासन गाँवों की ओर" में एस. डी. ओ. तब जगह जा नहीं सकता। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है और इसमें यहां पर के. एल. मीणा को जो उप परियोजना अधिकारी थे, उनको यहाँ का प्रभारी अधिकारी बनाया गया था और इसमें अनाधिकृत लोग भी बैठ गये इसीलिये उनके खिलाफ भी जाँच की जा रही है उनको बैठा कैसे दिया। और जहाँ तक सवाल है पूरे प्रकरण का, तो उनमें लोगों को अलाटमेन्ट हुआ है, उनमें से 29 तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए गलत अलाटमेन्ट पाया है। कुछ लोग भूमिहीन और दूसरे हैं इसलिए निरस्त करने की कार्यवाही तो अभी तक उन 20 के खिलाफ हुई है। हमारी मान्यता यह है कि जो गरीब लोग है, हरिजन लोग है, अनुसूचित जाति के लोग है, भूमिहीन है, उनका जो मालूम है, उनको निरस्त क्यों किया जाय। जो वास्तव में गलत हुए है, उनको 14 (4) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : वह जमीन की किस्म के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : यह 12-7-89 के ढंग का है।

श्री अध्यक्ष : वह किस्म जमीन की पूछ रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : यह जो है, पेड़ लगाने के लिए मांगी है और वहां उन पर उन्होंने किया भी है। कुछ ने खेती के लिए मांगी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सांवर लाल।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष, यह जानना चाह रहे हैं कि आप किस-किसे जानकारी ले रहे हैं ?

श्री नत्थी सिंह : जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी, कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

श्री सम्पत सिंह : खास तौर से विधायक, सांसद, प्रधान, सरपंच, इनको लोकायुक्त को देंगे ?

श्री नत्थी सिंह : यह सारा का सारा मामला आप सदस्य बोल रहे हैं, उस जमाने का है, जब कांग्रेस की सरकार थी। मदन महाराज अटरू में थे। तभी यह सब कबाड़ा हुआ है। हम तो इसकी जांच कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : मान लिया, यह कबाड़ा कांग्रेस के जमाने का है लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी जानकारी के बाद क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नत्थी सिंह : जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी, कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

अजमेर की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

431. श्री सांवर लाल जाट (भिनाय) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां वर्तमान में दुग्ध प्रदाय कर रही हैं ?

(2) कितनी व कौन-कौन सी समितियां बन्द हैं एवं क्यों ?

(3) क्या बन्द समितियों को चलाने का कभी प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता मिली ?

(4) वहां दुग्ध संग्रह केन्द्र कितने खुले हुए हैं और क्या सभी अनुमोदित हैं ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री गोपाल सिंह खण्डेला) : (1) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन वर्तमान में 212 दुग्ध समितियां दूध दे रही हैं।

(2) वर्तमान में 85 समितियां बन्द हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। समितियों के बन्द होने का कारण।

(10)

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

(अ) शताब्दी के भयंकर अकाल के कारण गत चार वर्षों में चारे व पानी का अभाव एवं पशुओं का नष्ट होना।

(ब) पर्याप्त मात्रा में दुग्ध उत्पादन न होने के कारण समितियों के दुग्ध संकलन में अत्यधिक कमी एवं तत्पश्चात् समिति का स्वतः बन्द होना।

(स) अकाल के दौरान दुग्ध मार्गों से दूध संकलन में अत्यधिक कमी होने की वजह से परिवहन व्यय अधिक होने के कारण दूध संकलन बन्द होना।

(3) बन्द समितियों को पुनः कार्यशील बनाने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत 51 बन्द समितियों को पुनः चालू किये जाने की सम्भावना हैं।

(4) अजमेर जिला दुग्ध सहकारी संघ में वर्तमान में 11 दुग्ध संग्रह केन्द्र खुले हुए हैं, और ये सभी केन्द्र अनुमोदित है।

(सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की लगभग 29% समितियां बन्द है और चाल सार से पहले की भी समतियां बन्द है, यह मैं आपके माध्यग से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ। क्या यह अभावग्रस्त घोषित गांवों की समतियां बन्द हैं जिससे हम यह कह सके कि अकाल में पानी और चारे के अभाव के कारण बन्द रहीं या डेयरी कर्मचारी या प्रशासन की लापरवाही के कारण बन्द रहीं? दूसरे, आपने अपने उत्तर में कहा है कि दुग्ध सकंलन का परिवहन व्यय अधिक होने के कारण बन्द हो जाना। तो चूँकि समितियां दुग्ध संकलन का परिवहन व्यय जो होता है, वही नहीं देती तो यह संकलन की अत्यधिक कमी की वजह से परिवहन व्यय अधिक होने से क्या दुग्ध संकलन बन्द किया गया है न कि संघों के द्वारा बन्द किया गया है। इसलिए यह जो आपने दिया है कि समितियां परिवहन व्यय का भुगतान नहीं करती।

तीसरा यह है कि क्लेक्शन सेन्टर खोले गये हैं। तो क्या उनकी जगह पर जो समितियां थीं उनको चालू किया जाता तो ज्यादा लाभदायक होता? यह जो समितियां चल रहीं हैं इनके कार्यक्षेत्र में नये क्लेक्शन सेंटर चालू करने से वहां की चालू समितियों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? इससे हो सकता है कि आने वाले समय में वह समितियां और बन्द हो जाये। यह मेरे खास-खास मुद्दे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में ऐसी कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं जो इस कारण बन्द हो गई कि उन्होंने अकाल के समय सब्सिडी के रूप में चारे का परिवहन किया था। वह सब्सिडी नहीं मिलने के कारण आज वे समितियां बन्द पड़ी हुई है। क्योंकि कोई न कोई आडिट आब्जेक्शन लगा कर वह चारा दिया नहीं गया और यह इस स्थिति में आ गई कि चल नहीं सकती।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) —

दूसरी बात यह पूछना चाहता हूँ कि आपने 11 संकलन केन्द्रों की बात कही जो उन लोगों के हैं जो दुग्ध उत्पादक नहीं है और जो दुग्ध शहर में भेजने वाले बड़े व्यापारी हैं उन लोगों द्वारा दूध बेचा जा रहा है। और सारे दूध का मक्खन निकाल कर सपरेटा दूध की जो तरकीब है उसके द्वारा सारा बेचा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह 11 ही केन्द्र आपको नुकसान दे रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में वहां पर हूँ जो कर्मचारी रखे होते हैं वह तौल में और एस. एल. आर. में गड़बड़ी कर देते हैं और वह ईमानदारी से काम करते हैं तो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करने वाले दूध निकाल लेते हैं या पानी मिला देते हैं। वह गड़बड़ी नहीं करते तो प्लाण्ट के ऊपर जो अधिकारी हैं वह दूध में कमी कर देते हैं और गड़बड़ी करते हैं। इस वजह से सोसाइटी फेल हो जाती है। क्या यह सही कि जो. कर्मचारी गांव की सोसाइटी में दूध उत्पादकों से दूध लेते है वह लीटर से लेते हैं और किलो में देते हैं।

यह इसलिए किया गया था ताकि सोसाइटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सौ लीटर दूध लेते हैं तो 3 किलो दूध बचता है जो सोसाइटी को फायदा देने के लिए होता है। वहां कर्मचारी को यह बात मालूम है इसलिए वह तीन किलो दूध पी जाता है। तो तौल में खा जाते हैं, एस. एल. आर. में कम बता देते हैं, 3 फेट में कम बता देते हैं, इससे अजमेर की ही नहीं, पूरे राजस्थान की दूध की सहकारी समिति निष्फल हो रही है। इसकी वजह यही है। आपके प्रशासन का सुपरवाइजर वहां मौके पर रहता नहीं, आपका इन्चार्ज वहां जाता नहीं। यह न तो अकाल या पानी या चारे की वजह से है बल्कि लेक आफ सुपरवीजन के कारण इस तरह की व्यवस्था हो गई है।

श्री गोपालसिंह खण्डेला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि 29% सहकारी समितियां बन्द हो गई। सदस्य खुद गणित के ज्ञाता हैं। मेरी जानकारी में इस जिले में कुल 319 सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं जिनमें 212 फंक्शन कर रही है और 14 अवसायन में है और 42 समितियां ऐसी हैं जिनमें लीन सीजन में दूध नहीं आने से डोरमेंट स्टेज में चलती है। शेष के लिए प्रयास यह किया जा रहा है कि जो अकाल की वजह से बन्द हो गई उनको फिर रिवाइव करने के लिए मान्डरी कमेटी ने प्लान किया है। और सारे राजस्थान में यह प्लान किया है जिसके अन्तर्गत सारे जिलों में अकाल की वजह से बन्द हो गई थीं, उनको रिवाइव करेंगे। अजमेर जिले में भी 51 समितियों को फिर रिवाइव करने के टारगेट तय किये गये हैं।

माननीय विश्नोईजी ने सवाल किया कि कलेक्शन सही नहीं करते और दूध जब समिति से संघ में, जिले में जाता है तो ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी होती है और दूध लीटर में न लिया जाकर किलो में लिया जाता है।

(12)

(श्री गोपाल सिंह खण्डेला)

अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे पास इस तरह की शिकायत है नहीं। सभी समितियों में दूध।लीटर में ही लिया जाता है और उसको नाप करके, परसेन्टेज रेकार्ड करके किताब में लिखकर जिले पर भेजा जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो जांच कराएंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी जानकारी की है तो इनको दे दें।

श्री गोपालसिंह खण्डेला : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक जानकारी चाहता हूँ, इस प्रकार की कोई बात हों तो निश्चित तौर पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके अनुभव के आधार पर व्यवस्था की जाएगी।

सहकारी बैंकों/सेवा सहकारी समितियों के चुनाव

432. **श्री चुन्नीलाल इंदालिया** (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) राज्य में कुल कितने जिला सहकारी को-आपरेटिव बैंक? उनमें से कितनी बैंकों में चुने हुए प्रतिनिधि हैं व कितनी बैंकों में प्रशासक काम कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया 3 सितम्बर, 1990 से प्रारम्भ करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। इसके पश्चात् केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन कराये जायेंगे।

(2) राज्य में कुल 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जिनमें से 11 बैंकों में प्रशासक तथा 15 बैंकों में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि 11 सरकारी बैंकों में राज्य में प्रशासक है, इनको किस तारीख से लगाया गया है यह बतायें?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, तीन को-आपरेटिव बैंकों में चुनाव की अवधि ड्यू नहीं हुई और कुछ बैंक अभी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश लेकर रीइंस्टेट हुए हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या 11 है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने स्टे ले लिया उन्होंने तो जाकर चार्ज रीज्यूम कर लिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हाईकोर्ट से स्टे नहीं लिया, नीति के आधार पर उन लोगों को पुनः चैयरमैन का कार्यभार या संचालक मण्डल को समय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर कार्यभार सौंपने का इरादा सरकार रखती है या नहीं ? इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ कि लोग एक-एक करके आ रहे हैं और चले भी जा रहे हैं । मुख्यमंत्रीजी ने आभास दिया था सदन में, क्या इस बारे में वह आर्डर निकालेंगे जिससे जिन लोगों हटाया गया है, वह लोग भी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है माननीय सदस्य एक जजमेंट इन रैम होता है और एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम । जो जजमेंट इन रैम होता है, It applies to all. जो जजमेंट इन पर्सोनम होता है वह पर्सन पर ही अप्लाई होता है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मैं भी कानून में ग्रेज्युट हूँ, थोड़ा कानून का ज्ञान है । आपने यह सही फर- लेकिन क्या नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुये........

श्री अध्यक्ष : नहीं इसमें नेचुरल जस्टिस नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिल्कुल यही है । ऐसा है कि सरकार के निर्णय को अवैध ठहराया जाता है तो मैं पूछना चाहता हूँ........

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिये । माननीय मंत्री का जवाब तो सुन लीजिये । हां, मंत्री जी आप बोलिये । नेचुरल जस्टिस की बात बतायेंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सम्माननीय सदस्य ने इसके बारे में पूछा लेकिन आप जानते कि उच्च न्याय- के अन्दर जो आदमी जाता है वहीं बैनिफिट पाता है । यह नेचुरल जस्टिस नहीं है । वह तो इण्डिविजुअल जस्टिस है । इसके अन्दर जो जायेगा, वहीं बेनेफिट पायेगा । और....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाइकोर्ट के निर्णय को जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सरकार का जो आॅर्डर है वह कलर्ड आॅर्डर है, इल्लिगल आॅर्डर है ध्यान में रखते हुए सरकार क्या पुनः अपने निर्णय के ऊपर विचार करना चाहती है या नहीं । हां या ना में जवाब दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ? आप जवाब सुनिये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने इसके बारे में डबल बैंच में भी रिट लगा रखी है । अब हाइकोर्ट का जो जजमेंट होगा, हमें मानना ही होगा, लेकिन पूर्व सरकार ने दिनांक 18.12.89 को चालू की है चुनाव प्रक्रिया... ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम चुनाव की बात नहीं कर रहे है । हम पूछ रहे है कि उसको सीधा ही मना करे कि हम नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया, वे डबल बैंच में गये हैं । डबल बैंच के यहां जो फैसला होगा, हो जायेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर डबल बैंच में सरकार द्वारा जो रिट की गई है, जो डिवीजन में गई है, अगर वहां पर जो सिंगल बैंच का फैसला है उसको बहाल रखते है तो इस पर क्या पुनः विचार करेंगे ये ?

(14)

श्री अध्यक्ष : तब की देखेंगे ये । नेक्स्ट श्री रतनलाल जी ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 जुलाई, 1990)

बाल अपराध के प्रकरण

163. **श्री रतन लाल** (सहाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में कितने बाल अपराधियों पर न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं ?

(2) कितने बाल अपराधी न्यायिक प्रक्रिया में जेल के अन्दर हैं ।

(3) गत 5 वर्षों में पेरोल व प्रोबेशन कितने अपराधियों को छोड़ा गया ।

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

(1) राज्य में कुल 2175 प्रकरण विभिन्न बालक न्यायालयों में विचाराधीन है ।

(2) राज्य की विभिन्न कारागृहों एवं कारागृहों में दिनांक 30-4-90 को न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी बाल अपराधी नहीं था ।

(3) गत 5 वर्षों में 1570 पात्र बन्दियों का पेरोल का लाभ दिया गया तथा 32,384 अपराधियों को परिवीक्षा का लाभ दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि राजस्थान की विभिन्न जेलों में जो बाल अपराधी है, जब तक जेलों में उनकी ट्रायल चलती है अण्डर ट्रायल रहते हैं, तब तक और उनकी कन्विक्सन के बाद भी, जो सुख-सुविधायें उनको जेलों में मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं । उससे सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा । बाल अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या प्रयत्न किये है ? कितने बाल अपराधियों की शिक्षा स्कूलों में चल रही है ? बाल अपराधियों का साल भर में कितने दिन के बाद में मेडिकल चैक-अप करवाया जाता है ? क्या बाल अपराधियों को जेल में दी जाने वाली शारीरिक एवं मानसिक यातनाओं को वहां के सक्षम अधिकारियों के द्वारा चैक किया जाता है ? अगर किया जाता है तो इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय दें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : किशोर बाल अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में बालकों की जांच हेतु किशोर कल्याण बोर्ड एवं अपराधी बालकों की अपील हेतु 11 जिलों में, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर अलवर, श्री गंगानगर, सीकर एवं बांसवाड़ा में किशोर न्यायालय की स्थापना की गई है और उसी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में निम्न प्रकार की संस्थायें स्थापित की गई है :

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

(क) **सुधार गृह** : राज्य के उक्त 11 जिलों में ये गृह स्थापित किये गये हैं। उन गृहों में उन बालकों को रखने का प्रावधान है, जिनके मामले किशोर कल्याण बोर्ड में एवं किशोर न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। इन संस्थाओं में बालकों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा-दीक्षा आदि की पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) **किशोर गृह** : राज्य में तीन किशोर गृह जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में है एवं बालकों के रख रखाव एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थाओं में उन बालकों को रखा जाता है, जिनको किशोर कल्याण बोर्ड द्वारा दीक्षित किया गया है।

(ग) **विशेष गृह** : राज्य में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बस हो गया....

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : इन्होंने सारा पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं....।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी, आप पूछिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि बाल सुधार गृहों में केवल शिक्षा-दीक्षा की आपने व्यवस्था की है? उनमें सुसंस्कार पड़े इसके लिए और भी क्या-क्या कार्यक्रम देने का सरकार ने तय किया है?

श्री अध्यक्ष : जो ये पढ़ रहे थे, सारा यही तो कार्यक्रम है.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : उन्होंने कहा कि यहां पर इस तरह की सुविधायें है लेकिन उनके जो विशेष गृह में बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। वहां मैले थेले बालक रहते हैं, वे बीड़ी-सिगरेट पीते रहते हैं, गाली-गलौच करते रहते हैं एवं उनमें कोई भी संस्कार नहीं पड़ रहे हैं। आप इनकी देखभाल करने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री सांवरलाल जी।

श्री सांवरलाल : मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि यह जो बाल अपराधी है....।

श्री अध्यक्ष : माइक को चालू करें, बटन दबायें।

श्री सांवरलाल : वे अधिकतर किन-किन अपराधों के अन्तर्गत पकड़े जा रहे हैं? इनके क्या कारण है? क्या रोजगार के नहीं मिलने के कारण या किस प्रकार के कारण हैं जिससे ऐसे अपराध बढ़ रहे है?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। देखिये जो नये सवाल आते हैं उनका जवाब होने दे। आप तो वहीं पूछेंगें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।

माननीय मंत्री जी, बोलिये।

(16)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अपराधी की कोई संज्ञा नहीं होती है । अपराधी किसी भी तरह का किया जाता है तो उसको अपराधी कहा जाता है । चाहे वह मर्डर करता है, चाहे वह चोरी करता है, चाहे वह जेब काटता है, वह अपराध की संज्ञा में आता हैं । जो बच्चा मां-बाप से दूर रहकर या कण्ट्रोल के बाहर रहता है तो वह अपराधी बन जाता है । उसके अपराधी बन जाने के बाद जब तक वह अपराधी होता हैं वह जेल में चला जाता है । और उसकी व्यवस्था के लिए वहां पर हर तरह की चीजें है ।

श्री अध्यक्ष : ये यह भी पूछ रहे हैं कि वह बीड़ी-सिगरेट पीता रहता है, उनको आप रोकने की व्यवस्था करेंगे वहां ? कोई देखभाल करते है क्या ? आप बैठिये ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक सम्भव होता है, उनके रख-रखाव के लिए हर तरह की व्यवस्था की जाती है । बीड़ी-सिगरेट तो वहां पर अत्यन्त ही असम्भव हैं । यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सालिगराम जी । श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 जुलाई, 1990)

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्य

164. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के अधीनस्थ व राज्य स्तर के अधिकारियों के होते हुए भी क्षेत्रीय मूल्यांकन का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा बाहरी अनुसंधान व सर्वेक्षण संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है ?

(2) यदि हाँ, तो गत 5 वर्षों में कितनी स्वैच्छिक संस्थाओं को कितनी-कितनी धन-राशि उक्त कार्य हेतु दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता व भौतिक सत्यापन के लिए इस विभाग की सेवा नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय आयोजना मंत्री जी ।

आयोजना मंत्री (श्री केदारनाथ शर्मा) : (1) जी नहीं । आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय मूल्यांकन का कार्य नहीं किया जाता है ।

2. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

3. इस विभाग के परव्यू, कार्य क्षेत्र में यह नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि इसका जवाब "जी नहीं" में देने का था तो

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

पहले ही दे देते । स्थगित करवाने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष : सारी बातें सुनकर ही तो हां, ना कहेंगे । आप कैसे कहेंगे ?

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष : आप उनको बात कहने दीजिए ! आप अपनी बात पहले क्यों कह रहे है ? आप इनको बोलने दीजिए ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस बार मूल्यांकन विभाग स्लिप हो गया । यह बात मैं भी मानता हूं । लेकिन जो दूसरा भाग है, उसमें मैंने पूछा है कि स्वैच्छिक संस्थाओं से मूल्यांकन कार्य करवाया जा रहा है तो पांच साल में कितने लोगों से करवाया गया अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम सवाल है । आज योजनाओं के जो मूल्यांकन करने की व्यवस्था है, उसको हम ठीक तरह से करने की व्यवस्था नहीं करेंगे । मैंने तो एक सोसायटी बना ली और पैसे कमाने के लिए एक दुकान खोल ली और अपने विभाग को तो काम मिले नहीं और दूसरे लोग पैसे ले जाएं । इस सम्बन्ध में....।

श्री अध्यक्ष : आपको बहुत धन्यवाद है कि इनके क्षेत्राधिकार के बाहर का सवाल आपने पूछा है । ये कह रहे है कि यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, इनके क्षेत्राधिकार में है ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले सुन लीजिये ये क्या कह रहे हैं ?

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, सन् 1956 में इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कायम हुआ, सन् 1960 में इवेल्यूशन डिपार्टमेंट इण्डिपेनडेंट, सेपरेट कायम हुआ और तब से यह काम कर रहे हैं । आपका प्रश्न केवल इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स के परव्यू में है । इसमें कोई शक नहीं कि इवेल्यूशन एक बहुत बड़ा टेक्नीकल सब्जेक्ट है । आपने अभी जैसे कहा कि जो इण्डिपेंडेंट रिसर्च एण्ड सर्विस सेन्टर्स हैं, स्टडी सेन्टर हैं, उनसे कौन-कौन से विभागों ने क्या-क्या काम करवाये, हालांकि यह परव्यू में नहीं आता, फिर भी अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास जो सूचना एकत्रित है, केवल डिपार्टमेंट्स ने अपने काम करवाये हैं दूसरे इन्डिपेंडेंट रिसर्च सेन्टर्स से । इसमें मैं आपसे निवेदन कर दूं–माही योजना वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी डिपार्टमेंट है एक तो । जितनी स्पेशल स्कीम हैं उन्होंने विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान, जयपुर और श्रीराम सेन्टर से और तीसरे समाज कल्याण विभाग ने सती प्रथा पर शोध करवाई है, वह एक ए. के. सिंघवी, निदेशक, समाज शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय से करवाया है । अलग-अलग सबजेक्ट पर शोध होते हैं । उद्योग विभाग ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना का मूल्यांकन करवाया है विकास अध्ययन संस्थान, मंगल मार्ग, बापूनगर, जयपुर से एवं तीन डिपार्टमेंट और हैं । यह है–महिला विकास

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कार्यक्रम विभाग ने करवाया है, दी मीडिया पीपुल्स, नई दिल्ली। इसके बाद बांसवाड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो अलवर में है, उन्होंने आस्था संस्था, जयपुर से करवाया है। महिला विकास कार्यक्रम विभाग, जयपुर ने विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर से करवाया है। अगर आप कहें तो कितना खर्चा हुआ, मैं आपसे निवेदन कर दूं....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : टोटल बता दीजिए, कितने पैसे खर्च हुए ?

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, इवेल्यूशन का काम यह है कि किसी स्कीम का जो लक्ष्य है उसकी प्रगति में कौन-कौन सी बाधा आई, उसके कॉजेज क्या हैं, इरिटेन्ट्स एण्ड कन्सट्रेन्ट्स यानि जो अवरोध पैदा हुए उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है और आइन्दा कौन-सी स्कीम आय प्रपोज करते हैं, यह इवेल्यूशन का परव्यू है और सर्वेक्षण के अन्दर परव्यू केवल मानिटरिंग का है। प्रगति के बारे में आंकड़ें इकट्ठे करना और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना और केवल त्रैमासिक, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना, इस आधार पर उसकी मानिटरिंग करना आर्थिक समीक्षा का विषय है। इसलिए इन दोनों में बड़ा भारी फर्क है। इवेल्यूशन डिपार्टमेंट की सुनिये अध्यक्ष जी, कि जब से यह किया है हमने, 146 रिपोर्ट्स तैयार की। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष की शुरूआत में हम हरेक विभाग को एक परिपत्र देते हैं कि कौन से सबजेक्ट में आप अध्ययन कराना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, वह सबजेक्ट आ जाता है और उनमें सलेक्टिव बेसिस पर हम काम करते हैं। वह सलेक्ट करने का बहुत इम्पोर्टेन्ट काम है, प्रेजिंग काम है। जरूरत है आज इन्टरेस्ट लें, उनको लेकर शोध का काम शुरू करना चाहिए। और यह शोध का परव्यू है। इसलिए इन डिपार्टमेंट्स ने, बाकी डिपार्टमेंट्स ने किया होगा, पर यह हमारा काम नहीं। भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हरेक विभाग इण्डिपेंडेण्ट रिसर्च सेन्टर से भी अपना मूल्यांकन करवा सकता है, इसलिए हमारी ओर से नहीं, अपने आप भी करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, माननीय श्री टीकम चन्द कांत।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें एक बहुत महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा है। आप भी सहमत होंगे, आप स्वीकार करें तो इसका उत्तर दिलवा दें अन्यथा नहीं दिलवाएं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इनके एण्टीसिडेंट्स के बारे में। जहां तक इवेल्यूशन का सवाल है, सरकार की बहुत सारी गोपनीय चीजें उनके सामने जाती हैं। राज्य हित के अन्दर, जिन संस्थाओं से यह इवेल्यूशन कराया गया, उनके एन्टीसिडेन्ट्स के बारे में हमको पता लगाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस प्रकार से सरकार की जो गोपनीय सूचना है, उनके आउट होने की, उनके लीक होने की सम्भावना रहती है जिसके कारण राज्य हित पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या इस पूरे मुद्दे पर सरकार पुनर्विचार करके जिन संस्थाओं से आप इवेल्यूशन कराते हैं, नहीं तो यह सी. आई. ए. क्या करता है देश में.....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, हो गया। आपने सुझाव दे दिया, सरकार के ध्यान में आ गया।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, जो भी बताया है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक तो डिपार्टमेंट अण्डर-वर्क करें दूसरे जो स्वेच्छिक संस्थाएं हैं वह इस तरह के काम को ले जाएं, तो मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, कि आप दूसरे विभाग को लिखिए कि अगर इवेल्यूशन डिपार्टमेंट वह काम करने में असमर्थ है, उनके पास काम ज्यादा है तो ही यह काम दूसरी संस्थाओं को दिया जाए और जैसा हमारे पारीक सचेतक महोदय ने कहा कि इसमें बहुत सारी सूचनाएं इस प्रकार की भी हैं जो बाहरी व्यक्तियों को देना उचित नहीं है। इस पर भी आप विचार करें।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, भारत सरकार द्वारा जिन संस्थाओं को मान्यता प्रदान की हुई हैं, उनसे ही यह अध्ययन कराया जाता है। इसके अलावा किसी से नहीं कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष : उनके एन्टीसिडेन्ट्स सारे पता करके करते हैं?

श्री केदारनाथ शर्मा : जांच कर लेंगे कि कौन सी संस्था के क्रिडेन्सियल्स क्या है, इसके बारे में जांच कर लेंगे।

आपका प्रश्न यह है, कि टोटल केवल 15 सेन्टर्स राजस्थान में हैं। हमारे पास स्टाफ इतना नहीं है कि हम सारे वोल्यूम और सारे वर्क को देखते हुए सारा काम करवा सकें, इसलिए मैं आपके मार्फत इतना निवेदन कर देता हूं कि हम इस डिपार्टमेंट को आगमेंट करने वाले हैं और इसका परव्यू बढ़ाने वाले हैं। इतनी बात पूरी करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री टीकम चन्द कान्त।

जालौर जिले में औद्योगिक आवंटन

433. **श्री टीकमचन्द कांत** (रेवदर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला जालौर में जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, सायला व आहोर में कितने औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक आवंटन विगत 5 वर्षों में किए गए?

(2) इनमें से कितनों से उद्योग प्रारम्भ किए गए हैं?

(3) कितने आवंटन अवधि पार हो गए हैं?

(4) कितने आवंटन नियम विरुद्ध किए गए हैं।

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

(1) जालौर में पिछले 5 वर्षों में 139 भीनमाल में 9, रानीवाड़ा में 2, सायला में एक व आहोर में एक भूखण्ड आवंटित किया गया है।

(2) जालौर में 103, भीनमाल में 2, सायला में एक व रानीवाड़ा में एक उद्योग प्रारम्भ हो चुका है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(3) भीनमाल में 2 आवंटन अवधि पार हो गए हैं।

(4) कोई भी आवंटन नियम विरुद्ध नहीं किया गया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : जो आवंटन अवधि पार हो गए हैं, वह कैंसिल हो जायेंगे क्या ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो आवंटन अवधि पार हो चुके हैं, वह भूखण्ड जिलाधीश के द्वारा आवंटित हुए थे। इसलिए जिलाधीश को लिख दिया गया है कि इन भूखण्डों को निरस्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चौथा जबाव दिया है कि कोई भी आवंटन नियम विरुद्ध नहीं किया गया है। भीनमाल में आवंटन नियम विरुद्ध और जनहित के भी विरुद्ध हुए हैं। मेरा मूल प्रश्न है—क्या यह सही है कि भीनमाल कालेज के सामने औद्योगिक और गैर औद्योगिक भूखण्ड आवंटन किया गया, जो नियम विरुद्ध है? क्या इससे वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण होगा? क्या महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले प्राध्यापकों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा? क्या एक ही किस्म के उद्योगों के भूखण्ड आवंटन में अलग-अलग मापदण्ड रखा गया भीनमाल नगर में भूमि की कीमत बम्बई महानगर से भी अधिक है। जो आवंटन हुआ है उसको निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है।

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल पूछ लिया ना ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : अभी है सवाल।

श्री अध्यक्ष : तो सवाल ही पूछिये, आप भाषण क्यों दे रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, भीनमाल में रीको द्वारा औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किए जा रहे हैं। तो रीको के अलावा जो आवंटन किए गए हैं इनको क्यों नहीं निरस्त किया जाए? शिक्षा के लिए जो रिजर्व जमीन रखी गई थी यह आवंटन उसके अन्तर्गत किए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट कर रहे हैं, वह तो पूछ लिया आपने। बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसी माननीय सदस्य ने सूचना दी है, इसकी वर्तमान में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि किसी और परपज के लिए भूखण्ड दिया गया था और अलाट कर दिया किसी और परपज के लिए। चूंकि भीनमाल में जो अभी तक भू-आवंटन हुआ है....

श्री अध्यक्ष : वह तो कॉलेज के सामने की पूछ रहे हैं....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह सारे जिलाधीश के द्वारा हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में केवल दो जगह पर औद्योगिक क्षेत्र हैं। एक तो जालौर में और दूसरा

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

भीनमाल में। जालौर में भूमि का आवंटन हो चुका है, प्लॉट कम पड़ रहे हैं, आवंटी बहुत मांग रहे हैं इसलिए नई भूमि अवाप्त की जा रही है। जहां तक भीनमाल का सवाल है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुका है, भूमि अवाप्त हो चुकी है उसको डवलप करके वहां पर....

श्री अध्यक्ष : यह तो पूछ ही नहीं रहे हैं। यह तो कॉलेज के सामने कोई जमीन आवंटित हुई है रीको के द्वारा, उसके लिए पूछ रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह जानकारी अभी हमारे पास नहीं है....

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं है जानकारी में। नेक्स्ट

श्री कृष्ण कुमार गोयल : और जो आप चाहते हैं, इसकी जानकारी ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

राज्य की विभिन्न अकादमियां

434. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : एवं **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में कितनी और कौन-कौन सी अकादमियां क्रियाशील हैं? उनको प्रत्येक की जनरल काउन्सिल की नियुक्ति कब तथा कब तक की अवधि के लिए हुई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त अकादमियों को प्रत्येक को विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी वार्षिक अनुदान राशि अथवा अन्य सहायता दी गयी? क्या यह राशि पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कितनी कम है?

(3) राज्य सरकार अपनी विभिन्न अकादमियों के अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्तियां कब तक करने का विचार कर रही हैं? विलम्ब के क्या कारण रहे हैं?

(4) क्या पूर्व सरकार द्वारा अकादमियों में नियुक्त अध्यक्षों/सदस्यों को वर्तमान सरकार बदलने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या राज्य अकादमियों को भी पेंशन देने की योजना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसे कब तक लागू किया जा रहा है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) :

(1) राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन 7 भाषायी अकादमियां क्रियाशील हैं। उनकी प्रत्येक की जनरल कौंसिल की नियुक्ति की सूचना प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त अकादमियों को प्रत्येक को विगत 3 वर्षों में दी गई वार्षिक अनुदान राशि अथवा अन्य सहायता राशि का विवरण प्रपत्र (ख) में संलग्न है। सहायता राशि अकादमी के कार्य व राज्य की वित्तीय व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में दी जाती है।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(3) मात्र एक अकादमी के अध्यक्ष का पद रिक्त है जिस पर शीघ्र नियुक्ति की जायेगी ।

(4) आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

(5) जी हां । वित्त विभाग के परीक्षण के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ था । एक तो मैंने निवेदन किया था कि सहायता स्वरूप दी जाने वाली राशि पर्याप्त है या नहीं ? एक तो यह बतायें ।

दूसरा पूछा था कि कौन सी अकादमी का अध्यक्ष पद रिक्त है ? इसका भी जवाब नहीं आया ।

तीसरा जो अवधि दी गयी है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इनमें से एक अकादमी तो ऐसी है जिसकी अवधि 8 महीने ही बची है । इस बची हुई अवधि के लिए भी क्या सरकार किसी दूसरे नये अध्यक्ष को नियुक्त करने का विचार रखती है ? क्या इनके कार्य कलाप में कमी है ? क्या इनके कार्य-कलाप में कमी न होते हुए भी, इनका कार्य अच्छा होते हुए भी, दुबारा किन्हीं लोगों को नियुक्त करने का विचार रखते हैं ? वह मेरे स्पष्ट प्रश्न हैं ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जहां तक आपने रिक्त पद की बात कही, सिंधी अकादमी का पद रिक्त है । इसमें पूर्व में श्रीमती कांता कथूरिया अध्यक्ष थी । उनके त्याग-पत्र देने के बाद यह पद रिक्त है । बाकी ऐसी कोई अकादमी नहीं है जिसमें पद रिक्त हो

दूसरा सवाल सहायता राशि के बारे में पूछा था, तो जैसा मैने पूर्व में निवेदन किया कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए सहायता देते हैं और वार्षिक सहायता के अलावा भी दूसरे कार्यक्रम वे हाथ में लेते हैं तो राज्य सरकार उसके लिए अलग से सहायता देती है । जहां तक उनके कार्य का सवाल है तो अलग-अलग अकादमीज में इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया कि काम ठीक होने के बाद भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई दखलंदाजी की गयी हो ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूँगी कि आपने अध्यक्ष पद की तो बात की है । पर क्या अन्य पद भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो इनके कब तक भर दिया जायेगा ?

आपकी इन अकादमियों ने जो उनके लक्ष्य थे, वह पूरे नहीं किये । वहाँ जो लोग

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बैठे हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? यदि नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिन्होंने लक्ष्य पूरे नहीं किये हैं और शिथिलता बरती है और इन अकादमियों के लक्ष्यों को हानि पहुंचाई है ? उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंधी अकादमी के बारे में बताया तो क्या वाइस चेयरमैन इस पद पर कार्य कर रहे हैं ? कर रहे हैं, तो किस आदेश से कर रहे हैं ? और इन का नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सिन्धी अकादमी में वाइस चेयरमैन काम कर रहा है, तो वह बता दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब चेयरमैन नहीं रहेगा तो वाइस-चेयरमैन ही करेगा। जब तक नये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तब तक वही तो काम करेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : दूसरा यह निवेदन है कि यह जो सहायता राशि है, वह पूरी है या नहीं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैंने आपसे निवेदन किया कि जो दी जा रही है वह उनको मंजूर है और इसके अलावा वर्ष में आवश्यकता होती है तो और दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : उजला जी का जवाब दे दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने रिक्त पद की बात कही। भिन्न-भिन्न अकादमियों में कुछ सदस्यों के पद रिक्त हैं। जिनको हम शीघ्र ही पूरा करने जा रहे हैं। दूसरी बात, माननीय सदस्या ने कही....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनके नाम बता सकते हैं, जिन अकादमियों में ये पद रिक्त हैं ? अगर हैं, तो बता दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मेरे पास सब है। दूसरा जो आपने कहा कि लक्ष्य हैं, उसकी पूर्ति नहीं की है तो क्या कार्यवाही की गयी। इस विषय में कहना है कि इन अकादमियों के लक्ष्य ऐसे नहीं हैं कि एक साल या एक दिन में पूरे हो जायं। यह तो निरन्तर प्रक्रिया है उसके अनुसार अकादमियाँ कार्य करती हैं। इसके बारे में सरकार और डिपार्टमेण्ट भी पूर्ण रूप से चौकस है।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणलाल मीणा, प्रश्न संख्या 435

मानपुर माइनर (जाखम बांध) से बेकार भूमि

435. **श्री नारायण लाल मीणा** (लसाड़िया) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पारसोला तहसील धरियावद जिला उदयपुर के तालाब में पारसोला खास सामाओटा एवं मौखमपुरा माइनर के वेस्टेज पानी के कारण कृषि के अयोग्य हो गई है ?

(2) इस भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

(श्री नारायण लाल मीणा)

सिंचाई विभाग की नहरों से खराब हुई भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने की कार्यवाही करने की किस विभाग की जिम्मेदारी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया जाता है।

नेक्स्ट प्रश्न संख्या 436 श्री भैरूलाल।

(अनुपस्थित), कृपया आगे देखें।

नेक्स्ट प्रश्न संख्या 437 श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो अनुपस्थित होता है उन पर फाइन करो। बहुत रुपया खर्च होता है।

पीपला प्रोजेक्ट–जयपुर

437. प्रकाश चन्द्र बैरवा : (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई खण्ड जयपुर प्रथम द्वारा पीपला प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं इसकी अनुमानित लागत कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त प्रोजेक्ट का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट के डिसटेन्स चेनल लेबल गलत हैं ? यदि हां, तो विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पिछले 9 माह से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्रोजेक्ट पर लगाये गये ट्रेक्टरों एवं इंजनों के भुगतान में घपला करने, फर्जी व्यक्तियों को भुगतान करने, मस्टर-रोल पर फर्जी भुगतान करने आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोजेक्ट व घमलों की शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो इसकी जांच किस एजेन्सी से करायी जा रही है एवं जांच की क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों :

सिंचाई मंत्री (श्री विजय सिंह झाला) : (1) जी हाँ। कार्य जनवरी, 89 से करवाया जा रहा है।

(2) इस परियोजना के लिये वर्ष 1988-89, 1989-90 व 1990-91 के के लिए क्रमशः 3.00 लाख, 14.00 लाख व 12.00 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गयी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रु. 126.35 लाख है।

(3) जी हां। सर्वे एवं जांच के बाद स्वीकृत प्राक्कलन के तकनीकी आंकड़े संलग्न हैं।

(श्री विजयसिंह झाला)

(4) जी नहीं । तकनीकी रूप से डिस्टेंस चैनल के नाम से कोई कार्य नहीं होता है ।

(5) जी हां । उक्त परियोजना का निर्माण कार्य माह नवम्बर, 1989 से ठेकेदार की वास्तविक देय राशि से अधिक की मांग विभाग द्वारा सही नहीं माने जाने के कारण बन्द है ।

(6) उक्त परियोजना पर इंजनों के भुगतान एवं मस्टर-रोल पर फर्जी भुगतान से सम्बन्धित एक विशिष्ट शिकायत पीपला ग्रामवासी से प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने पर शिकायत को निराधार पाया गया । अतः इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इस परियोजना पर ट्रेक्टर कोई भी किराये पर नहीं लगाया गया । अतः उसके भुगतान एवं उसमें घपले का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(7) उक्त परियोजना की शिकायत के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से दिनांक 7-7-90 को परियोजना से सम्बन्धित मस्टर-रोल व एम. बी. वगैरह भिजवाने हेतु पत्र, क्रमांक 1837 दिनांक 28-6-90 प्राप्त हुआ है । सम्बन्धित रिकार्ड एकत्रित कर भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट–4 देखें ।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय बांध का सर्वे हुआ और नक्शा बनाया गया, यह कार्य उस नक्शे के अनुरूप हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ? आज गलत दिशा देकर जो बांध बनाया जा रहा है उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

दूसरा यह है कि इस प्रोजेक्ट का कार्य 9 माह से बंद पड़ा है तो क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बंद क्यों है ? और ठेकेदार जब स्वीकृति राशि से अधिक मांग रहा है तो उसको ब्लेक लिस्ट क्यों नहीं किया ? ब्लेक लिस्ट करके दूसरे ठेकेदार से काम क्यों नहीं कराया जा रहा है । दूसरा आपने कहा कि प्रोजेक्ट पर इंजन और ट्रेक्टर नहीं लगा—

श्री विजयसिंह झाला : ट्रेक्टर नहीं लगा, इंजन लगा है ।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : ट्रेक्टर भी लगा है, मैं आपको नाम भी बताऊंगा । दूसरी बात यह भी कि यह काम 8 फरवरी से से चालू हुआ जबकि मस्टर-रोल जनवरी से भरे गये हैं और जो फर्जी मस्टर-रोल भरे गये जनवरी से जिसमें एक भी आदमी नहीं लगा उसमें मस्टर-रोल नम्बर 5396 तीन हजार चार सौ सात रुपये का जनवरी में, फरवरी के अन्दर मस्टर-रोल नम्बर 5397 रु. 14257 का, अप्रेल के अन्दर 5442 रु. 2604 रु. का बिल्कुल फर्जी । मस्टर-रोल नम्बर 5451 और और 5450 12 हजार 86 रु. का एक भी आदमी काम पर नहीं लगा । मस्टर-रोल नम्बर 5454 व 5455 रु. 10 हजार चार सौ अस्सी इनमें एक भी आदमी काम पर नहीं लगा और सारे का सारा पैसा फर्जी अंगूठे निशानी लगाकर विभाग के कर्मचारी उठा ले गये और घर बना लिया ।

(26)

श्री अध्यक्ष : आप दसवीं बात बोल रहे हैं और दूसरी बात बता रहे हैं। आप बोलते जायेंगे तो जबाब नहीं आयेगा। समय समाप्त हो रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : कुओं का सारा पानी सूख गया जबकि 20-20 घण्टे का पेमेण्ट उठाया है—

श्री अध्यक्ष : हो गया, जवाब आने दीजिए।

श्री विजय सिंह झाला : 18-8-89 को शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी 9/89 में जांच हुई। उसके अनुसार कोई फर्जी मस्टर-रोल प्राप्त नहीं हुआ लेकिन माननीय सदस्य यह रिकार्ड मुझे दे देगें तो पुनः जांच करा लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपने तो यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज दिया है उनको रिकार्ड कब भेजेंगे, यह बता दें।

श्री विजय सिंह झाला : आप सुन तो लीजिए। मैं कहां रोक रहा हूँ ? विभाग को सारे कागजात आज ही भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजने के लिए कह दिया है।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। आपके भ्रष्ट अधिकारियों ने जो जवाब दिया है, यह बिल्कुल तथ्यों से परे है। इसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री विजय सिंह झाला : मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ। यह सारा रिकार्ड मुझे भेज दीजिए या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास भेज दीजिए। जांच हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

शाहपुरा मेवाड़ को-ऑपरेटिव वूलन मिल (भीलवाड़ा)

436. श्री भैरूलाल (शाहपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) में प्रस्तावित मेवाड़ को ऑपरेटिव वूलन मिल की वर्तमान में क्या स्टेज है ?

(2) प्रस्तावित मिल हेतु कितने मकान बन चुके एवं उन पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मिल की मूल योजना बदल दी गई ? यदि हां, तो क्यों व सरकार के पास कौनसी नयी योजना प्रस्तावित है एवं कब तक स्वीकृत होकर कार्य प्रारम्भ हो जावेगा ?

(4) उक्त मिल के लिये ऋण कौनसी संस्था द्वारा दिया जायेगा ?

(5) प्रस्तावित मिल हेतु कितनी शेयर राशि एकत्रित हो गयी और वह राशि कहां जमा है ?

श्री भैरूलाल)

उत्तर

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) में मेवाड़ को-ऑपरेटिव वूलन मिल के नाम से कोई संस्था सहकारी क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होता है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) कोई राशि एकत्रित नहीं की गयी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर हेतु बाढ़ नियन्त्रण योजना

728. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर नगर में बाढ़ का प्रभाव रोकने हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना का अन्तिम प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर के निचले इलाकों में जल निकास के क्या उपाय किये गये हैं ?

(3) बाढ़ रोकने के लिये इस वर्ष कितनी राशि का प्रावधान है ?

(4) क्या नगर के भावी विकास में जल निस्तारण को महत्त्व दिया गया है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सन् 1981 की बाढ ले पश्चात् भविष्य में बाढ़ का प्रभाव रोकने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न नालों का सर्वे करवाकर योजनायें तैयार करवाई गई थी। जिनकी जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध है। सिंचाई विभाग के द्वारा इस पर कुछ काम करवाने थे परन्तु विभिन्न एजेन्सियों से उनके हिस्से का बजट नहीं देने के कारण प्रगति नहीं हो सकी।

(2) जयपुर नगर की निचली बस्तियों में जल निकास का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही कराया जाता है।

(3) पूरे राज्य में बाढ़ बचाव कार्यों हेतु इस वर्ष (घग्घर व भरतपुर छोड़कर) कुल 35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। सिंचाई विभाग के पास जयपुर के लिये कोई अलग से प्रावधान नहीं है।

(4) यह प्रश्न जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

इटावा एवं मांगरोल उप संभाग में पुलिया निर्माण

729. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निम्न स्थानों पर पुलियाएं बनाने की मांग समय-समय पर की जाती रही हैं :—

(28)

(श्री हीरालाल आर्य)

इटावा सब डिविजन

1. खेरदा से सोभागपुरा
2. इटावा से झाड़ोल
3. इटावा में ड़ोली
4. गोन्दी से रनोदिया
5. गोन्दी से नोनेरा
6. नोनेरा से नारायणपुरा
7. इटावा से फतेहपुर
8. विनायका से नलावता
9. विनायका से इदली तीन पुलियाएं
10. अयानी से जलोद- बालाजी के पास
11. चाणदा से पीपल्दा खुर्द तीन पुलियाएं।
12. इटावा से ढीपरी चम्बल बो पर
13. मियाना बो पर
14. नीमोला बो पर

मांगरोल सब डिविजन

1. मऊ से रावल-जावल
2. रोण से गडावद
3. रोण से खेड़ली
4. पीपल्दा कलां से रोण
5. पीपल्दा कलां से फूसोद
6. बालापुरा से सीमलिया
7. रावल-जावल से बमोरी कलां
8. मांगरोल नगर में ड्रेनों पर 6 पुलियाएं
9. मागरोल शहर से भैरुपुरा
10. मांगरोल से भोज्या खेड़ी

(2) क्या सरकार जनहित में तथा निर्बाध आवागमन की दृष्टि उक्त पुलियाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) निम्नलिखित स्थानों पर पुलियाएं बनाने की मांग समय-समय पर की गई :—

इटावा सब डिविजन

1. खेरदा से सोभागपुरा
2. ईटावा से झाड़ोल
3. इटावा से डोली
4. गोन्दी से रनोदिया
5. गोन्दी से नोनेरा
6. नोनेरा से नारायणपुरा
7. इटावा से फतेहपुरा
8. विनायिका से नवालता
9. विनायिका से मूंडली (एक पुलिया)
10. अयानी से जलोदा (बालाजी के पास)
11. चाण्दा से पीपल्दा खुर्द (पुलिया)
12. इटावा से ढीबरी (चम्बल नदी पर)
13. नीमोदा (ग्राम के पास)

मांगरोल सब डिविजन

1. महुका से रावल जावल

(2) मामला विचाराधीन है।

मोती भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा अनियमिततायें

730. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मोती भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की पंजीयन कब हुआ ? पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति ने पंजीयन के पश्चात् अब तक जयपुर-सीकर रोड पर किन-किन स्कीम्स के तहत किन-किन व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये तथा कितनी-कितनी बार पट्टे जारी किये गये ? कृपया भू-खण्ड आवंटियों के नाम, पते भू-खण्ड संख्या व आकार व नक्शे सहित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति द्वारा बार-बार पट्टे जारी करना, रिवाईज स्कीम के बहाने भू-खण्डों को छोटा कर भू-खण्डों के पुनः आवंटन को क्या सरकार उचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त समिति द्वारा उक्त मार्ग के समीप मुरलीपुरा स्कीम नं. 3 व 4 एवं अन्य योजनाओं में उक्त प्रकार की बरती गई अनियमितताओं की जांच करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या कहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त समिति को हाल ही सहकारी विभाग द्वारा लगाये गये शिविरों में सम्मिलित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त समिति द्वारा उक्त स्कीम में की गई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर का पंजीयन क्रमांक 2555/एल से दिनांक 5.8.72 को हुआ है। समिति का कार्यकारिणी के वर्तमान में निम्न पदाधिकारी हैं :—

1. श्री झाबरसिंह अध्यक्ष
2. श्री राम किशन उपाध्यक्ष
3. श्री रेखाराम मंत्री
4. श्री सूरजा राम कोषाध्यक्ष
5. श्री प्रेम पाल सदस्य
6. श्री राधेश्याम सदस्य
7. श्री ओम प्रकाश सदस्य
8. श्री प्रभू दयाल सदस्य

(2) समिति ने पंजीयन के पश्चात् अब तक जयपुर सीकर रोड पर सुदामापुरी योजना संख्या 11 (एवबी) में 157 सदस्यों को आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किये हैं। समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक सदस्य को एक बार ही पट्टा जारी किया गया है। भूखण्ड आवंटियों की सूची मय भूखण्ड संख्या आकार (क्षेत्रफल) एवं योजना सुदामापुरी (ए व बी) के नक्शे संलग्न हैं। परिशिष्ठ "अ" एवं "ब"।

(3) समिति द्वारा पूर्व में काटे गये भू-खण्डों के क्षेत्रफल में जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा अनुमोदित योजनाओं में परिवर्तन किया गया जो

(30)

(सहकारिता मंत्री)

कार्यवाही प्राधिकरण की नीति के अनुरूप हैं।

(4) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक 12.4.90 को समिति में शिविर आयोजित किया गया था।

(5) समिति का 31.3.90 तक के आडिट हेतु अंकेक्षक, नियुक्त किया जा चुका हैं। अंकेक्षक की रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची मय नक्शा विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा डेयरी द्वारा दुग्ध वितरण

731. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा डेयरी के दूध की क्वालिटी में पिछले एक वर्ष से गिरावट आई है ?

(2) गत वर्ष के दौरान कितनी-कितनी बार भीलवाड़ा डेयरी संयंत्र के दूध को चैक किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही कि भीलवाड़ा डेयरी द्वारा आधा किलो दूध के पॉलिथिन पेक में कम दूध भरने की जनता द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक दूध कम भरा जा रहा है ?

(4) क्या राज्य सरकार विभागीय जांच करा कर दोषी कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) डेयरी संयन्त्र पर नीति अनुसार गुण नियंत्रक विभाग द्वारा प्रतिदिन स्थानीय बिक्री हेतु भेजे जाने वाले दूध का परीक्षण करने के उपरान्त ही विपणन किया किया जाता है।

(3) जी नहीं। दूध की पैकिंग स्वचालित मशीन (प्री-प्रैक) से की जाती है। गुण नियंत्रण अधिकारी द्वारा भी प्रतिदिन वजन का टैस्ट नियमित रूप से चैक किया जाता हैं।

(4) जब कोई दोषी नहीं है तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भवानी मण्डी कस्बे में प्रदूषण

732. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भवानी मण्डी कस्बे में टेक्सटाइल मिल के प्रदूषण से भवानी बांध तथा किसानों की खेती की जमीन खराब हो रही है ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहीहै ?

(2) क्या राज्य सरकार की उक्त उद्योग से बढ़ते प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) (अ) भवानी मण्डी में मैसर्स राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स नाम का एक वृहत श्रेणी का उद्योग 1960 से कार्यरत है जो घरेलू व औद्योगिक उच्छिष्ठ निस्त्रावित करता है।

(ब) उद्योग ने उच्छिष्ठ उपचार के लिये नवम्बर 88 से समुचित व्यवस्था करली है। राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा एकत्रित किये गये नमूनों की जांच से पता चलता है कि उपचारित उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। अतः अब प्रदूषण की सम्भावना नहीं हैं।

(स) इस टेक्सटाइल मिल के प्रदूषण से किसानों की खेती की जमीन खराब हो रही है इसकी सूचना कृषि विभाग को नहीं हैं।

(2) उद्योग के विरुद्ध 1981-82 में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उद्योग से निस्त्रावित होने वाले उच्छिष्ठ के कारण इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने से भवानी बांध तथा किसानों की खेती की जमीन खराब हो रही थी। तत्पश्चात् मण्डल के बाध्य करने के कारण उद्योग ने नवम्बर, 88 से पर्याप्त उपचार व्यवस्था स्थापित करता है। मण्डल द्वारा एकत्रित किये गये उच्छिष्ठ के नमूनों की जांच से पता चलता है कि उद्योग का उपचार सयंत्र संतोषजनक कार्य कर रहा हैं।

आबू एवं पिण्डवाड़ा क्षेत्र के बांध

733. **श्री प्रभूराम प्रासिया** (पिन्डवाडा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र आबू एवं पिडवाड़ा में सिंचाई विभाग के कुल कितने बांध हैं ? उनके पूर्ण भर जाने पर कुल कितने एकड़ जमीन की सिंचाई सम्भव होती है और उनमें से कितने बांध सिंचाई विभाग के अधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बालोरिया, मोरस, नदिया, फाटकेश्वर तथा राजोला में सिंचाई के बांधों के निर्माण का पर्याप्त साधन है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन ग्रामों में बांध निर्माण के लिए क्या योजनायें बना रही है ? इन बांधों में कितनी लागत आयेगी और इन्हे कब तक बना दिया जायेगा ? और यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आबू एवं पिडवाड़ा में सिंचाई विभाग के कुल 15 बांध सिंचाई विभाग के अधीन हैं। इन बांधों के पूर्ण भर जाने से कुल 21,188 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती हैं।

(2) जी हां। ग्राम बालोरिया, नादिया, मोरस, फाटकेश्वर में विभिन्न सिंचाई के बांधों का निर्माण सम्भव है।

उपरोक्त ग्रामों में बांध निर्माण हेतु योजना के प्रारूप तैयार कर लिये गये है तथा इन योजनाओं की जांच की जा रही हैं। इनकी अनुमानित लागत लगभग 224·15 लाख रु. है। उक्त योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत व वांच्छित धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य शुरू कराया

(सिंचाई मंत्री)
जाना सम्भव हो सकेगा । अभी प्राथमिकता पिछले अपूर्ण रहे कार्यों को तथा ऐसे कार्यों को जो शीघ्र पूर्ण कराये जो सकते है, दी जा रही हैं ।

भीलवाड़ा जिले में सिंचाई हेतु पानी

734. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले में कितनी सिंचित भूमि को पिछले 3 वर्षों में सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया ? जमीन के खातेदारों के नाम विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

भीलवाड़ा की किसी भी सिंचाई परियोजना में सिंचित क्षेत्र के किसी भी कृषक खातेदार को विभाग द्वारा पानी से वंचित नहीं किया गया है तथा बांधों में उपलब्ध जल का वितरण जल वितरण कमेटी के निर्णयानुसार ही किया गया है ।

शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति

735. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1989-90 में शिक्षा विभाग में सैकण्डरी स्कूल के कितने प्रधानाध्यापकों की पूर्ण स्केल नं. 18 से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य या समकक्ष पदों पर पदोन्नति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जब पदोन्नत उपप्रधानचार्यों में से कुछ प्रधानाचार्यों को छः माह की अवधि में एक नहीं दो-दो बार पदोन्नतियां दी गई हैं ? यदि हां, तो इतनी अल्पावधि में पदोन्नति का क्या आधार रखा गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नतियों (प्रधानाचार्यों के पद पर या समकक्ष पदों पर) में विभागीय वरिष्ठता को नकारा गया है ?

(4) यदि हां, तो सरकार इस अनियमितता को अब कब तक ठीक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 89-90 में पूर्व स्केल नं. 18 से एक प्रधानाध्यापिका सुश्री अमृतकौर बावजा को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित होने पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की गई ।

(2) जी हाँ । विभाग में वर्ष 1989-90 में 672 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 10+2 योजना में उप-प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य से सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में एक प्रधानाचार्य एवं 538 विद्यालयों में एक उपप्रधानाचार्य का पद क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप वरिष्ठतानुसार उपप्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई । राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानान्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नतियां वरिष्ठता सहयोग्यता से तथा 15 प्रतिशत पदोन्नतियां योग्यता

(शिक्षा मंत्री)
से किये जाने के प्रावधान के अनुसार ही किया जाकर पदोन्नतियां की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) अनियमितता नहीं हुई है अतः ठीक करने का प्रश्न ही नहीं है।

सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वितरण

736. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खरीफ की फसल के लिए आदान पखवाड़ा कब से बताया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के अधिकांश किसानों पर अवधि पार ऋण होने के कारण वे पिछले ऋण का लाभ नहीं उठा सकेंगे, उनके लिए राज्य सरकार की क्या योजना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के अधिकांश केन्द्रीय सहकारी बैंक समक्ष नहीं है कि वे फसमी ऋण उपलब्ध करा सकें। ऐसे बैंकों द्वारा फसली ऋण वितरण की क्या व्यवस्था की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में खरीफ की फसल के लिए कृषि आदान वितरण शुरू कर दिया गया है और खाद बीज की समुचित व्यवस्था करने हेतु विभाग ने सम्बन्धित सहकारी सस्थाओं को निर्देश दिये है।

(2) सहकारी बैंकों द्वारा किसानों पर बकाया ऋणों में राहत देने सम्बन्धी योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणों में राहत उपलब्ध कराने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ठ "क" में सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) जो केन्द्रीय सहकारी बैंक नाबार्ड से साख सीमा प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है उनको फसली ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शीर्ष बैंक ने अपने ही कोष से साख सीमा स्वीकृत कर दी है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कुल 142.55 करोड़ रुपये की ऋण साख सीमा स्वीकृत है। इस वर्ष फसली ऋणों के लिए नाबार्ड ने नोन ओवर ड्यू कवर, मौसमी अनुशासन एवं न्यूनतम वसूली प्रतिशत आदि मामलों में भी रियायतें दी हैं ताकि जो ऋण चुकाने के दोषी नहीं है, उनको फसली ऋण आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जा सकें।

किसानों को भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों हेतु पास बुक

737. **श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसानों को भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों को एक जगह रख कर पास बुक के रूप में उन्हें देने हेतु कानूनी मान्यता प्रदान की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक कई जिलों के किसानों को पास बुक नहीं दी गई हैं ?

(श्री सालिगराम)

(3) क्या यह सही है कि सब रजिस्ट्रार व बैंक इन पास बुकों को मान्यता प्रदान नहीं करते जिससे किसानों को अपनी भूमि सम्बन्धी विवाद व ऋण आदि के मामले के निस्तारण में कठिनाई होता है ?

(4) क्या सरकार पास बुक को इस कानूनी मान्यता को अधिकारी व बैंक स्तर पर सार्वजनिक मान्यता प्रदान कराने हेतु केन्द्रीय सरकार से पेशकश समेत कोई प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषकों को ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु कृषि पास बुक वितरित की जाती है जिनमें कृषि जोतों से सम्बन्धित काश्तकारों के हकूक मय भूमि के विवरण दर्ज किये जाते हैं । ऐसी पास बुकों को भूमि के हकूकों के सम्बन्ध में कानूनी मान्यता प्राप्त है ।

(2) जी नहीं, राज्य के सभी जिलों में मार्च, 1990 तक लगभग 3770417 पास बुकों का वितरण किया जा चुका है तथा यह कार्य अब भी चल रहा है ।

(3) आंशिक रूप से सही है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 6.6.90 को विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं व ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि ऐसी कठिनाइयां काश्तकारों को न हो ।

(4) इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर ही प्रयास किये जा रहे हैं ।

(आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में नये जिलों हेतु गठित समिति

738. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद):-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पूर्व में राज्य में नये जिले बनाने के लिये कोई समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो उसके द्वारा की गई सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या पूर्व सरकार द्वारा नये जिले बनाने के संबंध में मंत्रीमंडल में विचार कर निर्णय लिए गये थे ? यदि हाँ, तो निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बड़े जिलों को पुर्नगठित करने व नये जिले बनाने के संबंध में सुझाव देने हेतु शासन द्वारा वर्ष 1981 में राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट सन् 1982 में प्राप्त हुई थी । रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) पूर्व सरकार द्वारा नये जिलों के निर्माण के बावत कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में कार क्रय

739. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) :–क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दी उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, लिटिटेड, उदयपुर द्वारा दिनांक 21-3-1988 को एम्बेसेडर (डीजल) कार का क्रय किया गया था? यदि हां, तो कितने रुपये में ?

(2) उक्त खरीद के पश्चात् अब तक कितना रुपया मरम्मत पर व्यय किया गया तथा खरीद के कितने दिन बाद नई कार पर रिपेयर का खर्च प्रारम्भ किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि, उदयपुर ने विभाग की पूर्व स्वीकृति से दिनांक 21-3-88 को रुपये 1,24,056 में एम्बेसडर (डीजल) कार क्रय की थी ।

(2) बैंक द्वारा कार खरीद के पश्चात् 30-6-90 तक इस कार की मरम्मत पर रु. 52,244,86 व्यय हुए हैं एवं प्रथम मरम्मत का कार्य दिनांक 20-4-88 को हुआ है ।

अजमेर जिले में नई लघु सिंचाई परियोजनायें

740. **श्री सांवरलाल जाट** (भिनाय):–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अजमेर जिले में नई लघु सिंचाई परियोजनायें निर्मित करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) के अन्तर्गत भेजें गये प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, 1 अजमेर जिले में दो नई लघु सिंचाई परियोजनायें—गोविन्दगढ़ व करडाला प्रस्तावित है ।

(2) जी हां । डी. पी. ए. पी. के प्रस्ताव अतिरिक्त कलेक्टर जिला विकास अभिकरण अजमेर को खण्डीय कार्यालय द्वितीय अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 9-3-90 से और उप शासन सचिव विशिष्ठ योजना के खण्डीय कार्यालय प्रथम अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 6-4-90 मे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये हैं । कार्यों की स्वीकृति जारी होने पर कार्य कराये जा सकेंगे ।

पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा कागज खरीद

741. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1989 में राजस्थान राज्य पाठय पुस्तक मण्डल द्वारा राइटिंग एवं प्रिंटिंग कागज की खरीद के लिए कोई निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि हां, तो कितने मैट्रिक टन व कितने मूल्य के पेपर की निविदाए आमन्त्रित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त निविदा हेतु किन-किन कम्पनियों ने आवेदन किया व उनके पूरी मात्रा के लिए क्या रेट थे ? नाम व सूचा सदन की मेज पर रखें ।

(36)

(श्री जगजीत सिंह)

(3) क्या मण्डल द्वारा स्वीकृत किए गये निविदा विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही स्वीकृत किये गये ? यदि हाँ, तो विभाग के क्या मापदण्ड थे व किस कम्पनी को निविदा छोड़ी उसकी क्या रेट थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पाठ्य पुस्तक मण्डल ने कम्पनियों से कोई नेगोशियेशन किया ? यदि हां, तो नेगोशियेशन में किन-किन कम्पनियों को आमंत्रित किया गया व उसके लिए क्या आधार तय किया गया ? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि मण्डल द्वारा कम्पनियों से टेण्डर के साथ-साथ कागज का नमूना (सेम्पल) भी मांगा गया ? क्या टेस्टिंग लेबोरेट्री से परीक्षण कराया गया ? प्रत्येक की टेस्टिंग रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(6) मण्डल गत पांच वर्षों में कागज टेस्टिंग किन-किन लेबोरेट्री से करवा रहा है ? प्रत्येक लेबोरेट्री का नाम ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि माह अक्टूबर 1989 में राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा कागज की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। यह निविदा प्रिंटिंग कागज के लिए थी। राइटिंग कागज की लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। प्रिंटिंग कागज की आवश्यकता व निविदा का विवरण सदन की मेज पर दिया गया है। संलग्न परिशिष्ट "अ"

निविदा हेतु 13 आवेदन प्राप्त हुए। निविदा दाताओं के नाम तथा आवेदन निविदा में दी गई दरों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। संलग्न परिशिष्ट "ब"

(2) मण्डल द्वारा स्वीकृत की गई निविदा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत की गई है। विभाग के मापदण्ड किस कम्पनी को सप्लाई आदेश दिया तथा दरों का विवरण सदन की मेज पर दिया गया है। संलग्न परिशिष्ट "स"

(3) पाठ्य पुस्तक मण्डल ने मुद्रण कागज के लिए निम्न फर्मों को निगोशियेशन हेतु आमंत्रित किया—

1. मैसर्स कलावती स्टोर जयपुर (विन्ध्या पेपर मिल)
2. मैसर्स पैरागन सैल्स दिल्ली (श्री यान्स पेपर मिल)
3. मैसर्स एक्जोटिक इन्टरनेशनल दिल्ली (एच. पी. सी.)
4. मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन ब्रांच ऑफिस, जयपुर
5. मैसर्स के. जी. के. एन्टरप्राइजेज, हैदराबाद (एच. पी. सी)
6. मैसर्स शिवा एण्टरप्राइजेज, जयपुर (एच. पी. सी.)

(शिक्षा मंत्री)

(4) कवर कागज के लिए निम्न दो फर्मों को निगोशियेशन हेतु आमंत्रित किया गया—

1. मैसर्स पैरागन सैल्स प्रा. लि., नई दिल्ली (श्री यान्स पेपर मिल)

2. मैसर्स कलावती स्टोर, जयपुर (विन्ध्या पेपर मिल)

निगोशियेशन के लिए उन्हीं फर्मों को बुलाया गया जिनके सैम्पल भारत सरकार की प्रयोगशाला में आई. एस. आई. के रूप पाये गये।

(5) निविदा के साथ-साथ कागज के नमूने भी मंगवाये गये थे तथा उन नमूनों को टेस्टिंग हेतु भारत सरकार की प्रयोगशाला सहारनपुर भिजवाया गया टेस्टिंग रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। संलग्न परिशिष्ट "द"

(6) मण्डल द्वारा गत पांच वर्षों में जिन प्रयोगशालाओं से टेस्टिंग करवाया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है–

1. 85-86 पेपर टेक्नोलॉजी, सहारनपुर।

2. 86–87 सैन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।

3. 87–88 सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।

4. 88–89 सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।

5. 89–90 सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयों में रखी गई)

तहसील हैड क्वार्टर पर भूमि विकास बैंक की शाखाएं

742. श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक लि. सवाई माधोपुर की शाखा प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार बामनवास तहसील हैड क्वार्टर पर शाखा खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बामनवास को छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत है। बामनवास में शाखा खोलने हेतु नाबार्ड द्वारा पूर्व में सहमति प्रदान नहीं की गई।

(2) जी हां। नाबार्ड को विभाग द्वारा पुनः निवेदन किया गया है, सहमति प्राप्त होने पर ही बैंक की शाखा बामनवास पंचायत समिति मुख्यालय पर खोली जा सकेगी।

(३०)

टोडाभीम क्षेत्र में विद्यालय

743. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1989-90 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने प्राइमरी मिडिल, हायर सैकण्डरी विद्यालय खोले गये ?

(2) क्या वर्ष 1989–90 में खोले गये विद्यालयों में से हायर सैकण्डरी स्कूल मोहनपुरा भी खोला गया था ? यदि हाँ, तो क्या वह चालू हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसे प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया है, 3 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है एवं किसी माध्यमिक विद्यालय को हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया हैं।

(2) जी नहीं। वर्ष 1989–90 में उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा को माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया है न कि हायर सैकण्डरी स्कूल में। माध्यमिक विद्यालय चालू हो गया।

छबड़ा, किशनगंज एवं शाहबाद क्षेत्र की लघु सिंचाई परियोजनाएं

744. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) एवं **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छबड़ा, किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में कौन-कौन सी लघु सिंचाई परियोजनायें सर्वे की जा चुकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजना में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? कितनी एकड़ सिंचाई होना प्रस्तावित है ? उन्हें कब से प्रारम्भ किया जाना है ? कब तक पूरी होने की सम्भावना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनायें सर्वे की जा चुकी है।

1. फालिया (तहसील छबड़ा)
2. उतावली (तहसील छबड़ा)
3. नवेली (तहसील शाहबाद)
4. बादीपुरा (तहसील किशनगंज)

(2) निम्न लघु सिंचाई योजनायें स्वीकृति हेतु विचाराधीन है–

नाम तह.	माध्यम सि. योजना	लघु सिंचाई योजना
छबड़ा	रेतीली, हिंडलोत बेतली एवं लासी	फालिया, उतावली दरी
किशनगंज	बरनी	बादीपुरा,
शाहबाद	कराई	बेदरा, नवेली

(सिंचाई मंत्री)

(3) योजनाओं का प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद ही योजना हेतु धनराशि आवंटित कर प्रारम्भ करना संभव होगा। प्रस्तावित सिंचाई के आंकड़े योजना स्वीकृत होने पर ही ज्ञात होंगे।

कोटा जिले की लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें

745. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) एवं **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले की कौन-कौन सी लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें सर्वे की जा चुकी हैं ?

(2) कितनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं ? कोटा जिले में किशनगंज शाहबाद एवं छबड़ा, छीपा बड़ौद लिफ्ट सिंचाई की स्वीकृति की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की काली सिंध लिफ्ट मध्यम सिंचाई परियोजना सर्वे की जा चुकी हैं।

(2) अभी तक कोई लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई हैं। किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा, छीपाबड़ौद की अभी तक कोई भी लिफ्ट सिंचाई की स्वीकृति सिंचाई विभाग द्वारा जारी नहीं की गई हैं।

जिला नागौर में बकाया नामान्तरकरण के मामले

746. **श्री मोहनलाल** (परबतसर):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे–

(1) वर्तमान में जिला नागौर में कितने नामान्तरकरण के मामले बकाया हैं ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) बकाया नामान्तरकरण रहने के क्या कारण हैं ?अब कब तक नामान्तरकरण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला नागौर में 107 नामान्तरकरण के मामले बकाया हैं। तहसीलवार सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी है।

(2) उक्त 107 नामान्तरकरण में से 105 नामान्तरकरण पंचायतों से क्षेत्राधिकार में होने से निस्तारण नहीं हो सके। दो नामान्तरकरण के मामलों में न्यायालय का स्थगन आदेश होने से अवशेष है। ग्राम पंचायतों से शेष नामान्तरकरणों का निस्ताकरण आगामी पंचायत बैठक में करवा दिये जायेंगे अन्यथा नियमानुसार 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर इनका निस्तारण तहसीलदार द्वारा करवाया जावेगा, तथा शेष 2 नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय पश्चात् निस्तारण होंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 747
(स्थगित)

प्रतापगढ़ क्षेत्र में पिछड़ी जातियों पर व्यय

748. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं उत्थान हेतु पिछले 5 वर्षों में राज्य व केन्द्र सरकार की ओर से कुल कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय करना प्रस्तावित था ?

(2) क्या यह सही है कि व्यय की गयी राशि का सदुपयोग नहीं हुआ एवं बिचौलियों द्वारा लाभ उठाया गया ?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने छात्रावास एवं आश्रम बालक बालिकाओं के लिये हैं ? प्रवेश संख्या सहित अलग-अलग ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रतापगढ़ उपखण्ड में कितने नये छात्रावास प्रस्तावित हैं तथा सरकार कहां-कहां, कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं उत्थान हेतु पिछले पांच वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित और व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा योजनावार परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(ख) जनजाति योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित योजनावार आवंटन एवं व्यय परिशिष्ट "ख" में उपलब्ध हैं।

(ग) छात्रावास योजना के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का ब्यौरा परिशिष्ट "ग" में उपलब्ध है।

(घ) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी गई राशि का ब्यौरा परिशिष्ट "घ" में उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार के समक्ष व्यय की गई राशि के सदुपयोग नहीं होने का तथा बिचौलियों द्वारा लाभ उठाये जाने का कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है।

(3) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों की ग्रामवार प्रवेश संख्या सहित सूची परिशिष्ट "च" में उपलब्ध हैं।

(4) प्रतापगढ़ उपखण्ड में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धी एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नये छात्रावास खोलने पर विचार किया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर विभाग में मशीनों की खरीद

749. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत 10 वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर विभाग में कब-कब, कौन-कौन सी मशीनें कितनी राशि में खरीदी गई ? उसमें से कौन-कौनसी मशीनें कब-कब से खराब हैं कौन-कौन सी कार्यरत हैं ? जिसका उपयोग नहर निर्माण में किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो मशीनें खराब हैं उनको उपयोग में लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(3) मशीनों के स्पेयर पार्ट्स कब-कब, कितनी-कितनी राशि के खरीदे गये उनका उपयोग कितनी मात्रा में किया गया एवं अब कितनी राशि के कौन-कौन से स्पेयर पार्ट्स स्टोर में मौजूद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट अ–1, अ–2 पर संलग्न हैं।

(2) जो मशीनें खराब हैं उनकी मरम्मत हेतु आवश्यक पुर्जों की खरीद की व्यवस्था की गई है तथा पुर्जों के प्राप्त होने पर मरम्मत कर दी जावेगी।

(3) विगत दस वर्षों में इ. गा. न. प. में नहर निर्माण में कार्यरत सभी मशीनों के लिए भण्डार में जो स्पेयर पार्टस क्रय किये गये है वह कुल रु. 673.78 लाख के हैं तथा उनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं। इसी अवधि में जो स्पेयर पार्टस उपयोग किये गये उनकी कुल मूल्य रु. 587.13 लाख हैं। स्टोर में स्पेयर पार्टस की सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी बैंकों में पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु योजना

750. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों से जन साधारण द्वारा की जा रही बचत में निरन्तर गिरावट आ रही है ? गत 5 वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अन्य सेविंग स्कीम यूनिट ट्रस्ट, प्रोविडेन्ट फण्ड, डिबेन्चर आदि पर ब्याज व लाभांश अधिक मिलने से सहकारी बैंकों में व्यक्तिगत पूंजी निवेश कम होता जा रहा है ?

(3) क्या सरकार सहकारी बैंकों में व्यक्तिगत पूंजी निवेश बढ़ाने के लिये कोई आकर्षक योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(42)

उत्तर

(1) जी नहीं। गत 5 वर्षों के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट-'क' पर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। सहकारी बैंकों में अमानतें प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। देश में बैंकों द्वारा अमानतों पर दी जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है और सभी प्रकार की अमानतों पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो-जो ब्याज दर निश्चित की जाती हैं, उनसे शीर्ष सहकारी बैंक के लिए 1/4% केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए 1/2% एवं नागरिक बैंकों के लिए 1% ब्याज दर अधिक होती है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बारां उप संभाग में सिंचाई कार्य

751. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) एवं **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990-91 में कोटा जिले के बारां सब डिविजन को किन-किन सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए बजट अलॉट किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रस्तावित योजनाओं को कब तक प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) बांरा में दो सिंचाई खण्ड कार्यरत है जिसके लिए वर्ष 1990-91 के प्रथम चार मास का निम्न बजट अलाट किया गया है—

क्र.सं. सिंचाई योजना का नाम	खण्ड आवंटित राशि (लाख रु. में)
1. विलास मध्यम सिंचाई परि. (विलास परि. खण्ड बांरा)	45·00 लाख
2. अहमदी लघु सिंचाई योजना (सिंचाई खण्ड बांरा)	6·00 लाख

इनके अतिरिक्त गैर योजना (नॉन प्लान) मद में तालाबों एवं नहरों के रख रखाव हेतु 13·47 लाख रु. प्रथम चार मास के लिए आवंटित हैं।

(2) उक्त दोनों परियोजना विलास एवं अहमदी पर कार्य प्रगति पर हैं।

श्री चेतन देव, अधीक्षक, जेल की तिहाड़ जेल में प्रतिनियुक्ति

752. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री चेतन देव अधीक्षक, जेल विभाग वर्ष 1982-83 में

(श्री मदन लाल सैनी)

प्रतिनियुक्ति पर तिहाड़ जेल, देहली गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें कुछ माह में ही प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर वापिस भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई जांच कार्यवाही की गई ? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधीक्षक की तिहाड़ जेल पर प्रतिनियुक्ति के समय उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा चला था ? यदि हाँ, तो वह किस अपराध के विषय में था तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

(5) क्या राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कोई विभागीय जांच की कराई गई थी ?

(6) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या यह भी सही है उक्त अधीक्षक के विरुद्ध वर्ष 1986 में लगे आरोपों की गुप्तचर पुलिस की अपराध शाखा से जांच कराई गई थी ?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त जाँच में अनेक गम्भीर आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ ।

(2) जी हां । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 1 (सी) (25) एच–12/81 दिनांक 6-3-82 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे एवं इन्हें दिल्ली प्रशासन के आदेश क्रमांक एफ. 9 (34) 82 होम (जी) दिनांक 27-9-82 के द्वारा तिहाड़ जेल से कार्य मुक्त कर सचिव, गृह राजस्थान, जयपुर के यहां उपस्थित प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे । इन्हें किन कारणों से वापिस भेजा गया, की जानकारी विभाग को नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) श्री चेतनदेव उपाध्याय तिहाड़ जेल पर प्रतिनियुक्ति के समय इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा चला था, की जानकारी विभाग को नहीं है । (अपितु वाद संख्या 31/79 में न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के निर्णय दिनांक 28-2-81 में साक्ष्य के अनुसार परस्त्री-गमन में लिप्त पाया गया था । किन्तु यह मामला तिहाड़ जेल की प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूर्व का है ।

(5) उक्त वाद संख्या 31/79 के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग क–3 द्वारा विभागीय जांच कराई गई ।

(6) इस विभागीय जाँच में श्री चेतन-

(श्री मदनलाल सैनी)

देव उपाध्याय पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करने के आदेश कार्मिक/क–3/ विभाग के आदेश संख्या प. 1 (37) कार्मिक/क–3/22 दिनांक 2-8-85 द्वारा दिए। जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(7) जी हाँ।

(8) गुप्त जांच की रिपोर्ट में कुछ तथ्य अंकित किए गए थे। उक्त तथ्यों से सम्बन्धित जांच के दौरान संग्रहित अभिलेख व साक्ष्य पुलिस विभाग से मांगने पर पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (वि. शा.) राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र संख्या अ. ब. वि. (वि. शा.)/जी 3/सेवा वि/विध/2/86/94 दिनांक 22-9-86 द्वारा सूचित किया कि इस गोपनीय जांच में कोई दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आबू पर्वत के वनों से प्राप्त फलों का ठेका

753. श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबू पर्वत के वनों से प्राप्त होने वाले फलों के ठेके पर दिया गया है? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों से अब तक कौन-कौन से फलों का ठेके पर दिया गया है तथा उनसे कितनी आय हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि जंगल की उपज को सस्ती दर पर खरीद कर ठेकेदारों द्वारा वनवासियों का शोषण किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उचित मूल्य दिलाने की दिशा में क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

गंग कैनाल क्षेत्र में बागों को पानी

754. श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंग कैनाल क्षेत्र में कितने लोगों ने बागों के पानी के लिए आवेदन दे रखें है? वरीयता अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसी की वरीयता तोड़कर पानी दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन का किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) गंग नहर प्रणाली के अन्तर्गत आज तक कुल 544 लोगों ने आवेदन कर रखें हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। किसी भी व्यक्ति को वरियता का उल्लंघन करके केवल बाग हेतु

(सिचाई मंत्री)

विभाग द्वारा पानी नहीं दिया गया है। चक 7 डब्ल्यू के श्री सुरजीत सिंह, छविन्द्र सिंह, व चक 14 एफ. एफ. के श्री महेन्द्र पाल सिंह को न्यायालय के आदेशों के पालना में बाग का अतिरिक्त पानी दिया जा रहा हैं। इन पर स्थगन आदेश लाने हेतु कार्यवाही जारी हैं। इनके अतिरिक्त 27 जी. बी. के श्री लक्ष्मन सिंह को कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर माडल आरचर्ड की स्थापना हेतु और (2 जी छोटी के प्रथम) श्री बलवन्त सिंह कृषि पंडित को कृषि अनुसंधान हेतु पानी दिया जा रहा हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्दिरा गांधी नहर विभाग में बकाया बिल

755. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर विभाग में कितने फाइनल बिल कब-कब से बकाया पड़े हैं तथा विभिन्न ऑडिट दलों यथा स्थानीय जांच, महालेखाकार, जयपुर द्वारा लिये गये एतराज के पैरा बकाया हैं व उनके निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या बकाया पड़े पुराने फाइनल बिलों में तत्कालीन सहायक अभियन्ता-अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा नियमानुसार चैक मेजरमेन्ट डाली गई ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस संगठन में वर्ष 1969-70 से 1988-89 तक के कुल 2240 फाइनल बिल अब पेन्डिग हैं जिनका विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया हैं। विभिन्न ऑडिट दलों एवं स्थानीय जाँच महालेखाकार, जयपुर की 273 रिपोर्टों के 1769 पैरों का निस्ताकरण बकाया हैं। इनके शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) फाइनल बिलों अधिकांशतः में सम्बन्धित सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंताओं द्वारा नियमानुसार चैक मेजरमेंट डाली गई है। अधीक्षण अभियंता द्वारा नाप चैक करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। जिन फाइनल बिलों में तत्कालीन अभियन्ताओं द्वारा चैकिंग नहीं की गई है तो उनकी चैकिंग वर्तमान अभियंताओं द्वारा की जाती है/की जा रही हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सूरतगढ़ तहसील के ग्रामों में सिंचाई

756. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सूरतगढ़ तहसील के लगभग 14 गांव जो कोलोनाइजेशन में आ गये हैं मौके पर इन गाँवों में सिचाई नहीं होती है यदि हां, तो क्यों ?

(96)

(श्री रामप्रताप कासनिया)

(2) क्या सरकार इस व्यवस्था में बाधक कानूनी अथवा तकनीकी कमी में संशोधन कर उक्त गांवों में सिंचाई की व्यवस्था करायेगी ? हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रश्नकर्त्ता ने 14 गांवों के नाम कहाँ नहीं बताए है अतः इस प्रश्न के बारे में सही स्थिति बताया जाना सम्भव नहीं हैं।

(2) इसका उत्तर भाग प्रथम के अनुसार है।

राजस्थान में खनिज दोहन

757. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजनगर, केलवा, आमेट, आगरिया मारबल क्षेत्र का भू-वैज्ञानिक मानचित्र बनाया जाकर खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु डेलीनीकेशन खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने किया था ? यदि हां तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं किया गया तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान में ग्रेनाइट क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्र इस दृष्टि से बनवाया गया है कि वैज्ञानिक व औद्योगीकरण की दृष्टि से इन विपुल भण्डारों का दोहन हो सके ? यदि हां, तो उन सभी मानचित्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं बनवाया गया है, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार बिना डेलीनिकेटेड प्लान बनवाए खनन पट्टे स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इससे वैज्ञानिक पद्धति से खनन किया जा सकता है और खनिज का वेस्ट रोका जा सकता है ? यदि नहीं, तो बिना डेलीनिकेटेड मेप बनवाए खनन पट्टे स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मार्बल का क्षेत्र साइज 100 × 100 मोहर का वर्ष 1979, 1980 एवं 1981 में डेलीनिएशन किया गया, नक्शे की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) राज्य में ग्रेनाइट क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्र नहीं बनाया है तथा आवेदकों की खोज के आधार पर खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। अन्य खनिजों के सर्वेक्षण की प्राथमिकता के कारण अभी तक ग्रेनाइट के सर्वेक्षण कार्य नहीं किया है।

(3) जहां खनिज भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों वहां पर राज्य सरकार को विशेष अनुमति से डेलीनिएशन के पश्चात् आवंटन किया जा रहा है। शेष सभी क्षेत्रों में आवेदक को खोज के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर आवंटन किया जा रहा है जो प्रचलित नियमों के अनुसार हैं तथा किसी भी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। डेलीनिएशन आवंटन को प्रक्रिया को सरल बनाना है परन्तु खनिज वेस्ट होने से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(खनिज मंत्री)

(मानचित्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बड़े उद्योग समूह के हैड आफिस बाहर होने से राजकोष की हानि

758. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जो बड़े उद्योग यथा खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट, श्रीराम उद्योग समूह, जे. के. उद्योग समूह एवं मोदी उद्योग समूह के जो उद्योग हैं उनके हैड आफिस राजस्थान में न होकर अन्य प्रदेशों में होने से क्या राजस्थान को केन्द्र द्वारा आवंटित अंशराशि व करों से होने वाली बहुत बड़ी आय से वंचित रहना पड़ रहा है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

—(1) जिन उद्योगों के हैड आफिस राजस्थान में नहीं है उद्योगों के प्रकरणों में केन्द्र द्वारा आवंटित अंश राशि के कुछ भाग तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क जैसे कुछ करों से राज्य सरकार को वंचित रहना पड़ता है।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर उद्योगपतियों की बैठक, बुलाकर उनसे अपने उद्योगों के मुख्यालयों को राज्य में लाने का आग्रह करती है।

डीग तहसील में खनन कार्य

759. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डीग तहसील में कुल कितनी खानों पर वर्तमान में कार्य चल रहा है एवं किन-किन के नाम आवंटित है ?

(2) डीग क्षेत्र के पहाड़ताल गांव स्थित पत्थरों की खान का कार्य कब से शुरू हुआ एवं कौन-कौन ठेकेदारों के नाम किस-किस वर्ष में ठेका आवंटित किया गया ?

(3) पहाड़ताल की खान के पास वाले गांवों से ठेकेदार द्वारा किस आधार पर रायल्टी ली जा रही है एवं क्या खनिज विभाग की इस कार्य हेतु सहमति है ? यदि हां, तो क्यों एवं यदि नहीं, तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) डीग तहसील में वर्तमान में 42 खनन पट्टों पर खनन कार्य चल रहा है। सूची संलग्न है।

(2) पहाड़ताल गांव में स्थित चुनाई पत्थर का खननपट्टा दिनांक 1-5-1971 से श्री हरद्वारी लाल के पक्ष में चल रहा है। इससे पूर्व में श्री भगवत प्रसाद के पक्ष में स्वीकृत था।

(3) पट्टाधारी द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से खनिज निकाल कर बेचने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत है। खनिज के मूल्य में रोयल्टी का भाग भी सम्मिलित है जो

(खनिज राज्य मंत्री)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1987 एवं संविदा की शर्तों के अनुसार खान विभाग को जमा कराता है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 174

760. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पाली जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सन 1-2-82 से 31-12-86 तक किस किस मामले में रिसीवर नियुक्त किया गया व उक्त मामले में किस-किस रिसीवर ने कब-कब जमीन का कब्जा लिया व जिन-जिन मामलों में कब्जा नहीं लिया गया उसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि धारा 175 के तहत कार्यवाही में तहसीलदारों द्वारा माकूल पैरवी नहीं की जाती है और इस वजह से वर्षों तक मुकदमें लम्बे होते हैं व न्याय नहीं मिलता है ?

(3) क्या सरकार धारा 175 के तहत चल रहे मामलों में जमीन को शीघ्रता से रिसीवर के कब्जे में लेने की व्यवस्था करायेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि तहसीलदारों की लापरवाही से वर्षों तक प्रतिवादी जवाब नहीं देते हैं ? क्या सरकार इस तरह की लालफीताशाही को बन्द करेगी ?

उत्तर

(1) जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत 1-1-82 से 31-12-1986 तक राजस्व न्यायालय के अनुसार दर्ज मामले, रिसीवर की नियुक्ति, और विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	राजस्व न्यायालय	मामले दर्ज	रिसीवर की नियुक्ति	विचारधीन उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर के यहां विचाराधीन	राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन
1.	उपखण्ड अधिकारी, पाली	—	—	—	—
2.	उपखण्ड अधिकारी, बाली	555	555	—	555
3.	उपखण्ड अधिकारी, सोजत	27	—	27 उपखण्ड अधिकारी सोजत के यहाँ विचाराधीन	
4.	उपखण्ड अधिकारी, जैतारण	—	—	—	—
5.	सहायक कलक्टर, देसूरी	319	309	10 सहायक कलक्टर देसूरी के यहां विचाराधीन	309

(49)

(राजस्व मंत्री)

उपरोक्त 864 मामलों में रिसीवर नियुक्ति के आदेश दिये गये थे। जो सभी मामले अपीलों में विचाराधीन होने से भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका। जिन मामलों में अपील में रिसीवर द्वारा कब्जा लिए जाने पर स्थगन नहीं है, उनमें तुरन्त कब्जा लेने हेतु कलेक्टर को निर्देश दिये जा रहे है।

(2) जी, नहीं।

जिले में सभी न्यायालयों में जहां धारा 175 के मामले जैरकार है तहसीलदारों द्वारा नियमानुसार माकूल पैरवी की जाती रही है।

(3) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जिन मामलों में रिसीवर नियुक्त किये जाते हैं उनमें कब्जा लिये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाती है।

(4) जी, नहीं।

न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही तत्परता से मामलों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है।

पंचायत सुनारा में राजस्व

761. **श्री रामनारायण बैरवा** ((निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान लैण्ड रिकार्ड एण्ड रेवेन्यू नियम 141 के तहत ग्रामीण काश्तकारों को नामान्तरण में राहत देने हेतु क्या इसमें कोई संशोधन करने का विचार रखती है ?

(2) भूमि क्रय के पश्चात् रजिस्ट्री के तीन माह पश्चात् नामान्तरण सम्बन्धित पंचायत के सरपंच की राय के साथ संबंधित रेवेन्यू इन्सपेक्टर, नामान्तरकरण खोल सकें, इस संबंध में कुछ संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों।

(3) क्या यह सही है कि निवाई तहसील में रजिस्ट्रीज की छः माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अब तक नामान्तरण नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राजस्व अभियान 1989 के दौरान पंचायत सुनारा गांव सुरजाखेड़ा में अनियमितता बरती गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये ? नहीं, तो क्यों ? अनियमितताओं के तहत दोषी व्यक्तियों के प्रति क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 0956 की धारा 035 के तहत यह व्यवस्था पूर्व से ही है कि अविवादास्पद मामलों में नामान्तरण तस्दीक के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये है तथा निर्धारित अवधि में पंचायत द्वारा तस्दीक नहीं किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार को ये मामले तस्दीक करने हेतु हस्तान्तरण हो जाते हैं। नामान्तकरण भर कर स्वीकृत कराने की प्रक्रिया राजस्थान भू-राजस्व लैण्ड रिकार्ड नियमों के अन्तर्गत ती की जा है, जिसके अनुसार पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरा जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक

(53)

राजस्व मंत्री)

द्वारा जाँच की जाती है। पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरने के कर्त्तव्यों में उदासीनता बरतने पर नामान्तकरण से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बाद जांच नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाकर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हाँ। यह सही है कि राजस्व अभियान वर्ष, 1980 के दौरान पंचायत सुनारा के ग्राम सूरज का खेड़ा में किये आवंटन के अनियमितता बरतने बाबत् ग्रामवासियान के प्रार्थना-पत्र पर जांच तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर, टौंक से करवाई गई। जाँच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये कर्मचारियान/व्यक्तियों के विरुद्ध नियमामुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा रही रही है। इसी अनुक्रम में 90 अवैध आवंटनों को निरस्त करने हेतु न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत दिये गये हैं। अनियमित आवंटन में लिप्त पाये गये श्री सुरजमल शर्मा, श्री गुमानसिह एवं छीतरमल पटेल के विरूद्ध थाना निवाई में 15-9-89 को प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिनमें थाना द्वारा उक्त तीनों मुलजिमों/व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तदुपरांत इनकी जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है। उक्त अनियमित आवंटनों में लिप्त पाये गये पटवारी हल्का को निलम्बित किया जाकर सी. पी. ए. नियम, 1958 क नियम–26 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिया जा चुका है और इस सम्बन्ध में विभागीय जांच विचाराधीन है।

नेहरू युवा मण्डल खासपुरिया को भू-आवंटन

762. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) :- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नेहरू युवा मण्डल खासपुरिया तहसील नैनवां, जिला-बूंदी को भूमि आवंटन की जाने बाबत प्रकरण जिलाधीश बूंदी द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का आवंटन आदेश परित हो चुका है ? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण का निपटारा कब तक किया जाने का विचार है ?

उत्तर

जी, हाँ। नेहरू युवा मण्डल खासपुरिया तहसील नैनवां, जिला बूंदी को भूमि आवंटन किए जाने बाबत जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बूंदी से कुछ बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण का निपट्टारा कर दिया जावेगा।

क्षेत्र नैनवा के राजस्व क्षेत्र के आबाद एवं गैर आबाद क्षेत्र के मजरे व ढाणियाँ

763. **रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां (जिला बूंदी) में कुल कितने गांव हैं ? तथा प्रत्येक

((श्री रामनारायण वर्मा)

राजस्व गांव के राजस्व क्षेत्र के अन्दर आबादी भूमि में बसे तथा आबादी भूमि से हटकर कितने मजरे झोंपड़े एवं ढाणियां हैं? उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व गांव क्षेत्र व आबादी भूमि से दूर ऐसे आवासीय स्थानों के विकास के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां (जिला बूंदी) में तहसील नैनवां के 178 ग्राम तथा तहसील बूंदी के 63 ग्राम कुल 241 राजस्व ग्राम हैं। राजस्व ग्रामों की आबादी भूमि में बसे हुए 52 मजरे तहसील नैनवां तथा 4 मजरे तहसील बूंदी के कुल 56 मजरे हैं तथा आबादी भूमि से हटकर तहसील नैनवां के 11 तथा तहसील बूंदी के 25 मजरे कुल 36 मजरे झोंपड़े एवं ढाणियां हैं। उनके नाम एवं विवरण की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राजस्व गांव की आबादी भूमि से दूर ऐसे आवासीय स्थानों के विकास के बारे में राज्य सरकार की यह नीति है कि जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 व उससे अधिक है उन मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जावे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(5 जुलाई, 1990)

परियोजना अधिकारी खैरथल, अलवर के यात्रा बिल

216. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा राजस्थान, जयपुर के कार्यालय के नये भवन का उद्घाटन दिनांक 22-11-88 को किया गया था ?

(2) यदि यह सही है तो क्या उद्घाटन के वक्त राजस्थान के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अनुदेशक/अनुदेशिकाओं को बुलाया गया था ? यदि हां, तो उन्हें जयपुर में कितने दिन रोका जाकर यात्रा भत्तों का भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा, खैरथल (अलवर) ने भी इस उद्घाटन में अनुदेशक/अनुदेशिकाओं के साथ भाग लिया, यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उनके द्वारा एफ.बी.सी., बिल सं. 141 दिनांक 15-12-88 से 7 अनुदेशकों के रुपये 1,552/2– का यात्रा भत्ता उठाया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि उनके द्वारा भत्ता 20-11-88 से 24-11-88 तक 5 दिन एवं दिनांक 16-11-88 से 18-11-83 तक 3 दिन का टी. ए. डी. ए. उठाया गया ? उनके द्वारा 8 दिन का यात्रा भत्ता किन आदेशों के तहत उठाया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री जीतमल जैन)

यात्रा बिल में रामरजा बाई अनुदेशिका के नाम का टी. ए., डी. ए. उठाया गया है जबकि उक्त नाम की कोई अनुदेशिका थी ही नहीं ?

(6) क्या यह भी सही है कि परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा, खैरथल के कार्यालय में कोई नल नहीं है ? यदि हाँ, तो फिर एफ. वी. सी. बिल संख्या 139 दिनांक 14-12-88 से 50/- नल सुधारने का खर्चा कैसे किया ? क्या यह भी सही है कि उक्त रसीद भी स्वयं परियोजना अधिकारी प्रौढ शिक्षा खैरथल ने स्वयं अपने हाथ से रसीद बनाकर खर्चा दिलवाया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, राजस्थान जयपुर के कार्यालय के नये भवन का उद्घाटन दिनांक 23-11-88 को हुआ हैं।

(2) उद्घाटन के अवसर पर राज्य-स्तरीय प्रौढ शिक्षा प्रदर्शनी नये भवन में लगाने हेतु तथा राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रत्येक जिलों से दो प्रविष्टियां (आइटम) आमन्त्रित की थी जिसमें अनुदेशक अनुदेशिकाएँ प्रेरकों व ग्रामीणों को आमन्त्रित किया गया था। अनुदेशक—अनुदेशिकाओं के ठहराव सम्बन्धी दिवसों की संख्या सम्बन्धित जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी अथवा परियोजना अधिकारी प्रौढ शिक्षा द्वारा निश्चित की गई थी। इस प्रसंग में आठ दिवस का ठहराव रहा और उतने ही दिन का यात्रा भत्तों का भुगतान किया गया।

(3) जी हां, यह सही है कि तत्कालीन परियोजना अधिकारी खैरथल (अलवर) श्री योगेन्द्रसिंह पन्डिर ने इस उद्घाटन समारोह में अनुदेशक/अनुदेशिकाओं के साथ भाग लिया हैं तथा एफ. वी. सी. संख्या 141 दिनांक 15-12-88 द्वारा 7 अनुदेशिकाओं के 1552/—रुपये उठाये गये हैं।

(4) जी हां, उनके द्वारा 20-11-88 से 24-11-88 तक 5 दिन एवं दिनांक 16-11-88 से 18-11-88 तक 3 दिन का यात्रा भत्ता जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी अलवर द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार उठाया गया।

(5) जी हां। रामरजाबाई के नाम से टी. ए. डी. ए. उठाया गया था। यह सही है कि उक्त रामरजा बाई अनुदेशिका नहीं थी। उद्घाटन समारोह में अनुदेशकों, प्रेरकों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में ग्रामीण भी भाग ले सकते थे। रामरजाबाई ने किस हैसियत से भाग लिया इसकी जांच प्रारम्भ की जा रही हैं।

(6) परियोजना अधिकारी प्रौढ शिक्षा खैरथल कार्यालय में कोई नल का कनेक्शन नहीं है। लेकिन उक्त कार्यालय में हैण्डपम्प लगा हुआ है। एफ. वी. सी. बिल संख्या 139 दिनांक 14-12-88 क्रमांक 11 पर हैण्डपम्प की सफाई व मरम्मत की राशि दीलिपसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह को देने बाबत् बताया है। रसीद में नल सुधार एवं सफाई का कार्य बताया गया है जिसका तात्पर्य हैण्डपम्प से है। हाँ यह सही है कि

(श्री सालिग राम)

रसीद स्वयं परियोजना अधिकारी द्वारा हाथ से लिखी गई है । राशि प्राप्ति पर श्री दिलीपसिंह के हस्ताक्षर हैं ।

जिला मुख्यालयों पर निजी शिक्षण संस्थाएं

227. श्री सालिग राम (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के जिला मुख्यालयों पर चल रहे विभिन्न स्तर की निजी शिक्षण संस्थाओं में से कितनी मान्यता प्राप्त है और उनमें से कितनी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है एवं कितनी शिक्षण संस्थाओं को कहां-कहां रियायती दर पर शाला भवन बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करायी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी भी हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और अनुदान भी दिया जा रहा है लेकिन वे संस्थायें शिक्षण का कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? ऐसी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखे ।

उत्तर

(1) राज्य के जिला मुख्यालयों पर विभिन्न स्तर की मान्यता/अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

स्तर	मान्यता प्राप्त	अनुदान प्राप्त
महाविद्यालय	47	29
उच्च माध्यमिक वि.	117	72
माध्यमिक विद्यालय	159	79
उ. प्रा. विद्यालय	815	168
प्राथमिक विद्यालय	1478	339
संस्कृत महाविद्यालय एवं विद्यालय	109	39
योग	2725	726

कुल 162 निजी शिक्षण संस्थाओं को शाला भवन बनाने हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाई गई है ।

(परिशिष्ट–क)

(2) जी नहीं । राज्य सरकार की जानकारी में ऐसी कोई अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था नहीं है जो शिक्षण कार्य नहीं कर रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

स्थगित प्रश्न

(9 जुलाई, 1990)

फलासिया क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

314. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1989–90 में फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाकर प्रत्येक के लिये कितना-कितना बजट प्रावधान कब-कब स्वीकृत किया गया ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(58)

(श्री कुबेर सिंह)

(2) उक्त स्वीकृत राशि किस–किस मद में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब व्यय की गई ? राशि उपभोग करने वाले अधिकारी का नाम, क्रय की गई वस्तु का नाम मय वाउचर की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 89–90 में फलासिया निर्वाचन क्षेत्र के निम्नांकित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया । प्रत्येक विद्यालय को 71,300 का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

1. राबामावि, झाडोल
2. रामावि, मादडी (झाडोल)
3. रामावि, मोराणा, (झाडोल)
4. रामावि, मालवा का चौरा (कोटडा)
5. रामावि, मामेर (कोटड़ा)
6. रामावि, देया (झाडोल)

(2) उक्त स्वीकृत राशि के उपलब्ध व्यय विवरण सदन के पटल पर रख दिये गये हैं। इन विद्यालयों में से मामेर (कोटडा) द्वारा कोई सामान क्रय नहीं किया गया एवं वर्षा से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण देया विद्यालय की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। शेष जिन विद्यालयों द्वारा सामान क्रय किया गया है उनके वस्तुवार विवरण मय वाउचर आदि के सूचना विस्तृत होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में खनन हेतु पट्टे

343. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अप्रधान खनिज के रियायती नियमों में किसी व्यक्ति अथवा साझेदारी फर्म को कितने खनिज माप के पट्टे देने का प्रावधान है ?

(2) राज्य में एक ही खनिज के अधिकतम क्षेत्रफल की लीजें स्वयं या उनकी भागीदारी फर्म के नाम पर कहां-कहां, कितनी-कितनी स्वीकृत हैं ?

(3) सोजत (पाली) एवं नीमकाथाना (सीकर) में कितने-कितने क्षेत्रफल की खनिज लीजें किन-किन के नाम से स्वीकृत एवं चालू हैं ?

(4) क्या यह सही है की 300 × 300 मीटर आकार के लीज के प्लाट बनाकर आवंटित करने से सरकार की आय से अधिक वृद्धि हो सकती है ? यदि हाँ, तो क्या बड़ी लीजों को निरस्त कर छोटे माप की लीज देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा फर्म को किसी खनिज के लिए अधिकतम 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र स्वीकृत करने का प्रावधान है। किसी व्यक्ति को खनिज अभियन्ता/सहायक खनिज अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में दो खनन पट्टे तथा पूरे राज्य में तीन खनन पट्टे तक सीमित रखने का प्रावधान भी है।

(2) राज्य में एक ही खनिज के अधिकतम क्षेत्रफल यानि 10 वर्ग कि. मी. अथवा अधिक साइज के खनन पट्टों का विवरण संलग्न परिशिष्ट–अ में अंकित है।

(3) सोजत (पाली) एवं नीमकाथाना (सीकर) में स्वीकृत एवं चालू अप्रधान खनिज के खनन पटों की सूची परिशिष्ट 'बी' में संलग्न है।

(4) आय में वृद्धि क्षेत्र को साइज पर आधारित न होकर खनिज की श्रेणी व भण्डार पर निर्भर करती है। बड़ी लीजों को निरस्त कर छोटे माप के पट्टे देने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(10 जुलाई, 1990)

नगरपालिका क्षेत्र रानी में दर्ज भूमि

362. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र रानी (पाली) में खसरा नं. 91 व 92 की भूमि डोली बनाम पीछे के नाम से संवत् 2008 से 2028 तक राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?

(2) क्या उक्त जमीन में किसी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व किस आधार पर एवं कब की गई ?

(3) क्या उक्त जमीन नियम विरुद्ध टुकड़ों में विक्रय की गई है ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार उक्त कार्यवाही को निरस्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां मिसल बन्दोबस्त के अनुसार संवत 2008 के बजाय संवत 2009 से 2028 तक भूमि डोली बनाम पीछका वाके देह एवं उपभोक्ता का नाम श्री गुला पुत्र हुकमा कौम माली सा. देह के नाम खसरा नं. 91 व 92 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा एवं 9 बिस्वा कुल 5 बीघा 18 बिस्वा किस्म क्रमशः चाही–1 व गैर मुमकिन बेरा दर्ज है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी, हां । नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 10-2-66 के जरिये गुला पुत्र हुकमा कौम माली के नाम उत्तराधिकारी दर्ज किया गया एवं डोली बनाम पीचका के स्थान पर भूमि अधिकारी जागीरदार के कालम में राजस्थान सरकार दर्ज किया गया एवं डोली बनाम पीचका का नाम हटा दिया गया । यह परिवर्तन गुला के फौत होने पर पटवारी हल्का श्री देवीसिंह द्वारा फौतेदगी का नामान्तरकरण खोला जाकर तत्कालीन भू. अ. नि. श्री भीमसिंह द्वारा जांच कर सम्बन्धित सरपंच श्री गणेश पारीक द्वारा स्वीकृत किया गया ।

(3) जी, हां । इस मामले में जांच कराई जाकर, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(4) जी, हां । जांच के पश्चात नियमानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

एस. डी. ओ. कोर्ट फलौदी के विचाराधीन मुकदमे

363. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) एस. डी. ओ., फलौदी की अदालत में फलौदी तहसील के कुल कितने राजस्व वाद विचाराधीन हैं ?

(2) इन मुकदमों में से कितने मुकदमे ऐसे हैं, जो पाँच साल से अधिक पुराने हैं ?

(3) पिछले एक वर्ष में कितने मुकदमों के फैसले किये गये ? कृपया माहवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उपखण्ड अधिकारी फलौदी के अधीनस्थ दो राजस्व तहसीलें फलौदी व ओसियां है । फलौदी तहसील के 30-6-90 को कुल 602 राजस्व वाद विचाराधीन थे ।

(2) तहसील फलौदी के कुल 152 राजस्व वाद 5 वर्षों से अधिक पुराने विचाराधीन हैं ।

(3) पिछले एक वर्ष में जुलाई 89 से जून 90 तक फलोदी तहसील के कुल 100 राजस्व वादों का निपटारा किया गया । महावार सूची परिशिष्ट "क" पर है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(दिनांक 29-6-90 व 10-7-90)

टोंक में भू-आवंटन एवं नियमन कार्यक्रम

109. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक):– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक जिले में किस-किस ग्राम पंचायत में कितना गैर-मुमकिन चारागाह आवंटन योग्य भूमि (सरप्लस भूमि) गैर-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मुमकिन रास्ता श्मशान किस-किस खसरा नम्बर पर स्थित है ?

(2) उपरोक्त खसरा नम्बर पर कहां-कहां पर किस-किस का अतिक्रमण कब-कब से दर्ज है व उसे बेदखल करने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भूमि का आवंटन एवं नियमन हेतु कब-कब, कहां-कहां, क्या-क्या कार्यक्रम पिछले पांच साल में आयोजित किये गये ? किस-किस व्यक्ति को भू-आवंटन एवं नियमन किया गया। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टौंक जिले की 192 ग्राम पंचायतों में कुल 255217-12 बीघा चारागाह भूमि उपलब्ध है उसमें से 165375.05 बीघा भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। गैर मुमकिन रास्ता 32384–15 बीघा भूमि तथा गैर मुमकिन श्मशान भूमि 899–01 बीघा उपलब्ध है, किन्तु उक्त भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार आवंटन से प्रतिबंधित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) टौंक जिले में कुल 4898 व्यक्तियों द्वारा कुल 13474 बीघा 1 बिस्वा चारागाह भूमि पर विभिन्न वर्षों में विभिन्न रकबे पर अतिक्रमण किया है। जिनके विरुद्ध समय-समय पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रक्रियानुसार, बेदखली की कार्यवाही की जाकर, शास्ति भी आरोपित की गई है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) टौंक जिले में गत 5 वर्षों में जहां-जहां पर आवंटन एवं नियमन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं उनकी स्थानवार दिनांक सहित सूची संलग्न है। जिले में गत 5 वर्षों में कुल 6708 व्यक्तियों को 15936–17 बीघा भूमि आवंटन तथा 28 व्यक्तियों को 61 बीघा 13 बिस्वा भूमि नियमन की गई है। आवंटन व नियमन की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है–

1. श्री राजेन्द्र पारीक एवं श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेरगढ़ क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 24 हैण्ड पम्पों से मात्र 24 परिवारों को व्यक्तिशः लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में।

2. श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूतपूर्व सरपंच श्री छाजूलाल सोनी की 19,700 रुपये की अमानत राशि सरपंच पंचायत मानपुर पंचायत समिति सिकराय द्वारा जान-बूझकर नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर, श्री गोबिन्द सिंह एवं श्रीमती रमा पायलट सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के तालेड़ा व हिण्डोली पंचायत समिति क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में।

4. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद सीकर द्वारा भुगतान न करने से रेलवे विभाग द्वारा रेलवे फाटक बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री बी. डी. कल्ला, श्री जुबेर खां, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री रामनारायण वर्मा सदस्य, विधान सभा की ओर से ट्रक आपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा गोलियां व लाठी चलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम करमपुरा थाना सलेमपुर तहसील टोडाभीम से जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से कांकरोली स्थित जे. के. टायर कम्पनी द्वारा चुंगी न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

1. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह व उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा स्तीफे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि मंत्रीगण द्वारा स्तीफा दिया जाना एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका राज्य सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक राजनैतिक स्थिति एवं संकट से निपटने हेतु संविधान के तहत ही व्यवस्थाएं है। यह कहना गलत है कि दिल्ली की राजनैतिक घटनाओं का राजस्थान सरकार पर कोई असर है। गंगानगर जिले के सम्बन्ध में यह कहना कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है। राज्य सरकार आतंकवाद को सख्ती से कुचलने हेतु वचनबद्ध है। इस स्थगन प्रस्ताव में उठाये गये राजनैतिक मुद्दों का राजस्थान सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

2. श्री रामनारायण वर्मा, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री जुबेर खां, श्री प्रकाशचन्द बैरवा, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री दलजीत सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले में सक्रिय डाकू सरगना रामसिंह व भगवान सिंह द्वारा की जा रही हत्याओं तथा क्षेत्र के निवासियों पर व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर बहस हो चुकी है। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर के ग्राम जालीपा व मारूडी में रक्षा विभाग को आवंटित भूमि का मुआवजा अधिक दिलवाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर बहस हो चुकी है। अतः माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

4. श्री रामस्वरूप मीणा, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका टोडाभीम के कर्मचारियों द्वारा 2 माह से हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

5. श्री सुनील विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के विजयनगर थानाधिकारी द्वारा थाने में एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

6. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा लाखों रुपयों के घोटाले व असली रिकार्ड गायब करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री जियालाल बंशीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में जवाहर नगर डिपो की बड़ी चौपड़ से आमेर मार्ग पर चलने वाली बसों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय महाविद्यालयों के अस्थायी व्याख्याताओं को स्थाई करने के सम्बन्ध में।

3. श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।

4. श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा सेण्टर कायम करवाने के सम्बन्ध में।

5. श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावतभाटा में स्थानीय निवासियों को आर. ए. पी. पी. द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

6. श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ के सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा बैंकों के कार्य में अनियमितताएं करने व लाखों रुपयों के घोटाले के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक की परीक्षा

(60)

(श्री अध्यक्ष)

1986 में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

8. श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से उपखण्ड मुख्यालय परबतसर पर डी. जे. कोर्ट नागौर का कैम्प कोर्ट लगाने के सम्बन्ध में।

9. श्री भरोसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों व भूतपूर्व सैनिकों को करौली क्षेत्र में खनिज पट्टे दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री सांवरलाल (प्रोफेसर), सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा खुला विश्वविद्यालय को पतन से रोकने के सम्बन्ध में।

11. श्री बृजराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के ग्रामीण अंचलों के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में।

12. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनियमितता एवं घोटालों के सम्बन्ध में।

13. श्री मदन लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर वाटी में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

14. श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में नेशनल फोरेस्ट नाम की संस्था द्वारा बेरोजगारों से लाखों रुपये की ठगी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री हरिसिंह महुआ, सदस्य, विधान सभा की ओर से अधिशासी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

16. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा एवं बीकानेर शहर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल यह आदेश दिया था कि मंत्रीजी सदन में नहीं हैं, इसलिए कल वक्तव्य दिलाऊंगा। एक तो मेरा एडजोर्नमेण्ट मोशन, जो इर्रिगेशन डिपार्टमेण्ट से सम्बन्धित है कि 93 बीघा भूमि की पिलाई का जो आदेश दिया है, उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : मैं उसके सम्बन्ध में आपको वक्तव्य दिलाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज वक्तव्य हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसकी गंभीरता को....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने स्वयं कहा था कि मंत्रीजी सदन में नहीं हैं, वह होते तो आज....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय इसके महत्त्व को समझने की....

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठें तो बोलूं। ऐसा है कि सारा बिजनेस अरेन्ज करने का मेरा काम है। आज आपके एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस है और मैक्सिमम जितने 295 एडजोर्नमेण्ट मोशन, काल अटेन्शन लगाने जाने थे, मैंने लगा दिये। इसके अलावा कल चूंकि माननीय सम्पतराम जी ने घोषणा की थी कि वह वक्तव्य देंगे, जोधपुर के मामले पर और वह अचानक बीमार हो गये। में इस इम्प्रेशन में था कि यह वक्तव्य आ रहा है। एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता। आज आपने कहा है कल जैसे भी सुविधा होगी, आपसे वक्तव्य दिलवा दूंगा। अब आप यह भी तो देखिये ना कि एक दिन में सारा काम संभव नहीं है।

श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर : ठीक है। देट्स आल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने कहा था एक दिन में एडजोर्नमेण्ट मोशन लगाया

श्री हेतराम बेनीवाल : जो कल वक्तव्य आया था।

श्री अध्यक्ष : अब आप इनको बोलने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी बीमार हुए हैं। मैं अर्ज करूं, वह इतना इम्पोर्टेन्ट मैटर है, हाउस में....

श्री अध्यक्ष : हां, बिल्कुल ठीक।

श्री हेतराम बेनीवाल : गृह मंत्री जी उपस्थित हैं, वह तो सिर्फ एवजी तौर पर लगाये गये थे।

श्री अध्यक्ष : वह तैयारी उन्होंने कर रखी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : चूंकि 27 तारीख का एक वाकया है और यह झगड़ा इस तरह का है। दो शहर के व्यापारी एक तरफ हैं। शहर के आस पास का....

श्री अध्यक्ष : बीमारी भी डिसेण्टरी है। नहीं तो बुला लेता यहां।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं-नहीं। इस मामले में सीरियसनैस यह है कि उनमें से एक जो हास्पिटल में है, उसकी हालत सीरियस है। कम से कम सौ, डेढ़ सौ आदमी....

श्री अध्यक्ष : अब मंत्रीजी की खुद की हालत, आप....

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी की जगह जो गृह मंत्री जी हैं।

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, उन्होंने पूरी तैयारी की थी, आज वह आने वाले थे और

(श्री अध्यक्ष)

अचानक बीमार हो गये। बीमारी तो किसी के हाथ की बात नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल: बीमारी तो चल सकती है।

श्री अध्यक्ष : अब आज सारे काम हठात् कैसे होंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी इसी इम्प्रेशन में था कि मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्योंकि वह 1400 लोग जो हैं, कल उनकी तबीयत ठीक हो तो, कल की व्यवस्था दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भगवान करे, कल उनकी तबीयत ठीक हो जाये, लेकिन मान लीजिए दस्त नहीं रुके....

श्री अध्यक्ष : फिर दोनों ही इलाज आज होंगे, उनका भी होगा और वक्तव्य का भी होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कल लिया....

श्री अध्यक्ष : कर लेंगे कल। मैं भी उसे इतना इम्पार्टेण्ट समझ रहा हूं। मंत्री जी ने तत्काल आपके कहते ही कहा कि मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, कल उन्होंने मान लिया तो कल उनका जवाब आ जाय....

श्री अध्यक्ष : I Will take to him. अब यह बातें यहां डिस्कस नहीं होंगी। आपका वक्तव्य दिलाना है, आपका वक्तव्य भी बाकी है। एक वक्तव्य और बाकी है वह भी दिलाना है। तो सारे वक्तव्य आयेंगे। एडजोर्नमैण्ट मोशन खारिज करके उन पर आपको बुला रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : बीमार होने जैसे लगते ही नहीं थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : अब आप दूसरों को बोलने देंगे कि नहीं ? कल्ला जी कुछ कहना चाहते हैं, आपके साथी बैरवा जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई दूसरी बात है क्या।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष : फिर उठाना, पहले उनको बोलने दीजिए। आप पहले दूसरों को तो बोलने दीजिए। आप दुबारा उठा लेना दूसरा सवाल। Please co-operate wi h the Chair. आप बैठिये। I Will give you the chance.

आप बोलिये, कल्ला जी।

(63)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने संदेरिया थाने के अन्तर्गत पंकज श्रीवास्तव की हुई हत्या के बारे में स्टेटमैण्ट का कहा था । आपने कहा कि एक-दो दिन में व्यवस्था कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : वह भी करेंगे । सारे वक्तव्य जितने आप कह रहे हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक अध्यक्ष महोदय, डेयरी का फिजिकल वेरिफिकेशन....

श्री अध्यक्ष : जितना समय विधानसभा का मेरे पास है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जायेगा । बाकी मैं किसी एक की कास्ट पर दूसरा नहीं कर सकता ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप ऐसा करें....

श्री अध्यक्ष : वह अपनी बात कर लेंगे ।

We will abjust it.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता बैठे हुए हैं, 1–2 दिन का समय और बढ़वा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्थाओं का सवाल है जो मुझे ही करनी पड़ेगी ।

आप विराजिये । बैरवा जी, बोलिये ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक-दो दिन और बढ़वा दीजिए समय ।

श्री अध्यक्ष : यह सदस्यों के और मेरे बीच में है, सदन के नेता इस बीच में नहीं आते हैं । जब आयेंगे तो अपने आप बोल लेंगे वह खुद समझते हैं ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक मोशन 131 के अन्तर्गत दिया था ...

श्री अध्यक्ष : वह आप अन्दर बात कर लेना 131 की बात ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : पीपला से तीतरिया तक सात किलोमीटर की सड़क का ।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लीजिए, जितना होगा मैं सब करवा दूंगा । हां, बोलिये, पहले इन्दलिया जी ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर ट्रक यूनियन के जवानों को जिस तरह से गोलियों से भूना गया है उसके सम्बन्ध में हम लोगों ने आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसमें आपने....

श्री अध्यक्ष : 124 में ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हां, 127 में ।

श्री अध्यक्ष : हां, उसी पर बहस होने वाली है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हम चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, उस पर विचार होना चाहिए ।

69

श्री अध्यक्ष : हां, उसी पर होने वाला है, वह वक्तव्य 127 में ही आ रहा है । बिराजिये आप बोलिये, वर्मा जी ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : मैंने केशोरायपाटन में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पुलिस द्वारा परेशान, दूसरे लोगों द्वारा परेशान और पुलिस की वजह से....

श्री अध्यक्ष : वह भी लगा दूंगा मैं । सब लगा दूंगा । हां बोलिये, व्यास जी, अब आपका क्या है दूसरा पाइण्ट ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह हिण्डौली वाले के लिए आपने....

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली वाला भी आज ही था अब वह बीमार हो गये । दोनों का आज उन्होंने कहा था ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इस बीमारी के विषय में निवेदन नहीं करना चाहता, आपने कल के लिए फर्मा दिया । तो वह कम से कम इरिगेशन वाला आज लगवा दें ।

श्री अध्यक्ष : हां, लगवा दूंगा । अच्छी बात है । आप बोलने वाले हैं कुछ, मीणा जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा लोक महत्त्व का प्रश्न है ।

श्री सम्पत सिंह : सम्पत राम जी का कोई विकल्प ही नहीं है । मुख्य मंत्री जी का विकल्प है, पर सम्पत राम जी का विकल्प नहीं है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान में नगर पालिकाओं के अन्दर हड़तालें होती रहती हैं, जिनका सम्बन्ध सीधा मानव के जीवन से है । मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम, कस्बा टोडाभीम में पिछले दो माह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है । हड़ताल शुरू हुई, उस समय उन लोगों ने नोटिस दिया था । उस पर कोई गौर नहीं किया गया । उन्होंने आन्दोलन किया लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया । बार बार उन्होंने सरकार को लिखा, लेकिन उस पर भी विचार नहीं किया गया और लगातार दो माह से यह हड़ताल चली आ रही है । बरसात का मौसम है । गन्दगी भयंकर फैल चुकी है, बीमारियां फैल चुकी हैं । सारे शहर में बहुत ही गन्दा वातावरण पैदा हो गया है । चारों तरफ गन्दगी होने, नालियां बन्द हो जाने की वजह से जो भी बरसात का पानी आया था वह सारे शहर के चारों तरफ फैल गया है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामस्वरूप मीणा : चारों तरफ की गन्दगी ने शहर को सड़ाकर बेकार कर दिया मैं जब पिछली बार विधान सभा क्षेत्र गया तो मैंने भी वहां सब लोगों को बैठाया, उनको समझाया । लेकिन उनको एक ही बात कहनी थी, वह भी सत्य है कि पिछले 6 महीने से जिनको वेतन नहीं मिला हो, गरीब मजदूर जो केवल वेतन के ऊपर निर्भर रहता है उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वह क्या करे । उनकी मांगे भी वाजिब हैं । मजदूरों को मजदूरी नहीं मिले, दो माह हो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जायें, वह भी एक ऐसा मजदूर जो हमारे शहर की सफाई करता है

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

जिसके ऊपर हमारी जिन्दगी आधारित है, सारे शहर के लोगों की जिन्दगी आधारित है, ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है कि टोडाभीम शहर को सड़ने से बचाया जाय, जो भयंकर बीमारियां फैल चुकी हैं उनसे बचाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कर्मचारियों की जो मांग है, उनको वेतन दिलाया जाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उनकी महत्वपूर्ण मांग है। उसको पूरा किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

शहर को सड़ने से बचाया जाय। अगर शहर को सड़ने से नहीं बचाया गया तो वहां महामारी फैल जायेगी, बल्कि फैल चुकी है। कई लोग तो भयंकर रूप से बीमार भी हो गये हैं, जिनको बचाना मुश्किल हो गया है। उनको टोडाभीम अस्पताल के अलावा बाहर भी भेजा गया है क्योंकि वहां डाक्टर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं माननीय मंत्री महोदय को अध्यक्ष महोदय की मार्फत कहना चाहूंगा आदि इस हड़ताल को जल्दी से जल्दी तुड़वाया जाय और वहां की जनता को बीमारी से और मरने से बचाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने जो जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत। आपने जो एडजोर्नमेण्ट मोशन सहकारी समितियों में घोटाले के बारे में दिया है, मैंने उसको खारिज करके दो मिनट आपको बोलने की इजाजत दी है। आप बोलना चाहें, बोलिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : टोडाभीम वाला....

श्री अध्यक्ष : टोडाभीम की तो बहुत छोटी बात थी वह उनकी हो गयी। कन्सनिंग माननीय सदस्य ने टोडाभीम की नगरपालिका के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, अब क्या बाकी रहा। नया विषय आ जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सहकारी समितियों के अन्दर....

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) यह तो दुग्ध उत्पादन का मामला है, आप कहां सहकारी समितियों के मामले में आ गये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह दुग्ध

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

उत्पादन का मामला है, अध्यक्ष जी ने जोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली में कम से कम 8 ऐसी दुग्ध उत्पादन सोसाइटीज हैं खास तौर से सुन्दरपुरा, करौली शहर, देवरी पीपराली, धांधूपुरा व अन्य, जिनके अन्दर बहुत गम्भीर अनियमितताएँ हुई हैं, बड़े पैमाने पर उनके अन्दर घपले हुए हैं।

(12.17 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

राज्य सरकार ने कई बार उसकी जाँच करायी है। असिस्टैण्ट रजिस्ट्रार के लेवल पर, डिप्टी रजिस्ट्रार के लेवल पर और जॉइण्ट रजिस्ट्रार के लेवल पर कई बार उसकी जांच हो चुकी है। तथ्यों पर पहुँचने के बाद सरकार यह मान चुकी है कि इसके अन्दर बहुत बड़े घपले हुए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक उन गबन-घोटालों के सिलसिले में सहकारी समितियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। करौली शहर का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने वहां के रिकार्ड को जलवा दिया और आज वहाँ पर कोई रिकार्ड उनके पास उपलब्ध नहीं होने के बाद सहकारिता विभाग ने अपने डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से नया रिकार्ड उपलब्ध करवाया। दुबारा उनकी जांच करने पर जो तथ्य सामने आये हैं उनके अनुसार डेढ़ लाख के करीब का गबन करौली सहकारी समिति में हुआ है। उसकी बाबत जिलाधीश महोदय ने एक बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को इस बात की लिखित सूचना भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि इन सोसाइटीज में जो भी घपले किये गये हैं, जो पैसे खाये गये हैं उनके ऊपर आप कार्यवाही करें और तत्काल वहां के मैम्बर्स को राहत पहुँचायें। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : माननीय श्री जियालाल बंसीवाल। (अनुपस्थित)

माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी करने के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अस्थाई व्याख्याताओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करता हूँ।

राजस्थान, सुखाड़िया व जोधपुर विश्वविद्यालयों में क्रमशः 172, 35 और 28 अस्थाई व्याख्यता दो वर्ष से लेकर 10 वर्ष अस्थाई चल रहे हैं। तीनों ही विश्वविद्यालयों में इन अस्थाई व्याख्याताओं का चयन

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

उत्कृष्ट शैक्षणिक मापदण्डों के आधार पर होता है तथा सभी कार्य-भार के अगेंस्ट कार्यरत हैं। ये सभी यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित योग्यताओं को भी रखते हैं। साथ ही इन अस्थाई व्याख्याओं को स्थाई व्याख्याताओं की तरह सुविधाएं हैं, जैसे इन्क्रीमैण्ट, मेडिकल फैसिलिटी पी. एफ,। अतः इनको स्थाई करने में कोई वित्तीय भार भी नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट व सिण्डीकेट, विगत विधानसभा के 132 सदस्यों ने इनको अध्यादेश के द्वारा स्थायी करने की अनुशंसा की है। पूर्व दो मुख्य-मंत्रियों ने भी इनको स्थायी करने पर फाइल पर अपनी सैद्धान्तिक सहमति दी हैं। उल्लेखनीय है कि ये सभी अस्थाई व्याख्याता अन्य सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित आयु पार कर चुके हैं। अस्थाई होने के कारण विश्वविद्यालय में इनके सामाजिक शोषण को बढ़ावा मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि कई विभागों में 3-3 बार स्थाई पदों के विज्ञापन के बाद भी साक्षात्कार नहीं हुए। इसमें इनका क्या दोष है? सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवा को इतने लम्बे अन्तराल तक अस्थायी नहीं रखा जाता। इनमें से कई के बच्चे-बच्चियां भी अब कालेज में प्रवेश के कगार पर है। यह बहुत ही मानवीय समस्या है। आज हालत यह है कि इनके द्वारा पढ़ाये गये छात्र उक्त पदों के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं।

अतः इनके भय, असुरक्षा व आशंका को दूर करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से स्थाई क्यों नहीं किया जा रहा है?

उल्लेखनीय है कि 1978 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस तरह की समस्या का समाधान अध्यादेश के माध्यम से स्थाई कर दिया था।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, कल मैंने 131 में जोधपुर ट्रक आपरेटर्स यूनियन के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। इस पर अध्यक्षीय व्यवस्था यह थी कि आज गृह मंत्री जी नहीं है। गृह मंत्री जी के आने पर कल वक्तव्य होगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यह है कि कल जो वक्तव्य गृह मंत्री जी का होगा वो इस बात का होगा कि वहां गोलीकांड हुआ है लेकिन 23-5-90 से ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन का वहां के व्यापारियों द्वारा बायकाट किया जा रहा है। उसमें तो गृह मंत्री जी का वक्तव्य आएगा नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश है कि जो 1400 ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन है, एक लम्बे अरसे से बेरोजगार बने हुए हैं।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आप अध्यक्ष जी से बात करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है। कल जो वक्तव्य आएगा वो इस बात का आएगा कि गोली-

(68)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कांड से जो भी कुछ बात हुई है, उस पर आएगा लेकिन यदि सरकार ने इस विषय पर और समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की तो यह हादसा फिर होगा। क्योंकि एक तरफ तो 1400 ट्रक आपरेटर्स का व्यापारियों ने बायकाट कर रखा है (व्यवधान)

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आप बात कर लेना। कृपया आप बिराजिए। (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : और उनसे जुड़े हुए परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है और उन्होंने बायकाट कर रखा है आप ऐसी व्यवस्था दें कि वहां पर उच्च स्तरीय दल जाकर सदन से कोई सक्षम दल जाकर व्यापारियों और ट्रक ऑपरेटर्स में कोई ऐसा समझौता तो कराए जिससे व्यापारियों और ट्रक ऑपरेटर्स में जो विवाद है वो हल हो सके। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा। (व्यवधान)

माननीय सदस्य आप इस संबंध में अध्यक्ष जी से बात करें। विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ।

श्री सभापति : अभी यह दूसरी बात आप मत कहिए। आप विराज जाइए।

छबड़ा में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, छबड़ा छीपा बड़ौद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का हर समय संकट रहता है। 132 के. वी. लाइन वहां से 70 किमी. दूर बारां में है। उस लाइन में सात तहसीलें आती हैं बारां, मांगरोल किशनगढ़, शाहबाद, छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू और उसके बाद कवाई ये 3 तहसीलें अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, तीनों तहसीलों में करीब 2000 कृषि कनेक्शन हैं, 200 के करीब आटा चक्की हैं एवं घरों के करीब 16,000 कनेक्शन छबड़ा छीपाबड़ौद, अटरू में हैं। कई ग्रामों में तो 100 किलोमीटर दूर तक विद्युत कनेक्शन हैं। इससे कई बार बिजली 3-3 दिन बन्द रहती है।

इसके लिए मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित 132 के. वी. सब ग्रिड स्टेशन कवाई ग्राम में शीघ्र बनाया जावे ताकि लाइन में भार वहन करने की क्षमता हो सके, विद्युत जाए नहीं। इसी के साथ ग्राम भूलोन एवं घडियाचोल छबड़ा में तथा मोखमपुरा (छीपाबड़ौद) में जी. एस. एस. भी अवश्य बनने चाहिए। यह प्रस्तावित व स्वीकृति पर है, शीघ्र बनाए जावें। जिससे छबड़ा व अटरू के लिए बिजली का विकास अच्छी तरह से हो सके। माननीय मुख्य मंत्री जी जब सन् 1977 में छबड़ा से विधायक थे तब छबड़ा छीपा बड़ौद के ग्रामों में बिजली लगना प्रारम्भ हुआ है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। जबकि दोनों तहसीलों के पूरे ग्राम स्वीकृत हैं पर गत वर्षों में तो नाम का ही कार्य नहीं हुआ है।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

छबड़ा में केवल 32 ग्राम बाकी हैं तथा छीपा बड़ौद के 70 ग्राम। मेरा निवेदन है कि इस वर्ष करीब दोनों जगह 25-25 ग्रामों को बिजली देने की योजना बनानी चाहिए। ग्रामीण अंचल में माह अक्टूबर से तो दिन में पूरे 10 घन्टे बिजली मिलनी चाहिए तथा करीब 5-6 वर्ष से 500 प्रार्थना पत्र कृषि कनेक्शन के पड़े हैं उनमें से करीबन 100 कृषि कनेक्शन अवश्य दिए जाए तो किसानों का लाभ होगा। ट्यूबवैल के कनेक्शन प्राथमिकता से मिलने चाहिए। हमारे छबड़ा, छीपाबड़ौद क्षेत्र का एक सहायक अभियंता होना चाहिए तथा अटरू तहसील में सहायक अभियंता अलग होना चाहिए। छबड़ा व छीपाबड़ौद में एक ट्रक व जीप थी गत दो वर्ष से दोनों खराब हैं। इससे कार्य पिछड़ा रहता है। जीप 100 किमी. क्षेत्र के लिए होना आवश्यक है। ट्रक तो और भी आवश्यक है। मेरा एक निवेदन है कि इसमें माल खरीदने में भ्रष्टाचार होता है उस पर नियन्त्रण करना चाहिए। इससे आय भी बढ़ेगी और चोरी भी कम होगी। चोरी के केस पकड़ने पर जुर्माने के रूप में कम से कम एक साल या छः माह का शुल्क अवश्य लेना चाहिए जिससे चोरी के केस कम होंगे व आय भी बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा।

मेरा एक और निवेदन है कि सामान खरीदने में बड़ा घोटाला होता है। वह कैसे रूके। इसमें जो भी सामान जैसे बल्ब, तार, फ्यूज, एलीमेंट आदि जो भी हैं उनकी दर जयपुर में अलग होती है और अन्य गएहों पर अलग होती है। कहीं 2 रुपए, कहीं 5 रुपए, कहीं 12 रुपए होती है, इसकी पूरी जांच करने के बाद उसकी क्वालिटी वहां भेज देनी चाहिए जिससे खरीदने में सारे राजस्थान में क्वालिटी एक तरह की हो और भ्रष्टाचार कम हो। गत वर्षों के हिसाब से तादाद का पता लग सकता है। इसके लिए चाहे तो बोर्ड या मंत्री जी एक समिति बना सकते हैं जो अच्छा माल भेज सकती है। छबड़ा और छीपाबड़ौद के गांव जो इस साल लिए जाए उनके नाम भी इस सूची में शामिल हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री घासीलाल चौपड़ा। (अनुपस्थित).

माननीय चुन्नीलाल धाकड़।

रावतभाटा में आर. ए. पी. पी. द्वारा सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं 295 के अन्तर्गत रावतभाटा में स्थानीय निवासियों को आर. ए. पी. पी. द्वारा सुविधा देने बाबत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत रावतभाटा में आर. ए. पी. पी. के परमाणु संयन्त्र एवं भारी पानी परियोजना का होना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इन संयन्त्रों से स्थानीय जनता को विशेष आशाएं हैं। किन्तु वर्तमान में अभी तक जो घटित हुआ है उससे उनमें खासकर बेरोजगार नवयुवकों में भारी रोष भी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

व्याप्त है। इस असन्तोष को दूर करने बाबत मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं—

(1) बेरोजगार युवकों को काम—आर. ए. पी. पी. में चतुर्थ श्रेणी से लेकर उच्चाधिकारियों तक की भर्ती देश के अन्य प्रान्तों से कर यहाँ स्थानान्तरित किए जाते हैं। इसमें चतुर्थ श्रेणी, एल. डी. सी., यू. डी. सी. ट्रेड्स मैन वर्क में क्षेत्र में उपलब्ध लोगों को वरीयता दी जाए और उनको योग्यता मानदंड में भी छूट दी जाए। इसी तरह राजस्थान परमाणु ऊर्जा निगम (आर. ए. पी. पी.) के ठेकेदारों व कम्पनियों को भी पाबन्द करावे कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार दें ताकि बेरोजगार लोगों का असंतोष अधिक न बढ़ें।

(2) पेयजल व्यवस्था—भारी पानी परियोजना एवं आर. ए. पी. पी. का सारा दूषित पानी चम्बल में ही छोड़ा जा रहा है। इससे चम्बल का जल न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य प्रभावित हो रहा है। आर. ए. पी. पी. अपने विभागीय कर्मचारियों को तो परिशोधित पानी की आपूर्ति करती हैं किन्तु शेष रावतभाटा वासियों को सीधा चम्बल नदी का अपरिशोधित पानी सप्लाई किया जा रहा है। अतः स्थानीय निवासियों जिनमें भैंसरोड़गढ़ भी शामिल हैं परिशोधित जल आपूर्ति किया जाए ताकि दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।

(3) आपातकाल स्थिति—संयन्त्रों की 25 किमी. की परिधि में आने वाले गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाए। पिछली बार जब आपातकाल का पूर्वाभ्यास किया गया था तब सड़कों के अभाव में कुछ वाहन रास्ते में ही दीपपुरा जर्जरी निवासियों को रामगंज मंडी भेजते वक्त फंस गए थे। होता यह है कि आपातकाल की स्थिति में 25 किमी. परिधि में पड़ने वाले गाँवों के निवासियों को घर बार जमीन जानवर सब कुछ छोड़कर कुछ समय के लिए विस्थापित करना पड़ता है। ऐसे में अगर बरसात का मौसम हो और सड़कों का अभाव हो तो उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकेगा। अतः 25 किमी. परिधि से पड़ने वाले गांवों को संपर्क सड़कों से जोड़ा जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री घासीलाल चौपड़ा।

टोडारायसिंह में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा सेंन्टर कायम करने के सम्बन्ध में

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत टोडारायसिंह क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा सेन्टर कायम करवाने बाबत माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक शाला नौर में पिछले 10 सालों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र था। इस केन्द्र में रा. उ. मा. शाला, अरियाली, रा. उ. मा. शाला पंवालिया तथा

71

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

मौर की शाला इस प्रकार तीन स्कूलों का परीक्षा केन्द्र था लेकिन पिछले साल बोर्ड के अधिकारियों ने अपनी हठधर्मी से मौर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को हटा दिया तथा तीनों स्कूलों को अलग-अलग केन्द्रों में जोड़ दिया, जिससे राजकीय उच्च माध्यमिक शाला पंवालिया को लाम्बा हरिसिंह केन्द्र से लगा दिया। पंवालिया से लाम्बा हरिसिंह की दूरी करीब 45 किलोमीटर है तथा लाम्बा हरिसिंह पंवालिया से कोई सीधी बस सेवा नहीं है। इसी प्रकार मौर व अरियाली को टोड़ारायसिंह सेन्टर पर लगा दिया जो क्रमशः 20 व 35 किलोमीटर की दूरी है। इससे ग्रामीण गरीब छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा बच्चों को परीक्षा काल में पढ़ने हेतु मकानों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, विद्यार्थियों को इससे भारी परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर श्रीमान् शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक मौर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र वापस खोलने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री बालचन्द्र आर्यवीर। (अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती रमा पायलट।

लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की परीक्षा में अनियमितता

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव को पढ़ना चाहूँगी।

सभापति महोदय, निवेदन है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक पद हेतु परीक्षा सन् 1986 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति में भारी अनियमितताएँ बरती गई हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त परीक्षा 1986 में आयोजित की गई थी और 1989 में इसके परिणाम घोषित किए गए थे जिसमें 1692 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए गए। 1989 में 1532 उम्मीदवारों को नियुक्तियां देकर विभिन्न विभागों में भेज दिया गया और मुख्य सूची में से 160 उम्मीदवार नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा सूची में थे, परन्तु दिनांक 7 मार्च, 1990 को 640 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई। मई. 90 में 78 उम्मीदवारों को भी नियुक्ति देकर विभिन्न विभागों में भेज दिया गया और इस प्रकार 722 उम्मीदवार बचे रह गए जिनको नियुक्ति दी जानी थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6-6-90 को नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई।

6 महीने तक प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की यदि नियुक्ति नहीं की जाती है तो प्रतीक्षा सूची रद्द हो जाती है। ऐसी

(72)

(श्रीमती रमा पायलट)

हालत में उन बेरोजगार नौजवानों का क्या होगा जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद और 4 साल तक प्रतीक्षा करने के बाद रोजगार प्राप्ति के अवसर देखे थे। उन बेरोजगार नौजवानों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय होगा जिनकी नौकरी प्राप्ति की अधिकतम सीमा निकल जाएगी। क्या सरकार के पास इन बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई प्रावधान है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई विशेष मजबूरी थी जिसकी वजह से उन नौजवानों का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया? और क्या ऐसे नौजवानों के लिए कोई सरकार के पास प्रावधान है जो इस अवधि में सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं? उन युवकों का क्या होगा जो अब सरकारी नौकरी से पूरी उम्र ही वंचित रहेंगे, क्या सरकार उन युवकों को कोई आशा की किरण दिखाएगी और उन्हें उनके अधिकार दिलवायेगी जो उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त हैं?

सरकार इस तरह की अनियमितताएं करेगी तो जनता का विश्वास उठ जावेगा।

मुख्य मंत्री जी ने चुनाव व चुनाव से पहले मिले ऐसे युवकों को आश्वासन दिया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वह रोक (बैन) हटाकर नियुक्ति के आदेश देंगे। लेकिन बैन (रोक) लगाने से नौजवानों को बड़ी निराशा मिली है व उनका विश्वास भी उठा है। युवकों की इस बात को ध्यान में रखकर, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के भूले हुए वायदों को भी याद कराना चाहती हूँ। आशा है कि सरकार इन नौजवानों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठायेगी व निराश नौजवानों को आशावादी बनायेगी। नौजवान कल के भारत के कर्णधार हैं यदि निराश हुए तो भारत की नींव भी भविष्य में कमजोर रह जाएगी।

अतः इसे ध्यान में रखते हुए इन नौजवानों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल कर सुनहरे भविष्य में जाने का मार्ग दर्शित करें।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल चौहान। (अनुपस्थित)

माननीय श्री भरोसीलाल।

अ. जा., अ. ज. जा. एवं विकलांगों व भूतपूर्व सैनिकों को खनिज पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों व भूतपूर्व सैनिकों को करौली क्षेत्र में खनिज पट्टे दिलवाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, राजस्थान के कई ऐसे स्थान हैं जहां अनुसूचित जाति, जनजाति विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लोगों को खनिज के पट्टे प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते है जैसे—कोटा, बुद्धपुरा, बिजोलिया आदि।

मान्यवर, जिला सवाईमाधोपुर में करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्रों के खनिजों

(श्री भरोसी लाल)

हेतु ठेकेदारी प्रथा से बोलियां लगाई जाती हैं जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका मिलता है जबकि निम्न वर्ग के गरीब तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक गरीबी के कारण बोली नहीं लगा पाते हैं। ऐसी स्थिति में गरीब को ठेके से वंचित रहना पड़ता है। प्रदेश में खनन विभाग में दो तरह के कानून क्यों है? जबकि बुद्धपुरा, बिजौलिया तथा कोटा में ST व SC व विकलांगों को पट्टे दिये जाते हैं। इसी तरह से ही करौली क्षेत्र में भी खनन पट्टे दिए जाएं।

अतः राज्य सरकार सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर ठेका प्रथा को समाप्त करें। तथा अनुसूचित जाति/जनजाति विकलांगों व भूतपूर्व सैनिकों को खानों के पट्टे प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की कार्यवाही करें। इस लोक महत्त्व के आधार पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवरलाल जाट।

कोटा खुला विश्वविद्यालय को पतन से रोकने के सम्बन्ध में।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कोटा खुला विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितात्रों एवं भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ। कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति बी. आर. मेहता ने विश्वविद्यालय को भाई-भतीजे वाद का केन्द्र बना दिया तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में विशेष रुचि नहीं दिखाई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुलपति डा. बी. आर. मेहता के कार्यकलापों की जानकारी शासन को देना चाहता हूँ। कोटा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना (1987) के समय इस विश्वविद्यालय को राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उदयपुर विश्वविद्यालय के पत्राचार संस्थान से पिछले 15-20 वर्षों से चल रहे लगभग 20 स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्राप्त हुए थे। सामान्यतया एक नये पाठ्यक्रम को विकसित करने पर 5 से 10 लाख रुपये होता है। कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के बिना स्वेच्छा से इन पाठ्यक्रमों को बन्द कर दिया इससे विश्वविद्यालय को 1.5 करोड़ रुपये की क्षति हुई। इन्होंने 1987-88 तथा पूर्व के वर्षों में 70 लाख रुपये की प्रकाशित सामग्री को रद्द कर दिया। यदि इसे रद्द ही करना था तो 1987-88 में इन्हें पुनः मुद्रित क्यों करवाया गया। पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सका है तथा सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश बन्द कर रखा है जिससे प्रदेश तथा बाहर विद्यार्थियों को कठिनाई होती है।

इस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किये गए बी. एड. पाठ्यक्रम की अवधि 14 माह है किन्तु प्रवेश से 2 वर्ष बीत जाने पर भी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री नहीं पहुंचाई

(श्री सांवरलाल जाट)

गई है तथा उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है । जबकि फीस के नाम पर बड़ी धनराशि वसूल कर ली गई है ।

कुलपति के खिलाफ भारी अनियमितताओं के लिए कोटा क्षेत्र से प्रकाशित सभी अखबार भरे पड़े हैं । अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं व क्षेत्र के लोगों ने सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाने का प्रयास किया है । कुलपति ने प्रोफेसर तथा रीडर के चयन में अनियमिततायें की है । भारतीय परम्परा एवं सभ्यता विभाग में रीडर के पद पर वर्तमान आई. ए. एस. अधिकारी राकेश हूजा की बहन तथा रिटायर्ड आई. ए. एस। अधिकारी की पुत्री को चुना है । केवल 2 वर्ष का अंशकालीन शैक्षिक अनुभव है तथा उसको स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव बिल्कुल नहीं है । जबकि रीडर के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव जरूरी है । इस चयन में भी बी. हूजा को ओवलाइज किया है क्योंकि उनसे अनेक प्रशासनिक पदों पर अपने चहेतों का चयन कराया है । भारतीय परम्परा एवं सभ्यता विभाग में प्रोफेसर पद पर चयनित डा. जी. एस. एन. देवड़ा. प्री. डिग्री व बी. ए. में तृतीय श्रेणी हैं तथा इनका पी. एच: डी. शोध कार्य सम्बन्धित विषय का नहीं है फिर भी प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद पर इनका चयन कर लिया गया । कोटा खुला विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों में यू. जी. सी. तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से भी कुछ अनुदान नहीं मिला है ।

महोदय, कांग्रेस शासन में सरकार ने तुरन्त-फुरत में विश्वविद्यालय खोल दिए किन्तु वह विश्वविद्यालय हाड़ौती क्षेत्र तथा राज्य की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है । विद्यार्थियों को आवश्यक अध्ययन सामग्री तथा अन्य जानकारी ठीक ढंग से नहीं दी जाती है, परेशान विद्यार्थियों व अविभावकगण चक्कर काटते रहते । हैं आधे से अधिक शिक्षक अध्यापन कार्य के बजाय कुलपति निवास पर कुलपति को संरक्षण देने के लिए बैठे रहते हैं । इस प्रकार कुलपतियों ने दो प्रबन्ध मण्डल बना रखे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कोटा विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर रहा है । भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कारण विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली गड़बड़ा गई है । इस विश्वविद्यालय ने हाड़ौती क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है ।

अतः मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कुलपति को तुरन्त बर्खास्त कर अनियमिताओं की जांच करवायें तथा विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा क्षेत्र की जनता को न्याय दिलवाएं ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर ।

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनियमितता एवं घोटाला ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्त-

(श्री मदन दिलावर)

गत कोटा खुला विश्वविद्यालय की भारी अनियमितताओं व घोटालों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

कोटा खुला विश्वविद्यालय व्यापक भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद घोटालों एवं भारी अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी. आर. मेहता द्वारा की गई सभी कारगुजारियां सिर्फ भारी अनियमितता भ्रष्टाचार, मनमानी, पक्षपातपूर्ण निर्णय, जातिवाद, भाई-भतीजावाद विषयवाद एवं वित्तीय घोटालों का केन्द्र बनकर रह गई है। खुला विश्वविद्यालय में सभी प्रकार से अनियमिताएं खुले आम तांडव करती रही है। पिछले कुछ दिनों में मैंने स्वयं विश्वविद्यालय के इन सभी मामलों की गहरी छानबीन एवं तहकीकात करने के बाद सघन जांच रिपोर्ट पढ़ने का पूरा-पूरा प्रयास इसी आशा से किया है कि विश्वविद्यालय में हुए जुल्म, अनियमिताओं, भ्रष्टाचार, भेदभावपूर्ण रवैया एवं व्यापक अत्यांचारों पर अंकुश लगाने की कृपा करें तथा विश्वविद्यालय को गर्त में जाने से बचावें। साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्च स्तरीय जांच करवाने के साथ भ्रष्ट एवं दोषी पाए जाने पर कुलपति श्री बी. आर. मेहता को हथकड़ी लगाकर जल के सीखचों में कैद करने की आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें तथा तुरन्त इस विश्वविद्यालय के समस्त अभिलेख, एवं रिकार्ड सील किए जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन इन अभिलेखों में तेजी से हेराफेरी कर रहा है।

कुलपति महोदय भेदभाव अन्याय एवं तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित कर दिया। कर्मचारी एवं छात्र वर्ग में भारी असन्तोष है और इसकी उत्पादकता एवं उपयोगिता में भारी गिरावट आई है।

कुलपति महोदय के काले कारनामों एवं घोटालों का सम्पूर्ण विवरण तथा प्रमाण इस प्रकार प्रस्तुत है।

(1) श्री एस. मैथ्यू हायर सैकण्ड्री को निजी सचिव एवं स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति बिना इन्टरव्यू लिए अवैध एवं विश्वविद्यालय के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रखते हुए दी है।

(2) श्री नरेश भार्गव बी. ए. को एल. डी. सी. पर बिना इन्टरव्यू एवं बिना टाइप टैस्ट लिए विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति दी गई है।

(3) कुमारी रीमा हूंजा एम. ए. सुपुत्री श्री बी. हूजा आई. ए. एस. को एसोसिएट प्रोफेसर भारतीय परम्परा एवं संस्कृति के पद पर विश्वविद्यालय की न्यूनतम योग्यताओं के अभाव में नियुक्ति पक्षपातपूर्ण प्रदान की गई है। महज इस वजह से कि कुमारी रीमा हूजा एक आई. एस. अफसर की पुत्री है तथा जो कुलपति प्रो. बी. आर. मेहता के परिचित मित्र हैं। उक्त नियुक्ति केवल दो वर्ष के प्राइवेट कालेज के शैक्षणिक अनुभव पर ही अवैध रूप से दी गई है।

(4) डाक्टर घनश्याम लाल देवड़ा प्रोफेसर भारतीय परम्परा एवं संस्कृति विषय ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ है। इस

(76)

(श्री मदन दिलावर)

सम्बन्ध में न तो इनका कोई कार्य अनुभव ही है और न ही इससे सम्बन्धित विषय में उन्होंने पी. एच. डी. की है । इनकी पी. एच. डी. बीकानेर राज्य के अध्ययन पर रही है । डाक्टर देवड़ा के एवं एसोसियेट प्रोफेसर दोनों साक्षात्कारों के लिऐ मात्र एक ही विशेषज्ञ डाक्टर रवीन्द्र कुमार निदेशक जवाहर लाल नेहरू संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली को ही बुलाया गया ।

(5) कुमारी गायत्री देवी ने कक्षा आठवीं उत्तीर्ण की है एवं ग्रामीण महिला विद्यापीठ इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है जो कि यू. जी. सी. द्वारा अमान्य एवं रद्द कर कर दी गई है । तब भी सभी नियमों का उल्लघंन करते हुए पक्षपातपूर्ण तरीके से एल. डी. सी. के पद पर नियुक्ति दे दी गई है ।

मान्यवर मैं आपको बताना चाह रहा हू कि भूतपूर्व कुलपति जो अभी कुलपति के सचिव हैं, नरेन्द्र कुमार जो उनका अनुज है और श्रीमती द्विवेदी उनकी धर्म पत्नी है । नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों को नियुक्तियां दी गई हैं । श्री धड़ोलिया कुलपति का भान्जी दामाद है तथा सुषमा सिंघवी इनकी भान्जी । गिर्राज विजय भतीजी के देवर हैं । एस. सी. मेहता इनके चाचा हैं, श्री एच. एल. धाकड़ भान्जी के मामा हैं । कुलपति की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता को भी यहां नौकरी दी गई है । तथा इसी प्रकार से प्रो. शर्मा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम प्राध्यापक के रूप में आए थे । इन्होंने जी जांन से इस विश्वविद्यालय की सेवा की थी । कुलपति इन्हें विश्वविद्यालय का रत्न कहते थे । परन्तु कुलपति के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं, भाई-भतीजा वाद एवं उनकी धर्म पत्नी का विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप का खुलासा होने से वैसे ही इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई । जबकि इनके विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं था । मात्र कुलपति की चाटुकारिता नहीं करने के कारण इन्हें यह दण्ड दिया गया है । दुर्भावना से कुलपति ने इनकी सेवाएं समाप्त की हैं । प्रोफेसर शर्मा की परीवीक्षा अवधि 7.10.1989 को ही समाप्त हो गई परन्तु कुलपति ने अपनी मनमानी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर इनकी परीवीक्षा अवधि 1.2.1990 ही रखी और प्रो. शर्मा 12·1·90 से 9·2·1990 तक के उपार्जित अवकाश (डी. एल.) पर अध्ययन के लिए दिल्ली गए थे । इनकी परीवीक्षा अवधि 23·1·90 को एक वर्ष और बढ़ा दी । इन्हें एक सप्ताह बाद: ही पुन: प्रबन्धक मण्डल की बैठक बुलाकर 1·2·90 को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी ।

मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रोफेसर मेहता की जांच कर तुरन्त जेल के सीखचों में ठूंसा जाए ।

श्री सभापति : माननीय बृजराज मीणा ।

कोटा जिले के ग्रामीण अंचलों में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार ।

श्री बृजराज मीणा : (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत कोटा जिले के ग्रामीण अंचलों के स्कूलों की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

(श्री बृजराज मीणा)

कोटा जिले के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हालत बड़ी खराब हैं। मैं ग्रामीण अंचलों में स्थापित विद्यालयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गांवों में कहीं-तो दो-दो किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूल खोल दिए गए एवं प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया। मिडिल स्कूल का सैकण्ड्री स्कूल बना दिए। कहीं-कहीं तो 15 किलोमीटर की दूरी तक भी सैकेण्ड्री स्कूल नहीं खोले गए हैं। मैं ग्रामीण शिक्षा के स्तर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी सौ तक गिनती नहीं बोल सकता है, आठवीं कक्षा पढ़ने वाला दरखास्त तक नहीं लिख सकता है तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था से क्या लाभ है ? ऐसी शिक्षा से तो बेरोजगारी और बढ़ रही है। आज का स्नातक अंग्रेजी में छुट्टी की दरखास्त नहीं लिख सकता है पुराने समय से शिक्षा का स्तर काफी घट गया है। इसी कारण प्राइवेट स्कूल की संख्या में वृद्धि हुई है। गत तीन वर्षों से जो स्कूल खोले गए हैं या जो क्रमोन्नत किए गए हैं वहां पर आज तक भी हैड मास्टर नहीं है। दूसरे सहायक अध्यापकों का कोई अता-पता नहीं है। स्कूलों में फर्नीचर नहीं हैं। सभापति महोदय, फुल प्राइमरी स्कूल में भी पांच छः कमरे होते है परन्तु अधिकांश क्रमोन्नत मिडिल स्कूलों में दो-दो कमरे हैं, जिनमें किस प्रकार छात्र पढ़ सकते हैं। जब बालकों को बैठने के लिए ही जगह नहीं मिलेगी तो बढेगा कहाँ से। ऐसे स्थानों पर तुरन्त विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाए।

सभापति महोदय, शिक्षक वर्ग का हाल तो अत्यन्त ही बुरा है। सैकण्ड्री स्कूल, मिडिल स्कूल का प्रधानाध्यापक भी 50-60 किलोमीटर की दूरी के स्कूल से डेली अप-डाउन करते हैं तो अधीनस्थ स्टाफ की क्या हालत होगी ? उनका अधीनस्थ कर्मचारियों पर क्या नियन्त्रण रहेगा ? आज दूर-दराज के गांवों के स्कूलों की हालत वह है कि वहाँ के स्कूलों में अध्यापकों के पद तो स्वीकृत हैं परन्तु उस स्कूल के अध्यापक लड़कों के किनारे स्कूलों या कस्बों में अपना डेयूटेशन करवा लेते हैं। डेयूटेशन सिस्टम के चालू रखते हुए ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, प्रातःकालीन स्कूलों में 9.00 बजे अध्यापक जाते हैं तथा थोड़ी देर स्कूल में रुककर वापस चलने की तैयारी करने लग जाते हैं। कितने समय बच्चों को पढ़ाऐंगे। जिला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा प्रसार अधिकारी ने स्कूलों की चैकिंग नहीं करने की कसम खा रखी है। कोई स्कूलों का निरीक्षण नहीं करना चाहता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रतिनियुक्ति सिस्टम को शिक्षा विभाग से समाप्त किया जाना चाहिए। अध्यापकों को पाबन्द किया जाना चाहिए कि वह स्कूल मुख्यालय पर निवास करें, निवास नहीं करे तो कम से कम बैंकिंग आर्स तो स्कूलों में उपस्थित रहें। जो अध्यापक 8-10 साल से एक ही स्थान पर जमे हुए है उनका स्थानान्तरण कर नये अध्यापकों को उनके स्थानों पर लगाया जाना चाहिए। शहरों व कस्बों में लम्बे समय से जमे हुए अध्यापकों को गांवों में निश्चित समय के लिए भेजा जाना

(श्री बृजराज मीणा)

चाहिए जिससे स्थानान्तरण करवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। अध्यापकों के खाली स्थानों को तुरन्त भरा जावे। मिडिल स्कूलों को जिला परिषद से हटाकर शिक्षा विभाग को दिया जाना चाहिए जिससे उनका अध्यापन कार्य सही तरीके से चल सके। यदि शिक्षा व्यवस्था में जल्दी सुधार नहीं किया गया तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी।

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी।

उदयपुर वाटी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में

श्री मदनलाल सैनी : (गुढा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत शिक्षा मंत्री जी (उच्च शिक्षा का ध्यान उदयपुर वाटी क्षेत्र में महाविद्यालय की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि झुन्झूनु जिले की तहसील उदयपुर वाटी कृषि प्रधान तहसील है। जिले में इस तहसील का अपना महत्व है। यह तहसील विद्या अध्ययन और विद्यादान की दृष्टि से जिले की अग्रणी तहसील है। अनेक प्रसिद्ध विद्वान, कला संस्कृति आध्यात्मिक एवं मर्मज्ञ उत्पन्न हुए। शिक्षा के कारण ही वहां के वर्ग ने देश से विभिन्न भागों में जा कर व्यापार की अभिवृद्धि द्वारा यश कमाना है।

मैं उच्च शिक्षा मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस तहसील में 30 के लगभग सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल हैं, जिनमें 15,000 छात्र/छात्राएं विद्याध्यन करते हैं। इन विद्यार्थियों को महाविद्यालय की पढ़ाई सम्पन्न करने के लिए तहसील से दूर 35 किमी. सीकर, नवलगढ़ 50 कि. मी. नीम का थाना, मुकुन्दगढ झुंझरे आदि स्थानों पर प्रवेश लेना होता है।

इन महाविद्यालयों में प्रवेश के कारण घर से दूर छात्रावास तथा किराये के मकानों में रहना होता है जिसके कारण आर्थिक कठिनाई पढ़ाई की निरन्तरता में बाधक बन जाती है। यदि इनको अपनी पढ़ाई निरन्तर रखने के लिए उदयपुर वाटी में ही अवसर मिलता तो देश की कलिया विकसित होने से पहले ही नहीं मुरझाती। उदयपुर वाटी क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय का बहुत बड़ी आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं। इस क्षेत्र के लोगों ने राजकीय कालेज खोले जाने की बार-बार मांग की लेकिन माननीय सभापति जी, कांग्रेस सरकार ने जनता की मांग को बार-बार ठुकराया, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ घोर अन्याय हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में राजस्थान में दो महाविद्यालय इस वर्ष 1990-91 में नये प्रारम्भ करने की बात कही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उदयपुर वाटी क्षेत्र की परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जहां विद्यार्थियों को दूर-दूर विद्या अध्ययन करने जाना पड़ता। उसके समाधान के लिये जो एक महाविद्यालय राज्य सरकार खोलने वाली है वह महाविद्यालय गुणावगुण के आधार पर

(श्री बृजराज मीणा)

उदयपुर वाटी में ही खोला जाना उचित होगा।

श्रीमान, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान 20 वर्ष पूर्व मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ा गांव में सेठ शिवदत्त राव चेरिटेबिल ट्रस्ट सोसायटी हैदराबाद द्वारा श्रीमती गोमती देवी महाविद्यालय बड़ागांव जिला झुंझुनु प्रारम्भ किया गया था, की ओर दिलाना चाहता हूं। महाविद्यालय के व्याख्याताओं की लगन निष्ठा के कारण आस-पास के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते रहे हैं, इस महाविद्यालय को राज्य सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान राशि जारी की गई थी।

निजी शिक्षण संस्थाओं में व्यक्ति विशेष का नियन्त्रण होने के कारण कई प्रकार के दोष आ जाते हैं और इन दोषों से यह महाविद्यालय भी अछूता नहीं रह सका। इस महाविद्यालय में प्रबन्ध की हठधर्मी उस समय पराकाष्ठा पर पहुँची जब मनमाने निर्णय लिये जाने लगे और जब राज्य सरकार के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया गया तो राज्य सरकार ने, सरकार की ओर से दी जाने वाली 60 प्रतिशत अनुदान राशि फरवरी, 1988, से बंद कर दी। अब इन कर्मचारियों को फरवरी, 1988 से कोई वेतन एवं भत्ते नहीं मिल रहे हैं। उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है।

इस महाविद्यालय का अपना शेखावटी के अन्दाज का विशाल भवन है, लम्बे चौड़े 30 बीघा भूमि में खेत के मैदान है। 500 विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर एवं अन्य सभी सुविधायें हैं। अपना निजी कुआ है, जिसमें बिजली की मोटर लगी हुई है। बड़ा छात्रावास है सारी सम्पत्ति 25 लाख से ऊपर ही होगी।

जब तक राज्य सरकार उदयपुर वाटी देश में वर्ष 1990-91 में खोले जाने वाले नये महाविद्यालय की घोषणा नहीं करती या अन्य कोई कठिनाई हो तो ऐसी स्थिति में मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि बड़ा गांव के इस महाविद्यालय के 300 विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरन्तर रखने एवं शिक्षा के कार्य में लगे व्याख्याताओं व कर्मचारियों, जिनको फरवरी, 88 से वेतन एवं भत्ते मिलना बन्द है जिनकी संख्या 13 है, ऐसे लोगों का ध्यान रखते हुये, मैं कहना चाहता हूँ इस महाविद्यालय की 60 प्रतिशत अनुदान राशि फरवरी 88 से पुनः प्रारम्भ करने के आदेश देते हुए वर्ष 1990-81 के लिए अनुदान राशि को 60 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत की जाये। यदि सरकार ऐसा भी नहीं करती तो 50 लाख की इस कुल सम्पत्ति वाले महाविद्यालय बड़ा गांव को अधिग्रहित करने की मांग मैं राज्य सरकार से करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन। अनुपस्थित।

श्री हरीसिंह, महुआ।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा घटिया निर्माण

श्री हरिसिंह (महुआ) : महोदय, मैं विधानसभा प्रक्रिया के नियम राजस्थान राज

(श्री हरिसिंह)

295 के तहत अधिशासी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा घटित निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, उक्त सन्दर्भ में लेख है कि श्री हरिराम चौधरी अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री गंगानगर अपने क्षेत्र की मंडियों के भवनों में घटिया निर्माण कार्य करा रहे है। जिससे जानमाल की क्षति होने की सम्भावना है।

श्री हरिराम चौधरी जब जोधपुर में कार्यरत थे तब मुख्य व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ने दुर्घटना से पूर्व ही दो पत्र लिखकर घटिया निर्माण कराने और जानमाल की क्षति होने की आशंका प्रकट करते हुए अधिशाषी अभियंता का ध्यान आकर्षित किया था। किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाकर ठेकेदार के रनिंग बिल भी पास कर दिये। निर्माण कार्यों में लोहा कम लगाने के कारण और पूर्व चेतावनी के बावजूद कृषि उपज मंडी का लेबर शेड गिर गया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। [illegible] अधिशासी अभियंता को निलम्बित कर दिया गया था किन्तु राजनैतिक कारणों से उसे पुनः बहाल कर दिया है और जांच प्रक्रिया रोक दी है। बल्कि श्री हरिराम चौधरी की नियुक्ति अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री गंगानगर के पद पर कर दी गयी है जहां के घटिया निर्माण कार्यों के माध्यम से राजकीय कोष को हानि पहुंचाते हुए लोगों को जानमाल का खतरा पैदा कर रहे हैं। अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री बी. डी. कल्ला।

कोटा, बीकानेर को "बी–2" श्रेणी का शहर घोषित करने के सम्बन्ध में

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, देश में किसी भी शहर की आबादी 4 लाख से ऊपर होने पर उस शहर के शहरी विकास विभाग एवं वित्त विभाग भारत सरकार "बी-2" श्रेणी का शहर घोषित कर देता है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया एवं नगरीय भत्ता शहर की श्रेणी के अनुरूप मिलता है राज्य के कोटा एवं बीकानेर इन दो शहरों को जिनकी आबादी 4 लाख से ऊपर हो चुकी है अभी तक "बी-2" श्रेणी का दर्जा भारत सरकार ने नहीं दिया हैं जिससे दोनों शहरों में नागरिकों एवं कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।

बीकानेर एवं कोटा की आबादी सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 4 लाख से कम थी। 26 अप्रेल 1989 व 3-5-1989 को जिलाधीश बीकानेर ने सचिव स्वायत्त शासन विभाग एवं शहरी विकास विभाग जयपुर को जो पत्र दिया उसमें बीकानेर शहर की आबादी 4 लाख 32 हजार 87 अनुमानित की गई। इस पत्र के आधार पर 16 जनवरी, 1990 को राज्य सरकार के उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग भारत सरकार को एक पत्र दिया जिसके अनुसार बीकानेर शहर की आबादी 4 लाख से ऊपर बतायी है एवं वह अभिशंसा भी की कि बीकानेर शहर को "बी-2" श्रेणी का शहर का दर्जा दिया जाये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

परन्तु पिछले 4 महीनों से राज्य सरकार की ढिलाई के कारण इस शहर को "बी-2" श्रेणी का दर्जा नहीं दिलाया जा सका है। मैं जानना चाहता हूं कि 16-1-90 के बाद राज्य सरकार ने बीकानेर शहर, कोटा शहर को "बी-2" श्रेणी दिलाने हेतु क्या कोई पत्र दिया, क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी ने दिल्ली में शहरी विकास मंत्री जी से मिलकर बीकानेर एवं कोटा को "बी-2" श्रेणी का दर्जा दिलाने का क्या कोई प्रयास किया? यदि नहीं किया तो क्या वे 31 अगस्त से पहले-पहले इन दोनों शहरों को "बी-2" श्रेणी का दर्जा दिलवा सकेंगे?

सन् 1981 की जनगणना के बाद 21-9-1989 को चित्तौड़गढ़ को "सी" श्रेणी के शहर का दर्जा दिया गया। हाल ही में अजमेर शहर को "बी-2" श्रेणी का दर्जा पुराने प्रयासों के कारण दिया गया है। इसी प्रकार 1981 के बाद भारत सरकार ने कुबेरपुर (उत्तर-प्रदेश) को 1-11-87 को "बी-2" श्रेणी का शहर घोषित किया, नासिक, महाराष्ट्र को 7-11-82 से, गोहाटी (आसाम) 1-3-81 से, बरेली (यू. पी.) को 1-8-82 से, ग्वालियर (म. प्र.) को 12-3-79 से "बी-2" शहर का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार "सी-श्रेणी" का शहर गुलवास, हरियाणा 1-11-88 से, सुल्तानपुर (उत्तरप्रदेश) 4-1-84 से, बेला प्रतापगढ़ (उत्तरप्रदेश) 2-2-88 से, बून्दी (राज.) 15-11-83 से, चित्तौड़गढ़ 8-10-81 से, छपडी (आसाम) तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ तेजपुर (आसाम) 3-11-87 से बोर गांव, जोरहाट, 1-3-81 से असरेली (उत्तरप्रदेश) 31-3-81 से थानेश्वर (हरियाणा) 1-11-84 से, रामा गुण्डम (आंध्रप्रदेश) 2-1-82 से, "बी-श्रेणी" के शहर का दर्जा मिल चुका है।

पिछले चार महीनों से केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारी महंगाई की मार से पीड़ित हैं। नगर भत्ता एवं मकान का किराया न मिलने से वे उद्वेलित है। कोटा एवं बीकानेर शहर में समय-समय पर कर्मचारियों ने जिलाधीश कार्यालय पर धरनों एवं प्रदर्शनों का आयोजन कर अपनी मांगों को प्रभावशाली तरीके से रखा है परन्तु राज्य सरकार की कुंभकर्णी नींद खुल नहीं पाई। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी, 1990 के पत्र के आधार पर बीकानेर शहर और कोटा शहर के लिए भी इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा पत्र भेजकर इन दोनों शहरों, जिनकी आबादी चार लाख से ऊपर हो चुकी है, राज्य सरकार "बी-2" श्रेणी का दर्जा दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रयास करे और अविलम्ब भारत सरकार के माध्यम से इन दोनों शहरों को "बी-2" श्रेणी का शहर घोषित कराने की कार्यवाही करे। कोटा शहर हेतु राज्य सरकार को अपनी अभिशंषा भारत सरकार को भिजवानी है ताकि उसे भी "बी-2 श्रेणी" का दर्जा मिल सके। राजस्थान के इन दोनों शहरों के कर्मचारियों को "बी-2" श्रेणी का दर्जा मिलने से इन नगरों के कर्मचारियों को नगरीय भत्ता एवं मकान भत्ता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

"बी-2" श्रेणी के शहरों के बराबर मिल सकेगा ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजकीय लाटरी में अनियमितता

श्री सभापति : माननीय जनार्दन सिंह गहलोत ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार की जो लॉटरी, विभाग द्वारा संचालित है वह 15 प्रकार की लॉटरियां चल रही हैं। लेकिन आज जिस प्रकार के हालात इस राजस्थान में बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार का सिस्टम लॉटरी का बना हुआ है, उस लॉटरी के अन्दर सौ रुपये के टिकिटों के ऊपर 16 रुपये कमीशन के आज एजेन्टों को मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार का अंक निकलता है, अगर 1 अंक निकल जाय तो 15 रुपये उसको मिलता है और तीन अंक निकल जाय तो तीस रुपये मिलते हैं, चार अंक मिल गये तो 120 रुपये और पांच अंक के ऊपर पांच सौ रुपये, 6 अंक पर दस हजार और एक लाख रुपये तक मिलते हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की इस नीति के तहत आज हालात यह हो गये हैं कि राजस्थान सरकार के सारे कर्मचारी चाहे आप सचिवालय में चले जायं, चाहे ए. जी. ऑफिस में चले जायं, चाहे जिलाधीश कार्यालय के बाहर खड़े होकर देख लीजिये। कर्मचारी एक तरह से सरकारी सेवा में काम करने के बजाय आधा समय लॉटरी खरीदने में लगाते हैं और जितनी तनख्वाह उनको मिलती है रोजाना, पन्द्रह रुपया, बीस रुपया, तीस रुपया लगाते हैं क्योंकि उनके 16 रुपये तो वापिस आ जाते हैं इसलिए वह सोचते हैं चार रुपये का घाटा हुआ। इस लालच में हमेशा सारे कर्मचारी करीब-करीब इस तनख्वाह को वहीं ले जाते हैं।

इस प्रकार का एक वातावरण बनता जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि यहां तक कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर उनको पॉकिट मनी के एक-दो रुपये मिलते हैं तो वह रोजाना जुए में लगाने लग गये। अगर किसी के पास जेब में पॉकिट मनी नहीं है तो बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए उनके माता-पिता ने किसी काम के लिए दिए तो उसमें से पैसे बचाकर लॉटरी लगाकर आ जाते हैं। बच्चों की यहां तक हालत हो गई कि अपनी किताबों को बेचकर जुए में लगाने लग गये। दूसरे दिन घर जाकर कहने लग गये कि किताब खो गई। इस प्रकार राजस्थान के अन्दर लॉटरी का जिस प्रकार का नियम बना हुआ है, छोटी लॉटरी से निश्चित तौर से पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का वातावरण हो रहा है। यही हालात मजदूरों की हो गई, उनको भी यह शौक लग गया, और उसकी आड़ के अन्दर, सभापति महोदय, मजदूर, बच्चे, कर्मचारी, और यहां तक कि बेरोजगार नौजवानों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो वह भी सोचते हैं दस-बीस रुपये लगाकर हमें थोड़ा पैसा मिल जायेगा। इस हालत से राजस्थान

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
के अन्दर एक जुए का अड्डा सा बन गया। अब जुआ और सट्टा खुले रूप से होने लग गया है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार यह जवाब देगी, मैं जानता हूं कि यह लॉटरी सिस्टम अपने आप में लॉटरी सिस्टम के आधार पर है चल रहा है लेकिन इसके पीछे, इसकी आड़ में क्या हो रहा है इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। चाहे आप हल्दियों के रास्ते में चले जायं, चांदपोल बाजार में चले जायं, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग के ऊपर तीन-चार स्थान बने हुए हैं, रोडवेज बस स्टेण्ड के बाहर बना हुआ है, प्रेमप्रकाश की बगल में बना हुआ है। आज इन नम्बरों के आधार पर खाई वालों का एक धन्धा बन गया। जितनी राजस्थान सरकार की लॉटरी खरीद नहीं रहे हैं उससे ज्यादा अंकों के ऊपर बिना लॉटरी खरीदे हुए खाई वालों का एक धन्धा बन गया, वहां सट्टे और जुए का एक तरह से केन्द्र बनता जा रहा है। राजस्थान में जो यह मामला पहले प्रतिबन्धित था, जुआ लगाना और सट्टा करना प्रतिबन्धित था और पुलिस उनको अपनी हिरासत में लिया करती थी लेकिन इन अंकों के आधार पर आज खुले रूप में सट्टा बाजार चल रहा है और सरकार सही मायने में उस पर कोई नजर नहीं रख रही है। यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता को जुआरी और अपराधी बनाने की प्रवृत्ति राजस्थान सरकार कर रही है। इसलिए गम्भीर मामला है।

माननीय समापति महोदय, अगर हमने इसको नहीं रोका तो राजस्थान के अन्दर नौजवानों और जनता को एक गलत काम के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। माननीय समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा बम्बई, कल्याणी और वर्ली के खाईवालों ने भी यहां पर आकर धन्धा करना शुरू कर दिया। अल्प बचत विभाग साढ़े सात रुपये का कमीशन देता है और वह देते हैं 19 रुपये का कमीशन। जगह-जगह उन्होंने पांच सौ रुपये के कर्मचारी रख रखे हैं, जगह-जगह दुकानें खोल दीं। आज बाबा हरिचन्द्र मार्ग के अन्दर दुकान नं. 304 के अन्दर खुले रूप से खाईवाली का काम चल रहा है। इसी प्रकार खटाई वालों की हवेली के अन्दर खुले तौर से जुआ चल रहा है। इसी प्रकार कई घटनाएं पुलिस के ध्यान में आई। एक राजकुमार नाम के व्यक्ति को हिरासत में भी लिया लेकिन किसी राजनेता का फोन पहुंचने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार के हालात से।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : गहलोत साहब, बहुत बड़ा अनुसंधान किया है इसमें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसा है कि पहले आपके साथ कई बार किये हैं इसलिए आदत डाल रहा हूं। ऐसी स्थिति में, दो प्रकार की लॉटरी चल रही है, एक आर्डिनरी लॉटरी, एक इन्सेन्टिव लॉटरी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी कौनसी लॉटरी है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार के हालात इस बात से पैदा हो रहे हैं, मैं यह कहूँ तो गलत बात नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के लॉटरी विभाग का एक कर्मचारी है, रविकुमार। आपमें से कोई भी माननीय सदस्य अगर उससे मिल जाय और उससे अगर मिलकर बात कर ले कि कौनसा नम्बर चाहते हो तो उस दिन आपका वह नम्बर वहीं पर लग जायेगा। वह इस मामले में इतना परफेक्ट हो गया है सवेरे 9 बजे कुछ लोगों से डिस्कस कर जाता है कितना नम्बर चाहते हो वह नम्बर ही आपको मिल जायेगा।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : मैं यह जानना चाहूँगा कि जो इतना होशियार है तो उसने खुद ने अपने नाम से भी लॉटरी खुलवाई होगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं आपको बता सकता हूँ कि उनको तनख्वाह चपरासी की मिलती है लेकिन मारूति में जाता है अल्प बचत विभाग में। यह आपकी जानकारी के लिए इतना ही सक्षम है इसलिए खुद के नाम से खुलवाता है या किसी के थ्रू खुलवाता है या क्या करता है आपको यह मामला भी आगे बता रहा हूँ कि विभाग क्या-क्या कर रहा है। आज जिस नम्बर को चाहें वह उस नम्बर को लगाता है और यह नहीं है कि केवल मात्र वह ही करता हो, इसके अन्दर लॉटरी विभाग का उच्च से उच्च अधिकारी लिप्त है। इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं बल्कि एस. एस. फाईनेंस तक भी इसमें इन्वोल्व हैं। डाइरेक्टर तो होगा ही, ऊपर से लेकर नीचे तक उसके अन्दर इन्वोल्वमेंट है। मैं और तो क्या कहूँ माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वह टिकट उनके सामने पेश करूँगा। लाटरी के ई सीरिज के अन्दर 809153 लॉटरी की टिकट है लेकिन यह जो दूसरी टिकट मेरे हाथ में है उसका भी नम्बर यही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सदन के पटल पर रख दें।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं मेरे को ही दे दें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मेरे बांये हाथ में लॉटरी का जो नम्बर है, वही दांये हाथ की लॉटरी का भी नम्बर है, सीरिज का और इसी प्रकार से एफ सीरिज के अन्दर हो रहा है। यह जादू भी है माननीय सभापति महोदय, यह जादू आप समझ लें लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है। एक-एक विभाग के अन्दर एक ही नम्बर के दो-दो टिकट मेरे पास उपलब्ध हैं बल्कि तीसरा टिकट मेरे पास वह भी उपलब्ध है जिस टिकट के अन्दर सही मायने में नम्बर ही नहीं है। आपकी मशीन में जो नम्बर आ जायेगा वह नम्बर बाद में अंकित कर ड्रा निकाला जाता है। यह ब्लेंक है और यह आपके विभाग द्वारा छपी हुई है। सभापति महोदय, मैं तीन टिकट आपके सामने वह भी पेश करना चाहूँगा जो केमिकल की हैं जो कि सही मायने में राजस्थान सरकार की नहीं हैं हिमाचल सरकार की हैं

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

और भोपाल सरकार की हैं जबकि राजस्थान के अन्दर ये टिकटें बिक रही हैं और राजस्थान की जनता का पैसा इन टिकटों के द्वारा लिया जाता है और लोग इसके अन्दर टिकटें खरीदते हैं। पैसा राजस्थान की जनता का लग रहा है, वह इन टिकटों को खरीद रहे हैं। मैं आपके सामने वह तीन टिकटें भी प्रस्तुत करूंगा माननीय सभापति महोदय, यह टिकटें रसायन से बनी हुई हैं। इन पर केमिकल लगा हुआ है। इस लॉटरी का सिस्टम यह है कि पहले लॉटरी का नम्बर छुपा हुआ रहता है और लॉटरी का नम्बर जब खुलता है उसके बाद इसका केमिकल हटाकर इसका नम्बर लगाया जाता है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सदस्य, यह प्रूव करेंगे आप कि यह केमिकल उन्होंने लगाया है या आपने लगाया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अब मैंने लगाया है या किस ने लगाया है, मैं तो प्रूव करना चाहता हूँ।

श्री जगत सिंह दायमा : बताइये आप कैसे प्रूव करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह प्रूव कर देंगे। सभापति महोदय, यह केमिकल तीन टिकट दूंगा आपको, इन पर केमिकल लगा हुआ है लेकिन इसका नम्बर छुपा हुआ है लेकिन इस टिकट के पीछे मैंने वह नम्बर भी लिख दिया है जो इसके अन्दर लिखा हुआ है। जो नम्बर मिलेगा, उसका नम्बर मैंने पीछे लिख दिया है, जो मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। यह केमिकल सिस्टेमैटिक उतर जाता है। केमिकल उतार कर उस नम्बर को देख लिया जाता है और वापिस केमिकल लगा दिया जाता है जिस नम्बर की लॉटरी खुल जायेगी, उस लॉटरी का ही पुनः इस्तेमाल किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस प्रकार का मामला है कि जनता को लूटा जा रहा है और जुए की प्रवृत्ति उनमें पड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, यह नहीं बल्कि राजस्थान के लॉटरी विभाग के कर्मचारियों को राजस्थान के बार दिल्ली में, बॉम्बे में, अलग-अलग स्थानों पर लगा रखा है। एल. डी. सी., यू. डी. सी. कैडर के लोग हैं। आज सारे कार्यालय उनके होटलों में चल रहे हैं उन कर्मचारियों के टी. ए. डी. ए. में बहुत बड़ी राशि उठायी जा रही है। एक-एक कर्मचारी का चार लाख इकत्तीस हजार का टी. ए. डी. ए. उठाया जा रहा है।

आपने पांच लाख की टिकट वहां पर दिल्ली के सेन्टर में भेजी या बोम्बे के सेन्टर में भेजी। उन टिकटों को बेचकर उस पैसे को कई दिनों तक जमा नहीं कराते, उसको अपने ब्याज या धन्धे में लगा देते हैं और वह पैसा आता है बहुत दिनों बाद और आज भी सरकार का बहुत पैसा बकाया है इसलिए सरकार ने खुली छूट का धंधा बना दिया है। माननीय सभापति महोदय, विभाग के अन्दर। हमारी लॉटरियां राजस्थान के बाहर भी निकलती हैं। उन लाटरियों के ऊपर भी सेलसटैक्स

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

की चोरी के केस हमारी सरकार के ऊपर हैं। तमिलनाडु सरकार ने केस बनाया और तीस करोड़ चालीस लाख रुपटे का टैक्स बकाया राजस्थान सरकार पर तमिलनाडू सरकार ने निकाल दिया। 77 लाख रुपया पश्चिमी बंगाल गवर्नमेण्ट ने लगा दिया, तो सरकार ही चोरी के काम में लगी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मामला बहुत गम्भीर है और इसे गम्भीरता से लेते हुए इसके अन्दर लिप्त लोगों से निश्चित तौर से सख्ती से निपटा जाय और राजस्थान की जनता को इस लूट खसोट से बचाया जाय। मेरा तो यही आपसे निवेदन है माननीय सभापति महोदय जिन तथ्यों को मैंने दिया है आपने घण्टी बजा दी और बहुत मामले थे। मैं सोचता हूँ उनके सामने नतीजा आ जायेगा और मैं इसी बात के साथ यह जो टिकटें हैं मैं सदन की मेज पर रखता हूँ।

एक माननीय सदस्य : हाँ मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप कहते हैं।

श्री सभापति : मंत्री जी। हां मंत्री को दे दीजिए आप।

श्री दिग्विजय सिंह : सम्बन्धित मंत्री के अस्वस्थ होने के कारण मैं बोलने की अनुमति चाहता हूँ। सभापति महोदय, इसके पहले कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131 के अन्तर्गत दिया उसका उत्तर दूं, माननीय सदस्य ने कई नये मुद्दे भी अभी यहां उठाये हैं। जो 131 में मुद्दे आपने उठाये हैं उन पर पहले चर्चा करते तो मुझे भी सुविधा होती और इन सब की पूर्ण जांच करके मैं आपको विस्तार से जवाब देता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ आपने बातें बतलाई हैं और जो अनियमितताएँ आपने बतलाई उन सबकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य लॉटरी वर्ष 1968 में प्रारम्भ की गई। जिसका प्रथम ड्रा दिनांक 1-1-69 को सम्पन्न हुआ। माह सितम्बर 1977 में जनता सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए आय श्रोत बढ़ाने हेतु वर्ष 1979 में लॉटरी योजना पुनः चालू की गई तब से यह योजना निरन्तर चल रही है यह कहना गलत है कि राज्य सरकार प्रतिदिन दर्जनों लॉटरी निकाल रही है प्रति दिन एक लॉटरी योजना का ड्रा खोला जाता है। केवल शुक्रवार को दो योजनाओं के ड्रा खोले जाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि लॉटरी योजना के शुरू होने से पूर्व ही लोग जुओं में पैसा लगाते थे। जब से लॉटरी योजनाएँ चालू हुई हैं इनसे जुआबाजी को बढ़ावा, व्यसन कम हुआ है। लॉटरी का एक या दो रुपये का टिकट क्रय करने से कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती है। इसके अलावा लॉटरी योजनाएँ इस प्रकार से तैयार की गई हैं कि दो रुपये मूल्य वाले दस टिकटों पर पन्द्रह रुपये की गारण्टी पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार एक रुपये मूल्य वाले दस टिकटों पर छः रुपये की

(श्री दिग्विजय सिंह) :

पुरस्कार राशि है। इस तरह से लॉटरी टिकट को क्रय करने से विशेष हानि किसी को नहीं होती हैं। पूर्व में राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों की लगभग 12 लाख टिकटें प्रति दिन विक्रय होती थी एवं राजस्थान राज्य की लगभग 2 लाख टिकटें प्रति दिन विक्रय होती थी परन्तु गत दो वर्षों से राजस्थान राज्य लॉटरी की साख में बढोतरी हुई है। फलस्वरूप वर्तमान में राजस्थान में राज्य लॉटरी के लगभग 12 लाख टिकटें प्रति दिन एवं अन्य राज्यों के केवल दो लाख टिकट प्रति दिन विक्रय होने लगे हैं। अतः समग्र दृष्टि से देखा जावे तो अब भी राजस्थान लॉटरी टिकटों में लगाई जाने वाली राशि में कोई खास बढोतरी नहीं हुई है वरन् अब राजस्थान का रुपया बाहर जाने से बचा है, जिससे राजस्थान के विकास में लगाने वाली राशि में बढोतरी हुई है। इसके अलावा लॉटरी योजना से हजारों आदमियों को रोजगार मिला हुआ है। यह राज्य सरकार की बेरोजगारी को दूर करने में सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान में हजारों बेरोजगार स्नातक इस दायरे में कार्य करने में लगे हुए हैं। इसके लिए इन्हें बहुत थोड़ी जगह और पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि ये एजेन्ट एक दिन में कम से कम दस हजार टिकट भी विक्रय कर लेते हैं तो उसको सौ रुपये प्रति दिन की आय हो जाती है। इस प्रकार लॉटरी योजना बेरोजगारों के लिए लाभदायी सिद्ध हुई है। यह कहना कठिन है कि बच्चे घर से पैसा चुराकर टिकट क्रय करते हैं और मजदूर अपनी सारी मजदूरी लॉटरी के टिकट क्रय करने में लगाते हैं। राज्य सरकार लॉटरी चला कर समाज में बुराइयों को जन्म नहीं दे रही है बल्कि एक ओर तो बेरोजगारी कम कर रही है तथा दूसरी ओर राज्य की आमदनी बढ़ा रही है। राज्य लॉटरी योजनाओं से वर्ष 1988-89 में शुद्ध आय रु. 3.06 करोड़ तथा वर्ष 1989-90 में शुद्ध आय 10.68 करोड़ रुपये की हुई है। इस वर्ष 1990-91 में शुद्ध अनुमानित आय 25 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है मुझे एक ही बात कहनी है कि इसकी पूरी गम्भीरता से जांच करें क्योंकि इसमें दो नम्बर के जो काम हो रहे हैं, उनको रोकने की बात है। क्योंकि आपने एजेन्ट सिस्टम जो कर रखा है। आपकी जानकरी के लिये बता दूं पब्लिसिटी पर, एजेन्ट नियुक्त करने पर, ठेकेदारों को देने के लिये 20 प्रतिशत आपको अधिकारियों को और लॉटरी विभाग को कमीशन मिल रहा है। इसलिये इसकी आप जांच कराइये। दूसरा जो लाटरी का नम्बर नहीं है....

(1.23 म॰ प॰)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

उन लाटरीज का नम्बर बन्द पड़ा है उसमें कर्मचारी कई बार खोसा-खासी करके

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

लाटरी निकाल लेते हैं जिसका नम्बर निकल गया वही लाटरी का नम्बर खुलवा लेते हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जो बात सरकार के ध्यान में लाये हैं, मैं निश्चित रूप से, आपको पहले भी निवेदन किया है, कि अगर आप मुझे और डिटेल में लिखकर दे देंगें, इसकी जांच करायेगें और जो लूप होल्ज हैं इसके बारे में भी जांच करायेंगे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या इससे बच्चों का चरित्र पतन नहीं होता ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह आप बता दो कितना हुआ है । आपको अगर जानकारी है कि सर्वे से इतना हुआ है, आप बता दें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : समाज में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जैसे अभी माननीय सदस्य ने भी फरमाया और जो इस तरह से भावना बनती जा रही है कि एक रुपया लगायेगें 100 रुपया आ जायेगा, बच्चों में जिस तरह की भावनायें पनप रही हैं इसको आप चारित्रिक पतन नहीं मान रहे हैं तो बड़ी अजीब बात है । इसमें आपको चारित्रिक पतन कहीं नजर नहीं आ रहा ?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आप बच्चों की बात कर रहे हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं इस सरकार से बच्चों के चरित्र की उम्मीद नहीं करता । मैं यह समझ रहा था कि आप इसका बड़ी संजीदगी से जवाब देगें....

श्री दिग्विजय सिंह : आप सुन तो लो....

श्री राजेन्द्र पारीक : चरित्र पतन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में आप कोई सही बात नहीं कर रहे है । आपने तो उल्टा यह कह दिया कि आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या । यह दिखाई देने की बात नहीं है । महसूस करने की बात है । जिस परिवार में बच्चे पैदा होकर जिस तरह की बुराइयों में पलते हैं यह उनकी तकलीफ की बात है....

श्री दिग्विजय सिंह : आप टेपरिकार्डर बन्द तो करो । मैं बात करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह टेप रिकार्डर नहीं है । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि जिन बच्चों के बारे में कहा है....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह टेप रिकार्डर सारा आप लोगों ने लगा रखा है, बच्चों के चरित्र निर्माण का कार्य आपके पास रहा नहीं....

श्री दिग्विजय सिंह : इसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सब मामले का हम सर्वे करा लेगें । इसमें बच्चों वगैरह की आदतें बिगड़ी हैं क्या, यह सर्वे के आधार पर ही पता लग सकता है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की अभिव्यक्ति को टेप रिकार्डर की संज्ञा दी जा रही है तो क्या इस तरह की वार्ता करना उचित है? मंत्री महोदय के रिप्लाई से मैं यह उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसी बात कहेंगे जिसमें सदन को सही बात नजर आये। मेरी अभिव्यक्ति को उन्होंने टेप रिकार्डर कह दिया....

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, अगर इनको कुछ गलत लगा हो मैं इसको....

श्री राजेन्द्र पारीक : अभिव्यक्ति का अधिकार सब को है इस तरह से टेप रिकार्डर नहीं है। वैसे भी आप की सरकार से.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मजाक को मजाक के रूप में लिया करो।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : एक ही नम्बर के दो-दो टिकट है, उनके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री दिग्विजय सिंह: मैंने बता दिया न कि सबकी जांच कराऊंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, कल मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि सीकर की नगर परिषद द्वारा रेल विभाग की चार लाख 8 हजार तीन सौ उन्नीस रुपये न जमा कराने की स्थिति में वहां पुरोहित जी की ढाणी स्थित एक रेल मार्ग को बन्द कर दिया गया इससे करीब 30 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। दासा की ढाणी, श्यामपुरा, पुरोहित जी की ढाणी, ऐसे कई गांव हैं जो उस रास्ते से हमेशा आवागमन करते आये हैं लेकिन आज उस रास्ते को बन्द करने से तीस हजार की जो ढाणी हैं, ऊंट गाड़ी से लोग आते थे, जीपों से लोग आते थे। आज हालात यह है कि गांव में अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाये, उसको कन्धे पर डाल कर मले लाना पड़े किसी साधन से नहीं ला सकते—

श्री सभापति : आप इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी से मिल लें। आज आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है। आप आगे रखवाने के लिये उनसे कहें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार को आप इस बात के लिये पाबन्द करें कि ऐसे गम्भीर मसलों पर जिनसे पूरी की पूरी गरीब जनता जुड़ी हुई है, यथा संभव इसका रिप्लाई मिले। अभी तीन दिन बाद एसेम्बेली एडजार्न हो जायेगी उसके बाद रिप्लाइ कहां मिलेगा।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आप अध्यक्ष जी से बात करें।

नीम का थाना उपखण्ड के ग्रामदानी गांवों में कथित अनियमिततायें

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के 131 के अन्तर्गत श्री फूल चन्द (नीम का थाना) सदस्य, विधान सभा, नीम का थाना उपखण्ड के ग्रामदानी गांवों में ही रही कथित अनियमितताओं की ओर राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(90)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मेरा नियम 131 के तहत ग्रामदानी गांवों में हो रही भयंकर अनियमिततायें और परेशानी के संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, ग्रामदानी गांवों का स्वरूप क्या था लेकिन सन् 1960 के लगभग राजस्थान में यह ग्रामदानी स्वरूप 12 जिलों में चालू हुआ। गांव वालों को इनके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी लेकिन अनभिज्ञता के कारण से काफी गांवों को साइन करवाकर के ग्रामदानी में शामिल कर लिया। मेरे सीकर जिले में भी 40 गांव जो नीम का थाना उप खण्ड के है, वह ग्रामदानी गांवों में घोषित हुए। मैं उनसे व्यक्तिगत भी मिला हूं। लेकिन किसी आदमी को ग्रामदानी गांवों के बारे में या उसके स्वरूप के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञता से उन्होंने साइन कर दिये और उनको ग्रामदानी गांव घोषित कर दिया। उन गांवों का कितना दुर्भाग्य है, आज अगर उनकी हालत देखी जाये, आज ग्रामदानी गांवों का स्वरूप इतना विकृत हुआ है कि आज वह काले कानून की तरह दुःख के जीवन जी रहे हैं। आज उनके सामने इतनी भयंकर परेशानी है। न तो उनके यहां राजस्व का रिकार्ड रहता है, न ही पटवारी वगैरह रहता है। न ही वह अपनी भूमि की कहीं बिक्री कर सकते हैं, न स्थानान्तरण कर सकते हैं। न ही वह लोन ले सकते हैं। लोन में उनको सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि उनकी जमीन व्यक्तिगत किसान के नाम से नहीं होती हैं इसलिये नहीं होने के कारण से उनको बैंक में मार्गेज नहीं कर सकते। ग्रामसभा के नाम से ही लोन ले सकते हैं। ग्राम सभा में बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए उनको बैंकों से किसी प्रकार का लोन नहीं मिल पाता है। उनके सामने और भी बड़ी दिक्कतें हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया रखी थी, आज 15-20 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव का एक स्वरूप था कि तीन साल में ग्रामदानी के चुनाव होंगे। अध्यक्ष दो बार माना जायेगा यानि 6 साल लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है कि सन् 75 से कई ग्रामदानी गांवों में चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ऐसी अव्यवस्था हो रही जिससे वह लोग इतने दुखी है कि न तो उनके समय पर चुनाव होते हैं न उनके कोई विकास कार्य होते है। आई. आर. डी. या जे. आर. वाई. के कोई काम नहीं होते हैं क्योंकि पंचायतों के स्वरूप में वह नहीं आते है। पंचायतों की तरह न उनके पास कोई सैक्रेट्री होता है। ग्रामदान के जो अध्यक्ष होते हैं वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इससे उनके सामने बड़ी भयंकर दिक्कत आ रही है। भूमि की बिक्री वह कर नहीं सकते, अनुदान उनको मिलना नही है कोई उनका रिकार्ड होता नहीं है। उनके पास पटवारी नहीं होने के कारण से सारा राजस्व का रिकार्ड उनके पास नहीं होता है। यह बात जरूर है कि 1984 में सरकार उनकी परेशानी को देखकर के और एक संशोधन लाई 1971 राजस्थान अधिनियम 12 की धारा 28 का संशोधन 27 क के तहत कि वह ग्रामदान से अलग होकर पंचायत राज में शामिल हो सकते हैं और प्रारूप-6 के तहत उनको एक विकल्प भरकर

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

देना पड़ता था । 50 प्रतिशत लोग उससे निकल सकते हैं ।

लेकिन सभापति महोदय, हालत यह है कि वहां तो शत प्रतिशत लोग ग्रामदान से इतने दुखी हैं कि वह ग्रामदान से निकलना चाहते हैं । उनका दुर्भाग्य है कि पांच-पांच साल से लोगों ने प्रारूप भर रखे हैं । पांच-पांच साल से उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और उनको इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनकी माली हालत आज इतनी कमजोर हो गई है, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है । आज स्वतन्त्रता में पराधीनता का रूप देख रहे हैं । इससे बड़ी क्या दुर्लभता होगी कि पांच साल में केवल उनके प्रार्थनापत्रों को तस्दीक करना है कि जो उन्होंने साइन किये हैं वह सही हैं कि नहीं हैं । यह सारी अनियमिततायें हो रही है । जिससे ग्रामदानी गांवों के लोग बहुत दुखी हैं और उनके सामने इतनी भयंकर परेशानी है कि कितनी तत्परता से उनको ग्रामदानी गांवों से अलग करें इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा वह घोषणा करें कि जहां ग्रामदानी गांवों से शत प्रतिशत लोग निकलना चाहते हैं वहां उपखण्ड अधिकारी गांव के बीच में जाये, खुद रिकार्ड लेकर के जाये । प्रारूप में एक भयंकर दिक्कत और भी है । मेरे पास रिकार्ड है दस गांवों के लोगों ने फार्म भर के तो दे रखे हैं । 46 गांव है 46 के 46 गांव देने को तैयार है लेकिन उनके पास रिकार्ड नहीं, प्रारूप जमीन का रकबा खसरा नं. सारा दिखाना पड़ता है इसके बाद में प्रारूप भरने पड़ते हैं । पटवारी नहीं होने के कारण तहसीलदार जबाब देता है कि हमारे पास रिकार्ड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

जबकि दुर्भाग्य यह है कि उनकी जमीन जब नियमन का मामला आता है । मैं भी नियमन कमेटी का मेम्बर रहा हूं । जब नियमन करने की बात आई तो यह कह करके उनको टाल दिया कि यहां व्यक्ति विशेष या किसान के नाम से जमीन नियमन नहीं हो सकती । ग्राम सभा के नाम से हो सकती है और ग्राम सभा में तो बहुत सारे काश्तकार होते हैं, सब के नाम से वह हो नहीं सकती । इससे जो इतनी दिक्कतें होंगी, उनसे पेनेल्टी तो वसूल की जाती है लेकिन जब नियमन का मामला आता है तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि ग्राम सभा के नाम से ही वह नियमन होगी तो ऐसी भयंकर परेशानी है । पिछले 5 साल से लगातार इस मामले को मैं उठा रहा हूं और मेरी तहसील का दुर्भाग्य है कि 46 गांव इस भयंकर स्थिति में है । यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं । वे भी इसके बारे में सब कुछ जानते हैं । मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए अपने जवाब में घोषणा करें जो गांव शत-प्रतिशत इस ग्राम दान से निकलना चाहते हैं, 37 (क) के तहत प्रारूप भरने के लिए तैयार हैं उनमें वे ऐसी व्यवस्था करावें कि वहां उपखण्ड अधिकारी गांव के बीच में जावें, सारे रिकार्ड लेकर जावे और गांव वालों की राय ले करके वहां पर तस्दीक करके उनका

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

फैसला कर दें। यह कहीं नहीं छोड़ें कि ग्रामदानी अध्यक्ष की राय लेने पर ही उनका फैसला हो। 5-5 साल से फार्म भर रखे हैं 5-5 साल से उन फार्मों पर कार्यवाही नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : ग्रामदानी है या सूरमा दानी है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मुझे बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं इस प्रसंग में और....

श्री सभापति : माननीय श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर, मैं मेरा सुझाव माननीय सदस्य नीमकाथाना से आये हुए जो हैं, मैं शामिल करता हुआ मांग करता हूं कि जिला बांसवाड़ा में 38 ग्रामदानी गांव है। जिस वक्त संत बिनोबा भावे ने हमारे राजस्थान का दौरा किया। उस वक्त बिनोबा भावे का यह उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों को भूमि दान की जा कर ग्रामदानी गांव बनाया जा कर दी जाय। लेकिन आज यह रूप बदल दिया गया है। एक तरह से जागीरदारी प्रथा बन गई है। वहां उत्तराधिकारी नामान्तरण जो होते हैं, वह संस्था के नाम होते हैं, और जो इनका अध्यक्ष है चुनाव नहीं होता। बाप मरता है तो बेटा अपने आप उत्तराधिकारी हो जाता है और उस संस्था का अध्यक्ष मान लिया जाता है। ऐसी संस्थाएं बांसवाड़ा जिले में 38 हैं। मेरी मांग है कि यह तुरन्त भंग की जाये और ग्राम पंचायत के नाम घोषणा की जावे और इनमें चुनाव कराने के आदेश किये जाये। अध्यक्ष नामान्तरण खोलता है, वह नामान्तरण की अपील ए. डी. एम. कोर्ट में न हो करके किसान उस अध्यक्ष के द्वार पर ही खड़ा हो जाता है। न किसी अन्य कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की एक कठोर संस्था दबी पड़ी हुई है। राजस्थान के उच्चाधिकारियों की निगाह में नहीं हैं। पूरी जांच कराई जा करके जितनी भी इस प्रकार के ग्रामदानी गांव है उनको भंग किया जावे और ग्राम पंचायतों का रूप धारण किया जावे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, ग्राम दान और भूदान की जब प्रश्न उठा था और शुरू हुआ था जब समझा गया था कि ये ग्राम समाज में क्रान्ति का रूप धारण करेगी और नई कल्पना की गई थी आचार्य विनोबा भावे द्वारा और जो कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने बताई है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति करने की बजाय जागीरदारी प्रथा के रूप में हो गई है। उन कठिनाइयों को राज्य सरकार महसूस करती है और निश्चित रूप से उन कठिनाइयों का निवारण करने के लिए सक्रिय कारगर कदम उठायेगी। घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इनकी सूचना नहीं है मेरे पास लेकिन नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन 46 ग्रामों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान ग्रामदान

(93)

(श्री नत्थीसिंह)

अधिनियम 1971 की धारा 11 के तहत ग्राम दानी गांव घोषित किये जाते हैं। अब तक राज्य में 214 गांव ग्रामदानी घोषित किये गये हैं जिनमें से जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना में 46 गांव ग्रामदानी गांव घोषित किये हैं। ग्रामदानी गांव के किसानों को बैंकों से ऋण मिलने में कठिनाई का निवारण करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31-1-85 को स्पष्ट कर दिया गया कि बैंकों द्वारा ऋण ग्राम सभा की प्रतिभूति पर दिया जाना चाहिये जिससे ऋण की वसूली करने में ग्राम सभा का उत्तरदायित्व भी रह सके। ग्राम दान किसान की भूमि राजस्व रिकार्ड में ग्राम सभा के नाम अंकित होती है न कि ग्रामदान किसान के नाम। ग्रामदान अधिनियम की धारा 27 के खण्ड (ख) में ग्राम दान विकास को अधिकार है कि ग्राम सभा से लिखित में पूर्व अनुमति के रूप में अपने हित को सहकारी संस्था के पक्ष में धन प्राप्ति के लिए बंधक के रूप में अन्तरित कर सके। ग्रामदान अधिनियम की धारा 27 के तहत ग्रामदान किसान अपनी भूमि का अन्तरण ग्रामदान सभा की बिना अनुमति के नहीं कर सकता। भूमि का अन्तरण ग्रामदान समुदाय के ही किसी सदस्य को किया जा सकता है। अनुसूचित जाति या जनजाति का ग्रामदान किसान अपनी भूमि का अन्तरण अनुसूचित जाति या जनजाति के ग्रामदानी किसानों को ही कर सकता है। उक्त प्रावधान ग्रामदान की व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक है। ग्रामदानी ग्राम का लगान ग्राम सभा द्वारा वसूल किया जाता है। यह कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। ग्रामदान नियम 15 में कार्य समिति के सदस्यों व अध्यक्ष की कार्यावधि तीन वर्ष की है। ग्राम सभा की कार्यपालिका के चुनाव कराने का दायित्व ग्रामदान बोर्ड का हैं। ग्रामदान नियमों के नियम 12 के उपनियम (4) में पूर्व में कार्यपालिका के सदस्यों के चुनाव के लिए सर्व सम्मति या सर्वानुमति आवश्यक थी। इस प्रावधान से चुनाव सम्पन्न होने में बाधा को देखते हुए इस नियम में राज्य सरकार द्वारा 1987 में संशोधन कर कार्यपालिका समिति के चुनाव हेतु 2/3 बहुमत का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष, ग्रामदान बोर्ड के अनुसार नीम का थाना तहसील के कुछ ग्राम दानी गांवों में 2/3 बहुमत भी नहीं होने के कारण चुनाव सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। नीमकाथाना तहसील में 38 ग्रामदानी गांवों की कार्यपालिका समिति के चुनाव हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं। ग्रामदान बोर्ड को उक्त कार्यपालिका समिति के चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

ग्रामदानी गांवों के ग्रामदान समुदाय से बाहर जाने हेतु प्राप्त घोषणा पत्रों पर ग्रामदान अधिनियम की धारा 37 (क) में निर्धारित एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हैं। जहां किसी ग्रामदान ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्ति ग्रामदान समुदाय से बाहर जाने के विकल्प घोषणा प्रस्तुत करते हैं, वहाँ कलेक्टर ऐसी घोषणाओं को सत्यापन, जाँच और रिपोर्ट के लिए उस गांव के उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित

(94)

(श्री नत्थीसिंह)

करेंगे। उपखण्ड अधिकारी जांच हेतु बैठक की तिथि, स्थान तथा समय की सार्वजनिक सूचना करेगा। उक्त अधिकारी द्वारा जाँच की सम्यक् सूचना के पश्चात् जांच प्रक्रिया में ग्रामदान बोर्ड का अध्यक्ष या नामांकिती संहयुक्त होना चाहे तो सहयुक्त हो सकता है जांच रिपोर्ट में ग्रामदान के 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्तियों द्वारा ग्रामदान समुदाय से बाहर होने का विनिश्चय हो जाने पर जिला कलेक्टर, ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यह घोषणा कर सकता है कि उक्त गांव ग्रामदानी गांव नहीं रहेगा।

तहसील, नीमकाथाना के ग्रामदानी गांवों के ग्रामदान से बाहर जाने का प्रकरण वर्ष 1985 से विचाराधीन है। 46 ग्राम दानी गांवों में से 10 गांवों के पात्र व्यक्तियों ने विकल्प घोषणा प्रस्तुत किये हैं। जांच कार्य में अध्यक्ष, ग्रामदान बोर्ड या उसके नामांकिसी द्वारा निश्चित तिथि को उपस्थिति नहीं होने से जाँच कार्य में प्रगति नहीं हो रही है। अतः कलक्टर, सीकर को दिनांक 16 जून, 1990 को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अध्यक्ष, ग्रामदान बोर्ड को स्पष्ट कर दिया जावे कि वे या उनके नामांकिसी जांच प्रक्रिया में वास्तव में सहयुक्त रहने का आशय रखें तो उक्त प्रक्रिया में मौके पर उक्त दिन अवश्य सम्मिलित होवें, उनकी अनुपस्थिति में यह समझा जावेगा कि ग्रामदान बोर्ड जांच प्रक्रिया में सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है। इस ग्रामदान बोर्ड ने यह मत व्यक्त किया है कि वे ग्रामदान किसानों को यह ग्रामदान समुदाय में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

अब तक तहसील नीमकाथाना में निम्न गाँवों के घोषणा विकल्पों की जांच उनके सामने अंकित तिथियों को की गई है :

गाडराना	15-6-90
कालीखेड़ा	16-6-90
रिण्डाना	21-6-90
लाढी का बास	22-6-90
ढाणी बाधा वाली	23-6-90
ढाणी नवीडतन	23-6-90
गोविन्दपुरा	23-6-90

उपरोक्त में से गांव गाडराना और रिण्डाना की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी गई है शेष की जांच सीज करके रिपोर्ट देने के निर्देश कलक्टर को जारी किये जा रहे हैं। कलक्टर इस मामले में शीघ्र निर्णय करे ऐसे निर्देश दिये जा रहे हैं। इसके साथ साथ यह हमने किया है जिससे ग्रामदान बोर्ड एक तरह से उनको जाने नहीं देता कठिनाइयों के निवारण के लिए। माननीय सदस्यों ने वास्तव में जो बहुत सी कठिनाइयां बताई हैं उनको दूर करने की नीयत से राज्य सरकार सारे ग्रामदान बोर्ड एक्ट का पुनर्विचार करेगी और जो कठिनाइयां हैं उनके निवारण के लिए सक्रिय कदम उठायगी।

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्द गुर्जर ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : सभापति महोदय, मेरे एक मूल प्रश्न के जवाब से ही सारी समस्या हल हो जाएगी । क्या मंत्री महोदय नियम 37–क में संशोधन करने की, कार्यवाही का इरादा रखते हैं ? अगर रखते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एस. डी. एम. को निर्देश दें कि रिकार्ड लेकर ग्रामदानी गांवों के बीच में जाय और वहां शत प्रतिशत लोग इस प्रारूप को भर करके इसकी जांच के लिए देने को तैयार हैं । अगर ऐसा हुआ तो उनसे मुक्ति मिल जायगी । नहीं तो उनकी न कोई कार्यवाही होनी, न फायदा मिलना । यह करके कि उनको नई सुविधाएं दे रहे हैं, न तो कोई भूमि बेच सकते, न लोन ले सकते, लोन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक व्यक्ति विशेष के नाम जमीन नहीं होती । वह बैंक को मोर्टगेज नहीं कर सकता क्योंकि ग्राम सभा के दो-तीन सौ घरों की जमीन को कौन एक आदमी के लिए मोर्टगेज करेगा । यह बहुत बड़ी परेशानी है और पटवारी न होने के कारण उनका सारा रिकार्ड ऐसा दबा हुआ पड़ा है कि उनको मालूम ही नहीं कि उनके हक में कितनी जमीन है । न जमीन बेच सकते, न खरीद सकते । इसलिए मैं तो यह पूछना चाहूंगा कि 37–क के तहत जो ग्रामदान से अलग होकर जो पंचायती राज में शामिल होना चाहते हैं, इसकी पालना करने के लिए तैयार हैं क्या ? अगर तैयार हैं तो उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दें कि वह गांव में बैठ करके वहां फार्म भरवाये और वहीं तस्दीक करके वहीं फैसला करें । पांच साल से लोग बैठे हुए हैं फार्म भर करके वह फिर पांच साल तक बैठे रहेंगे । इसलिए उनका नुकसान हो रहा है । इसका जवाब दे दें ।

श्री सभापति : माननीय श्री नवनीत लाल निनामा ।

श्री नवनीत लाल नीनामा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं क्या कि ग्रामदानी गांव समाप्त करने की अपीलें कुशलगढ़ एस. डी. एम. कार्यालय में दबी पड़ी हैं क्या उन मिसलों को देख करके आप कोई निर्णय लेने का विचार रखते हैं ?

श्री सभापति : माननीय श्री टीकम चन्द कांत ।

श्री टीकम चन्द कांत : सभापति महोदय, सिरोही जिले में अनादरा गांव ग्रामदानी गांव है । नियमों से ऐसा है कि इसका अध्यक्ष तीन साल के लिए एक बार चुन लिया जाता है । दूसरी बार चुनाव होते हैं तो लगातार तीन वर्ष के लिए चुना जाता है । अनादरा में ऐसी स्थिति है कि तीन वर्ष के लिए पहले चुना गया, उसके बाद दूसरे तीन वर्ष के लिए चुनाव भी नहीं हुए और 6 वर्ष की अवधि भी समाप्त हो गई फिर भी इसका अध्यक्ष अभी तक वहीं बैठा हुआ है और सारी कार्यवाही कर रहा है तो क्या नियमों में प्रावधान है कि उसको हटा करके प्रशासक नियुक्ति किया जा सके ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय,

(9?)

(श्री नत्थीसिंह)

पहली बात तो जो नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, यह बात सही है पिछले पाँच वर्ष से उनके 10 गांवों का मामला अटका पड़ा था लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दो महीनों से सारी कार्यवाही करके 6 गांवों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है कलक्टर को भेजी जा रही है, चार की भी जल्दी ही हो जाएगी लेकिन यह सही है कि जो कठिनाइयां ग्रामवासियों को आती है उसके लिए धारा 37–क में यह संशोधन किया जाय कि एस. डी. ओ. वहां जाकर के उसका रिकार्ड ले जाय और जो लोग अलग जाना चाहते हैं तो वहीं उनकी सारी तस्दीक हो, फार्म भरवा लिए जाएं। इस संशोधन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस पर विचार करेंगे और एक जो चुनाव की बात को तो पहले शतप्रतिशत सर्वानुमति से ही चुनाव होते थे। अब हमने 2/3 का संशोधन किया है। इसमें भी कठिनाइयां आ रही है तो इस प्रावधान का भी संशोधन किया जा सकता है और कठिनाइयों निवारण के लिए जैसा मैंने कहा पूरे ही अधिनियम पर पुनर्विचार करके उनके निवारण की कार्यवाही की जाएगी इसमें कोई दो राय नहीं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : जो नियमों के विरुद्ध बैठे हुए हैं....

श्री नत्थीसिंह : वह सब निकलवा लेंगे। ग्राम सभा के मामले में यहां कई बार आया प्रशासक लगाना तो अच्छी बात नहीं क्योंकि ग्रामदानी गांव है। ग्राम सभा सब कुछ करने वाले है। वहां एक बैठा है बहुत पहले से उसका चुनाव हो जाय इसकी तो व्यवस्था करेंगे लेकिन ग्रामदानी ग्रामों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री टीकमचन्द कान्त : अवधि पार बैठा है उसका क्या होगा ?

श्री फूलचन्द : यह बात सही है कि आपने कह दिया कि उपखण्ड अधिकारी को भेजने की व्यवस्था करेंगे लेकिन इसमें समय लग सकता है। क्या मंत्री महोदय वहां कोई सचिव नियुक्त करके या पटवारी से उनकी कार्यवाही शुरू करवायेंगे ? उनके सामने यह दिक्कत आ रही हैं कि कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहे हैं। एक प्रश्न और है जैसा माननीय टीकमचन्द जी ने सही कहा था कि जो 15-15 साल से नियम विरुद्ध बैठे हैं उनको आप भंग करके जब तक चुनाव नहीं हों तब तक उनको कोई पावर नहीं रहे इसका जबाब और दे दें।

श्री टीकमचन्द कान्त : उनका वैधानिक समय खत्म हो गया है।

श्री नत्थीसिंह : आप कहते हैं तात्कालिक चुनावों की व्यवस्था करवाई जाय, तो रूल्स में, नियमों में क्या संशोधन इसके लिए किया जाय, यह भी करेंगे और आपसे बैठ कर बात कर लेंगे।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1990 पर विचार

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय भैरोंसिंह जी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, आज हम इस सदन में राजस्थान का सन् 1990-91 का बजट पास करने के लिए विनियोग विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सभापति महोदय, 27 तारीख को राजस्थान के वित्त मंत्री माननीय मुख्य-मंत्री जी ने राजस्थान का बजट यहां पर प्रस्तुत किया। किसी भी प्रान्त की वार्षिक प्रगति और योजना के दो डाकूमेंट हमारे सामने होते हैं। एक तो वर्ष के प्रारम्भ में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और दूसरा वित्त मंत्री जी का बजट भाषण जो इस विधान सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सदन में इस बार काफी चर्चा हुई। मैंने इस भाषण को आरम्भ से अन्त तक पढ़ा। इसमें एक बात की आलोचना की गई कि हमको विरासत में कांग्रेस ने राजस्थान का कैसा स्वरूप सौंपा है और उसको सुधारने के लिए आगे क्या-क्या करना चाहते हैं? सामान्यतया इस भाषण में हमें जो पढ़ने सुनने को मिला कि आज जो पार्टियां सरकार में है उन्होंने चुनावों के मौके पर जो घोषणा की थी। यह सोच करे कि उनको अगर शासन मिल जाएगा तो राजस्थान की प्रगति में क्या-क्या काम करेंगे? उनका उल्लेख उस अभिभाषण में किया गया आपकी अपनी नीतियों, घोषणाओं का उसमें उल्लेख हो लेकिन उल्लेख मात्र से ही काम नहीं चलता जब तक उनकी क्रियान्विति के बारे में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट बात नहीं कही जाय जिसकी हम अपेक्षा करते थे, माननीय मुख्य-मंत्री जी की वित्त मंत्रालय का काम देख रहे हैं उनके भाषण में शायद वह सब बातें आयेगी जिससे राजस्थान के भविष्य के बारे में उन्होंने जो तस्वीर बनाई उसको कामयाब करने में वह शायद आगे बढ़ने के लिए कोई स्वरूप इस विधान सभा में रखें लेकिन जब भाषण देखा तो उसमें राजस्थान के लिए कोई भी नई योजना नहीं बताई गई। कांग्रेस के जिस पीरियड की आलोचना की गई उसी कांग्रेस के कार्यों को ही आगे बढ़ाने की दृष्टि से अपने-अपने भाषण में कुछ बातें बताई हैं लेकिन जो घोषणा चुनावों के दौरान की थी लोगों के समक्ष उनके बारे में इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब तक बजट प्रस्तुत नहीं हुआ था

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लगता था माननीय मुख्य मंत्री जी, माने हुए नेता जिन्होंने काफी बातें राजस्थान के विकास के लिए विपक्ष के नेता के रूप में भी वहां सदन में कही थी उनके बजट भाषण में हम सोचते थे कि राजस्थान को प्रगति का एक नया रूप देखने को मिलेगा लेकिन नतीजा—खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस भाषण में हम को कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसके बारे में हम कह सकें कि आप अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी इसमें दर्शाया हो।

सभापति महोदय, किसी भी शासन की आलोचना करना एक बात हो सकती है। वह बारम्बार कहा जाता रहा है कि कांग्रेस ने चालीस वर्षों के अन्दर इस राजस्थान में विकास के लिए कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस ने हमको खजाना खाली सौंपा। आगे के लिए भी हम कुछ करने का विचार रखते है। लेकिन हमारे पास आर्थिक दृष्टि हमें स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई मिली है हमें कि हम राजस्थान का आर्थिक विकास भी नहीं कर सकते। सभापति महोदय, यह तो माना हुआ सिद्धान्त है कि कोई भी विकासशील देश हो, या कोई भी विकासशील प्रान्त हो उस प्राप्त के अन्दर कभी भी आर्थिक स्थिति बजट बनाते समय इतनी सुदृढ़ नहीं मिलेगी, जितनी आप कल्पना कर के चलते है। कांग्रेस शासन के अन्दर बराबर हमने राजस्थान का विकास किया एवं जिस विकास के आधार पर आज आप आगे बढ़ना चाहते। अपने बजट भाषण में भी आपने उसी को आधार माना है। यहां जितनी भी डिमाण्डस पास हुई, जितनी भी चर्चा की गई, उनके प्रगति विवरण जो वहां पर वितरित किये गये हैं, उनमें भी राजस्थान में कांग्रेस द्वारा जो कुछ किया गया है, उसी को आधार मानकर के, उसी को प्रगति मानकर के आप आज आगे बढ़ना चाह रहे है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि इस अभिभाषण में जो क्रिया आपने बताई है जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में यह अपेक्षा करके चलना कि शासन जब खत्म होगा, साल जब पूरा होगा, उस वक्त खजाने के अन्दर कुछ रुपये मिलेगा मैं समझता हूं कि विकासशील प्रान्त के लिए यह सही बात नहीं है। क्योंकि जो भी टैक्सेज, जो भी सरकार होगी, वह टैक्स जनता पर लगायेगी तो जनता यह अपेक्षा करती है कि आप जितने भी रिसोर्सेज़ जनता से इकट्ठे कर रहे है। उनको जनता के विकास के ऊपर आप खर्च करे। जनता आपको इसलिए टैक्स नहीं देती कि उनको संग्रह करके उनको खजाने के अन्दर एकत्रित कर दे। जो कुछ भी कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल के अन्दर जो टैक्सेज लगाये थे। उन टैक्सेज का सदुपयोग किया और नतीजा था कि वह खजाना साल के अन्त में तो खाली मिलना था। वह खजाना आपको मिला। अभी चुनाव के पहले न तो आप यह कह सकते थे और न कांग्रेस यह कह सकती थी कि आने वाली सरकार कौन-सी बनेगी? किस की बनेगी? किस की बनेगी? किस पार्टी की बनेगी? अगर सम्भदा वह कांग्रेस की सरकार बन जाती तो क्या कांग्रेस उस खजाने को खाली देखकर के आगे कोई काम नहीं करती? हर सरकार जो आती है उसे आगे के कार्यों के लिए सोर्स

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मोबिलाईज करने होते है। अपना एक कार्यक्रम बनाना पड़ता है। जिसके आधार पर जनता से पैसा भी लिया जाता है, जिसके आधार पर खजाने में पैसा भी आता है। उसी के आधार पर विकास भी किया जाता है। तो वह कर के कि हमें राजस्थान का खजाना खाली मिला इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम आगे का प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं कर सकते। केवल जो कुछ पीछे किया गया है उसको कन्सोलिडेट करने का काम करेंगे। पीछे किये हुये को तो मानते भी नहीं। पीछे किये हुये के लिए तो आप कहते है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आता फिर आप कन्सोलिडेट करने की बात कहकर के क्या कहना चाहते हैं ? किस बात को कन्सोलिडेट करने की बात आप करना चाहते है ? इसका मतलब आप किसी तरह से मानते तो है कि कांग्रेस के पिछले चालीस वर्षों के अन्दर और गत वर्ष भी पिछले पांच वर्षों के अन्दर इस राजस्थान के विकास के लिए काम किया। उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिसको आपने भी जो भाषण दिया है एवं जो बजट आपने प्रस्तुत किया है, उसमें भी आपने इसको माना है। केवल यह कह करके कि हमें जो स्थिति विरासत में मिली है, उस विरासत के अन्दर हमें काफी कुछ दूसरे रिसोर्स मोबिलाइज करके करना पड़ेगा। तो निश्चित बात है, सभापति महोदय, सोर्सेज तो आपको मोबिलाइज करने होंगे। सोर्सेज मोबिलाइज किये बिना आप किसी भी प्रान्त को आगे बढ़ा नहीं सकते। केवल इस आधार पर एक पोलिटिकल आधार बनाकर आप चलना चाहते है राजस्थान की जनता को आप कुछ कहना चाहते है कि हम कुछ नहीं कर पाये तो दोष हमारा नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर पाये तो दोष कांग्रेस का होगा कि कांग्रेस ने हमारे लिए यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा इसलिए हम कुछ नहीं कर पाये। यह कहने से आप बच नहीं सकते। सभापति महोदय, आपने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के आधार पर राजस्थान की जनता ने आपको वोट दिया है। यहां पर यह भी कहा गया कई बार कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकारा नहीं है। राजस्थान की जनता आपको शासन में लाई है वह दो-तीन मुद्दों के ऊपर लेकर आई है। आपने जो मीठी-मीठी बातें कहकर के उनको जो स्वप्न दिखाये इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद यह नई सरकार आ जायेगी तो वे स्वप्न पूरे कर पायेंगी। आपने कहा था कि किसानों के दस हजार रुपये तक के कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। राजस्थान के किसानों ने सोचा कि ऐसी सरकार आ जाये तो हमें क्या चाहिए जो कि हमारे सब कर्ज ही माफ कर दे। मूलतः कोई भी किसान इस बात को नहीं चाहता कि हमारे कर्जे माफ हो। जो किसान मेहनत कर के काम करता है वह चाहता है कि मैंने जो कर्जा लिया है वह मैं चुकाना चाहता हूं। लेकिन आपने यह घोषणा की कि दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर दिये जायेंगे। आपने यह दस हजार रुपये की कर्जा माफी की बात कह कर के किसानों को अपनी ओर आक-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

षित किया। आपने नौजवानों को आकर्षित किया कि हम हर हाथ को काम देगें, बेरोजगारी हम मिटा देगें। यह कहकर के आपने नौजवानों को आकर्षित किया है। आपने रूढ़िवादी लोगों को आकर्षित किया। धर्म के नाम पर कि हम राम मन्दिर बनाकर के....।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो पन्द्रह हजार रुपये का किया था....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसका भी बता रहा हूं, आप बैठिये। सभापति महोदय धार्मिक....।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए तो कांग्रेस को नकारा नहीं, कांग्रेस को तो फटकारा है....।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने लोगों की धार्मिक भावनाओं को उजागर करके आपने लोगों के वोट लेने की बात थी। सभापति महोदय, कुछ ऐसे मुद्दे लोगों के के सामने रख दिये जो मुद्दे लोगों के मनों को टच करने वाले थे। उनके दिल तक पहुंचने वाले थे। उस आधार पर उन्होंने आपको वोट दिया है। इसलिए नहीं कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस ने अब तक कुछ काम नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस केवल ढाई वर्ष छोड़ दीजिए, बाकी लगातार चालीस वर्षों तक शासन करते हुये चली आ रही थी। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो प्रत्येक पांच वर्ष के बाद कभी भी राजस्थान के लोगों ने इतने भारी बहुमत से नहीं जिताया होता नहीं हिन्दुस्तान के लोगों ने कांग्रेस को जिताया होता। आपने मूल्यों की राजनीति की बात कही थी कि हम राजनीति के अन्दर शुद्धिकरण लायेंगे। मूल्यों की राजनीति की बात कहकर के आपने लोगों को कहा था कि सम्भवतः कुछ ऐसी बातें आ जायेंगी। भ्रष्टाचार की बात कहकर के आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। ये सब बातें कहकर के आपने लोगों को लुभाया और लुभाकर के आपने लोगों से वोट हासिल किये है। इसलिए नहीं कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कहीं पर भी कांग्रेस की आलोचना करके किसी भी चुनावी आम सभा में कह कर के वोट हासिल नहीं किये। तो यह कहना कि राजस्थान में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है कि वह अपने आप को भ्रम में रखना है। राजस्थान के लोगों से आपने एक धोखे के आवरण से आपने जो वोट हासिल किये हैं वह चीज आज भी आप इस बजट के माध्यम से भी कहना चाहते है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दस हजार रुपये की जगह आपने पन्द्रह हजार रुपये तक के कर्जे की बात की थी। सही बात है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पन्द्रह हजार रुपये तक के कर्जे माफीकी बात कही थी लेकिन किस वक्त कही थी? जब देश के अन्दर राष्ट्रीय स्तर पर नई सरकार बन गई थी। वहां पर उस सरकार ने फैसला किया था कि दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करेंगे तो राज्य सरकारों को भी उसकी अनुपालना में कुछ निर्णय लेने थे। इसीलिए वह निर्णय लिया। बाकी उससे पूर्व जब तक देश के अन्दर कांग्रेस

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की सरकार थी कभी भी किसी भी प्रान्त की सरकार ने इस बात को नहीं कहा कि हम कर्जा माफी के लिए सहमत हैं। आज भी मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, यदि सैद्धान्तिक आधार पर मुझे पूछा जाये तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कर्जा माफी की बात केवल मिथ्या होगी। लोगों को ऐसे रास्ते पर लाने वाली बात होगी जो इस देश की इकोनोमी को शटर कर देगी।

सभापति महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस राजस्थान के अन्दर एक नेता के रूप में जाने जाते है, ने भी इस बात को स्वीकार करेंगे....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय देवपुरा जी महाराष्ट्र में भी तो माननीय श्री शरद पंवार जी ने कर्जे माफ किये हैं। आप कह रहे कि कांग्रेस ने कहीं नहीं किया (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपने तो खाली घोषणा की थी।

(2·00 म. प)

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने नाजायज कब्जे करने की कार्यवाही पर एक प्रतिबन्ध लगाया था। हमने लोगों से कहा था कि नाजायज कब्जे करने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे एवं बरसों से इस बात को कहा जा रहा है सन् 77 में जब आपकी सरकार थी तब भी आपने कहा था। लेकिन इस नाजायज कब्जों को रेगुलराइज करने वाली बात कहकर के हमने क्या मनोवृत्ति पैदा कर दी विज्ञान के अन्दर। आज नाजायज कब्जे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। नतीजा यह है कि हम बराबर उनको रेगुलराइज करते हुये चले जा रहे है। आदत सी पड़ गई है लोगों की वे नाजायज कब्जा करे। यह डेमोक्रेटिक सेट—अप है। यह वोट का राज है। ये मानकर चलते हैं कि हमारा नाजायज कब्जा एक दिन रेगुलराइज होगा। यही स्थिति हम कर्जों के बारे में कर देंगे कि दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया तो लोग सरकार से कर्जा लेंगे सरकार से यह सोचकर की आने वाले समय में कर्जा माफ होने वाला है। यह स्थिति पैदा हो जायेगी। सभापति महोदय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या स्थिति होगी राजस्थान की इकोनोमीक थी? क्या स्थिति होगी देश की इकोनोमीकी? क्या स्थिति होगी इस देश के बैंकों की? इन पर जरा अंदाजा लगाइये। फिर ये बातें कीजिए। मैं समझता हूं कि घोषणा तो आपने कर दी। एवं जब बजट पेश करने का समय आया तो आप उस बात को ठीक तरह से कर नहीं सके। आपने जो घोषणा पत्र चुनाव के अन्दर जारी किया था। चाहे वह जनता दल की पार्टी का ही घोषणा पत्र हो और चाहे वह भाजपा का घोषणा पत्र हो, आपने स्पष्ट कहा है उसमें, कि हम दस हजार रुपये तक के कर्जे काश्तकारों, दस्तकारों और कामगारों के जो कर्जे लिये गये वे हम माफ करेंगे। लेकिन आपने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अपने बजट के अन्दर इस बात को केवल औपचारिकता निभाने की दृष्टि से, आपकी मंशा नहीं थी कर्जे माफ करने की। मैं जानता हूँ कि आपके मन में यह भावना भी नहीं हो सकती कर्जा माफ करने की, इसलिए कि यह ठीक सिद्धान्त नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहता कि आपकी भावना नहीं है इसलिए कहता हूँ कि यह ठीक सिद्धान्त नहीं है। गहराई से अगर सोचते है तो आपको भी लगता है कि यह कर क्या रहे है? आपने इसमें कई इफ और बट इस तरह लगा दिये, कई अगर ऐसे लगा दिये. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है उसमें से भी आपका कुछ खर्च होने वाला नहीं है। राजस्थान के एक किसान का कर्जा माफ होने वाला नहीं है जब तक कि वह इफ और बट की पूर्ति नहीं करे। सभापति महोदय, कर्जा माफी के अन्दर आपने बताया कि 1986 के पूर्व के कर्जे जो 2 अक्टूबर, 1989 को ओवर ड्यू थे उनके 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ-आपने जब कर्जा माफी की घोषणा की तो कुछ लोगों ने ओवर ड्यू करना शुरू कर दिया लेकिन जो ईमानदार काश्तकार थे जिसने समय पर अपनी किश्ते जमा करा दी, उसके लिए आपने क्या किया, उसकी ईमानदारी का आपने क्या इनाम दिया? आप उन लोगों के कर्जे माफ करना चाहते हैं जो जानबूझकर ओवर ड्यू कर गये, ओवर ड्यू बनने की आड़ में आपसे कर्जा माफ कराना चाहते हैं। लेकिन जिसने रेगुलर किश्तें अदा कीं। समय पर अपनी किश्तें जमा करवाई और आज उस पर कुछ रुपया बाकी है, आपके इस आधार पर उसका कर्जा माफ होने वाला नहीं, जो कुछ भी उसका बाकी है वह भी माफ होने वाला नहीं है। आप केवल ओवर ड्यू को माफ करने की बात करके चलना हैं। इसी तरह से सन् 1986 से 1989 के बीच में जो कर्जे कॉपरेटिव बैंक से लिये गये हैं उन पर भी आपने शर्त लगा दी कि वहाँ पर अकाल की वजह से अगर उसकी कर्ज अदायगी की क्षमता नहीं रही है तो हम उसका कर्जा माफ करेंगे और उसमें भी आपने कह दिया कि सर्टिफिकेट लाकर देना पड़ेगा। किसके पास भेजना चाहते हैं आप? एक तरफ भ्रष्टाचार बंद करने की बात कहते हैं फिर आप एवेन्यूज खोल रहे हैं, उन लोगों को उनके पास भेजकर कि वह सर्टिफिकेट लेकर आए। एक-एक इन्डीजुअल का रिकार्ड तो उसके पास है नहीं। साधारणतः जनरल रिकार्ड बनाया जाता है। जितने गाँव अभावग्रस्त है उनकी पैदावार को देखकर वह स्थिति बनी है। इन्डीजुअल की बात आयेगी और वह सर्टिफिकेट लेने जायेगा तो अन्दाजा लगा लीजिए कि आज जो परिस्थितियां बनी हुई है उन परिस्थितियों में उसको कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? क्या वह सर्टिफिकेट लाने में सक्षम हो सकेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि न उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और न कभी उसका कर्जा माफ होने वाली बात होगी। इसलिए आपने जो 170 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है वह प्रोविजन किया 170 रुपये का प्रोविजन भी आपका खर्च होने वाला नहीं है। वह प्रोविजन भी आपका यों का यों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बचेगा । एक तरह से आपने अपने बजट के घाटे का पूरा करने का सम्भवतया ववेश्चन रखा है उसमें कि इस तरह की बात करके चले कि कुछ पैसा बच जाय तो घाटे की पूर्ति के अन्दर उसका समावेश किया जा सके । सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से आप दूसरी घोषणाओं को लीजिए । आपने बेरोजगारी मिटाने के लिए घोषणा की कि हम नौजवानों की बेरोजगारी मिटायेंगे । जैसा मैंने अभी बताया था कि नौजवानों को आपने एक लुभावनी बात कह कर अपनी ओर आकर्षित किया, अच्छी बात है। लेकिन आपने बजट प्रावधानों के अन्दर कहीं पर तो आप बतायें कि ऐसा प्रोग्राम हमने लिया है जिसकी वजह से राजस्थान की बेरोजगारी मिट जायेगी । आपने वही प्रोग्राम लिए हैं, पुराने बजट भाषण उठाकर आप देख लीजिए, जो-जो कार्यक्रम उन पुराने बजट भाषणों में आपको मिलेंगे, वही कार्यक्रम आपने लिए हैं तो क्या बेरोजगारी आप मिटायेंगे ? जब उन कार्यक्रमों में आपका यह मानना रहा है कि राजस्थान की बेरोजगारी नहीं मिटी तो आप इन कार्यक्रमों से कैसे राजस्थान की बेरोजगारी मिटा सकेंगे, किस प्रकार नौजवानों को काम मिल जायेगा ? साथ-साथ यह भी कहा कि अगर बेरोजगारी नहीं मिटेगी तो बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । इस भत्ते के बारे में कोई भी प्रावधान आपने अपने बजट में नहीं किया । यही नहीं, महंगाई पर रोक लगाने की बात भी कही थी लेकिन जिस तरह इन तीन-चार महीनों में महंगाई बढ़ी हैं, उसका अन्दाजा तो हर एक आदमी लगा सकता है, मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, न मुझे भाव बताने की जरूरत है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसका भुगतभोगी है । हर एक को उसका फल भुगतना पड़ रहा है । महंगाई पर भी आप रोक नहीं लगा पाये यह भी आपकी ऐसी घोषणा थी जो आम लोगों को लुभाने वाली थी जिसके आधार पर आपको वोट मिले हैं । इस तरह की बात कह कर आपने लोगों से वोट हासिल किये । लेकिन जब आपका बजट हम देखते हैं तो उसमें कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है ।

सभापति महोदय, राजनीति के अन्दर भी आपने एक बात कही थी कि हम शुद्ध राजनीति देंगे । मूल्यों पर आधारित राजनीति करेंगे । आज देश के अन्दर हो क्या रहा है । उसकी ओर देखिए, कौन सी मूल्यों की राजनीति हमने देश के अन्दर स्थापित कर दी है ? क्या यही मूल्यों की राजनीति है ? जो गत सप्ताह देश के अन्दर घटना घटी, क्या यही मूल्यों की राजनीति कही जायेगी ? चौटालाजी को कुछ दिन पहले महम के अन्दर चुनाव की वजह के कारण, महम की घटनाओं के कारण मुख्यमन्त्री पद से अलग किया था । साथ-साथ यह घोषणा की थी कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जांच के ऊपर निर्णय नहीं हो तब तक उनको वापिस मुख्य मन्त्री नहीं बनाया जायेगा । लेकिन बिना कुछ सोचे समझे, सुबह तो उनको पार्टी का महामन्त्री बना दिया । और शाम को उनको मुख्यमन्त्री बना दिया । नतीजा क्या हुआ ? आपने और हमने देखा । देश के प्रधानमन्त्री को....(व्यवधान)

(१०५)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल हैं क्या ? अर्जुन सिंह जी को पंजाब का राज्यपाल बनाया और चार घण्टे बाद वापिस हटा कर फिर मुख्य मन्त्री बना दिया गया। पन्द्रह दिन में चार बार बदले। आप तो राजस्थान की बात करिये।

श्री सभापति : बिराजिए, माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, देश में यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमन्त्री....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : कितने मुख्य मतलबी बनाये, कितने महा मतलबी बनाये ?

श्री सभापति : व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप तो राजा मानसिंह के हत्याकाण्ड के बाद स्वयं मुख्य मन्त्री बने थे....

श्री हीरालाल देवपुरा : देश में वह पहला मौका था जब किसी प्रधानमन्त्री ने यह कह कर इस्तीफा दिया हो। वहाँ की स्थिति को देखकर इस्तीफा दिया है। देश को अस्थिरता के रूप में आपने डाल दिया। देश को आज सोचने का मौका दे दिया कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। सभापति महोदय, इस देश का भविष्य क्या होने वाला है ? सभी को आपने चिन्ताग्रस्त कर दिया। देश का प्रधानमन्त्री, जिसके ऊपर सारे देश की जिम्मेदारी है वह आकर इस्तीफा दे दे और ऐसी स्थिति में बिना कुछ सोचे-समझे कि आगे क्या होने वाला है, किसको यह सरकार मिलने वाली होगी, आगे का क्या इन्तजाम होने वाला होगा, यह भी मालूम नहीं....

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सदस्य, हमारे नेता को तो पद से मोह ही नहीं है। हेगड़े साहब ने दस बार स्तीफा दिया और जब-जब आप लोगों ने मांगा, मूल्यों के आधार पर स्तीफा दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बहुत अच्छा। प्रतिदिन इस्तीफा दिया कीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आपको पद से तो मोह नहीं। आप प्रतिदिन इस्तीफा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे एक सौ चार एम. पी''ज ने इस्तीफा दिया था....उस वक्त क्या हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो देश के प्रधान मन्त्री हैं, उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, जब देश की जिम्मेदारी है तो उनको जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इस तरह नही कि हमें पद का मोह नहीं है तो प्रतिदिन हर व्यक्ति इस्तीफा देता हुआ चला जाये और देश अन्धकार के अन्दर डाल दें। एक तरफ कश्मीर के अन्दर समस्या उत्पन्न हुई है, पंजाब के अन्दर समस्या खड़ी है, आसाम के अन्दर समस्या खड़ी है, आज आसाम की राजधानी की क्या हालत है। माननीय सदस्यों को इस पर सोचना जरूर होगा....

श्री जगमालसिंह यादव : यह तो सब

(जगमालसिंह यादव)

आपकी पैदा की हुई है। सब समस्याएं आपने ही खड़ी की हैं....

श्री सभापति : विराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)।

श्री जगमालसिंह यादव : वह तो सब नासूर आपने ही किये हैं। एक भी समस्या नयी नहीं है। पंजाब की समस्या आपकी है, कश्मीर की समस्या आपकी है, आसाम की आपकी है....(व्यवधान)।

श्री हीरालाल देवपुरा : जगमालसिंह जी, आप बैठिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान पैदा न करें। (व्यवधान)।

श्री जगमालसिंह यादव : यह सब समस्याएं तो आपने खड़ी कीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो देश के अन्दर में आज समस्याएं खड़ी हैं उन समस्याओं के लिए आपको सोचना पड़ेगा। उन समस्याओं की ओर ध्यान देकर आपको देश के के बारे में फैसला करना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं नहीं हैं, लेकिन आप पर जिम्मेदारी है सारे देश की जिम्मेदारी है तो आपको सोच कर फैसला करना होगा। इस तरह से आप देश छोड़ नहीं सकते। वह मूल्यों की राजनीति की बात करने वाले, आज जब सारी की सारी राजनीति पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हिन्दुस्तान की राजनीति के मूल्य, जो अभी तक ठीक तरह से मालूम होते थे दुनिया में, दुनिया समझती थी कि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतनी आबादी होते हुए भी प्रजातन्त्र दिन प्रतिदिन अपनी जड़ें जमाता चला जा रहा है। कई लोगों ने कोशिश की कि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की जड़ें खोखली हों....

एक माननीय सदस्य : पांच मुख्य मन्त्री बदले, पांच साल में।

श्री हीरालाल देवपुरा : लेकिन कोई देश नहीं हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की जड़ें खोखली कर सका और आज हम वहां बैठ करके हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की जड़ों को खोखला करते चले जा रहे हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। शर्म से हमारा सिर झुक जाता है। सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मूल्यों की राजनीति की आप जो बातें करते थे वह मूल्यों की राजनीति आज आपके पीछे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीतिक गठबन्धन किस आधार पर होते हैं? पवित्र गठबन्धन हों तो समझ में आ सकता है लेकिन सिद्धान्तों को एक तरफ रख कर, सिद्धान्तों को एक कोने में डाल कर फिर गठबन्धन करें-कहां लैफ्टिस्ट पार्टी के अपने सिद्धान्त, कहां भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और कहां जनता दल के अपने सिद्धांत? और यह गठबन्धन भी देश के हित में नहीं है। आप अन्दर ही अन्दर सबसे बातें करेंगे तो मालूम होगा कि देश हित की चर्चा नहीं होगी। केवल एक बात की फिक्र है कि हिन्दुस्तान में कहीं कांग्रेस वापिस न आ जाय, राजस्थान में कहीं कांग्रेस फिर न आ जाय, इसलिए गठबन्धन पक्का रखना है, हम विरोध करेंगे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मौजूदा सरकार का, लेकिन विरोध करते हुए भी, हमारे मन की बात पसन्द न आते हुए भी हम उनको सपोर्ट तो जरूर करेंगे क्योंकि कांग्रेस फिर सरकार में नहीं आ जाए। आपको कांग्रेस की चिन्ता है, या आपको देश की चिन्ता है ? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि देश पहले है या कांग्रेस पहले है, देश की चिन्ता कीजिए।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, आज सिद्धान्तों की बात करने वाले जब मुस्लिम लीग से समझौता कर रहे थे तब सिद्धान्तों को भूल गये थे।

श्री सभापति : आपके माननीय सदस्य बोलेंगे, तब उत्तर देना।

श्री हीरासिंह चौहान : लालडेंगा से समझौता कर लिया जिससे हिन्दुस्तान का खून बहाया, हजारों की लाशें गिराईं....

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य कांग्रेस पर आरोप लगाते है, सुनाते हैं, यह इनका अधिकार है, आप सुनाओ। इस सदन में हम सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब आप भी कोई आरोप लगे तो सुनने की क्षमता रखिए। इतने उतावले मत हो जाइए, आपकी बात भी सुनी है।

श्री नत्थी सिंह : जब हम आरोप लगाते हैं, बोफोर्स का नाम लेते है तो तिलमिला उठते हैं। आप सुनाओ, हम सुन रहे हैं। लेकिन उनको समझाओ कि बोफोर्स का नाम आये तो तिलमिलाएँ नहीं।

श्री डूँगरराम पंवार : बोफोर्स का कोर्स किया हुआ है क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिल्कुल ठीक कहा आपने। सभापति महोदय, कोई पवित्र गठबन्धन की बात हो तो ठीक है। देश के अन्दर प्रजातन्त्र को मजबूत करना है तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देश के अन्दर इतनी पार्टियां होंगी तो देश की राजनीति नहीं चल सकती है। लेकिन पॉलिटिशन पवित्र होना चाहिए अगर पवित्र पोलराइजेशन है तो बेकार है। एक दक्षिण की तरफ देखें और एक उत्तर की तरफ देखें, एक पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ देखें तो लगेगा कि यह देश को कहां ले जायेंगें, इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी आप लोगों ने बातें की हैं, जितनी भी घोषणाएँ आपने की हैं, आप कहीं उन पर खरे उतरे। यह में दावे के साथ कह सकता हूँ। माननीय सदस्य कई बोलते हैं, इधर से कोई उठता है तो समझते हैं कि हम गांव जाकर लोगों की बात नहीं उठाते हैं। शायद गाँवों में जाकर बैठने का ठेका तो आपने ले रखा है। हम गांवों में जाकर बैठने की बात नहीं करते हैं, यह आपको कतई नहीं सोचना चाहिए। इस सदन में 200 माननीय सदस्य बैठे हैं वह सब चुनकर आये हैं और अपने-अपने क्षेत्र

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में जाते हैं। बहुत कम लोगों के शहरी क्षेत्र हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र हैं। सभापति महोदय, हम गांवों में जाते हैं, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि चुनावों के वक्त गांवों में जाते हैं, उस समय जो धारणा नहीं रही है और मौका आयेगा तब आपको मालूम पड़ जायेगा कि आप कहीं बैठते हैं? इधर बैठते हैं या उधर बैठते है?

श्री जगमालसिंह यादव : महीने भर पहले मौका आया था छबड़ा और तिजारा में। माननीय सभापति महोदय, समय बदल गया, इसका बहुत बड़ा इतिहास है........ (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सभापति महोदय, अभी महीने भर पहले की राजनीति की बात तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता था, न मैं तिजारा की बात को करना चाहता था न मैं छबड़ा की बात को करना चाहता था लेकिन यह भी निर्विवाद है कि तिजारा निर्वाचन क्षेत्र था जिसमें एक गाड़ी पकड़ी गयी जिसके अन्दर बन्दूकें पकड़ी गयी, हथियार पकड़े गये, वह हथियार किसके थे यह भी साबित हो चुका है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अगर वह गाड़ी मेरी है और मेरे कोई हथियार है तो या तो माननीय देवपुरा जी त्याग-पत्र दें या मैं त्याग-पत्र देता हूँ...., (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह माननीय देवपुरा जी आरोप लगा रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, देश में यह जो राजनीति चल रही है, उसके लिए राजनैतिक चिन्तन करने वाले सोच रहे हैं, जनता भी सोच रही है कि इस देश के अन्दर जो राजनीति चालू है उससे देश की एकता नहीं बचेगी। देश की एकता और अखण्डता की बात हम करते थे। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहता कि कोई पार्टी देश की एकता के लिए काम नहीं करती है, देश की एकता में विश्वास नहीं करती है। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह चाहे किसी भी उसूल और सिद्धान्त को मानने वाली हो, लेकिन देश की एकता और अखण्डता में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं, सब विश्वास करती हैं। यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन सभापति महोदय, आज जो राजनीति चल रही है और जो घटनाएं देश के अन्दर घट रही हैं उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह की राजनीति से हम देश की एकता और अखण्डता की रक्षा कर पायेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में हम कामयाब नहीं हो सकेंगे और आने वाली पीढ़ियां हम सब को कोसेगी। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, हमको गम्भीरता से इस पर चिन्तन करना चाहिए। केवल लोगों को लुभाने वाली बातें कहकर राजनीति के अन्दर बैठने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस देश के अन्दर राजनीतिक वातावरण कैसे सुधरे और देश की राजनीति, प्रजातन्त्र किस तरह से चल सके और देश एवं प्रान्त का विकास किस आधार पर हम करना चाहते हैं, देश

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के गरीबों को हम कैसे उठा सकते हैं, देश की एकता और अखण्डता को हम कैसे कायम रख सकते हैं, इन सब बातों पर सोचकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय, यह तो बीच में राजनैतिक प्रसंग आ गया था इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया। मैं मूल बजट पर कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब विपक्ष में बैठते थे, इस ओर बैठते थे विपक्ष के नेता की हैसियत से, तो आपको कई बार विनियोग विधेयक पर अपनी बातों को कहने का मौका मिला और लम्बे-लम्बे भाषण आपने दिये। देश की चर्चा भी आपने की और प्रान्त की चर्चा भी आपने की, सरकार की आलोचना भी आपने की। मैं आलोचना की बात नहीं कहता, यह आपने बड़े जोर से कहा था। माननीय सभापति महोदय, 28.3.86 को जब इस सदन के अन्दर विनियोग विधेयक पर बहस हो रही थी उस समय आपने कहा था–मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा मैं इस सदन में विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जो सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को पूरा नहीं कर सकती, उसके घाटे को कम नहीं कर सकती और पूंजीगत खाते से रुपया लेकर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के घाटे को पूरा करेगी, माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ लें, राजस्थान का किसी भी हालत में विकास नहीं हो सकता। विकास तभी होगा जब रेवेन्यू खाते की बचत पूंजीगत खाते में होगी और वहां विकास के कामों में पैसा खर्च होगा लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी कोई चिन्ता नहीं की।"

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को इसके सम्बन्ध में कोई चिन्ता हुई? 113 करोड़ रुपये का रेवेन्यू घाटा किससे पूरा किया गया? पूंजीगत खाते से पूरा किया गया। इस हिसाब से मैं आपके शब्दों में कहना चाहूंगा कि अब राजस्थान का विकास हम कैसे करेंगे। रेवेन्यू खाते के अन्दर आप खर्चा कर दें, रेवेन्यू खाते की कमी की पूर्ति आप नहीं कर सकेंगे, रेवेन्यू खाते को आप बराबर नहीं कर सकेंगे तो राजस्थान में विकास नहीं हो सकता। आपके अनुसार रेवेन्यू खाते से पूंजीगत खाते में पैसा आना चाहिए और विकास के अन्दर लगना चाहिए। आप सोचें इस पर कि आज आपने कौनसा बजट पेश किया है?

सभापति महोदय, जहां तक प्रोग्राम का सवाल आया है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस बजट के अन्दर कोई भी नया कार्यक्रम नहीं है। चाहे हम शिक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे हम सड़क की दृष्टि से देखें, चाहे औषधालय अस्पताल बनाने की दृष्टि से देखें। जो भी फिजीकल प्रोग्राम प्रतिवर्ष लिए जाते रहे हैं उनमें राजस्थान के विकास के लिए कुछ बातें जोड़ी जाती रही हैं। एक भी प्रोग्राम इस बजट में नहीं लिया गया है कि यह लिया गया हो। केवल यह कहा गया कि पुराने काम हुए हैं वह इतने विस्तार में कर दिये गये जिनको कन्सोलिडेट करने की आवश्यकता है, उनको हम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कन्सोलिडेट करेंगे । फिर आप कहते हैं कि इतने वर्षों के अन्दर भी राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ है कि किसी विषय में राजस्थान 24वें नम्बर है, किसी में 13वें नम्बर पर है, किसी में 17वें नम्बर पर है । मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष कौन सा काम पूरा करके आप इस नम्बर को ऊपर उठायेंगे । इससे ऊपर नहीं उठ पायेगा । सभापति महोदय, कहना आसान है । मेहरबानी करके राजस्थान के इतिहास को और अन्य रियासतों से बने प्रान्तों से कम्पेयर करिये तो बात पता लगेगी । राजस्थान के विकास को आप उन दूसरे प्रान्तों से, जो आजादी से पहले से विकसित थे, कम्पेयर मत कीजिए । आप उनसे तुलना करिये जो राजस्थान की तरह से ही पिछड़े हुए थे, रियासतों से प्रान्त बने थे । तब अन्दाजा लगेगा कि आपके राजस्थान में प्रगति हुई है या नहीं हुई है । आप जनरल कम्पेयर करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान पिछड़ा हुआ होगा । आपने स्वयं ने माना है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है जिसके कारण राजस्थान पिछड़ा हुआ था । जीरो से राजस्थान को ऊपर उठना था तो राजस्थान कितना विकास कर सकता था । आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान में साधनों की कमी रही है । आज भी आप स्वयं महसूस करते हैं कि राजस्थान के रिसोर्सेज की स्थिति उतनी सुदृढ़ स्थिति नहीं है जितनी दूसरे प्रान्तों की है । इसलिए जब रिसोर्सेज की कमी और भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है, राजस्थान का प्रशासन रियासतों की वजह से ऐसा रहा है तो कितनी कल्पना करके आप चल सकते हैं । इस आधार पर देखें तो पता चलेगा कि कहां से राजस्थान शुरू हुआ था और किस जगह पहुंचा है । आज राजस्थान के विकास के मसले पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान को ट्रिब्यूट पे करना चाहिए मोहनलाल सुखाड़िया को जिन्होंने इन्फास्टिक्चर तैयार करके राजस्थान को दिया और उसके आधार पर राजस्थान की रेलगाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही है । तेज गति होगी । कभी-कभी यह गति मन्द हो जाती है क्योंकि राजस्थान को कई वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा । राजस्थान को अकाल का सामना करना पड़ा, बाढ़ का सामना करना पड़ा । इस वर्ष भी बाढ़ आई है, राजस्थान को उसका सामना करना पड़ा । यह कुछ स्थितियां राजस्थान की बन जाती है जिसकी वजह से कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं प्रगति में अवरोध आ जाता है । यानि अवरोध के भी कारण रहे हैं इसलिए उस तरह से नहीं आंके । मैं तो केवल यह बात कह रहा था कि आपने कौन से आंकड़े; कौन सा ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है जिससे किसी फील्ड में राजस्थान के कुछ आगे बढ़ने की बात हो । आपने कहा कि राजस्थान ने इस वर्ष बिजली के उत्पादन में कुछ भी काम नहीं किया । सभापति महोदय, आपका प्रोग्राम देखें, आपने किन योजनाओं को हाथ में लेने की बात की, कौन सी नयी योजनायें उसमें आ गई, आपने उन्हीं योजनाओं का जिक्र किया है जिन योजनाओं की बात राजस्थान सरकार के अन्दर चल रही थी । कोई भी योजना असैप्ट नहीं हुई, कोई

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भी योजना बन्द नहीं हुई थी, सब योजनाएं प्रक्रिया में थी, प्रक्रिया चल रही थी। कई प्रकार के एतराज थे। धौलपुर की योजना पर कई प्रकार के आब्जेक्शन्स थे। उन आब्जेक्शन्स को मीट-आउट करने की बात की जा रही थी। वही अब आज आप कह रहे हैं। उस क्षेत्र में आप गये तो आपका दायित्व हो जाता है। अब जो बात करनी होगी, राजस्थान की जो दूसरी योजनायें हैं वह अधूरी पड़ी हैं। जो दूसरी योजनायें प्रक्रिया में चल रही थी उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। उसमें ऐसी कौन सी नई बात हो गई, उसमें ऐसी कौन सी नयी बात आपने कर दी है। सन् 77 की बाद आप देख लीजिए। 77 में कौन सा बिजली का उत्पादन आपने कर लिया था ? उस वक्त शासन नहीं था क्या ? एक भी मेगावाट बिजली 77 से 80 के बीच में जनता शासनकाल के अन्दर नहीं बनी थी। प्रचार तो आपने खूब कर दिया, लोगों ने भी किया। क्या किसानों को कुओं पर बिजली के कनेक्शन दे दिये ? नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ है कि जिन किसानों को ठीक तरह से पानी मिल रहा था, उन किसानों को भी प्रचार के कारण, नयी बिजली का उत्पादन नहीं होने के कारण, जिनको बिजली रेगुलर सोर्स से मिला करती थी, वह नहीं मिलने लगी तो इन चीजों को आपको देखना होगा। जब आप आगे बढ़ने की बात करते हो तो उत्पादन बढ़ाना होगा। आगे बढ़ना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और अगर उत्पादन नहीं बढ़ा पाये तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ योजना दीजिये, कुछ सोचिये इस बात पर। आज आप हमसे बजट पास करवा रहे हैं, आज एप्रोपियेशन बिल पास करवा दिया, बजट पास होगा, बजट पास ही होगा। लेकिन हमसे किस बात के लिए यह राशि मांग रहे हो ? किसानों के लिए राशि मांग रहे हो ? किस बात के लिए हम यह बजट पास करें ? कोई प्रोग्राम भी तो दिखे कि जिस प्रोग्राम के लिये हम बजट पास करें। कांग्रेस के कामों को तो आप पूरा नहीं मानते, जो उनके अधूरे काम हैं, उनको भी आप पूरा नहीं मानते तो फिर किसके लिए चाहिए। नया कोई प्रोग्राम तो आपका है नहीं, फिर किसके लिये चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई प्रोग्राम देकर आपने बजट पेश किया होता तो कोई बात भी थी। निश्चित तौर से भैरोंसिंहजी काफी उम्मीदें हैं। हमें आशा है कि जब आप आये हो तो निश्चित रूप से जो बात आप कहते हो उसमें से कुछ न कुछ कर गुजरोगे लेकिन हमें सारा दिख गया कि हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं। यह स्थिति आज पैदा हो गई है। करते क्या हैं, कहते क्या हैं, यह स्थिति आज स्पष्ट हो गई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता को समझें। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिये यह मत सोचिये कि कौन किधर बैठा है और किधर नहीं। केवल मात्र आलोचना करने से, पिछले 40 साल के इतिहास को दोहराने से, केवल उसकी आलोचना करते रहने से राजस्थान का विकास होने वाला नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात भ्रष्टाचार दूर करने की कही। मैं इसको नहीं कहता कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भ्रष्टाचार है ! भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिये, रोकना चाहिये । लेकिन जो मुहिम आपने छेड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह मुहिम भी इस प्रकार की मुहिम न हो जाये कि उस मुहिम के जाल में आप भी फंस जायें और राजस्थान में यह भ्रष्टाचार दूर नहीं हो, स्थिति और भी बिगड़े । जिनके खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहते हैं उनमें कहीं डिमोरेलाइजेशन नहीं आ जाये, उनमें कहीं फस्ट्रेशन नही आ जाये कि जिस एजेन्सी के माध्यम से आप यह काम करना चाहते हैं, वह एजेन्सी कहीं नाकारा एजेन्सी न बन जाये । इससे राजस्थान का नुकसान होने वाला है । सही जगह पर आप सही कैसेज को पकड़ें, जरूर सजा दीजिये । चाहे वह पोलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेटस हो, चाहे वह कोई भी हो, उनको आप जरूर सम्भालिये । लेकिन एक जनरल बात कहकर आप जो वातावरण बनाना चाहते हैं, उस वातावरण से कहीं नुकसान न हो जाये, इस बात के लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुधारू तलवार है, इस तलवार को चलाने से पहले इसको सम्भाल लीजिये, इसको देख लीजिये कि कौन सा वार किधर हो रहा है । ऐसा न हो कि वह वार स्वयं पर ही हो जाये और जो कुछ आप करना चाहते हो, कर नहीं पाओ । हम चाहते हैं कि इसमें आपको सफलता मिले । हमारा जो सहयोग होगा, निश्चित रूप से हम इसमें सहयोग देंगे । जो भी रचनात्मक प्रवृत्ति, जो भी रचनात्मक कार्यक्रम राजस्थान के विकास के लिये आप लेकर चलना चाहते हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, बजट भाषण पहले भी प्रस्तुत किये गये हैं और इस बार भी । गरीबों के और गांव के विकास की बात कांग्रेस सरकार ने भी की है और इस सरकार ने भी । लेकिन गरीबों के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, नीयत देखी जाती है कि सरकार की नीयत क्या है । मान्यवर, माननीय देवपुराजी बता रहे थे विकास की बात, कांग्रेस सरकार ने कितना विकास किया । आज देश में गांवों के विकास की यदि परिपाटी शुरू हुई है तो पिछली बार जब भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार आयी थी, तब से शुरू हुई है । क्या गरीबों के बारे में कभी विचार किया गया था ? सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब जनता सरकार आयी थी उसके पहले गांवों में कितना विकास हुआ था । एक कमरे के लिए भी कर्जा दिया जाता था तो 2/3 राशि गांवों से इकट्ठा किया करते थे और 1/3 राशि सरकार देती थी । गांव के कितने गरीब लोगों को कर्जा दिया गया था ? कितने गरीबों को छांटकर उनको बैल, गाय, भैंस, बकरी, दुकान के लिए कर्जा दिया गया था ? यह अन्त्योदय की योजना है जिसके अन्तर्गत

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

गांव के गरीबों ने यह महसूस किया कि सरकार उनके लिए जिम्मेदार है। अन्त्योदय योजना बनी, फूड फार वर्क आया, गांवों का विकास हुआ। जिन गांवों में पक्के कमरे नहीं थे उन गांवों में खरंजे बने, उन गांवों में औषधालय, विद्यालय बनें। वह आज इस बात का प्रतीक है कि जनता सरकार ने गांवों के विकास के लिए क्या किया। लोगों का 12 बीघे जमीन का कर्जा माफ किया। गरीबों को यह अहसास हुआ कि उनकी पूछ करने कोई आने वाला है। गांव में गरीब लोगों को ढूंढ-ढूंढकर पेंशन दी गयी। सब लोगों को यह ध्यान आया कि सरकार गांव के बारे में, गरीब के बारे में विचार कर सकती है। सभापति महोदय, नकल कांग्रेस सरकार ने भी की थी। डी.आर.डी.ए. में अन्त्योदय योजना को हटाकर आई. आर. डी. पी. चालू की। स्वयं प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक रुपये में से 15 पैसे नीचे पहुंच रहे हैं, 85 पैसे खा रहे हैं। उनका उदाहरण है कि अभी जो डी.आर.डी.ए. में थे, कितना पैसा नीचे तक पहुंच गया। राशि ज्यादा नहीं है, यदि उस राशि का सदुपयोग किया जाय तो गांवों का विकास हो सकता है। यदि राशि का सदुपयोग किया जाय तो गांवों का विकास हो सकता है। इस बजट भाषण में गांव और गरीब की चर्चा की गयी है, किसान की चर्चा की गयी है। गांव में किसान के कुए के लिए बीमा योजना बनी है। गांव के लोगों को कर्जा देने की योजना बनी है, लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना बनी है। सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनायें बनायी हैं। जनता सरकार जो सिंचाई योजनायें शुरू करके गयी थी, एक योजना भी पूरी नहीं हुई। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में चार मीडियम प्रोजेक्ट शुरू हुये थे, दस साल से वहीं के वहीं हैं। चार करोड़ के प्रोजेक्ट पर चार लाख रुपये साल दिया जाता था। सारी योजनायें ऐसी ही पड़ी हैं। आज इसी से गांव के विकास के लिए, गांव की सिंचाई के लिए अभी सरकार ने योजना बनाई। एक बांध बनता है तो एक एरिये का विकास होता है। लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना बनेगी तो चारों तरफ सन्तुलित विकास होगा। लिफ्ट इर्रिगेशन योजना 6 महीने, 12 महीने में कम्पलीट हो सकती है। पैसे का सदुपयोग हो, उसका तुरन्त लाभ मिले और यह योजना इसलिये भी अच्छी बनेगी कि इस एक वर्ष में लाखों एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी। यह एक सोचने का दृष्टिकोण होता है। सभापति महोदय, पेन्शन की योजना बनी, 7 करोड़ दिया जाता था, 11 करोड़ रुपया दिया। गरीबों के फायदे के लिये दिया। इसी प्रकार कांग्रेस सरकार पाठशालायें खोल गई, इतनी पाठशालायें खोल दी कि जहां जरूरत नहीं थी वहां पाठशालायें खोल दी। पाठशालायें खुल गई पर अध्यापक नहीं है, मेज-कुर्सी नहीं है। अस्पताल खुल गये, डॉक्टर-कम्पाउण्डर नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मौजूदा पाठशालाओं, औषधालयों के सुदृढ़ीकरण की बात की है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई पाठशाला बिना शिक्षा एवं शिक्षकों के, कोई भी अस्पताल बिना डॉक्टरों के नहीं रहेंगे।

(रघुवीर सिंह कौशल)

पाठशालायें खोल देना, कागजों में योंजनायें बना देना और घोषणायें होना कि हमने इतने स्कूल खोल दिये, हमने अस्पताल खोल दिये, यह एक अलग बात है। किन्तु आज वह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वह दूसरी बात है। कांग्रेस ने जाते-जाते, जैसे जब आदमी मरने लगता है तो आखिर में दान-पुण्य करता है, दान करता है, वैसे दान-पुण्य करके योजनायें बना दी। पर आज आप जानते हैं कि उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इस सरकार पर आ गयी। शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा हो गयी, डॉक्टरों की नियुक्ति की घोषणा हो गयी और इनका सुदृढ़ीकरण होने लगा। सभापति महोदय, मुझे गर्व है यह कहते हुए कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर देश में सबसे अच्छा है। इसके लिये कांग्रेस की सरकार भी धन्यवाद की पात्र रही है। उसका एक कारण यह है कि यहां मेडिकल कॉलेज प्राइवेट एक भी नहीं है, इन्जीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट एक भी नहीं है। आज इनमें एडमिशन की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जहां पहले प्रभावी लोग अपने बच्चे को प्रैक्टिकल में ज्यादा नम्बर दिलाकर मैरिट से एडमिशन दिला देते थे, वह अब समाप्त हो गया। जो प्राइवेट बी.एड. कॉलेज हैं भी, उनमें भी एडमिशन कानून से लागू होता है, नियम से लागू हो रहा है। यह हमारे लिये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन आज राजस्थान के वे विद्यार्थी, जिनको यहां एडमिशन नहीं मिलता, कर्नाटक चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं, लाख-दो लाख डोनेशन देते हैं और वहां से परीक्षायें पास करके आते हैं, उनके नम्बर यहां से ज्यादा आते हैं और वह यहां मैरिट में अपना नाम लिखा लेते हैं। इस बात के लिये मैं हमारे पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और कहा कि नियुक्ति में राजस्थान के लोगों को प्रिफरेन्स दिया जायेगा।

सभापति महोदय, बड़ी नैतिकता की बात हो रही थी, देश की एकता की बात हो रही थी। सभापति महोदय, नैतिकता तो उसी समय समाप्त कर दी कांग्रेस ने, जब बोफोर्स काण्ड हुआ। देश की एकता के लिए बात कर रहे थे, लाल डेंगा से समझौता किसने किया मुस्लिम लीग से समझौता किसने किया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोफोर्स में निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कुछ नहीं है।

श्री मदन लाल सैनी : वास्तव में नैतिकता तो बोफर्स के समय नहीं, देश की आजादी के समय ही उस समय समाप्त हो गयी जब बापू ने कहा था कि देश के एक मेरे जीते जी नहीं हो सकते और देश के टुकड़े हो गये। उसी समय खत्म हो गयी नैतिकता।

श्री सभापति : विराजे आप। व्यवधान नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो व्यवहार आज बी. जे. पी. का है उससे तो देश के हजार टुकड़े होने की व्यवस्था हो गयी। बापू के कहने के बाद तो सिर्फ दो ही टुकड़े

(राजेन्द्र पारीक)

हुए देश के, आज हजार टुकड़े करने की व्यवस्था इन्होंने बना दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न करें।

श्री मदन लाल सैनी : पहले आप पंजाब में लगे, फिर आप कश्मीर पर लगे। कश्मीर के टुकड़े करने की तैयारी थी। यह उस समय के आपके पापों का ही परिणाम है जो देश की जनता भुगत रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सुपरिणाम था कि 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया 40 साल तक इस देश कीजनता ने आपको नकार दिया था।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : और दुर्भाग्य से इस बार आपको मौका दिया है, जिसमें देवीलाल जी....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, विराजें। डिबेट के बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : शासन के लालच के अन्दर सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मिस्टर जिन्ना को निराशा प्रकट की और सारे देश को तितर-बितर कर दिया।

श्री सभापति : विराजें, माननीय सदस्य। आप जारी रखें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय देश की एकता और अखण्डता की बात है। पंजाब की समस्या किसने पैदा की ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पंजाब की समस्या भिण्डरावाले ने पैदा की, जो इन्दिराजी की उपज था। इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने कार्यों को प्रदर्शित मत करो। यदि आपने यह बात न छेड़ी होती तो आपको सुनना नहीं पड़ता।

श्री राजेन्द्र पारीक : महम की समस्या किसने खड़ी की,मण्डावरी की समस्या किसने आपका घड़ी की ?सतवाड़ी में चरित्र उजागर हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पार्टीशन के हिसाब से राज चलाने की बात किसने की थी ? मुस्लिम लीग से समझौता किसने किया था ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आये दिन हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं पर चर्चा करें तो बात समझ में सकती है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कितने दंगे हुए ? मैं राजस्थान की बात कहता हूँ। किसके राज में हुए ? मुख्यमन्त्री की कांस्टीट्युएंसी में दंगे हुआ ? कोटा में दंगा हुआ। कोटा में दगा हुए, यह किसके राज में हुए?

श्री राजेन्द्र पारीक : दंगे बन्द हो गये लेकिन उसके बदले में पुलिस की मार्फत लोगों की हत्याएं करवाना शुरू कर दिया।

श्री मदनलाल सैनी : किस मुख्यमन्त्री का नाम बताये, यह तो नित नये बदलते थे। इसलिए यह भी मुश्किल है?

श्री राजेन्द्र पारीक : जहाँ हीरे होते हैं वहाँ इस तरह से ही होता है।

श्री सभापति : डिवेट के बीच में कृपया व्यवधान न करें।

श्री सम्पत सिंह : आखिर में यही होता है, सभापति महोदय, आखिर में जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके लिए 2–2, 4–4 मिनट ही रहेंगे। मेहरबानी करके रेगुलेट करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौन-कौन से हीरे थे, वह हीरों के नाम तो गिना दो, जिनको आप बदल-बदल कर अंगुठियों में में रखते रहे?

श्री सभापति : आपकी बारी आयेगी तब आप बोल लीजिए। आप जारी रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, देश की एकता की बात है। देश की एकता तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है। आज बात आ रही थी कि आपस में एक दक्षिण ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। आपको तकलीफ क्या है? सब लोग यदि मिलकर इस देश का शासन को ठीक ढंग से चलाना चाहते है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मिलकर इस देश का शासन ठीक ढंग से आपको उस जगह, बहुत देर तक बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक बैठना है अभी। आप इस चक्कर में मत पड़ो। आपमें शक्ति तो नहीं कि आप कुछ करके दिखायें, आप तो केवल इसी आस में बैठे हो कि वह टूटी सरकार, वह टूटी सरकार। एक सांड जा रहा था और पीछे-पीछे लोमड़ी जा रही थी। वह देख रही रही थी कि पपीता टूटेगा, पपीता टूटेगा। पपीता हो तो टूटे इसलिए आप इस पपीते की टूटने की आस मत करो। यह पपीता नहीं है जो टूट जायेगा। इसलिए पपीते की आशा तो छोड़ दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : साण्ड के पपीता कहाँ होता है?

श्री डूंगरराम पंवार : यह पपीता नहीं है जो टूट जायेगा, यह बहुत जबर्दस्त फीता है।

श्री सभापति : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सदस्य, आप अपने विवेक से ही देख लीजिए कि साण्ड के पपीता कहाँ है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि शक्ति पर विश्वास रखिये। आप देखेंगे, बजट में कितना कैसा है और वह गरीबों तक कैसे पहुँचता है। यदि बीच में किसी ने खाईगिरी की तो उसके खिलाफ एक्शन होगा।

हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उससे आपको

(रघुवीर सिंह कौशल)

तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके समय का भ्रष्टाचार अभी भी उजागर हो रहा है और अभी तो और उजागर होगा। आप बता रहे रहे थे कि यह दुधारू तलवार है। भ्रष्टाचार को मिटाने में यदि हमको कुछ नुकसान उठाना पड़े तो हम नुकसान उठाने को तैयार हैं, किन्तु भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं पूरा सहयोग करेंगे। रिकार्ड के ऊपर है यह बात।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसके लिए धन्यवाद। आप कर नहीं सके लेकिन दूसरे कर रहे हैं तो उनको सहयोग देंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं।

एक माननीय सदस्य : पवित्र काम में कोई नुकसान नहीं होता।

श्री सभापति : कृपया बीच में कोई व्यवधान नहीं करें।

श्री डूंगरराम पंवार : लेकिन आपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया था, वह काम हम नहीं करेंगे।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं बोलें यह बुरी आदत है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय जिस ढ़ग से बजट में गरीब की, किसान की चिन्ता की गयी है, जिस तरह बजट का 60 पर्सेण्ट गरीब और किसान के लिए नियत किया गया है, वह इस बात का द्योतक है कि सरकार का ध्यान गांव के गरीब की तरफ जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार जब वे सरकार में आये थे तो उन्होंने 12 बीघा असिंचित भूमि का लगान माफ किया था। आप भी जानते हैं कि असिंचित भूमि अनइकानामिकल है मैं उससे आशा करूंगा कि असिंचित जमीन जितनी भी है उस सब पर लगान माफ किया जाय। कई योजनाएं मुख्य मन्त्री जी ने रखी हैं गाँवों के लिए। पिछली बार उन्होंने तय किया था कि अंत्योदय योजना के जो लोग हैं, गरीब से गरीब, उस गांव में कोई अधिकारी जायेगा तो सबसे पहले उनके दरवाजे जायेगा ताकि उसका स्वाभिमान जागृत हो उठे, उसका आत्मविश्वास जागृत हो उठे कि आज तहसीलदार, एस. डी. ओ. मेरे यहाँ आ रहा है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सैक्रेरिएट में कूलर में बैठे हुए अधिकारियों को पाबन्द किया कि सचिव और विशिष्ट सचिव भी गाँव का दौरा करेंगे, गांव में जायेंगे और गाँव के गरीब की सम्भाल लेंगे। कूलर में बैठने की बजाय यदि वह गाँव जाकर गाँवों की हालत देखेंगे गाँव के गरीब की हालत देखेंगे तो, उनके मन में कोई योजना बनेगी।

सभापति महोदय, भागीरथ योजना बनी है। सरकारी कर्मचारियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तमन्ना से काम करना चाहते हैं, जो कानून में जकड़े हुए हैं। आज ऐसे लोग स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं उनको काम दिया जा रहा है। गाँव के लोगों की सलाह से विशिष्ट योजनाएं

(रघुवीर सिंह कौशल)

बनायें, उन योजनाओं को फलीभूत करें। ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि वह सम्पूर्ण देश का संपूर्ण प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। विकास के लिए यह आवश्यक है कि जिले की यूनिट छोटी हो पिछली सरकार ने एक कमीशन बैठाया था और उस कमीशन को जिम्मेदारी दी थी कि राजस्थान में कितने जिले बनने चाहिए। मेरा बारां जिला उसमें प्रथम श्रेणी में आता है। यदि आप विकास करना चाहते हैं तो, कोटा में बैठकर शाहबाद का विकास नहीं हो सकता, उसकी दूरी देखिये। ट्राइबल एरिया है, सेंसिटिव इलाका है, डकैत इलाका है। कोटा से शाहबाद का विकास नहीं हो सकता। कई कलेक्टर कोटा में ऐसे आये जिन्होंने शाहबाद के दर्शन भी नहीं किये।

मुख्यमंत्री महोदय, जब आपके पास रिपोर्ट आ गई है तो मैं चाहूंगा कि आज आप यह घोषणा करें। कमीशन ने जितने नये जिले बनाने की सिफारिश की थी उनमें बारां जिला प्रथम था, उस बारां को जिला बनाया जाये। इसी प्रकार बारां जिला बनाने की क्षमता रखते हुये भी पिछड़ा इलाका घोषित नहीं है। मैं उद्योग मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बारां को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है परन्तु पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया।

श्री डूंगरराम पंवार : प्रथम हनुमानगढ़ आता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब प्रथम हनुमानगढ़ आता है या बारां आता है, यह मैं कमीशन की रिपोर्ट में पढ़वा दूंगा, तब पता लग जायेगा कि प्रथम कौन सा आता है।

श्री डूंगरराम पंवार : कमीशन को यही परमिशन हुई है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब उद्योग मंत्रीजी, मेरी हनुमानगढ़ के साथ पूरी सहानुभूति है। सभापति महोदय, बारां पिछड़ा क्षेत्र तब घोषित होगा जब जिला बन जायेगा। यह भी जिला हाल-फिलहाल नहीं बन रहा, 2-4 महीने तो गये। एक जिले में जब यदि वह पिछड़ा क्षेत्र है तो उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता? आज बारां जैसी जगह पर, जो जिला बनने में प्रथम स्थान पर है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। लड़कियां पढ़ने कोटा जाती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बारां को जिला शीघ्र घोषित करें ताकि बारां का विकास हो सके। वहां जिला स्तर के दफ्तर जा सकें और जो ट्राइबल एरिया है, जो डकैती एरिया है उसका भी विकास हो सके। वहां कोई योजना बनी है शाहबाद क्षेत्र की, ट्राइबल एरिया की, परन्तु वह पैसा उस गरीब सहरिया के घर पर नहीं पहुंचा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने की सिफारिश हुई है उनको जिला घोषित किया जाये।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त राजस्थान के विकास में जिन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है, जहां-जहां सिंचित इलाके हैं, जिन सिंचित इलाकों में पैदावार बढ़ रही है वहां एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जायें और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हाई स्कूलों में खोले जायें। यदि आप नौकरी भी नहीं दे पायें तो किसानों के लड़के यह तो समझ पायेंगे कि नाइट्रोजन क्या होती है, फास्फेट क्या होती है, पोटाश क्या होता है। वह अपनी खेती में उसका उपयोग तो कर लेंगे। अतः हाई स्कूलों में सब्जेक्ट खोले जायें और एग्रीकल्चर कॉलेज कोटा में, बारां में खोला जाय। वहां पर चारों तरफ सिंचित क्षेत्र है और यहां का किसान लगातार मांग कर रहा है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोलने से, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने से यहां के विद्यार्थी को कृषि का ज्ञान होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लडकों को एग्रीकल्चर कॉलेजों में प्रिफरेन्स दिया जायें। आज कैसे भी लोग बी.एस.सी. (एग्री.) करके आ जाते हैं। एक बी.एस.सी. (एग्री.) मेरे यहां भी आ गये थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्रीजी को बताया भी था कि बी.एस.सी. (एग्री.) मेरे गांव में आये, मेरे घर पर आये और मेरे यहां 9-9 इंच मिर्च का स्वस्थ पौधा देखकर बोले कि आप लाल मिर्च पैदा क्यों नहीं करते, हरी मिर्च पैदा क्यों करते हो। आज यदि किसान का लड़का वहां जाता तो ऐसा नहीं होता। यदि किसान का लड़का आज एग्रीकल्चर में जाये तो उसको एग्जामिनेशन के समय मार्क्स में कुछ रियायत दी जानी चाहिये। जिसके खेती होती आई है वह खेती को ज्यादा समझ सकेगा।

अतः हमारे कोटा इलाके में कृषि पर ध्यान दिया जाना चाहिये। बारां में एग्रीकल्चर कॉलेज यदि खोले तो उस क्षेत्र का विकास होगा। सभापति महोदय, किसानों के लिये मुख्यमंत्रीजी ने जो योजना बनाई, चाहे वह सिंचाई की है, कुओं की बीमा योजना की है, गांवों के विकास की है, गांवों की सडकों की है उन सब के लिए मैं उनको किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूं। आज कई किसान लोन लेकर कुआ खोदकर बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि पानी नहीं निकला। उनकी जमीनें कुर्क हो गई। ऐसे कई केसेज हैं। सभापति महोदय, मैं किसानों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्रीजी से चाहूंगा कि जो आज घोषणा करें कि भूमि विकास बैंक और कॉमर्शियल बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया, सारा पैसा कुएं में लगा दिया और उस कुएं में पानी नहीं निकला तो उनकी जमीनें नीलाम करने से रोकी जाये, नहीं तो यह किसान बर्बाद हो जायेगा। उनकी जमीन आज कॉपरेटिव बैंक भूमि विकास बैंक नीलाम कर रहे हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वह गरीब आदमी आज पिस रहे हैं।

मैं मुख्यमंत्रीजी को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह आज कृषि उपज मण्डियों का ध्यान इस तरफ

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आकर्षित कर रहे हैं कि गांव की सड़कें बने । लेकिन कृषि मण्डियों में जो क्षेत्रीय असन्तुलन होता है, जो जिले की मण्डी के पास हैं वह पूंजीपति मण्डियां होती हैं, बाकी मण्डियां गरीब होती हैं । एक गरीब मण्डी और एक अमीर मण्डी । इसमें सन्तुलन बैठाइये । डिस्ट्रिक्ट का एक पूल किया जाय ताकि समूचे डिस्ट्रिक्ट की एक योजना बन सके । यदि ऐसा भी नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट मण्डियों को मण्डी यार्ड घोषित करके एक ही मण्डी कर दी जाये ताकि जहां-जहां सड़कें बननी हैं । पूरे जिले में प्रायोरिटी के हिसाब से तो वहां सड़कें बनें ।

समापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बजट जो कुछ है, इस बजट को पढ़ने के बाद इसमें जो जिस्ट है वह है सरकार की नीयत का । प्रत्येक पैरे में यह कहा है कि सरकार की नीयत क्या है । भ्रष्टाचार पर तो पाबन्दी लगाई, उस हिसाब से जितना पैसा सरकार का गरीब और किसानों के पास जायेगा तो उस पैसे का पूरा-पूरा सदुपयोग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

समापति महोदय, मैं एक और निवेदन करता हुआ अपना कथन समाप्त करता हूं ....

श्री समापति : अच्छा बैठिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा साहब, धन्यवाद ।

श्री समापति : माननीय जगत सिंह दायमा ।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : समापति महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस में हिस्सा ले रहा हूं ....

एक माननीय सदस्य : जोर से बोलिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : और जोर से बोलूं ? पर सुनना, भाग मत जाना । आज विधान सभा में हमारे कांग्रेस के साथी श्री देवपुराजी के विचार मैंने सुने । मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति भी और वह भी विधानसभा जैसे पवित्र सदन में बहुत अनर्गल बात कह जायेंगे । मैं मेरे व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व में कम्पेरिजन कर ही नहीं सकता । परन्तु जो बात, जो मुद्दे आज उन्होंने उठाये, मुझे इसका बहुत दुःख हुआ ।

सभापति महोदय, एक बहुत लम्बे समय, एक अरसे के बाद एक क्षण आती है. विरल क्षण आता है जब उस अक्षुण्ण में एक परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन मेरे जन्म

(2.50 म.प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, समापति, पदासीन)

के बाद मैंने 1977 में कुछ दिनों के लिए देखा या उसके बाद अब जाकर वह परिवर्तन मैंने देखा । कांग्रेस के समय में जो देख पाये, उस समय हम शिक्षा ही ले रहे

(120)

(श्री जगत सिंह दायमा)

थे परन्तु उस समय जो हम देख पाये, ऐसी-ऐसी विचित्र बातें हुई इस राज में हमारे सामने कि कान सुनने को, आंख देखने को मन नहीं करे । सभापति महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि कांग्रेस की बुराई करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । परन्तु इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ा जाये ।

आज जब हम चारों तरफ कानून की स्थिति देखते हैं तो कानून की स्थिति आज भी वही नज़र आ रही है । कानून व्यवस्था पर जब हम सोचते हैं, देखते हैं तो वही पा रहे हैं, परन्तु यह सब कुछ हमें विरासत में मिला है । यह नहीं है कि यह नीति आज ही पैदा हो गई । हमारे माननीय श्री देवपुराजी आज कह रहे थे कि देश की अखंडता पर कांग्रेस मर-मिटने को तैयार है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो समस्या पैदा हुई यह किसने पैदा की थी ? भिण्डरावाला 4-4, 5-5 बसें भरकर नंगी तलवारें, बन्दूकें, भाले लेकर अमृतसर से चलता है, देहली में प्रदर्शन करता है । माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी । उनके पास सूचना आती है, उनका जवाब होता है कि उनको रोको मत, उनको आने दो । वहां नंगा नाच किया जाता है, तलवारें और बन्दूकें घुमाई और चलाई जाती हैं उसको तो नहीं रोका गया उल्टे यह कह दिया गया कि भिण्डरावाला जिस किसी 5 स्टार होटल में ठहरे उसका सारा खर्चा सरकार देगी । वह सरकारी मेहमान बनकर आये । यह कांग्रेस की उपज थी, उनको इस बात का पता नही था कि भिण्डरावाला आगे जाकर क्या करने वाला है ।

आज मुझे बड़ा दुःख हो रहा है यह कहते हुए कि लाखों नहीं तो हजारों हमारे भाई आज पंजाब में बेकार में मारे जा रहे हैं, जिन लोगों का कोई मतलब नहीं है उनको मारा जा रहा है । सभापति महोदय, जो मजदूर मजदूरी के लिए, अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, शिक्षा के लिए पंजाब में कमाई करने जा रहे हैं उनको वहां रोटी के बदले, पैसे-धन दौलत के बदले उनको गोलियां मिलती हैं । असम की समस्या है उसको भी पैदा करने वाली कांग्रेस है । और कश्मीर की जो समस्या है उसको तो पैदा ही इस कांग्रेस ने किया है । याद करो वह समय जब इस देश के टुकड़े हुए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को अलग से रख दिया था । उन्हें केवल एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप कश्मीर के मामले को सुलझा लीजिये । दूसरी तरफ सरदार पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जितनी भी जागीरें और राजा-महाराजा इस देश में हैं, उनको इकट्ठा करके देश में मिला दीजिए । लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही समस्या में कामयाब नहीं हो पाये और आज हमारे लाखों-हजारों भाइयों को गोलियां खानी पड़ रही हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह समस्यायें किसने पैदा की, किसका राज था ?

मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें तीन महीने आये हुए हुये हैं, सभापति महोदय, पहले 6 महीने में तो क्या कोई कर पायेगा । पुरानी फाइलें देख रहे हैं, कितना बजट

(श्री जगत सिंह दायमा)

छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, कौन-कौन भ्रष्ट अधिकारी कहां-कहां पर बैठे हैं, क्या-क्या घोटाले कर रखे हैं, वह देख रहे हैं। आप सोचिये तो सही हम 6 महीने में क्या काम कर सकते हैं। अभी तक तो हम समझ ही रहे हैं कि कहां-कहां, क्या-क्या, कितनी-कितनी, कैसी-कैसी प्रतिमायें बैठी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आज ही हमें कहने लग गये कि यह हो गया वह हो गया, कानून व्यवस्था नहीं रही। मैं यह मानता हूं कि जो नया समय अब आया है उसमें निश्चित रूप से पहले जैसी गलती नहीं होनी चाहिए, नया दौर, नया कार्य, नई परम्पराएं आदि होनी चाहिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय, जब हम यह सब कुछ देख रहे हैं कि बाल अपराध का कानून बना दिया, क्या उस पर अमल हुआ ? अगर हिम्मत हो तो बोलकर दिखायें कि 40 साल में आपके राज में क्या बाल अपराध को आप रोक पाये, सीत-प्रथा को रोक पाये, चोरी, डकैती को रोक पाये, आपने क्या किया बतायें ?

आज आप सबसे ज्यादा किसानों के हमदर्द बन रहे हैं पर मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जितनी बेइज्जती इस कांग्रेस के राज में हुई उतनी बेइज्जती तो उसको कभी भी पूरी जिन्दगी में सहन नहीं करनी पड़ेगी। आज उस किसान की हालत क्या है, जो हमें पेट भर खाना देता है, सभापति महोदय, अगर कोई किसान को जमाबन्दी लेनी पड़ती है तो पटवारी उसकी जेब तलाश करता है, खाली करता है। क्या यह हमने की, क्या यह अंग्रेजों की देन थी ? अंग्रेजों के समय में कम से कम यह बात तो नहीं थी। उन्होंने हम पर राज किया, अत्याचार किया, सब कुछ किया परन्तु उनके समय में भ्रष्टाचार तो नहीं था। परन्तु आपने तो भ्रष्टाचार का पौधा जमाया, किसान की हालत आज आपने बद से बदत्तर कर दी। कोई किसान पटवारी के पास जाता है तो तहसील में घुस नहीं सकता है, एक किसान अपनी सम्पत्ति या अपनी जमीन बेचता है अपनी मरजी से दूसरा खरीदता है अपनी मरजी से तो तहसीलदार की आंखें उसकी जेब पर होती हैं। यह किसने सिखाया ?

सभापति महोदय, इस कांग्रेस के राज में यहां पर बैठे हुए कांग्रेसी भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि वह देखें पीछे मुड़कर। इस गांधीजी के देश में, इस पवित्र देश में वेश्यावृत्ति चल रही है और आज भी चल रही है। वेश्यावृत्ति जैसी चीज और राज चल रहा है। सभापति महोदय, हम पैसा लगा रहे हैं तो किस लिये लगा रहे हैं, इसीलिये तो लगा रहे हैं कि विकास हो, व्यक्ति का विकास हो, किसी तरह से विकास करें, आगे बढ़ायें, समाज कुछ तरक्की कर सके। इसलिये यह सारे के सारे विभाग अलग-अलग बनाये गये हैं। अलग-अलग विभागों के लिये करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि फर्क क्या हुआ इस कांग्रेस के राज में और अपने राज में ? मैं पहली मांग यह करना चाहता हूं कि इन वेश्यावृत्ति के

(श्री जगत सिंह दायमा)

अड्डों को आप बिल्कुल बन्द करवायें। इन लोगों को जमीन दी जाय ताकि वह अपना ध्यान दूसरी तरफ लगायें जिससे कि वेश्यावृत्ति जैसी चीज खत्म हो तब जाकर इस समाज का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो। अगर चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको इस बुराई को मिटाना पड़ेगा, शराब बन्द करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप स्पीच दे देते हैं कि शराब बहुत बुरी चीज है और फिर शाम को शराब पी रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। सभापति महोदय, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस के शासन में कथनी और करनी में फर्क था। अगर इस राज में भी इस बात में फर्क नहीं आया तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कुछ कर देंगे या बहुत खराब है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि शराब को चाहे किसी भी हालत में हो इसको बन्द करना चाहिये। एक मजदूर रिक्शा वाला पूरे दिन में 20 रुपये, सभापति महोदय, कमा पाता है, आप नीचे की तरफ देखें जाकर, आप ऊपर नहीं देखें। 20 रुपये में से 12 रुपये की जाकर शराब पीता है और 8 रुपये लाकर घर पर देता है। वह औरत कहां से तेल लाये, कहां से नमक लाये, कहां से रोटी खिलाये, कहां से आने-जाने वालों को चाय पिलाये। सभापति महोदय, आप आज समाज में जाकर देख लीजिये शराब पीकर आकर आदमी अपनी औरतों को पीटते हैं। वह कहां से लाकर घर का खर्चा चलायेगी? वह कहती है कि शराबी पति आयेगा और मेरी पिटाई करेगा, पैसा लाते नहीं हैं। क्या करेगी वह महिला, अपने तन और बदन को बेचेगी।

सभापति महोदय, इसलिये शराब जैसी चीज आप जानते हैं कि यह कलंक है, आप जानते हैं कि इससे मानव का, समाज का और देश का विकास नहीं हो सकता है तो आप शराब बन्द नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? इसलिये मेरी पुरजोर मांग है कि शराब जैसी चीज को बिल्कुल बन्द करना चाहिये।

मैं किसान की बात कर रहा था, बीच में चला गया, बिजली की बात थी। किसान को बिजली दी जाय, भ्रष्टाचार की बात थी। किसान बिजली के लिये 15-15 साल तक फाइलें लगाये हुये बैठे हैं, बिजली नहीं मिलती है। नम्बर होता है तो "एल" फार्म गायब। आपको नीति बनानी चाहिये कि जिस दिन किसान फार्म भरे उसको पता लग जाय कि उसका बिजली का कनैक्शन उस दिन हो जायेगा। क्यों नहीं बना सकते हैं? यह इंजीनियर, टैक्नीशियन, मैनेजर यह किस काम के हैं। क्यों आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं? क्यों नहीं आपका विचार इस तरफ बनता कि ऐसी नीति अपनाये जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। परन्तु पैसे दे देते हैं। बिजली के लिये इतने करोड़ रुपये दिये। क्या करेंगे, जेब भरेंगे, बच्चों को पढ़ायेंगे, लिखायेंगे, स्कूटर गाड़ियां मोटर साइकिलें खरीदेंगे और किसान हमारा मरता रहेगा, पिसता रहेगा। उसके लिये कोई नीति आपके पास नहीं

(श्री जगत सिंह दायमा)

है। आप नीति बनाइये, मैं सरकार से कहना चाहता हूं।

दूसरा, राजस्व के बारे में है। मैंने अभी आपको बताया कि खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इन किसानों को, जो आपको रोटी देता है, इनकी हैसियत कौन बनायेगा? समापति महोदय, यह राज बनायेगा। अगर राज हैसियत नहीं बना सकता, राज उसको सम्मान नहीं दे सकता तो किसकी तरफ मुंह करेंगे? आज थानेदार के पास कोई पगड़ी वाला चला जाता है, ठोकर लगाती है क्या करती है यह पुलिस? क्यों नहीं देखती है कि उनका भी मान और सम्मान है। जुये के अड्डे चल रहे हैं। जगह-जगह कत्ल और मर्डर हो रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं समापति महोदय, आप चाहे जैसा मेरा वह कर दीजिये। आज चलती लड़कियों को छेड़ दिया, आज बलात्कार हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने ऐसे नियम बनाये कि इस तरह का अगर कोई काम करेगा तो उन पर चौराहे पर खड़े करके उन पर कुत्ते छुड़वा दिये जाते हैं या पत्थर मरवाये जाते हैं। मैं चाहता हूं यहां पर भी ऐसा राज कायम हो····(व्यवधान)····चाहे कुछ भी करो। आप मेरे को पार्टी से निकलवा दें, मेरे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। परन्तु आपने कानून बना रखे हैं, आपने कानून इसलिये बना रखे हैं कि आपकी गद्दी कैसे चलती रहे। जैसे एक महीना बीते, पांच साल बीत जाये फिर चुनाव हो और फिर जनता से गलत कहा और फिर बैठ गये गद्दी पर। आप क्यों नहीं ऐसे नियम बनाते, आप क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते जिनसे यह सामाजिक बुराईयां रुकें। डकैत डकैती डालता है, पांचों का मर्डर कर जाता है। समापति महोदय, सोचिये इस बात को, पांचों का मर्डर कर जाता है, कोई उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलता। आपको पता है कि जब डकैत के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलता है सूट करो साले को धड़ाम से, मैं कहता हूं इस बात को। क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसको बचाने की। करो मुठभेड़ दिखाओ और करो काम। आतंकवादी धज्जियां उड़ा रहे हैं इस देश के बेगुनाहों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। कानून में आयेगा वैसे करेंगे। मारो धड़ाके से गोली मारो मैं कहता हूं, करो उस बात को अगर आप राज्य चाहते हो, आप उस समाज की तरक्की करना चाहते हो। चाहते हो कि आदमी सुख से रहे और उन्नति करे, वह चांद और सितारों की बात सोचे, वहां जाने की बात करे तो नियम आपको कड़े करने पड़ेंगे। ऊंचे हाथ करने से कोई फायदा नहीं होता है इस बात का काम करने से फायदा होता है।

समापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि सरकार और राज्य का कुछ मतलब होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि पांच साल बीत गये फिर वोट लिए, फिर जीत गए। आपका कोई धर्म और कर्म होना चाहिए। मनचाहे जो काम हो रहे हैं

(124)

(श्री जगत सिंह दायमा)

समाज में जुए खेले जा रहे हैं, कोतवाल को पैसा दे दिया। क्या हो रहा है जब जुआ खेली जा रही है, कोई जुआबाज पकड़ा जा रहा है तो उसको देखो सजा परन्तु उस कोतवाल को भी देखो, उस एस. पी. को भी सजा देखो। आज सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ पूरे सदन में कि आपने कानून और व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं इस देश में आज मैं बाहर गया नीचे, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं चाहता था हे भगवान मुझे नेता के बजाए अगर सेना या सिपाही होता तो मैं आज बढ़िया रहता। नीचे कुछ लोग जिन्होंने 4–5 गधे ले रखे थे, एक पर लिख रहा था मैं डॉ. चन्द्रभान हूँ, एक पर लिख रहा था मैं मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत हूं। दे डण्डा, दे डण्डा, क्या मजाक बना रखी है। क्या राज है यह, क्या पब्लिक सीखेगी इससे। क्या एक आम आदमी सीखेगा। धज्जियां उड़ रही हैं आपकी। धज्जियां उड़ रही है। समाज की, धज्जियां उड़ रही हैं औरतों की, धज्जियां उड़ रही हैं आदमी की, धज्जियां उड़ रही हैं आपके मान और सम्मान की। क्या बात करते है, कैसा राज है ? कैसी आपकी कानून और व्यवस्था है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मार रहे थे मेरे ऐसे मन में आया कि छीनकर के डण्डा और इनके देऊँ लपालप, लपालप उठाकर के सभापति महोदय, मैंने उन सिपाहियों को कहा + + + खड़े हो यहाँ पर पर, यहाँ खड़े हो और चन्द्रभान जी लिखकर के डण्डे मारे जा रहे हैं भगाओ इनको, यहां से तो भगाओ जब उनको ऐसे ले गया, सभापति महोदय, जैसे उनको कोई ले जाते हैं ना बारातियों को धीरे-धीरे चलो भाई चलो दो डण्डे लगाओ और आगे करो ऐसे आदमियों को। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। जब तक कानून व्यवस्था, जिनको आज तनख्वाह दे रहे हैं, जिनको आप एस. पी. बना रहे हैं, जिनको आप कलक्टर बना रहे हैं। प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ देख रहे हैं यह हो रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं, सभापति महोदय, पुराने राज से मैं यह कहता हूँ कि यह सब कुछ विरासत में हमें मिला है यह कांग्रेस की देन है। यह कांग्रेस की देन है जो इतना सब कुछ हुआ। परन्तु माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह मिल गया है, वह इतिहास है। उसको पढ़ो, पढ़कर के उनको कुछ आगे बढ़ो और नियम और कानून आप सख्त करो। आपकी यही हैसियत नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर हो इस राजस्थान के। आपकी इण्डिया में बहुत बड़ी हैसियत है। आप जाइए, जाकर वी. पी. सिंह साहब से मिलिये मन्त्रीमण्डल से मिलिये। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जब तक आप सख्त कानून नहीं बनायेंगे तब तक समाज की न तो धन दौलत न व्यक्ति, न इज्जत को भी बचेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ उनका सम्मान है वह बचेगा नहीं। राज का कोई अर्थ होना चाहिए। राज का कोई अर्थ होकर के फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगत सिंह चायमा)

अन्त में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। अपने बारे में, एम. एल. एज के बारे में बात करूंगा कई उसमें जाते हैं, आप यह मत सोचिए कि जगतसिंह के साथ ही हुआ है। मैं तो कह देता हूँ बाकी कहते नहीं इतना ही फर्क है। आफिस में प्रशासनिक अधिकारियों के पास मिलने जाते हैं उनका मुंह नहीं है, युं करके खड़ा कर देंगे बैठे-बैठे ही कर देंगे। सभापति महोदय, मैं बुरा इसलिए हूँ कि मैं देखता हूँ कि वह क्या है और मैं कह देता हूँ हाथ पकड़ कर कि खड़ा हो पहले तुझे यह तमीज नहीं है कि किस तरह से बात की जाती है इसलिए मैं बुरा हूँ सभापति महोदय।

तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को कि वह एम. एल. एज. की क्या हस्ती बना रखी है। आपने ऐसी-ऐसी कमेटियां बना रखी हैं। कमेटी का चेयरमेन तहसीलदार, सदस्य एम. एल. ए. तहसीलदार काम करेगा, वह आर्डर देगा और हम नाड़ हिलाएंगे। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं चेयर पर तो वह बैठना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी आगे बढ़े तो चेयरमैन वह बने और अधिकारी रहे सामने जब जाकर के जनता का कोई काम हो पायेगा। जब चुने हुए नुमाइन्दे हैं तो क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाया जाता है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भैरोसिंह शेखावत साहब ने, ऐसा नहीं कि जैसा वह था ऐसा ही यह। इन्होंने सबसे पहले यह काम तो किया कि किसानों के लिए और गांवों के लिए 60 पर्सेण्ट पैसा लगाने की बात कही है। बात ही कही है यह काम होना भी चाहिए। और जो कह रहे थे कि दस हजार रुपए तक के कर्जे माफ किए जाये, माननीय देवपुरा जी मैं कहना चाहता हूँ इस बात को दस हजार रुपए तक के कर्जे हमने किसानों के माफ किए हैं। मानलो कुछ के किए, पर किए तो हैं पर आपने क्या किया यह बता दो हमें हमने कुछ तो किया है। हमने कदम तो बढ़ाया है इस तरफ आपने क्या किया इस तरफ हमें बताइये।

पेन्शन की बात है। आपने कितनी पेन्शन कर रखी थी बुजुर्गों की बुड्ढों की, अपाहिजों की क्या कर रखी थी? कुछ नहीं कर रखी थी। आज हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने जबकि सारा का सारा खजाना बिल्कुल खाली था उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि 70 साल से ऊपर के लोगों की पेन्शन होनी चाहिए। किसानों को उन्होंने राहत देने का काम किया है, उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शेखावत जी परन्तु इतने से ही मैं पूरा नहीं होऊँगा। आगे भी आपको बहुत कार्य करना है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उखड़ रही हैं कम से कम यह धज्जियां नहीं उखड़े मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

(126)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने 60 प्रतिशत गाँवों के लिए बजट में प्रावधान रखा है यह बात निश्चित रूप से कांग्रेस को खलने वाली है। और खले क्यों नहीं। उन्होंने गाँवों में बजट दिये उनकी स्थिति, एक दो मैं आपको इंगित करना चाहूँगी। जनता सरकार में मैंने स्वयं ने मेरे यहाँ एक चावलमण्ड से नायला रोड़, एक नमाटा से नीबी रोड़ मंजूर करवायी। आप सच मानिये 1978 से लेकर वह अभी तक पूरी नहीं हुई और अब राज्य सरकार ने इसमें जो शेष बजट आवंटित किया है, में निवेदन करना चाहती हूँ उनको क्यों कर अच्छा लगे कि 60 प्रतिशत अगर यह लोग देंगे तो उन्होंने पिछली कार्यवाही की है उनकी गणना लोग करेंगे उनको बुरा लगेगा और जो चीज बुरी लगी उन्होंने अपने ढंग से उसका उल्लेख किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री पहाड़िया जी को जिन्होंने मूल्यों की राजनीति को रखते हुये जब तक मुख्य मन्त्री रहे उन्होने शराब नहीं खोली और जो मूल्यों की राजनीति की बात करते हैं श्री शिवचरण माथुर और देवपुरा जी उन्होंने आते ही सन् 1980–81 से 15 अगस्त से चार दिन पहले 11 अगस्त को शराब खोल दी। तो यह लोग क्या करेंगे, उनको यह बात बुरी लगती है। मैं निवेदन करना चाहूँगी शराब तो निश्चित रूप से बन्द होनी चाहिए। इसके लिए जो भी दावे किये गये थे कि हम विकास कर देंगे, शराब के पैसों की आय होगी। मैं निवेदन करना चाहूँगी आज राजस्थान का विकास यह लोग क्या करके गये है। अगर हम अपने लिकेज भी रोक सकें तो हम निश्चित रूप से राजस्थान का और बहुत विकास कर सकते हैं। इन्होंने तो केवल 170 करोड़ के कर्जों की बात कही। मैं कहना चाहती हूँ सारी शराब की आय की क्षतिपूर्ति, जो हमारे लीकेज हैं करो की उनकी अगर वसूली ठीक तरह से कर पायेंगे तो कर्जे भी चुका पायेंगे और शराबन्दी से होने वाली अन्य का अच्छा लोभ है या लाभ उसको भी हम भुला पायेंगे।

माननीय देवपुरा जी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने हिन्दी के सम्बन्ध में 1985 को एक प्रश्न रखा था हिन्दी राष्ट्र भाषा है राज्य में कार्यों में हिन्दी लागू होनी चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से राष्ट्र भाषा है पर इसकी अनुपालना की दृष्टि से कतिपय कार्यों के लिए ही हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। कतिपय कार्यों में क्यों? सभी कार्यों में क्यों नहीं। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूँगी उन्होंने जो कार्य नहीं किया वह नहीं किया उनका अपना सोच रहा होगा, मानसिकता रही होगी। हमको हिन्दी के प्रति ईमानदारी से अपनी कटिबद्धता जाहिर करते हुये राज्य के समस्त कार्यों में हिन्दी में ही कार्य हो सके इसके लिए आदेश ही नहीं उनकी अनुपालना की भी बात देखनी पड़ेगी।

इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे प्रतीयोगी आगे आ सकते हैं उनको लाने के लिए बात करनी चाहिए। हमारे गाँवों और घरों का वातावरण अंग्रेजी का नहीं है। निश्चित रूप से हमारी जो प्रतिभाएं हैं उन पर इसका दुष्प्रभाव

(श्रीमती उर्जला अरोड़ा)

पड़ता है। आप अनिवार्य विषय न रख कर जिसकी इच्छा हो वह पढ़े, जिसकी इच्छा हो वह एच्छिक विषय के रूप से लें ऐसा करें यह मेरा आपको सुझाव है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, देवपुरा जी यह बात कर रहे थे बहुत बड़ी-बड़ी, सारे आयुर्वेदिक अस्पताल आधे से अधिक खाली है, 1500 पद खाली और बातें इतनी बड़ी। हमारी नई सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी वैद्यों के, उप निदेशकों के और इन्सपैक्टर्स के जितने खाली पद वह छोड़ गये अभी 30 तारीख तक भरने की बात की है। शिक्षकों के पद भरने वाली बात की है। यह जितने भी काम छोड़ गये हैं उनको शर्म आनी चाहिए बहुत दावे मारते हुए कि हमने बहुत अच्छे कार्य किये और यह लोग क्या कार्य करेंगे। जिन्होंने देश की अखंडता और एकता की बात के नारे लगाये, साम्प्रदायिकता भड़का कर गरीबों को दुखी करके हरिजनों को सता करके उन्होंने राज्य में पट्टी पढ़ी है। मैं इसको अच्छा नहीं मानती। हमारी सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है। हम सबसे मिलकर काम करना चाहते हैं। वह कहने लगे कि एक उत्तर, एक पूरब और एक पश्चिम, एक दक्षिण यह दसों दिशायें आशायें और आशा निश्चित रूप से क्रियान्वित होगी और हम लोग अच्छे कार्य करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे उत्पादन और कुशल प्रबन्ध के कारण से जो कर्ज हैं वह माफ किये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं मुख्य मन्त्री जी से कि जो 1980 से और उसके बाद में बार-बार में नियुक्तियों पर रोक लगी है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देशभर में रोजगार की गारण्टी देने की बात नहीं कहता लेकिन जो कहा है निश्चित रूप से वह हमको करना चाहिए। इस स्थिति को आगे बढ़ाते हुये नियुक्तियों पर से रोक हटायें और जिसकी सीधी नियुक्तियों की बात, अपने विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से जिनके इन्टरव्यू के लिये उन पर भी पाबन्दी तत्काल हटा करके उनका विनियोजन किया जावे।

मैं अकुशल कामगारों के बारे में कहना चाहता हूं उनका कहीं कोई धनी धोरी नहीं है। आपने उनको एक मुश्त 14 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये किये हैं। मैं धन्यवाद देती हूं लेकिन उनको न्याय मिल सके इसके लिए कानून के प्रति हमें सजग हो कर उनकी सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो तीन बात और कहकर बैठती हूं। सब अधिकारी बुरे नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते लेकिन उनका मापदण्ड यह था कि सबसे अधिक अच्छा वह है जो सबसे अधिक उनके सामने मामले आये हैं उन मामलों पर सजा दे सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी आज मेरा प्रश्न था अनुसूचित जाति की श्रीमती कजरीसिंह के बारे में 1988 से रिपोर्ट पड़ी है। चार मामलों में गड़बड़ी है, जांच प्रकरण आ गये हैं, चीजों की रद्दो-बदल हुई है पैसे उन्होंने लिये लेकिन 1988 से लेकर आज तक हटाया नहीं और दुर्भाग्य

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यह हैं कि उन अधिकारियों आज भी मुझको जो मैंने चारों प्रकरण की सूची मांगी वह मुझे दी नहीं । मैं कहना चाहती हूं कि ऐसे मामलों में तब ज्जोह दे करके उनको उनकी जगह दिखानी चाहिए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं जेल के बारे में । मैंने 4–5 प्रकरण हमारे निरीक्षकों के बारे में यहां पर प्रस्तुत किये हैं बन्दी मारे जा रहे हैं, बन्दियों को भगाया जा रहा है, रुपये खाये जा रहे हैं, बन्दी अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो भी महा निरीक्षक के घर पैसा पहुंचता ऐसा महा निरीक्षक जो ग्रोसरी को झाकरी पढ़ता है, सात करोड़ की चोट देते हैं डिपार्टमेंट को वह महा निरीक्षक नहीं महा-निरक्षर है वह भी बैठाया हुआ है । अभी मैंने पिछले दिनों आपको इस सम्बन्ध में यहां पर रखा था और मंत्री महोदय ने मुझे कहा था ....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उन्हें हटा दूंगा लेकिन [illegible]या नहीं । मैं कहना चाहती हूं भ्रष्टता को अपनाया हुआ था । मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे प्रकरण जो आपके सामने आये हैं उनको हटाइये जिससे राज्य में सभी ठीक स्थिति में रह सके । हम लोग भुक्तभोगी है मीसा के अन्दर, श्री राम किशन जी और मैं और हमारे साथी जिस तरह से इस आदमी ने उन को सताया है जिस तरह से वह मरे नहीं जीवत भी मरे बराबर हो रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगी एक बात और मेरे यहां नायला का किला बिक गया । यह किस प्रकार बिका और कांग्रेस राज्य में बिका इसके बारे में हमारा यह दायित्व था कि यह स्थाई महत्व की चीजें हैं, पुरातत्व की, वह बेची नहीं जाये । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि उसमें अभी भी खुर्द बुर्द चल रही है । उसको रोके ।

मैं यह निवेदन करूंगी कि जयपुर में और जयपुर जिले के आस पास पहाड़ों से भूमि का कटाव बहुत हुआ है । आपने 48 करोड़ रुपया भू-संरक्षण के बारे में रखा है । मेरे यहां भूमि का कटाव की अति हो गयी है एक-एक बीघा जमीन नहीं है लोगों के पास मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हवाई सर्वे की रिर्पोर्ट भी अपने पास है उसको लागू करते हुए तात्कालिक रूप से वहां काम किया जाना चाहिए । सरकार इसको देखे । मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी उन्होंने इतना अच्छा बजट रखा ।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर रही हूं । मैं निवेदन करूंगी कि उनके किये हुए कार्यों के लिए जो पैसा उन्होंने नहीं छोड़ा, आज मजबूरी में कुछ टैक्स लगाने पड़े हैं अन्यथा यह भी लगाने की मंशा राज्य सरकार की नहीं थी । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्द सिंह गुर्जर ।

श्री गोविन्द सिंह गुजर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल का अभिभाषण और इस सत्र में मुख्य मन्त्रीजी का बजट भाषण जो यहां प्रस्तुत हुआ उसको गौर से देखा। सभापति महोदय, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की जो प्रक्रिया है, उनका सत्तारूढ़ होने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि हिन्दुस्तान की जनता व्यवस्था में बदलाव चाहती है। उत्तर भारत में जो कांग्रेस की सरकारें थी वह इस कारण गई और दक्षिण भारत में जो विरोधी पार्टियों की सरकारें थी वह भी इसी कारण गई और दक्षिणी भारत में जो विरोधी पार्टियों की सरकारें थी वह भी इसी कारण गई। कारण एक ही समान है। और मैं यह उम्मीद कर रहा था कि इस बजट में उस बदलाव को, व्यवस्था को बदलने के लिए कोई नीति की झलक, कोई दर्शन मुख्य मन्त्री जी हमें देंगे। मगर मुझे अफसोस है कि इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण इस पूरे बजट में नहीं मिला। सभापति महोदय, हमारे यहां जिस प्रकार की व्यवस्था है, आप भी महसूस करते होंगे कि उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन अभी तक न तो केन्द्र में किया गया और न राज्यों में किया। जबकि जनता यह चाहती है कि जो व्यवस्था है, जिस तरह का डेमोक्रेटिक पैटर्न हमारा है उसको इस प्रकार से बनाया जाय कि वह जनता के प्रति अकाउण्टेबल हो। जनता के प्रति वह जवाब देही हो। सभापति महोदय, मैं सोच रहा था कि कुछ प्रशासनिक सुधार की बातें मुख्य मन्त्री जी यहां कहेंगे। ताकि जो आम जनता है वह लोग यह महसूस कर सकें कि जिस बात को लेकर हमने यह मत देकर लोगों को सत्ता में बिठाया है उस बात को सत्तारूढ़ पार्टी पूरा करे। सभापति महोदय, मैं उन चुनाव के वायदों के ऊपर नहीं जाना चाहता जिनको मेरे से पूर्ववर्ती हमारी पार्टी के नेता ने आपके सामने रखा है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए इस बजट में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है वह हमारी सभी सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को विचार करने की बात है। मैं बहुत ज्यादा विगत में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहता हूं कि आज महंगाई को रोकने की बात कही गई उसमें हम कितने सफल हुए, उसके लिए क्या व्यवस्था, क्या प्रावधान है। इस प्रकार की जो परिपाटियां बनी हुई है उसमें कोई परिवर्तन करने की बात मैं महसूस नहीं करता।

सभापति महोदय, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई, भत्ता देने की बात कही गई, उसके बारे में कुछ नहीं है। सभापति महोदय, इसी तरह दस हजार के कर्जे माफी की बात कही गई। 170 करोड़ देने की बात कही गई। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो लोग इसके पात्र होंगे, उसकी लिस्टें बनेगी तब हमारी आंखें खुलेगी कि वास्तव में यह जो वायदा पूरा कराने की बात कही गई है वह किस हद तक पूरी हुई। सभापति महोदय, जो लोग ऐसे थे कि सरकार का कर्जा चुकाते थे या जिन लोगों ने सरकार की नीति के अनुसार, यह पहले भी कहा था, साठ करोड़ रुपये पूर्ववर्ती सरकार ने उन लोगों के माफ किए थे जो इण्टरेस्ट

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

के एक किश्त जमा करा देंगे और बाकी ऋण आठ किश्तों में जमा कर लेंगे। उसके कारण आज सारे के सारे लोग इस सुविधा से अपात्र हो जायेंगे, इस सुविधा का लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसी तरह और भी बातें हैं।

बीमा योजना कुएं के बारे में कही गई, यह तो लाइफ इन्श्योरेन्स सोसायटीयां हैं, इन्श्योरेन्स कम्पनियां हैं वह कर रही हैं। वह भी कुछ परसन्टेन्ज लेकर इस काम को करती हैं चाहे कितने लाख का कुआ हो, कितने ही लाख का ट्यूबवेल हो। और भी चीज हो। यह कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है जिससे हम कह सकें कि व्यवस्था में बदलाव आया है।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रशासनिक सुधार में जिस तरह से अहमद नगर की प्रणाली है उसको लागू करने के लिए यहां कोई बात कही जाती। सथानम कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, जो राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार का आयोग बना था उसने जो अपनी बहुत सी सिफारिशे की उसको किस तरह से हम लालफीताशाही से आम जनता को उसके चंगुल से मुक्त करा सकें, इसके लिए कोई मैं समझता हूं, वहां कोई न कोई नीति हो, न कोई सरकार का दर्शन है जो मुझे देखने को मिला है, जिसके लिए लोगों ने आपको यहां सत्ता में बिठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लोगों की भावनाओं को नहीं समझा गया, क्योंकि आज कोई इस बात से दुखी नहीं था कि कांग्रेस का शासन है या और किसी का शासन है। छोटी-छोटी बातें जिनको हम पिनप्रिक्स कहते हैं, थाने में जाते तो रिपोर्ट नहीं लिखते, पटवारी नकल नहीं देता गिरदावरी की, जो हमारे ग्राम सेवक हैं वह हमारे फार्म नहीं भरते, बैंक में लोन पास हो जाने के बाद बैंक का मैनेजर लोन नहीं देता। वह जो छोटी-छोटी बातें थीं इनसे लोग दुखी थे और मैं समझता था कि इन छोटे-छोटे दुखों को दूर करने के लिए यह मौजूदा सरकार जो उन बातों को लेकर सत्ता में आई है निश्चित तौर से अपना कोई दृष्टिकोण यहां प्रस्तुत करेगी। ताकि लोग यह महसूस करें कि हमारा मत देना सार्थक हुआ है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां जिस प्रकार की व्यवस्था है चाहे वह गद्दी पर बैठ जाय चाहे हम गद्दी पर बैठें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम चाहे इसको एन. आर. ई. पी. कह लें, चाहे हम उसको जवाहर रोजगार योजना कह लें चाहे हम उसको अन्त्योदय कह लें। योजना वही है लेकिन उस योजना का फल, गरीब को गणेश कहकर देना चाहते हैं उसको जो एग्जीक्यूट करने वाली एजेन्सी हैं उस एजेन्सी को आप किस तरह से संवेदनशील बना सकते हैं उसकी कोई व्यवस्था, मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी यहां करते तो मुझे उम्मीद होती कि यहां कुछ अच्छी

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

बातें उन्होंने कही। सभापति महोदय, मैं

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह विपक्ष में बैठा करते थे, कुछ मापदण्ड बजट के यहां प्रस्तुत किए थे, मैं उनको वही बातें जो उन्होंने यहां कही थी पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, बजट के मापदण्ड उन्होंने बताये थे, राजस्व आय खर्चा मर्यादा में हो, केन्द्र से कितना धन प्राप्त हुआ, नोन-टैक्स रेवेन्यू कितनी बढ़ी, केन्द्र से कर्ज कितना मिला, विकास व्यय कितना हुआ और अविकास व्यय पर नियन्त्रण कितना रहा यह मापदण्ड माननीय भैरोंसिंहजी साहब के खुद के हैं। अब वह स्वयं ही अपने इस बजट से तौल लें कि जो खर्चा इस अप्रोप्रिएशन बिल के मार्फत यहां लेना चाह रहे हैं राजकोष से, क्या यह मापदण्ड जो उन्होंने खुद ने स्वीकार किए हैं, आज का वह बजट इन मापदण्डों के ऊपर पूरा उतरता है। अगर नहीं उतरता तो हम इन मापदण्डों को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह एक देखने की बात है। सभापति महोदय, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी विपक्ष के नेता होते थे, उन्होंने 14.3.88 को घोषणा की कि जब हमारी सरकार आयेगी तो हम मिनिमम चार्जेज माफ करेंगे, आज उनका क्या हुआ। उन्होंने घोषणा की थी कि पूंजीपतियों को सरकार ने जो रियायतें दी हैं हम उन रियायतों को वापिस लेंगे। चाहे वह मोदी अल्कलीज हो, चाहे वह श्री राम हो, चाहे दूसरा कोई उद्योग हो, आज उनको वापिस लेने में क्या दिक्कत आ रही है। सभापति महोदय, यह भी घोषणा की गई थी कि सत्ता में आने के बाद हम पंचायतों को दस रुपये प्रति व्यक्ति का अनुदान देंगे आज उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसी तरह यह कहा गया था कि को-आपरेटिव की जमीनों का जो स्टेम्प ड्यूटी का करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है हम उस स्टेम्प ड्यूटी को लेने के लिए कार्यवाही करेंगे। आज उसमें क्या दिक्कत है। आपके रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा साधन था उसको करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सरकार के कर्ज माफ करिये। मैं इन्हीं बातों के साथ मुख्य मन्त्रीजी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सत्ता में थे तो वे कहते थे आप पूंजीपतियों से मिले हुए हो, पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कानून या टैक्स नहीं लगाना। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज वह सत्ता में हैं आज वह कन्साइनमेन्ट टैक्स लागू क्यों नहीं करना चाहते।

(समय-समाप्ति-घण्टी)

जिससे करीब 70-80 करोड़ रुपये का लाभ हो। 10–10, 12–12 करोड़ के टैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 70–80 करोड़ रुपये का कन्साइनमेन्ट टैक्स लगाने से जो सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट को लगाना है, आपकी सरकार है उससे प्राप्त हो सकता है राजस्थान को, उसको लगाने के लिए क्यों नहीं कोशिश करते हैं।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

आप यह समझते हैं कि रेवेन्यू का लीकेज है उसको पूरा क्यों नहीं करते। इसी तरह सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि को-ऑपरेटिव सोसायटीज का ए. जी. से ऑडिट करायेंगे। आपको क्या दिक्कत है? आप ए. जी. को लिखकर दीजिए, रिक्वेस्ट करिये और इसका अनुमोदन करने के बाद आज जितनी भी यहां सोसायटीज हैं, जितने भी को-ऑपरेटिव बैंक हैं, दूसरी संस्थायें हैं को-ऑपरेटिव की उनका ए. जी. से आप ऑडिट करवाइये। जितने भी घपले हैं, लोग कहते हैं कि एक हजार करोड़ रुपये के घपले हैं, उनको आप निकलवाइये। कौन रोक रहा है?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं दो तीन बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आज हमारे यहां जो मेजर मिनरल की रोयल्टी है उसको बढ़ाये हुए सात साल हो गये। अब अगर इसकी रायल्टी और बढ़ा दी जाये तो हमारे यहां बहुत सारा पैसा उस रायल्टी के बढ़ने से हमारे राज्य को प्राप्त हो सकता है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पर दबाव डाल कर मेजर मिनरल पर रायल्टी बढ़ाने का सात साल से मुद्दा पड़ा हुआ है उसको करें और उससे राजस्व की आय, राजस्थान को होने वाली है उसके लिए कोशिश करें।

इसी तरह मैं सभापति महोदय, आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि और भी इस तरह के मुद्दे हैं हमारी जो सिंचाई की क्षमता है करीब चालीस लाख हैक्टेयर की उसके विपरीत हम आधी क्षमता का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर पूरी क्षमता का उपयोग करें तो हजारों-करोड़ों रुपये का लाभ आज राजस्थान को हो सकता है और उससे जो आय होगी 70-80, एक सौ करोड़ रुपये की राजस्थान की आय बढ़ सकती है। यह कुछ मुद्दे हैं जिन पर अगर हम काम करें तो मैं समझता हूं कि ये छोटे-छोटे टैक्स लगा कर, दस करोड़ का टैक्स लगाकर, आठ करोड़ का माफ करके दो करोड़ का जो करिश्मा दिखाने की कोशिश की है उसकी कोई जरूरत नहीं थी।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं फिर एक बार मेरे सत्तारूढ़ साथी हैं, आज सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है कि इस व्यवस्था को बदलने का नाम लेकर आज राजस्थान की जनता ने आपको सत्ता में भेजा है आज वह व्यवस्था पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रूकी हुई व्यवस्था है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया तो समय आने पर यही जनता जिसने आपको यहां बिठाया है वापिस आपको यहां बैठा देगी। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर माननीय श्री देवपुरा जी ने अपना मत व्यक्त किया,

(श्री सम्पत सिंह)

अपना मत व्यक्त किया उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल उनकी रीति नीति से सरकार ने जिस भावना से और माननीय मुख्य मन्त्री ने यह बजट, वह विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किया उस पर अपनी राय निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, एक विशेष वातावरण में इस वर्ष का बजट रखा गया है। यह बात ठीक है किसी भी विकासशील प्रांत के खजाने में कोई ज्यादा रुपया बाकी नहीं रह सकता लेकिन सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिए जब भविष्य के लिए राजस्व कोष में कोई खास मुद्रा नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में कोई भी वित्त मन्त्री, कोई भी मुख्य मन्त्री बढ़िया से बढ़िया, जो अपने चुनाव वायदों के परिप्रेक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर सकते थे मेरी समझ में आज की परिस्थिति में इससे कोई बेहतर दस्तावेज नहीं हो सकता। सभापति महोदय, उदाहरण के लिए मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं आपने बजट के अन्दर कुल 70 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया है और वृद्धावस्था पेन्शन रखने का प्रावधान किया है। इस घाटे के वातावरण में सभापति महोदय, कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस महती योजना को और जो चुनाव में पवित्र भावना से जो वायदा किया था दोनों पार्टियों ने उसको निभाने के लिए आनन-फानन में इस सरकार को 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आज पूरे देश में व्यवस्था है उसके मुताबिक आधी सहायता केन्द्र देगा लेकिन फिर भी 85 करोड़ रुपया आनन-फानन में हमारी सरकार को इन्तजाम करने पड़ेंगे। इस बात को मध्य नजर बड़ी गौर से रखा जा सकता है। सभापति महोदय, राजस्व लेखे हैं अब की बार 90 करोड़ के बजाय 114 करोड़ रुपये का घाटा होगा। यह पूंजीगत खाते में भी घाटा होगा और इससे निश्चित रूप से सरकार विकास की उपलब्धियों में बहुत ही मन्थर गति में आ जायेगी। जो कभी द्रुत गति से चलने के इरादे राजनीतिक पार्टियां रखा करती थीं। सभापति महोदय, पूरी अर्थव्यवस्था के हिसाब में अगर देखें तो हमारी पूंजीगत व्यय में अबकी बार कुल आठ करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है और 0.1 प्रतिशत इसका हमारे पूंजीगत खाते पर असर पड़ेगा। लेकिन भावों पर और मूल्यों की वास्तविक वृद्धि पर अगर आप गौर करेंगे तो कुल मिलाकर 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का असर निश्चित रूप से दिखेगा। आज हमारे जो माननीय सदस्य रोज-रोज चिन्ता व्यक्त करते हैं कि चार-छः महीने में रोजमर्रा की कीमतों में कितनी मूल्य वृद्धि हो गई। यह उस परिप्रेक्ष्य में जाकर नहीं कह रहे कि क्यों रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। सभापति महोदय, इसी परिस्थिति के चलते-चलते वित्त मन्त्री जी ने, मुख्य मन्त्री जी ने जो एक घोषणा की कि हम जो मुद्रा शुल्क होगी उसमें उन्होंने कटौती करने की घोषणा की। उदाहरण के बतौर में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी दस लाख रुपये

(श्री सम्पत सिंह)

की सम्पत्ति खरीदेगा या हस्तान्तरित करेगा उस सौदे में 38 हजार रुपये का नुकसान भी सरकार को सहन करना पड़ेगा। लेकिन सभापति महोदय, कुछ विकास और कुछ व्यवसाय को, केन्द्रीय सरकार को दूसरी-दूसरी संस्थाओं को विश्वास में लेकर चलना आज इस सरकार की मजबूरी हो गई है। जैसा कि उदाहरण के लिए मैंने विनती की कि एक दस लाख के ट्रान्जेक्शन में सरकार को 38 हजार रुपये का नुकसान होगा। इस तरह से अगर ब्योरेवार इस बजट में और विनियोग विधेयक में जाय तो बहुत सारे नुकसान की चीजें जिसको मैं कहना हूं कि सरकार की पेनफुल ड्यूटी बनी है, उनको दर्द भी है लेकिन वह अपना कर्त्तव्य भी समझ रहे हैं किसी न किसी प्रकार से अपने बजट को ढर्रे पर लाने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, आज निश्चित रूप से हमें चुनाव के उस वातावरण में झांकना होगा जिसका माननीय देवपुरा जी चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी गौरवशाली इतिहास की पार्टी रही है और लम्बे समय तक इस देश पर और इस प्रान्त पर इसका शासन रहा है, उन्होंने एक से एक बढ़िया काम करने की कोशिश भी की लेकिन आज अपने गिरेबां में झाक कर देखें एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते तो कुछ खामियां भी रही और अगर दूसरे मुल्कों और दूसरे प्रांतों की बनिस्पत आप तक मीना लगायेंगे तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि खामियां ज्यादा रही और हमारी उपलब्धियां कम रही है।

सभापति महोदय, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गठबंधन जनता दल की मिली जुली सरकार से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मुझे अफसोस हुआ इतने वरिष्ठ राजनेता आज जब एक तरफ देश शर्म से सिर झुका रहा था, केन्द्र की सरकार जब बोफर्स जैसे घोटाले, पनडुब्बियों जैसे घोटाले, आकाश, पाताल और समुद्र तक के घोटालों की चर्चा बड़े विशाल रूप से संसद के बाहर देश में होने लगी थी, आम आदमी का देश में जब सिर झुकने लगा था उस परिप्रेक्ष्य में हिन्दुस्तान की जनता ने और तीन महीने बाद राजस्थान की जनता ने जब तक फैसला किया, उस फैसले पर अगर हम टीकाटिप्पणी करते हैं उसके ऊपर अगर हम नुकताचीनी करते हैं तो यह वही भावना होगी कि जज के फैसले के बाद अगर आज हम कोई नुकताचीनी करें। उस आम आदमी ने जो इस देश का वीर विक्रमजीत है यह फैसला दिया कि कांग्रेस के साथी थोड़े दिन चैन से बैठे और एक नमूना देखें कि प्रशासन कैसे चलता है। एक बानगी देखें कि राज्य सरकार कैसी चलती हैं। राजस्थान की नहीं, हिन्दुस्तान की सरकार कैसे चलती है उसमें सरकार के सामने विपरीत परिस्थिति भी है। सभापति महोदय, एक तरफ जहां, धुर वामपन्थी पार्टियां हिन्दुस्तान की सरकार के समर्थन में खड़ी हैं तो दूसरी तरफ वाकई यह बड़े अचरज की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिसे दक्षिणपन्थी होने का फतवा दिया जाता है, वह समर्थन में जुटी है लेकिन यह राजनैतिक जमात इतनी कोई मूर्ख नहीं है कि वह जनता दल को समर्थन दे रही है। वह आपके

(श्री सम्पत सिंह)

कुशासन से, इस देश को त्रासदी से उभरने के लिए उन्होंने यह कड़वा या मीठा घूंट पिया है और अपना समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देते रहेंगे। जब तक हिन्दुस्तान में, राजस्थान में आम आदमी के सपनों के माफिक इस देश की धरती पर राजनीति जमीन पर नहीं उतरेगी।

सभापति महोदय, जिन्होंने मौत के घावों को बड़े करीब से देखा है आप बेहतर जानते हैं सभापति महोदय, जिन्दगी पर उनकी नजर बड़ी पैनी होती है। अब आप भूल जाओ जिन्होंने चालीस-चालीस साल तक विरोध के थपेड़े झेले हैं जिन्होंने अपने घर के गेहूं और बाजरे बेच-बेच कर के राजनीति की है उस जमात के लोग अगर शासन में हैं तो सभापति महोदय, जो लोग ऊंट की पूंछ को 25 साल नहीं छोड़ते आप समझते हैं वह राज को 40 साल छोड़ देंगे। इस लिये हमारी नजर इस शासन पर बड़ी पैनी है और आप तसल्ली से पांच साल में, दस साल में, पन्द्रह साल में विरोध करने का सलीका सीखिये आपको बहुत लम्बा मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं व्यक्तिगत तारीफ करना बुरी बात समझता हूं लेकिन जो यथार्थ की बात है उसको कहने के लिए भी मैं संकोच नहीं करना चाहता। श्री भैरोंसिह शेखावत राजस्थान के विपक्ष के नेता हुआ करते थे। जब प्लानिंग कमीशन के सामने राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री को सुना गया, जरूरी समझा गया कि राजस्थान के विपक्ष के नेता को सुना जाये और आपने जितनी उपलब्धियां करी न करी, हिन्दुस्तान के, राजस्थान के अखबारों ने लिखा कि राजस्थान के विपक्ष के नेता ने ब्योरेवार जो सजैशन्स दिये, उससे राजस्थान प्रान्त की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक से बढ़िया मौके प्लानिंग कमीशन के सामने आये....

श्री शिवचरण माथुर : प्लानिंग कमीशन नहीं फाइनैंस कमीशन।

श्री सम्पतसिंह : फाइनैंस कमीशन। माथुर साहब ने ठीक मुझे दुरुस्त किया।

श्री चन्दनमल बैद : सारा दुरुक्त करना पड़ेगा।

श्री सम्पतसिंह : हम उम्र के हिसाब से आपको दुरुस्त तो नहीं कर सकते आप की सेवा जरूर करेंगे और जंचके करेंगे। समाजवादी करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से करेंगे।

सभापति महोदय, राजनेताओं से लेकर, विश्वविद्यालय प्रोफेसर से लेकर हिन्दुस्तान का, राजस्थान का आम आदमी आज देश के लिए पीड़ित है, चिन्तित है। देश की एकता और अखण्डता के लिए वह चर्चा करता है, गाव में आंगन और चौपाल में चर्चा करता है और सभापति महोदय, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज पंजाब की समस्या किसकी देन है। जो साधारण से गुरुद्वारे के रागी हुआ करते थे भिण्डरावाले उनको हिन्दुस्तान की राजनीति के पर्दे पर और वह भी खून

(श्री सम्पत सिंह)

से लाल रंग करते-करते किसने उकसाया और कौन उकसाते रहे जब तक खुद नहीं मर गये ? सभापति महोदय, आज वाकई पंजाब में हालत खराब है । लेकिन विरासत में कैसे मिले है । 6 महीने में किसी केन्द्र की सरकार से, तीन महीने में किसी प्रान्त की सरकार से, हम यों नहीं कहते कि इनकी सारी नीतियां अक्षरशः सही है और तमाम चुनाव के वायदे इन्होंने पूरे कर दिये लेकिन तीन महीनों में अगर पांच साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा आज के दिन लेने बैठे तो यह सरकार के साथ ज्यादती होगी और हमारे प्रजातन्त्र के साथ ज्यादती होगी ।

सभापति महोदय, काश्मीर की चर्चा भी बड़े जोर शोर से होती है काश्मीर एक तरफ जल रहा था, काश्मीर घाटी में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया था और तो और चाहे आप विकास की बात करें न करें, जहाँ माँ बहिनों की अस्मत सुरक्षित नहीं रह गई थी उस वक्त काश्मीर का मुख्य मन्त्री फारूख अब्दुल्ला साहब विदेशों में स्केटिंग करते फिर रहे थे और+ + इन चीजों के लिये सभापति महो- कौन जिम्मेदार है ? आज आसाम की जो हालत बनी है, आज मिजोरम की जो हालत बनी है एक-एक समस्या का आप आनन-फानन में सुलझाने के लिये कोई अलादीन का चिराग नहीं है । प्रधान मन्त्री फारूख साहब ही बात नहीं कर रहे थे सभापति महोदय, एक ऐसा जमाना आ गया भारत का बेनजीर की तस्वीर के लिये, बेनजीर के के इन्टरव्यू के लिये हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री तरस-तरस कर रह जाते थे और विदेश में पांच मिनट के इन्टरव्यू और पांच मिनट की बातों के लिये जो लॉबिग उनको करनी पड़ी थी उससे सारा देश, करोड़ों-करोड़ों की संख्या में हमारा देशवासी उस समय शर्म से सिर नीचा कर रहा था । और आज वही बेनजीर है जो चला-चला के पेशकश कर रही है हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री के सामने कि हम आपके साथ बैठकर समस्या सुलझाना चाहते है.... (व्यवधान)

श्री डूंगर राम पंवार : बेनजीर, जिस की कोई नजीर ही नहीं है ।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, कोई भी आदमी अगर अपने आपको दुरुस्त करता है । वह अपने तमाम दाव चला लेता है माननीय देवपुरा जी ठीक फरमा रहे हैं बेनजीर साहिबा ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिन्दुस्तान के खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रस्ताव पास कराया लेकिन उस प्रस्ताव को पास कराया लेकिन उस प्रस्ताव के पास करवाने के बावजूद भी आपको याद होगा कि हिन्दुस्तान के काबिना तीन-तीन, चार-चार नजीर दुनिया में इस वातावरण को साफ करके आये और उसमें कांग्रेस के बड़ी नेता भी शामिल की गई । उन लोगों ने जाकर के हिन्दुस्तान का पक्ष रखा और उसके बाद बेनजीर ने अपनी सारी रीति-निती को दुरुस्त किया और आज वह बड़ी विनम्रता के साथ वह मजबूर हुई हैं कि वी. पी. सिंह के सामने,

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री सम्पत सिंह)

उनकी सरकार के सामने, हिन्दुस्तान पूरे देश के सामने वह एक विनम्र तौर पर आना चाह रही है और अपनी टेबल पर सारी बातों को सुलझाना चाह रही है।

श्री शिवचरण माथुर : सैक्टरी स्तर की जो वार्ता हो रही है उसका अखबारों में क्या छपा है आपको मालूम है ? (व्यवधान)।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनके भाषण की मैं कैसट दूं अगर आप सुन सकें.....

श्री सभापति : आप बोलने दीजिये इनको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो खून खौल जायेगा आपका। जिस तरह से उन्होंने हिन्दुस्तान का अपमान किया शर्म आने वाली बात है।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, जिस शिमला समझौते की अरब देशों में, अमरिका में इंगलैण्ड में और यहां तक कि रूस के राजनैयिक पूछ रहे थे जब शिमला का कोई समझौता ही नहीं था तो उस शिमला समझौते की बात आप बार-बार क्यों करते हैं। आज उसी शिमला समझौते को बाइबल का आदर समझा जा रहा है। इसके पीछे और किसी का नहीं हमें दाद देनी चाहिये विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयासों की हमें दाद देनी चाहिये हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेताओं को जो आज केन्द्र में सरकार चला रहे हैं और राजस्थान में जिन चीजों को अक्षरशः लागू करने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, यह बात नहीं है कि हमारे राज में अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर प्रजातन्त्र में हमें आम आदमी का विश्वास कायम रखना है वह भाव छोड़ना पड़ेगा कि King can do no wrong. गलतियां हमसे भी होती है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की कि हम फिजूलखर्ची पर रोक लगायेंगे। आज हम अगर यहाँ कहेंगे तो हमारे ऊपर विधायक दल, पार्टी का अनुशासन वह सारी चीजें हमको रखनी भी चाहिये। लेकिन अगर यथार्थ में हम अपनी सारी चीजों को यहां खुलकर चर्चा नहीं करेंगे तो जो हमारे मान और सम्मान में चार चांद लगाये थे भैरोंसिंह जी ने चुनाव जीतके और यहां विपक्ष की सरकार बना के, सत्ता बना के उसको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 साल बाद कोई न कोई तरीके से टीका-टिप्पणी होना शुरू होगी। इसलिए मैं, वर्तमान सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं हमको अपने खर्चों पर वाकई बंदिश लगानी चाहिये। आज हम अगर कहें न कहें लेकिन नवभारत टाइम्स के प्रतिदिन के स्तम्भ में शरद जोशी लिख रहे हैं कि हमारे मन्त्री जब हवाई अड्डे पर जाते हैं तो देवपुरा जी की तरह, माथुर साहब की तरह, हमारे मन्त्रियों के पीछे भी 50–50 गाड़ियों का काफिला अगर जायेगा तो सभापति महोदय हम केरल की तरह तो कोई नजीर नहीं पेश कर पायेंगे जो उस वक्त नम्बूदिरीपाद ने पेश करी थी। वह अपने सचिवालय जाते थे, स्वयं मन्त्रियों को ले जाते

(श्री सम्पत सिंह)

थे, टायर सोल की चप्पल पहनते थे, आधी बांह की कमीज पहनते थे, लुंगी पहनते थे। उस वक्त मोहतरमा इन्दिरा गांधी स्वयं कांग्रेस की प्रेसीडेन्ट होने के कारण घबरा गई थी उस सादगी को देखकर। घबरा गई थी उस अहिंसक वातावरण को को देखकर, अहिंसा विचार को देखकर। घबरा गई थी उस सादगी को और उस शक्ति को जो राजनैतिक पुंज संजोये करता था। जहां ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में राजनैतिक संस्था की अगर सार्वभौमिक संस्था कायम होगी तो ही हमारी एक-एक रीतियों, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और तभी हमारे इस विनियोग विधेयक और बजट की रेलेवेन्सी होगी, कोई उसकी उपयोगिता होगी उसमें जो आम गरीब के लिए सभापति महोदय, जिस भावना से यह विनियोग विधेयक और बजट रखा गया है, इस पर में सिर्फ दो शब्दों में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, एक से एक वरिष्ठ राजनैतिक नेता यहां विराजे हुए हैं। विपक्ष के भी और पक्ष भी पहले हम वोट मांगा करते थे। कांग्रेस के नेताओं के भी हमने भाषण सुने थे, विपक्ष के नेताओं के भी हमने भाषण सुने थे। दोनों के भाषण सुनकर आम आदमी जो चर्चा किया करता था, माननीय देवपुरा जी को बखूबी याद होगा, तमाम केन्द्र से लेकर नेता आते थे। और राजनैतिक भाषण न जाने मालूम क्या होते थे, शाम को कच्ची बस्तियों में गरीब जुलाहे, बुनकर, शोषित, रैगर, कंजर, सांसी, हरिजन इन गरीब तबके को जिनको आज से कल के खाने का इन्तजाम नहीं हुआ करता था। जिस महात्मा गांधी ने बहुमूल्य हथियार उस गरीब के हाथ में दिया था वोट का, उसको शाम को कभी कम्बल बांटकर, कभी वेणी बांटकर, कभी धोती बांटकर, उसको लूट ले जाया करते थे और जो डकैती पड़ती थी उस गरीब के वोट पर। अबकी बार ऐसा नहीं हुआ। अबकी बार मुद्दों पर पार्टी आई सामने। आपको भी मजबूरी में कहना पड़ा कि हम 15000 का कर्जा माफ करेंगे और उन्होंने कहा ही कहा। जो कहीं पूरा किया हरियाणा में और कहीं पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह जो बात हुई 3-4 महीने आप देखेंगे कर्जे माफी की चीजे निश्चित रूप से हमारे सामने आयेगी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं बस आखिरी शब्दों में निवेदन कर रहा हूं। जो जैसे वोट मांगा करते थे उसके परिप्रेक्ष्य में आज भैरोंसिंह सरकार ने, राज वी. पी. सिंह की सरकार ने आम आदमी के सामने एक राजसी राजनीति के दम्भ में यह वोट नहीं मांगे। उसने अपना वाकई अधिकार समझकर विनम्रता के नाते जनता की अदालत में गये कि जिस प्रान्त में जिस देश में 12–12, 14–14 करोड़ रुपये एक पूंजीपति के बिजली के बिलों का माफ किया जा सकता है। तूने सारी उम्र खेत और खलिहान में मेहनत की थी, तुम्हारे 100 रुपये से तो कुछ होगा नहीं लेकिन तेरे मान और सम्मान के लिए करने से पहले यह अहसास कराने के लिए कि तूने चाहे कांग्रेस के झण्डे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी, तूने चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी

(श्री सम्पत सिंह)

के झण्डे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे सोशिलिष्ट पार्टी के झण्डे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी। आज अगर तेरी जिन्दगी की शाम है तो तेरी जिन्दगी में 100 रुपये तुम्हारे मान और सम्मान के लिए हम देने की पेशकश करेंगे, अगर हिन्दुस्तान और राजस्थान में हमारा राज बनता है तो सभापति महोदय, आज आम आदमी भूल चुका है ढाका की मलमल को हम बुजुर्गों से ही सुना करते थे कैसे-कैसे नायब कारीगर हुआ करते थे जो एक ढाका की मलमल अगर बुनकर के थान रखते हैं तो पूरा का पूरा थान अंगूठी में निकलता है। आज जयपुर के राजस्थान के तमाम शिल्पकारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज एक-एक कारीगर, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का, चाहे वह धनकर हो, चाहे बुनकर हो, चाहे वह जुलाहा हो चाहे वह शिल्पकार हो। आज छोटे बड़े कारीगर तक की, मजदूर की जो हाथ से काम करता है, उसकी जब बदतर हालत को देखा राजस्थान की सरकार ने, अपने आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जितना कर सकते थे, उतना उन्होंने प्रावधान करके जिस विनम्रता की भावना से बजट और विनियोग विधेयक आपके सामने पेश किया है, उसका न सिर्फ हम बल्कि राजस्थान की चार करोड़ जनता निश्चित रूप से जल्दबाजी में नहीं, व काफी धैर्य के साथ देख रही है कि उन्होंने जिस भावना से पेश किया है और जिस भावना से हमारा अमूल्य मत लेकर आये थे, बुनकर की भी हैसियत होगी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की भी हैसियत होगी, डॉक्टर और इंजीनियर की भी हैसियत होगी, वकील इत्यादि सबकी हैसियत होगी, तो उस गरीब और शोषित की भी हैसियत होगी। यह बानगी दस्तावेज में रखने की सिर्फ पेशकश है और आशा करते हैं, हम आशावादी है। हमारे राजस्थान में एक अच्छी शुरूआत हुई है और कांग्रेस के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों से विनती करना चाहते हैं कि अभी टीका-टिप्पणी करने का बहुत मौका मिलेगा। अभी सिर्फ 6 महीने की आपने बानगी देखी है, तीन महीने की बानगी देखी है, 6 महीने और धैर्य रखिये। घोटाले इधर भी होंगे, क्योंकि मशीनरी तो वैसे ही है जो आपने रिकूट की थी, एक-एक मशीनरी वैसी ही है जो आपने रिकूट की थी। ऐसा नहीं है कि उनमें अच्छे-बुरे न कोई तो चीज छंटती है, अपवाद तो सब जगह होते हैं लेकिन आज आप बिला वजह हमारी आलोचना करेंगे तो कल किसी वजह से आलोचना करेंगे तो हिन्दुस्तान का, राजस्थान का आम नागरिक आपकी चाहे वैदजी हो, माथुर साहब हो चाहे देवपुरा जी हो, चाहे विश्नोई जी हो, चाहे नौजवान माननीय सदस्य हों, अगर बिल की वजह की आलोचना की शुरूआत हो गई तो कोई यकीन नहीं करेगा और ऐसी हालत हो गई तो कोई यकीन नहीं करेंगे किसी राजजनेता पर, किसी रानैतिक पार्टी के आदमी पर, तो सभापति महोदय, प्रजातन्त्र के हालत रहेंगे नहीं, वो बद से बदतर होते चले जायेंगे इसलिए इस विनियोग विधेयक की हम तारीफ करते हैं हम इसकी प्रशंसा करते है और सदन से गुजारिश करते हैं कि इसी भावना के साथ पास करें जिस भावना से पेश किया गया है।

(140)

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर ।

श्री डूंगरराम : हमारा तो मंत्री मण्डल चलेगा लेकिन आपका मललबी मण्डल बिखर गया, क्या रोला कर रहे हो ।

(4·00 म. प.)

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर आज हो रही चर्चा में अपने आपको शरीक करता हूं कुछ उपयोगी सुझाव रखना चाहता हूं । मैं अपने आपको राजनैतिक भाषण के वाद-विवाद से अलग रखता हुआ उन बातों पर आना चाहता हूं जो वास्तव में कुछ रचनात्मक सुधार और सुझाव है । माननीय सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय और मुख्य मंत्री महोदय के भाषणों को गहराई से पढ़ा और उन पर विचार किया और उसके बाद विभागों की मांगों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुने । वह जो वार्षिक बजट पेश हुआ है इसकी विशेषताओं की ओर मैं जाऊं तो कुछ बिन्दुओं को, इस वित्तीय बजट की विशेषताओं के रूप में चित्रित किया गया है जिनकी ओर मैं आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहला बिन्दु है—भ्रष्टाचार मिटाने का, दूसरा—प्रशासन में कटौती का, तीसरा—गांवों में विकास योजनाओं पर 60% खर्च का और चौथा बिन्दु है—गरीबों को प्राथमिकता, पांचवां—कर्ज माफी, छठा—वार्षिक योजना से 20% से अधिक बढ़ोतरी और इसके साथ-साथ नैतिक मूल्यों की दुराई । वह कुछ बातें इस बजट भाषण के दौरान मैंने सुनी है ।

आज इस विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है । पिछले 40 सालों से इस तरह से बजट पेश हुए हैं और लगातार बजट का ग्राफ वर्ष प्रति वर्ष ऊपर बढ़ता रहा तो 20% वार्षिक योजनाओं में बढ़ोतरी कोई नई बात नहीं है । हर साल बजट में कुछ-न कुछ बढ़ोतरी होती है । मैं उन मुद्दों पर जिनकी वजह से यह जो विशेषताएं चित्रित की गई हैं, उनकी वजह से इस बजट की तारीफ कर दूं इसमें मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं । जो बात बजट में मुख्य रूप से नई दिशा को, आमूल-चूल परिवर्तन की, नई व्यवस्था की बातें आई हैं वह मुझे इस बजट के परिप्रेक्ष्य में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती ।

भ्रष्टाचार के बारे में मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार में कोई गबन या पैसे के दुरुपयोग में पकड़ा जाता है और कार्यवाही होती है लेकिन महसूस करने की एक छोटी सी बात है । हमारा प्रशासन व्यवहार कुशलता और तत्परता का हो इस तरह सोचें तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बात है । हमारे कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक का है उसमें हमारे कर्मचारी दस की बजाय साढ़े दस बजे आकर साढ़े चार बजे चले जाते हैं । डेढ़ बजे के लंच में एक बजे कुर्सी छोड़ देते हैं और ढ़ाई तीन बजे आते हैं । अगर कोई बीच में कागज लेकर कार्यालय में आ जाता है तो उठकर कहीं केन्टीन में चले जाते हैं और 2–3 घंटे बाद वापिस लौटते हैं ।

(श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर)

क्या इस तरफ मुख्य मंत्री जी का या सरकार का ध्यान गया है ?

पिछले समय में दो तीन बड़ी-बड़ी हड़तालें हुई, 50–60 दिन तक कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनके पीछे लॉजिक थी कि मूल्य बढ़ गये। कार्यकुशलता के लिए वेतनमान बढ़ाने आवश्यक हैं। उनकी मांगें सरकार को माननी पड़ी। लेकिन क्या कार्यकुशलता आई ? क्या प्रशासन में तत्परता आई ? क्या उन लोगों को राहत मिली जिन पर हमारे प्रशासन तन्त्र का इतना खर्चा है। क्या डीलिंग तत्परता से होनी चाहिए पर इतने सौम्य और सहृदय हमारे कर्मचारी हैं ? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। वह छोटी-छोटी बातें, गांवों में कोई कर्मचारी है वह अपने मुख्यालय से नदारद रहता है चाहे गांवों का पटवारी हो, महीने में एक दिन वह जाता है और काश्तकारों को नहीं मिलता क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? हम भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं, इन सब बातों को कुशल प्रशासन देने के लिए सोचना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में 2–4 आदमियों को चाहे पकड़ लिया हो लेकिन हमेशा से, जब से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बना है, ऐसी बातें हो रही है। मैं इन बातों को अहमियत देता हूं चाहे आमूल-चूल परिवर्तन हो और ऐसी व्यवस्था अगर सरकार हमें दे, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है इसलिए मैं इसको प्रशंसा के काबिल नहीं मानता।

मान्यवर, पूरे बजट भाषण में और मांगों में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं आई कि हमारे देश की जनता को सस्ता न्याय देने का, शीघ्र और सच्चा न्याय देने का एक सच्चा सपना है। क्या इसकी तरफ सरकार ने कोई भी बात अपने बजट में कही है ? पूरे बजट भाषण में न्याय व्यवस्था पर कोई बात नहीं है और आज हमारे कोर्टों में जिस तरह का अम्बार लगा हुआ है। बीस-बीस साल से फैसले नहीं हो रहे। हजारों की संख्या में हाई कोर्ट से लेकर लोवर कोर्ट्स तक मुकदमें पेन्डिंग है। आज विधि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि दो लाख रुपये लगते हैं इसलिए कोई नया कोर्ट नहीं खोल सकते। मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन गरीब लोगों को बीस-बीस साल से न्याय नहीं मिलता उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। बजट में आप दूसरी कितनी ही तरह की बात करें लेकिन न्याय प्रशासन पर कुछ भी बात नहीं की है? और कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते थे कि पिछली सरकार ने एक नीति तय की थी कि हर तहसील पर ज्यूडिशियल न्यायालय की स्थापना हो जायेगी। इतनी बात तो आप बजट में शामिल कर लेते तो लोगों को सरल और सस्ता न्याय मिल सकता था लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया।

कृषि के क्षेत्र में जहां हरित क्रान्ति की बात आती है। कल कृषि मंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी थी कि हम कृषि सलाहकार समिति बनायेंगे और उस वक्त यह बात आई कि 3–4 विभाग जो कृषि से संबंधित है उनका को-आर्डिनेशन होना चाहिए। सभापति महोदय मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि के विकास और काश्तकारों के

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

सम्बन्ध में केवल 3–4 विभाग ही नहीं बल्कि दर्जन से ज्यादा 15-16 विभाग हैं जो सीधे कृषि से सम्बन्धित हैं। अगर हरित क्रान्ति लाना चाहते हैं उन सारे विभागों की जितनी योजनाएं है उनका जब तक को-आर्डिनेशन नहीं होगा तब तक सही बात नहीं होगी। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि स्थाई रूप से कृषि परिषद् बनाई जाय और जितने विभागों के को-आर्डिनेशन की जरूरत है वह सब इसमें शामिल हो उनकी योजनाओं की प्राथमिकता बने और उनके आधार पर कृषि उत्पादन और देश को आगे ले जाने की और किसान की खुशहाली लाने की बात हो, इस पर विचार किया जाय।

इसी प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में आज दिन तक वितरण और ऋण व्यवस्था दो मुख्य बातें ली गई लेकिन सहकारिता का क्षेत्र जो उपयोगी हो सकता वह यह है छोटे-छोटे जो कृषि के सहायक उद्योग हैं वह सहकारिता के आधार पर चल सकते हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए 3-4 जो सहकारी मिलें हैं, वह बड़े कायदे में चल रही हैं।

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। मैं वह कहता हूँ कि छोटे-छोटे उद्योग आपके सहकारिता के माध्यम से आपके गांवों में चल सकते है। माननीय मंत्री महोदय, इसी तरह से मैं ऋण नीति पर बहुत ही संक्षेप में अर्ज करना चाहता हूं....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, वह जो ऋण नीति से इस ऋण नीति के अन्दर एक तो प्रक्रिया सरल हो। एक यह है कि ऋण को उत्पादन से जोड़ा जाए। किसानों पर 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं हो और दुगना से अधिक ब्याज हो जाता है तो उसके बाद में ब्याज बंद हो जाए। सभापति महोदय, मैं एक और कहना चाहता हूं अगर वह सरकार किसानों की हमदर्द है तो इतनी सी बात जरूर करे। सभापति महोदय, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि जिन किसानों को आप ऋण दे रहे है उन किसानों को जमीन को भी आप भिजवा रहे हैं नीलाम कर रहे हैं अगर ऋण वसूली नहीं होती है तो उनकी जमीन नीलाम होती है। कम से कम यह नियम तो आप बना दें कि कर्ज अदायगी नहीं होने पर किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। इतनी आप हमदर्दी कर दें। यह बात मैं सरकार तक पहूँचना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से वह कटौती वाली बात है। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे लोगों से कि आपको जो भूप्रबन्ध विभाग है। आज की परिस्थितियां रहते इस भू-प्रबन्ध विभाग के होने की सार्थकता नहीं है। आपका राजस्व विभाग ऐसा है, इसमें इसको शामिल करके भी काम कर सकते है। सभापति महोदय, इसी तरह से वन विभाग की जो शेल्टर बेल्ट है यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। हमारे पूर्व वन मंत्री जी ने यह बहुत ही

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

अच्छा कार्यक्रम दिया। आज जो बड़ी-बड़ी सड़के है, उनके पास में जो चरागाह है उनको मैण्टेन नहीं किया जा रहा है....।

श्री समापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : समापति महोदय दो मिनट और चाहूंगा आपकी इजाजत से। वन विभाग की नीतियों में हमारे पूर्व वन मंत्री जी ने ऐसी बढ़िया स्कीम दी थी, वह स्कीम है शैल्टर बैल्क वाली। आज गांवों के अन्दर चरागाह कायम करके मैण्टेन करने वाली बात है। आज तक इसका सर्वे ही नहीं हुआ। लेकिन सड़कों के सहारे-सहारे तो वन विभाग के पानी के टैंकर भी जा सकते है। यह शैल्टर बेल्क वाली वन विभाग की जो स्कीम है वह बहुत ही अच्छी है। केवल इसको राष्ट्रीकृत और बड़ी सड़कों में ही सम्मिलित किया गया है। मैं कहता हूं माननीय समापति महोदय, अगर सरकार इस स्कीम को गांवों की सडकों से जोड़ दें। गांवों की जितनी भी सड़के रास्ते हैं उनके ऊपर अगर आप शैल्टर बेल्क की योजना को लागू कर दें तो आपके वन विभाग और आपका शैल्टर प्लान इतना अच्छा है आज। इससे आपका फॉरेस्ट एरिया बढ़ जावेगा। यह मैं अर्ज करना चाहता हूं। माननीय समापति महोदय, अब मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। 2 मिनट में इसको। बजट के लिए जो बातें कही हैं....

श्री समापति : आपकी दो मिनट कब होगी?

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : वैसे तो बहुत सारी बातें है कहने को। लेकिन समय सीमित है इसलिए मैं यह निष्कर्ष के रूप में कहना चाहता हूं समापति महोदय, बीस परसेन्ट की जहां बढ़ोतरी बजट में की और एक भी काम आगे विकास के नहीं हो रहे हैं तो मैं इसको यह संज्ञा देता हूं कि यह विकास की गति को रोकने वाला बजट है। दूसरी गरीबों के लिए जो बात कही गई है कि गरीबों को प्राथमिकता देंगे। समापति महोदय, दस करोड़ का जो बजट है वह सीधा गरीबों पर मार है इसलिए मैं इसको गरीबों के विरोधी की संज्ञा देता हूं। समापति महोदय, महंगाई बढ़ाने वाला बजट भी वह है। क्योंकि इसके अन्दर जो आपकी वितरण व्यवस्था है और उसमें जो सुधार की जो नीति है उसके अन्दर किसी भी तरह कोई अच्छाइयां नहीं आयी है और आखिर मुझे एक बात अर्ज करनी है वह यह है कि यह नैतिक मूल्यों को गिराने वाला बजट है। वह आपने कर्ज देने वाली बात की है क्या कल की तारीख में दूसरे लोग नहीं सोचेंगे कि आज जो कर्जा माफ हो गया वह चुकाओ ही मत ? वह भी माफ हो जायेगा।

श्री समापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : नौ हजार करोड़ का जो कर्ज है वहां पर आप 175 करोड़ का दे रहे हैं तो बाकी लोगों के अन्दर डिस्पेरिटी नहीं आयेगी क्या ? वह हमारे किसानों को डिमोरेलाइज करने वाली बात है। आम लोगों को डिमोरेलाइज करने वाली बात नहीं है ? इसलिए मैं इसको नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाला नहीं कहता।

(श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर)

सभापति महोदय अन्त में मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है कि चालीस साल में कुछ भी नहीं हुआ....

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : मैं यह ही निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय मैं यही अर्ज करना चाहता हमने बहुत बढिया, अच्छा, सुन्दर, मजबूत घर दिया है और सरकार केवल ऐसे ही लीपा पोती करके इसका श्रेय लेना चाहती है इसके अन्दर अगर एक्स्टेंशन करके और मंजिल बनाते और आज इसका एक्सटेंशन करते तो अच्छी बात होगी। यह केवल लीपा-पोती करके सुन्दर बनाने वाली बात केवल प्लस्तर करने वाली बात है। इसके सिवाय इस बजट में कुछ नहीं है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह जी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पक्ष और विपक्ष की ओर से काफी विचार रखे गये। मैं इस विधेयक पर अपनी बात प्रारम्भ करूं, उससे पहले राज्य के माननीय मुख्य मंत्री जी श्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट को ग्रामों की उन्नति के लिए बनाया। ग्रामों के विकास के लिए बनाया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बजट बनाते समय किन लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए विकास की जरूरत है। उसको मध्य नजर रखना बहुत जरूरी है और इस बजट में इस को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है इसलिए इसके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। माननीय सभापति महोदय, माननीय देवपुरा जी बोले थे, उन्होंने बताया कि वह जो व्यवस्था बदली है और व्यवस्था बदलने के साथ जिस-जिस प्रकार की घोषणायें हमने चुनावों के समय की थी, उन चुनावों की घोषणाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पांच वर्ष है। एक ही वर्ष में सब की सब घोषणायें पूरी नहीं होती है। लेकिन उनसे भी बढ़कर मैं माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर के विचारों का स्वागत करता हूं जिन्होंने इस बात को खुले दिल से कही की किसान पटवारी से अपनी जमा बन्दी की नकल लेते हैं। किसान अपना जमा खर्च पटवारी के यहां करते है किसी भी सहकारी महकमा में जाते समय लोगों की क्या दुर्गति होती थी ? उस दुर्गति के कारण से इस देश की व्यवस्था बदली है। चारों तरफ इस प्रकार का अंधकारमय वातावरण हो गया था। देश की जनता बदलाव चाहती थी और इस बदलाव के मुद्दे पर ही हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार बदली और हमारे राज्य में शासन बदला। इस बदलाव के पहले के कौन-कौन से कृत्य थे। मैं उनके विषय में थोड़ा सा सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री देवपुरा जी ने कहा कि यह बजट विकासशील नहीं है न इस बजट में स्कूल खोली गई, न चिकित्सालय खोले गये, न ही पशु चिकित्सालय खोले गये। इस प्रकार से विकासशील बजट नहीं बताया

(श्री हीरासिंह चौहान)

है। लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के वर्षों में, गत वर्ष में हमारे राज्य में उच्च प्राथमिक विद्यालय में तीन सौ माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत होने चाहिये थे लेकिन उसके स्थान पर 800 विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये गये। एवं क्रमोन्नत करने के साथ में पहले वाले विद्यालय से उस खुलने वाले विद्यालय की कितनी दूरी है, कितने विद्यार्थी वहां पर पढ़ने के लिए आयेंगे ? इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने जानकारी के लिए एक तारांकित प्रश्न पूछा था, उसके अन्दर मुझे जो आंकड़े दिए हैं, उनको देखने से ऐसा महसूस होता है कि हमारी पिछली सरकार ने बजट का कितना दुरुपयोग किया है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं। 1989 और 1990 में जो विद्यालय क्रमोन्नत किये गये। उदयपुर जिले में नडच माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किया गया 6 से 10 तक केवल मात्र 51 विद्यार्थी पढ़ रहे है, करवाड़ा में 40 विद्यार्थी हैं, कालीची में 62 है, जैतारा में 54 हैं, असेसरिया में 56 हैं, सुन्दरवास में 44 है, जाड़ोल 54 हैं, सामदा 34, बांसवाड़ा में बोरदा में 50% और भीलवाड़ा के आमली खोला का विद्यालय क्रमोन्नत किया गया उसमें केवल 40 विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से बीकानेर में खोचरों का चौक में 54, बादू ढाणी में 53, रामनगर में 41 विद्यार्थी हैं। ये कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी की संख्या हैं। जिस विद्यालय के ऊपर एक साल में लाखों रुपया खर्च होता है। अध्यापन में लगे हुये लोगों के प्रति अब क्या यही बजट है हमारा विकास का ? अब ऐसे-ऐसे कई विद्यालय रह गये जहां पर छात्रों की संख्या पांच सौ से अधिक है, लेकिन उन विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया। कुल मिलाकर के राजनैतिक भेदभाव रखकर के इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गलत विद्यालय खोले गये हैं जहां पर छात्र संख्या 60 से कम है और बहुत ही नजदीक दूसरे विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों को यथावत जारी रखना मैं सोचता हूं कि इस राजस्थान की जनता के साथ किसी भी प्रकार से हितकर नहीं होगा। क्योंकि बजट का बहुत बड़ा भाग इस पर खर्च हो रहा है और उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं हो रही है। जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन जगहों पर विद्यालय खोले जाने चाहिए। इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह चिकित्सालय खोले, आयुर्वेदिक खोले और ऐलोपैथिक खोले। एक गांव में जिसकी आबादी चार हजार, पांच हजार से कम है तीन-तीन प्रकार की सुविधायें दे रही हैं, जहां पर तीन प्रकार के चिकित्सालय उपलब्ध हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हजारों गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पांच हजार से भी अधिक हैं। या चार हजार से ऊपर है। उनको किसी भी प्रकार की सुविधा देने के बारे में सरकार ने नहीं सोचा।

(श्री हीरासिंह चौहान)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, यहाँ पूरे राजस्थान का एक नक्शा होना चाहिए। किस गांव की कितनी आबादी है और उस गांव को प्राथमिक तौर पर कितनी-कितनी सुविधा मिलनी चाहिए, इसका एक पूरा चार्ट होना चाहिए और उस चार्ट के अनुसार ही यह काम होने चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1977 में कुछ माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए गए थे और कुछ पेयजल की स्कीमें लागू की गई थी। उदयपुर जिले में मीम तहसील में एक कूकड़ा गांव है जिसकी आबादी सात-आठ हजार है लेकिन मेन जो गांव है वहाँ मुश्किल से तीन-चार सौ लोग बसते हैं। जब पेयजल विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कौन सा गांव है, नक्शा देखा तो पता लगा कि वह कूकड़ा ही है। यह योजना उस गांव की जनसंख्या के आधार पर थी लेकिन जनसख्या आस-पास की ढाणियों में बसी हुई थी। इस प्रकार जनता राज में 1977 से 1980 के बीच में जितने भी माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं, जहां-जहां स्कीमें लागू की गई, वह जनसंख्या के आधार पर लागू की गई। जो गांव वास्तव में विकास के लिए उस क्रम में हिस्सा रखता था उनको हिस्सा दिया गया। लेकिन पिछले समय में सन् 1980 के बाद में सारे काम बिल्कुल राजनीतिक आधार पर किए गए हैं।

मैं सोचता हूँ कि पिछली सरकार ने यह गलत काम किए हैं उनका दण्ड इनको मिला। गुर्जर साहब ने यह भी कहा कि आप भी सम्भल कर चलो, यह सावधानी है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ हम हर काम को बड़े सम्भल कर करेंगे। जिस बात की हम आलोचना करते रहे, जिस बात को हम लगातार कहते रहे कि यह अमुक काम गलत हो रहा है, जिसकी हम आलोचना करते रहे, क्या वह हमारी नजर में नहीं है? हम चाहते है कि राजस्थान में बहुत अच्छा प्रशासन हो, बहुत अच्छी प्रगति राजस्थान करे। मैं शेखावत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ–माननीय सुखाड़ियाजी के इन्तकाल के बाद राज्य का कौन ऐसा मुख्यमन्त्री रहा जिसने राज्य को आगे बढ़ाने में योजनाबद्ध तरीके से विकास किया? कोई ऐसा मुख्य मन्त्री नहीं रहा। वह केवल अपनी कुर्सी को बचाने में लगातार रहे। इस प्रान्त का कैसे विकास करना है, कौनसा ऐसा शहर है जिसमें पेयजल योजना लागू करनी है, पानी कहां से लाना है, कहां सड़कों को जोड़ना है, किस प्रकार प्रकार भू-जल की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार खानों को व्यवस्थित करना है, वह सारी चीजें इन लोगों के दिमाग में ही नहीं थी। कुर्सी कैसे बचायी जाए, केवल इस धन्धे में लगे रहे। राजस्थान प्रदेश की उन्नति के लिए कोई ध्यान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, हम विश्वास करते हैं जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके बारे में। एक बड़ी क्रिटिसाइज की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले ही हमने गठबन्धन कर लिया था कि हम जीतेंगे तो साथ-साथ राज करेंगे, साथ-साथ सत्ता में आयेंगे। जब हम चुनावों से पूर्व इस प्रकार का गठबन्धन करके राज में आए और राज में आकर कुशल शासन देना चाहते हैं तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

इस कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि थोड़ा इस शासन को देखें कि कितना अच्छा शासन देते हैं, बदलाव के साथ अच्छे कामों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की आलोचना करना, महज आलोचना करना ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इसी बजट में आप देख लीजिए–किसानों को सिंचाई के लिए कुओं की बीमा योजना लागू की गई। कितनी अच्छी योजना है। जो छोटी जोत के काश्तकार हैं, पांच-सात समूह में मिल कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर ट्यूब वैल में से पानी निकलता है तो उनसे राशि ली जायेगी अन्यथा उस राशि में छूट दी जायेगी लघु सिंचाई योजनाओं पर बड़ी भारी धनराशि रखी गई है। जहां जल है वहां जगदीश है। पानी की कमी के कारण हमारे प्रदेश में सूखा होता रहता है इस प्रकार का हमारा भू-भाग है जहां पर हम नहीं कह सकते कि निरन्तर बरसात बरसती रहेगी जहां पर कभी बरसात आ जाती है तो कभी नहीं। इस वर्ष हमारे पश्चिमी राजस्थान में, जहां सदैव बरसात की कमी रहती है, इन्द्र देवता ने अच्छी बरसात की। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां कम बरसात हो रही रही है। बरसात के इस असंतुलन, मानसून को देखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि इस प्रदेश के किसानों की भूमि को पानी उपलब्ध करवाया जाए और पानी उपलब्ध कराने के लिए जितना भी धन खर्च कर सकते हैं, उतना धन खर्च किया गया। किसान के खेत को पानी मिलता है तो किसान के लड़के पढ़-लिख कर खेती भी करेंगे आगे खेती करना चाहते हैं, दर-दर भटकना नहीं चाहते लेकिन कुओं में पानी नहीं है। एक परिवार है उसका भी गुजारा उससे नहीं चलता है तो शेष परिवार को कहां व्यवस्थित किया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में ज्यादा से ज्यादा जो मद रखी गई है वह किसानों और खेती के लिए है और खेती के साथ सिंचाई के साधनों के लिए रखी गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट जो प्रावधान किए गए हैं यह राज्य के आगे आने वाले समय के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा मार्ग है। माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार को मिटाना कोई आसान काम नहीं है। किसी मुख्यमन्त्री ने किसी कमजोरी को मिटाने के लिए घोषणा तो की हो? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय शेखावत साहब ने भ्रष्टाचार सरीखे गम्भीर रोग को मिटाने की घोषणा की है कि मैं राजस्थान से इस भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। यह घोषणा करना, उसी के अनुसार आचरण करना और उसके अनुसार आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। मैं पिछले दिनों मोहनगढ़ गया था जहां इन्दिरा गांधी नहर और उसकी वितरिकाएं बन रही हैं। वहां पर हमें थोड़े डीजल की कमी पड़ गई। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं–जो पहले डीजल यों ही मिलता था, सीमेंट यों ही जाता था, सब कुछ यों ही हो रहा था, मोहनगढ़ जैसे दूर-दराज के क्षेत्र में, पाकिस्तान के किनारे बैठे लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जो अंकुश

(श्री हीरासिंह चौहान)

लगाया है, हम भी मानते हैं कि सबसे पहला अच्छा और कदम है और इससे जगह-जगह भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर अंकुश लगेगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : राज्य की उन्नति में जो हम धन खर्च करना चाहते थे, कहां धन खर्च होना चाहिये, उस जगह नहीं जाता था और फिजूलखर्ची में यों ही खर्च हो रहा था उसके लिये अधिकारियों को भी टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया है कि अमुक योजना के साथ आप लग कर यह देखिये कि उसकी क्या उपलब्धि होती है उपलब्धि के लिये ही सारा धन खर्च होता है और उपलब्धि होगी तो मैं सोचता हूँ, यह जो राजस्थान प्रदेश है, अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है, हमने पिछले चालीस सालों में आंकड़े देखे हैं, हम किसी काम में आगे नहीं है। कहीं तेरहवां नम्बर है तो कहीं चौहदवां, कहीं सत्रहवां नम्बर आता है तो कहीं अठारहवां। अगर हम प्रगति के लिये एक स्कीम बनाकर टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के साथ आगे बढ़े तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा राजस्थान विकास करेगा यह मेरी भावना है और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की प्रगति के लिये इस बजट और जो विनियोग विधेयक है, इसको इसी रूप में पारित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय पण्डित रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति जी, आज हम जिस हालत में राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसको हमें गम्भीरता से लेना चाहिये। आज यह चर्चा है कि इससे सरकार ने बहुत काम किये और वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं माननीय सदस्यों से इतना कहना चाहता हूँ, यह मैं जानता हूँ कि योग्य लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग उनको यह समझना चाहिये कि अर्थ में जो प्रक्रिया होती है उसके दो रूप हैं। एक है फैलाव का और दूसरा सुदृढ़ीकरण का। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की जैसी वित्तीय स्थिति है उसमें कन्सोलीडेशन की बहुत जरूरत थी और कन्सोलीडेशन की जरूरत कोई हमारे राजस्थान में नहीं हुई, कोई हमारे देश में नहीं हुई सेकण्ड वर्ल्ड वार के बाद आपने देखा होगा कि यूरोप में जब मार्शल प्लान के मार्फत पुनर्निर्माण किया गया तो वहां फैलाव की बजाय कन्सोलीडेशन पर जोर दिया गया था इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं इसलिए विकास नहीं होगा, जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि डिस्पैंसरी नहीं खोली इसलिए विकास नहीं होगा, मैं उनको इतना निवेदन कर दूँ कि आर्थिक प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है न इसे कांग्रेस राज से कोई फर्क पड़ने वाला है। न इसे जनता राज में कोई फर्क पड़ने वाला है और न किसी दूसरे राज से फर्क पड़ने वाला है। यह निरन्तर चलनेवाली प्रक्रिया है और इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हम सबसे पहले देखें कि हमारे राज्य की स्थिति क्या है? जब राजस्थान बना था उस समय राजस्थान का बजट 14 करोड़ रुपये का था, रियासतों के समय में,

(श्री रामकिशन)

और प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जब हमने काम शुरू किया था तो राजस्थान का बजट 16 करोड़ रुपये का था । आज राजस्थान का बजट 5373 करोड़ का हो गया है तो इसका मतलब है विस्तार तो हमारी इकॉनोमी का हुआ है । इसमें, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस का योगदान नहीं है । लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इतने वित्तीय प्रबन्ध के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए ? रिजल्ट्स के सम्बन्ध में मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा, खास तौर से उनसे, जो अब तक राज सत्ता में रहे हैं कि वह जरा देखें कि निरन्तर हमारी वित्तीय स्थिति का फैलाव तो होता गया लेकिन हम कर्ज में डूबते चले गए और जो लक्ष्य हमने रखे थे, योजनाओं के मार्फत जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे उनमें हम निरन्तर भटकते चले गए और आज स्थिति यह है कि हमारी देनदारियां तो ज्यादा हो गई और हमारे पास परिसम्पत्ति रह गई है कम । हम जब सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि खजाना खाली छोड़ गए, उसका यह मतलब नहीं है कि खजाने में कोई टैक्स का पैसा नहीं छोड़ गए । असल हालत यह है कि अगर यह राज्य सरकार नहीं होती और कोई बनिया की दुकान या प्राइवेट कम्पनी होती तो अब तक इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता । आप जानते हैं, आज स्थिति क्या है । हमारी परिसम्पत्तियां, हमारी असेट्स निरन्तर घट रही हैं और देनदारियां निरन्तर बढ़ रही हैं । यह सारी स्थिति हमें मिली है और इस राजस्थान का नया निर्माण हमें करना है । हमारी हालत क्या है ।

सभापति महोदय, जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय हम पर 956 लाख रुपये का कर्जा था और आज, हालत यह है कि इस वर्ष हमारे ऊपर कर्जा जिस पर हमें ब्याज देना होगा वह 4 लाख 45 हजार 56 करोड़ के करीब है । ब्याज की रकम ही अरबों पर पहुंच गयी है ब्याज बढ़ रहा है, परिसम्पत्तियां बढ़ रही हैं और विकास दर वही है, साढ़े तीन से पांच के बीच में । सवाल यह है कि आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो ? आर्थिक स्थिति में बिगड़ाव होगा तो निश्चित रूप से विकास के फैलाव को रोकना होगा, फैलाव को लगाम लगानी होगी और कंसोलिडेशन का दौर शुरू होगा । सभापति महोदय, राज्य सरकार ने बजट रखा है, मैं कोई भैरोंसिंह जी की तारीफ करने वाला नहीं हूं । मैं ऐसा हूं ही नहीं, यह तो सब जानते हैं । मैं ऐसी तारीफ करने वाला नहीं हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय उन्होंने उचित कदम उठाया है क्योंकि फैलाव के साथ जब इकॉनोमी फैलती चली जायेगी और कन्सोलिडेशन नहीं होगा तो उसके रिजल्ट कभी नहीं आ सकते हैं । इसलिए राजस्थान में भी और देश में भी यह प्रक्रिया शायद दो चार पांच साल चलानी पड़ेगी । जब तक हमारी लायबिलिटी और असेट्स बराबर नहीं हो जाते हैं । आज हालत यह है कि देनदारियां बढ़ रही हैं और हमारे साधन घट रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं उन से जो आज तक सरकार में रहे और जिन्होंने राज

(श्री रामकिशन)

चलाया है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी दयनीय स्थिति छोड़ने के बाद जब यह कहते हैं कि भूगोल ने हमारे साथ अन्याय किया, इतिहास ने हमारे साथ अन्याय किया है तो यह सच बात है, हमारी ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं पर हम नहीं कहते कि हमारा मुकाबला महाराष्ट्र से होना चाहिए । मैं भी नहीं कहता कि हमारा मुकाबला पंजाब से होना चाहिए । लेकिन इतिहास ने और भूगोल ने हमारे साथ कुछ अन्याय किया है तो कुछ हमारे साथ न्याय भी किया था और न्याय यह हुआ था कि प्रति 100 वर्ग मील पर हमारी आबादी सबसे कम है । जमीन हमें सबसे ज्यादा मिली है । अगर हमारे पास पिछड़ेपन के साथ-साथ राजनेताओं का दिमाग पिछड़ा हुआ नहीं होता तो हमारी हालत जैसे इजराइल ने हालात पैदा कर लिये, छोटे-छोटे मुल्कों ने हालात पैदा कर लिये वह हालात हम पैदा कर सकते थे लेकिन सभापति महोदय, वह हालत हम पैदा नहीं कर सके । इसलिए सभापति महोदय, मुझे इतना सा ही कहना है कि माननीय देवपुराजी ने यह कहा था कि जो कुछ हम कर आये उसको याद कर रहे हैं । बिल्कुल सही बात है । राजनीति के बदलाव के साथ अर्थ-व्यवस्था नहीं बदल जाती है, अर्थतन्त्र नहीं बदल जाते । यह तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसका न अफसोस करना चाहिए और न उसकी शिकायत करनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं । कुछ लोगों ने कहा हमें देवपुराजी के भाषण से बड़ी निराशा हुई । किस बात की निराशा, निराशा तो तब होती जब हमें उनसे इससे ज्यादा आशा होती । इससे ज्यादा तो हमें आशा ही नहीं थी । यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश के अर्थतंत्र और समाज के अन्दर जब बिगड़ाव और रुकावट आती है तो किस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं । मैंने उनको मिसाल दी मार्शल प्लान की, दक्षिणी पूर्वी एशिया के विकास की । इन दो मिसालों के बाद मैं समझता हूं कि कांग्रेस के माननीय राजनेताओं को कम से कम इस चर्चा को बंद कर देना चाहिए और इस सरकार की तारीफ करें कि कन्सोलिडेशन के मार्फत इस अर्थतन्त्र को लाइन पर लाने की कोशिश की जा रही है । इसके लिए हमको उन्हें बधाई देनी चाहिए । इस पर मुझे यह बात कहनी थी ।

सभापति महोदय, अब सवाल यह उठता है कि हमें कर्जा वाला राजस्थान मिला है, ब्याज की देनदारी वाला राजस्थान मिला है, हमें दिवालिया राजस्थान मिला है । अब यह तो जो मिलना था वह मिल गया । लेकिन खाली हम यह कहते रहे कि हमें दिवालिया राजस्थान मिला है तो इससे समस्या का अन्त नहीं होगा । अब हमें जरूरत है साधनों की । हमें राजस्थान नहर को पूरा करना है, हमें बुढ्ढों को पेंशन देनी है, हमें गरीबों के कर्ज माफ करने हैं । सवाल है साधनों का और संसाधनों की आज स्थिति बहुत खराब है । जो सीधे कर हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर उसके लिए आम तौर पर अर्थ शास्त्रियों की यह राय है कि हम करों के सेच्युरेशन पाइंट पर पहुंच गये

(151)

(श्री रामकिशन)

हैं। अब हमारे पास टैक्स लगाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर हमारी इकोनोमी सात प्रतिशत के आसपास विकसित होगी तो हम टैक्स लगा पायेंगे लेकिन हमारे विकास की दर है वह आठवीं योजना में 5·2 प्रतिशत बतायी जा रही है अन्यथा हमारी आर्थिक विकास दर 3·5 से ज्यादा नहीं है और जब ज्यादा नहीं है तो हमारे पास करों में वृद्धि की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार को कुछ काम ऐसे करने चाहिये जिससे हमें संसाधन मिले। अब संसाधन कहां से मिलेंगे ? मुख्यमंत्रीजी ने कुछ टैक्स लगाये। माननीय सदस्य उनका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा पशु मेलों पर टैक्स क्यों लगा दिया। मैं भी कहता हूं कि पशु मेलों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। चलो छोड़ो इसको। उन्होंने टैक्स लगाया वीडियो फिल्म पर तो कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि वीडियो फिल्म पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था मैं कहना चाहता हूं कि नहीं लगाना चाहिए यहां तक तो हम स्वीकार करते हैं लेकिन लगना किस पर चाहिए यह भी तो उनको बताना चाहिए। हमारे पास क्या साधन हैं ? कौन से जरिये हैं ? जरा उनकी तरफ उनको इशारा तो करना चाहिए थां। उनको राज का भी अनुभव है। उन्होंने लम्बे समय तक राज किया है। इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि वह अनुभवहीन हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को वीडियो फिल्म पर टैक्स लगाना चाहिए। जो लगाया उसका मैं स्वागत करता हूं।

परन्तु मैं मुख्यमंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सुन्दरता बढ़ाने वाले पार्लर हैं उनको कैसे छोड़ दिया ? उन पर तो टैक्स लगाना चाहिए था इस पर मुझे ताज्जुब है। या तो मुख्यमंत्रीजी को शोक लग गया है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : व्यक्तिगत जलन के आधार पर किसी पर टैक्स लगाने की बात नहीं करूंगा। आप गये क्यों थे ? आप से पांच सौ रुपये ले लिये इसकी जलन है आप गये क्यों थे ब्यूटी पार्लर।

श्री रामकिशन : मैं नहीं गया था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अफसरों की बीवी और बड़े लोग हैं उन्होंने चला रखे हैं ज्यादातर वे सुन्दर बनने के पार्लर। या तो मुख्यमंत्रीजी की अफसरों से ज्यादा जान पहचान है या सेठों से ज्यादा नजदीकी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी तेज नजर उन पर क्यों नहीं गयी। उनको एक-एक मामले पर पांच-पांच सौ रु. लेते हुए मैंने देखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप गये क्यों थे ? एयर कंडीशन सैलून के भरोसे ब्यूटी पार्लर में क्यों गये ?

श्री रामकिशन : अब सभापति महोदय इस सुन्दरता के बारे में मुझे एक बात कहनी है। यह सुन्दरता का कान्सेप्ट हमने यूरोप से लिया है। हम काले थे, इससे हर गोरे को हम सुन्दर समझते हैं। मैं इतिहास से

(श्री रामकिशन)

एक बात कहना चाहता हूं कि इतिहास में सबसे सुन्दर औरत कौन है ?....

एक माननीय सदस्य : लैला ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, पद्मिनी ।

श्री रामकिशन : लैला नहीं थी । पौराणिक औरत सबसे सुन्दर थी तो द्रोपदी थी और उसका रंग श्याम था । श्याम और श्यामा की जोड़ी महाभारत में सबसे मशहूर थी । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा गौरा रंग कुछ दिन चमक तो दे सकता है लेकिन सुन्दर का मतलब है अंगों का गठन, अंगों का शरीर का गठन कैसा है ? शरीर का गठन जिसका सुन्दर होगा वह महिला सुन्दर होगी । ये ढीले ढाले अंग और केवल गोरे रंग से महिलाओं को सुन्दर समझ लेंगे तो आप भूल करेंगे । तो मुख्यमंत्री जी मुझे तो आपको सब बातें बतानी पड़ती हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा पर इस ब्यूटी पार्लर पर टैक्स लगाना चाहिए ।

मवेशियों पर टैक्स माफ करें, पार्लर पर टैक्स लगायें और यह सुन्दरता का कोन्सेप्ट इतना रद्दी बन चुका है । काजल लगाना तो अच्छा लगता है लेकिन जब होठों को लाल कर लेती हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आखिर यह सुन्दरता का कौन-सा माप दण्ड है । आपने देखा होगा जिन्होंने रामायण पढ़ी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लगाना तो आपको बुरा लगता है । लेकिन आप लिपिस्टक जयपुर से खरीद कर घर क्यों ले जाते हैं ?

श्री नत्थी सिंह : वह तो डर के मारे ले जाते हैं ।

श्री रामकिशन : वह डर के मारे नहीं, वह मैं क्यों ले जाता हूं वह मैं आपको अलग से बता सकता हूं । यहां नहीं बता सकता हूं ।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब सीता को रावण ले गया तो राम का जो विलाप था वह सीता के रंग को लेकर नहीं था उसमें केवल अंग का जिक्र है कि उनका यह अंग ऐसा था, यह अंग ऐसा था । तो मैं इस कान्सेप्ट को बदलना चाहता हूं । हम गोरों की नकल करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं । यह मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इससे आपको भी फायदा होगा कि आपको टैक्स मिलेगा और इस तरह से सभापति महोदय, जो फिजूल खर्ची होती है यह भी कम होगी । एक निवेदन तो मैं इस पर कर रहा था ।

एक दूसरा निवेदन और करना है । आज एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ भी है और राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रीजी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उससे काम में दिक्कत हो रही है । इसका मतलब यह हुआ कि या तो हम इन लोगों को भ्रष्टाचार करने दें या यह काम नहीं करने देंगे । और यह मान्यता है तो मैं कहूंगा मुख्यमंत्री

(श्री रामकिशन)

जी आप इस पर आगे बढ़ते जाइये। राज हमारी तकदीर में नहीं लिखा हैं। हम इतिहास बनाने आये हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कदम उठाइये। कदम उठाइये ताकत से और हिम्मत से हम राज छोड़ सकते हैं, सत्ता से जा सकते हैं। आप तो दो बार झण्डी लगा चुके हैं इसलिए आपको कोई अफसोस नहीं होगा अगर जायें तो जायें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े अफसर यह रुख ले रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जा रहा है तो यह भैरोंसिह जी की निन्दा नहीं है यह भैरों सिह जी की तारीफ है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर आगे बढ़े। सरकार और हम को जोर लगाना चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन मुख्यमंत्रीजी मुझे कुछ शंका है। भाषण तो बड़े जोर से दिये लेकिन इस सदन में, इस सत्र में कुछ मामले उठे हैं। मैं उनका जिक्र लम्बा नहीं करना चाहूंगा। सीमेण्ट का मामला उठा, आप चुप लगा गये। चने का मामला उठा, आप चुप लगा गये, कांकरोली का कस्टम का मामला उठा आप चुप लगा गये, पाइप का मामला उठा आप सदन से बाहर चले गये तो क्या मैं यह मानूं कि सरकार इन मामलों में गम्भीर नहीं है। अगर आप यह तर्क देते हो कि गम्भीर है, तो फिर इन पर एक्शन होना चाहिये और कल जब आपका जबाब हो, तो हमें सूचना मिलनी चाहिये ताकि राज में यह वातावरण बने कि हमने जो लड़ाई छेड़ी है, उस लड़ाई पर निरन्तर बढ़ते चले जायेंगे। एक निवेदन मुझे आपसे करना है कि यह संसाधनों का झगड़ा कम है, कहां पैसे की कमी है। शहरी सम्पत्ति सीमा का कानून बन चुका है आज भी 15 साल हो गये, मैं नहीं समझता कि हमारे पास पैसे की कमी है। आज जयपुर ने महाराजा के पास कितनी सम्पत्ति है। यह 15 सौ वर्ग गज से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, लेकिन उनके पास ज्यादा जमीन है। बल्कि मुझे जहां तक जानकारी मिली है, काफी जमीन उनके पास है, क्या आप उसे नहीं ले सकते। बीकानेर के राजा की जमीन है, कोई अटल साहब की जमीन है, हमारे सेठों की जमीन है, जब कानून बन चुका....

श्री हरिसिह (महुवा) : कोई पंडितजी का नाम मत बता देना।

श्री रामकिशन : पंडित होगा तो बता दूंगा

श्री हरिसिह (महुवा) : हां, बता दो।

श्री रामकिशन : लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति की सीमा बनने के बाद हमारे पास बहुत जमीनें हैं। और आज उन जमीनों की कीमत अगर बाजार भाव छोड़ भी दें, तो 10 अरब से ज्यादा है, जो सरप्लस हो चुकी है, जो सरप्लस होने लायक है, लेकिन उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की। कांग्रेस के लोगों ने तो उसका सदुपयोग किया नहीं और दुरुपयोग यहां तक किया कि राजाओं की जमीन के नियमन का कानून बनाकर चले गये, तो मैं निवे-

(श्री रामकिशन)

दन करना चाहता हूं कि आप अगर इसी रास्ते पर चलना चाहते हो तो फिर संसाधन आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप थोड़ा साहस, हिम्मत करोगे, तो हमें बहुत बड़ा संसाधन शहरी सम्पत्ति से मिल सकता है। हमने जमीन का कानून बनाया था। ग्रामीण जमीन की सीमा निश्चित हुई, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। शहर में हमने शहरी सम्पत्ति को अधिग्रहण करने का कानून बनाया था, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो सभापति महोदय, मैं इतना सा इशारा करना चाहता हूं हमारे पास पैसा है, पैसा लिया जा सकता है और इतना पैसा लिया जा सकता है कि हमारे राजस्थान के विकास की गति को हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

(4.44 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

लेकिन उसमें थोड़े साहस और हिम्मत की जरूरत है और मुझे उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अमरूद वाले मामले को तो आप यहां उठाते रहे हैं, मैं तो सदन में नहीं था, आप तो बहुत उठाते रहे हैं। वह केस हुआ, केस खारिज हो गया, आप उसे नहीं खुलवा सकते। कैसे अफसरों ने मिलकर उस मामले में गड़बड़ की है, उसकी आपको जांच करानी चाहिये और उस केस को दुबारा दर्ज कराके उसका अधिग्रहण करना चाहिये। हमारे पास साधन हैं लेकिन सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो हम साधन जुटा सकते हैं। अब की बार तो सभापति महोदय, चौधरी देवीलाल ने खास तौर पर जोर दिया है कि शहरी सम्पत्ति की सीमा से ज्यादा जो चीज है उसका अधिग्रहण करना चाहिये और खास तौर पर जनता दल की राय भी है कि इस मामले पर सरकार को तेजी से बढ़ना चाहिये, बी. जे. पी. की राय तो है ही, फिर इसमें आपको क्या दिक्कत है। कांग्रेस बना गये कांग्रेस वाले। हमने इन पर अमल नहीं किया। यह तो खाली यह कहते रहे कि हम प्रगतिशील हैं, दिखाने के लिए। लेकिन अमल के नाम पर शून्य है कुछ नहीं कर पाये। अब आपके पास कानून है, आपके पास सरप्लस जमीन है, जजमेण्ट आ चुके हैं, फैसले हो चुके हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा, शहर के बड़े धन्ना सेठों की जहां-जहां जमीनें हैं, क्योंकि 5 बड़े शहरों में अभी कानून लागू है, शायद भरतपुर, अलवर और दूसरी जगहों पर लागू नहीं है वह एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर जहां-जहां पर लागू है अगर उस सरप्लस जमीन को ले लिया जाये तो 20 अरब के करीब जमीन आपको मिलेगी। आज के बाजार भाव से राजस्व में 20 अरब रुपया मिलेगा। तो आपके पास संसाधनों की कमी कहां है। अगर यह संसाधन होंगे तो हम बुड्ढ़ों को पेन्शन भी देंगे, हम गरीबों का कर्ज भी माफ करेंगे, राजस्थान नहर का निर्माण भी करेंगे, हम कुए

(155)

(श्री रामकिशन)

भी खुदवायेंगे, स्कूल भी खोलेंगे, आपको जरूरत इस बात की है। एक निवेदन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ सदन के मार्फत कि, आपने 70 साल के बुड्ढों की पेन्शन की घोषणा की है, 70 साल के बुड्ढों को पेन्शन, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अब आप सोचिये कि गरीब की रेखा से नीचे कोई 70 साल तक जिन्दा रह सकता है, क्या ? किसी डाक्टर से आप पूछिये, सुनिये, जरा इसको समझिये। आजादी के समय हिन्दुस्तान में औसत उम्र 38 साल थी, आज उसकी उम्र 57 साल हैं और हम 70 साल पर पेन्शन देने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारी भत्ते बनाते ही रह जायेंगे कोई 70 साल का बुड्ढा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए न तो कोई पौष्टिक आहार होता है, न उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इसलिये मेहरबानी करके मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस सीमा को घटायें। जिससे हम कह सकें कि हमने कुछ बुड्ढों को तो पेन्शन दिलायी, अन्यथा हमारा प्रचार होता रहेगा और हमें एक भी लेने वाला नहीं मिलगा, शायद सारे राजस्थान में बहुत कम लोग मिल सकते हैं तो मुझे निवेदन करना है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोग 70 साल तक जिन्दा नहीं रहते हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त औसत उम्र चीन में 72 वर्ष है, एशियाई देशों में। हमारी तो 56–57 ही है। इसलिए आपने यह बिल्कुल अवैज्ञानिक योजना रखी है, मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, इस मामले में आप कुछ सुधार करने की कोशिश करें। आपने भ्रष्टाचार मिटाने की बहुत बातें कही, आप करते भी रहे और आपका मन भी है। क्योंकि मैं इस मामले को देखता रहा हूं कि जब भी आप बोलते रहे हैं, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं। मैं आपसे पांचना बांध के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं। आपने इस मामले को उठाया और उठाकर कोशिश की कि पांचना बांध का कार्य हो, लेकिन सभापति महोदय, यह राजकीय अधिकारी बहुत चतुर होते हैं, आप से करा भी शिकायत और भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार कर दिया। क्या भ्रष्टाचार कर दिया कि पांचना बांध की जांच के लिए जो सेण्ट्रल वाटर कमीशन की टीम आई थी, राज्य सरकार ने उनके सामने पूरे फैक्टस नहीं रखे, नतीजा यह हुआ कि गलत रिपोर्ट आ गई। जो निर्माण कार्य हो गया था, उसे दुबारा एस्टीमेट में दिखाकर, पांचना बांध में एक दो करोड़ का ज्यादा पेमेण्ट कर दिया गया है। मैं पांचना बांध की मैरिट पर बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी शिकायतों पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेण्ट्रल वाटर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें खुद लिखा है कि रिपोर्ट हमारी फाइनल नहीं है और हमारे नतीजे फोर्म में नहीं है। जब यह दोनों बातें हैं तो उसके आधार पर काम कराना कैसे शुरू कर दिया। और काम कराना शुरू कर दिया तो यह 2 करोड़ कैसे खर्च हो गया और अगर खर्च हो गये तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत मुख्यमंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रामकिशन)

इन सब मामलों को देखें, सब मामलों को देखने के बाद, हमारे पास साधन हैं। आपके जयपुर शहर में जमीनों की जो लूट हुई है, उसकी चर्चा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपने लोकायुक्त की रिपोर्ट देखी होगी, मोहनलाल जी की 140 पेज की रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा न उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन वह रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि यहां 11-12 अरब रुपये की जमीन कुछ बड़े लोगों ने लूटी है, कुछ सोसायटियों ने लूटी है और लूट ही नहीं है, उस लूट में बहुत बड़े अफसर भी शामिल हैं। कई स्कीमों को बनने के बाद वापस ले लिया जाता है।

सभापति महोदय, मुझे पृथ्वीराज नगर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन निकला कि 14 सौ बीघे जमीन ली जायेगी, दूसरा नोटिफिकेशन निकला कि 7 सौ बीघे जमीन रह गई, काफी रकम उस स्कीम को बनाने पर खर्च हो गई। अब स्कीम चल नहीं सकती। नोटिफिकेशन क्यों वापस लिये गये, क्योंकि उसमें कुछ अफसरों और डी. आई. जी. की जमीन थी, कुछ सेठों की जमीन थी। कुछ दूसरे लोगों की जमीन थी। तो इस तरह से नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, इसमें पैसा लूटा जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर जगह भ्रष्टाचार के अखाड़े खुले हुए हैं। आप मेहरबानी करके एक मंत्री से एक ही काम लें कि हर तीन महीने में आप अपने बजट की समीक्षा करें, आप यह लाजिमी कर दें कि तीन महीने में आप अपने विभाग के बजट की समीक्षा करें और समीक्षा के साथ-साथ आपके जो फिजीकल टार्गेट्स हैं, आपके प्लान में जो प्रावधान हैं, उन दोनों के रिजल्ट देखे जायें। अगर हम समीक्षा करेंगे तो हमें नये-नये आर्थिक श्रोत मिलते चले जायेंगे। अगर हम साल में एक बार चर्चा करेंगे तो सभापति महोदय, इतना कम समय होता है कि हम विस्तार में नहीं जा सकते। यह सारे मामले आपके सामने उभरे। अब तक हम यह कहते रहे थे कि यह अपराध कांग्रेस वालों ने किया और यह चुप लगा जाते हैं। इनको तो हम एक ही लाइन कह देते हैं कि आप बोलने लायक नहीं हो और यह बैठ जाते हैं, क्योंकि यह बोल नहीं सकते, क्योंकि उनसे गलती हुई हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांकरोली जे. के. टायर से जो समझौता हुआ है, वह तो आपका राज आने के बाद हुआ है। 7 करोड़ के करीब उनका रुपया माफ कर दिया, आखिर इसका कलंक किस पर लगेगा। इसका कलंक तो भैरोंसिंह जी और स्वायत्तशासी मंत्री जी हैं, उन पर लगेगा, तो यह सब आपके सामने हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पाप किया है, हम केवल उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमसे कोई पाप नहीं हो जाये, इसकी निगरानी करने की भी हमारी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं, आप इस मामले में सक्षम हैं। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वित्तीय स्थिति जिस तरह की है, विपक्ष के माननीय नेताओं

(श्री रामकिशन)

ने जो बातें कही है, मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि हमारा मतलब दिवालियों से यह नहीं था कि आप कोष में पैसा नहीं छोड़ गये, खजाने में तो कभी पैसा होता ही नहीं, यह तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आप असैटस कम छोड़ गये और लायबिलिटी ज्यादा छोड़ गये। आप कहेंगे कि आपने भी यह किया तो मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारा राज 77 में रहा था, जनता पार्टी का राज, जनता दल का राज भी, जनता पार्टी का राज....।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो पार्लियामेंट में थे।

श्री रामकिशन : मैं दल में तो जनता पार्टी में था। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी श्री देवपुराजी कह रहे थे कि आपने क्या नया किया, आप भी जो हम कर गये, उसको चालू रखते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सन् 77 में हमारी देनदारियां क्या थीं और हमारे असैटस क्या थे और सन् 79 में जब हमारा राज गया था उस समय हमारी देनदारियां और असैटस क्या थे। हमारी देनदारी और असैट दोनों को आप मिला लें। आप चाहें तो फिगर बता दूं, लेकिन आप में से बहुत से लोग तो फिगर को समझ ही नहीं पाते हैं, फिगर वगैरहा के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार ने राज सम्भाला था उस समय हमारी देनदारियां थीं करीब 1,14,007 लाख। उसी प्रकार हमारे असेट्स बने थे, उतने ही। जब हमारा राज गया था उस समय हमारी देनदारियां 1,38,360 लाख रुपये की थीं और हमारी असेट्स भी 1,38,360 लाख रुपये के थे। आज हालत यह है सन् 1988 में, अभी 1990 के आंकड़े नहीं आये हैं मैं नहीं कह सकता, कि 74 करोड़ 71 लाख हमारा मूल पूंजी में से पैसा कम हो गया। जब आप एक दिवालिया राज हमें छोड़कर जा रहे हैं तो फिर इसका दण्ड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसकी चर्चा तो आपको सुननी ही पड़ेगी। मैं टैक्स की बचत की बातें नहीं कह रहा हूं, टैक्स तो आता रहता है जाता रहता है। यह सारी स्थितियां हैं। इन सारी स्थितियों में निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी, कि आप बजट पर थोड़ा थिंकिंग करें, सोचें-विचारें। इस प्रकार के बजट में जो कुछ प्रपोजल आये हैं उनको तो हम स्वीकार करेंगे ही, लेकिन अब हमें थोड़ी नयी दिशा देनी पड़ेगी। आज देश में हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम समता वाला राज, बराबरी वाला राज नहीं लायेंगे, हम पूंजीवादी व्यवस्था से देश का विकास नहीं कर सकते। यूरोप में पूंजीवाद रेलेवेण्ट हो सकता है, अमरीका में पूंजीवाद रेलेवेण्ट हो सकता है, लेकिन एशियाई देशों में समता वाला दर्शन ही रेलेवेण्ट होगा। इसके लिए हमें बड़े पूंजीपतियों, बड़े उद्योगपति, बड़े राजे-महाराजे और राजनेता, इन सबके खिलाफ, अगर इन्होंने कोई गैरकानूनी कार्य किया है, कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि साल में कम से कम 50 छापे आप हर जिले में जरूर

(श्री रामकिशन)

डलवाइये, जिसमें कुछ सरकार के अफसर हों, कुछ बड़े व्यापारी हों, कुछ राजनेता भी हों। मैं देखता हूं कि राजनेता जब लड़कियों की शादी करते हैं, उनके यहां रेफ्रिजरेटर आता है कन्यादान में। भई, हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि जो हमें कोई 11 रुपये भी दे दे, लेकिन जब हम पद पर आ जाते हैं तो हमारी लड़कियों की शादी में रेफ्रिजरेटर आने लग जाता है। मैं समझता हूं यह भ्रष्टाचार है। इसलिए राजनेताओं की भी जाँच हो, सरकारी अधिकारियों की भी जांच हो और दूसरे भ्रष्ट अफसरों की भी जाँच हो; अगर हम इस प्रक्रिया को निरन्तर चलायेंगे तो आतंक की मार्फत हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे और खजाने में पैसा भी ज्यादा आयेगा।

मैं आपसे लम्बी बात नहीं करता क्योंकि आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं आप इन सब बातों को समझे हुए हैं, इन बातों की चर्चा आप कर चुके हैं। मैं आपसे आखिर में केवल इतना-सा ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रचार की बजाय आपको एक्शन-ओरिएण्टेड बनना पड़ेगा। यह सही है कि आपने प्रचार करा लिया, वह नवभारत टाइम्स में छप गया कि भैरोंसिंह जी जब से आये हैं तब से साड़ियों की बिक्री कम हो गयी, जेवरों की बिक्री कम हो गई। लेकिन साड़ियों की बिक्री, जेवरों की बिक्री इसलिए कम नहीं हुई कि छापों से अफसर डर गये हैं, बल्कि इसलिए साड़ियों की बिक्री कम हो जाती है, जेवरों की बिक्री कम हो जाती है कि नयी जनरेशन को जेवर का शौक घटता जा रहा है और जो जेवर पहनने वाली थीं उनकी उमर घट गयी है। इसलिए यह सब मामला हो रहा है। एक समय होता है सिल्क की साड़ी पहनने का, एक समय होता है जेवर पहनने का। आप भी अगर आप पाउडर लगाकर निकलें बाजार में तो मजाक के अलावा आपका कुछ होगा भी नहीं। इसी प्रकार यह जो जेवर और साड़ियों की बिक्री कम हुई है, सभापति महोदय, वह उमर और इसकी वजह से हुई है। बाकी इन सेठों और सरकारी अफसरों के पास आप क्या पैसे की कमी समझते हो? इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अगर यह पैसा हमें 10 पर्सेण्ट भी मिल जाय तो मैं अमरीका की बराबरी की तो नहीं कह सकता, जर्मनी की बराबरी की तो नहीं कह सकता, लेकिन थाइलैंड और फार्मोसा के बराबर की विकास गति हम ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, माननीय हीरालाल जी ने आज जो कुछ कहा, उनकी इस बात पर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि उन्होंने कह दिया कि अफसर काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो राज तो हमारा जायेगा, आपका राज आ जायेगा लेकिन जो आदमी अच्छे रास्ते पर जा रहा है उसको डिस्करेज क्यों कर रहे हो आप? यह अच्छा रास्ता है, निर्माण का रास्ता है, हिन्दुस्तान के कल्याण का रास्ता दे, भलाई का रास्ता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट को पारित किया जाय। कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर

(श्री रामकिशन)

उनके पास कोई रचनात्मक सुझाव हों तो दें, अन्यथा वह अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करें क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं।

श्री सभापति : माननीय श्री दयाराम परमार।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की आज की बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

(4·55 म. प.)
विधायी कार्य
राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1990 पर विचार

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग बिल 1990 पर चर्चा हो रही है। इसमें अपने आपको शामिल करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत 27 जून को मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसको मैंने पढ़ा, माननीय सदस्यों ने यहां डिबेट में भाग लिया, उसको सुना। पिछले पांच साल में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के नेता थे, उनके भाषण भी बराबर सुने हैं। वह सारे सुनने के बाद ऐसा मानकर चलता था कि यह राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब कभी सत्ता में आयेंगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान के प्रशासन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देंगे। लेकिन इस बजट को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि पुराने शासन के जो बजट थे, कांग्रेस राज के जो बजट बनते आ रहे थे उन बजटों में और इस बजट में कोई फर्क नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्राइबल एरिया में भी घूम-घूमकर भाषण देते हुए सुना है और देखा है। आप वहां पर यह कहा करते थे कि एक जनजाति विकास परिषद् की आवश्यकता है, तभी ट्राइबल एरिया का विकास हो सकता है। मैं बजट पेश करते वक्त यह समझ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में अपने बजट भाषण में कुछ कहेंगे कि ट्राइबल एरिया विकास के लिये यह विशेष व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस बजट में ट्राइबल एरिया के विकास के लिए कोई बात नहीं कही गयी है।

इस बजट में, माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह कही गयी है कि हम बिजली का बहुत उत्पादन करेंगे, 25 हजार कुओं पर बिजली के कनेक्शन देंगे और 1100 गाँवों का विद्युतीकरण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह 25 हजार कुओं पर कनेक्शन दे दें, इससे ज्यादा पर दे दें लेकिन हम लोगों को–

(160)

(श्री दयाराम परमार)

ट्राइबल एरिया में रहने वाले किसानों, छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा । इसलिए नहीं मिलेगा कि चार खम्भों तक ही फ्री सुविधा मिलती है कुएं पर ले जाने के लिये । इसके अलावा पैसा लगता है, हमारे वहां के काश्तकारों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे उसका पैसा भर सकें, क्योंकि जमीनें दूर-दूर हैं, पहाड़ों की दरों में हैं वहां तक बिजली जा नहीं सकती है । इसलिये चाहे 25 हजार कुओं के कनेक्शन करें या कितने करें, हम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हो सकता । सभापति महोदय, मैंने इस बजट को राजनीति आधार पर या पार्टी के आधार पर नहीं देखा । मैंने ट्राइबल एरिया को क्या मिलेगा, इस आधार पर इसे देखा है । इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा हूं कि 1100 गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा । ट्राइबल एरिया का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 50 पर्सेण्ट से ऊपर विद्युतीकरण हुआ हो । अगर हम 1100 गांवों को विद्युत देंगे तो एक विधायक के पांच-पांच गांव जिम्मे आयेंगे । मेरी कांस्टीट्युएंसी में 130 गांव अभी तक बकाया हैं । पता नहीं कितने वर्षों के बाद उन 130 गांवों का विद्युतीकरण होगा, मैं कह नहीं सकता । इसलिये विद्युत के मामले में आपने जो अपने लक्ष्य रखें हैं उसमें हम ट्राइबल एरिया के लोगों को कुछ नहीं मिलना है ।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में ट्राइबल एरिया वर्षों से पिछड़ा रहा है । आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ प्राइमरी स्कूल 5–10 किलोमीटर के एरिया में भी नहीं हैं । बिखरी हुई आबादी होने के कारण कोई भी बच्चा 5–10 किलोमीटर की दूरी में क्लास में पढ़ने जाय, ऐसा सम्भव नहीं है । इस वर्ष बजट में आप एक भी न प्राइमरी स्कूल खोलने हैं । इसलिये शिक्षा के मामले में तो सरकार ने हम आदिवासियों के लिये कुछ नहीं किया है । रायपुर में आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे शिक्षा मंत्री जी को कि उदयपुर जिले में झाड़ोल में सैकण्डरी स्कूल जो 50 लड़कों का है, क्रमोन्नत हुआ है । इसी तरह कालीभीत स्कूल जो 50 लड़कियों पर एक खुला है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अगर इन स्कूलों को बन्द करने की कोशिश की तो यह मानेंगे कि सरकार हमारे खिलाफ है । आप यह मानकर चलते है ट्राइबल एरिया में आपको 50 लड़कों पर स्कूल खोलना पड़ेगा और उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा । ट्राइबल एरिया में 30 लड़कों पर स्कूल खोलना पड़ेगा नहीं तो वह लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं और आप वहां स्कूल नहीं खोलेंगे तो उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर सरकार की विकास गति को फालोअप नहीं कर पायेंगे और आगे नहीं आ पायेंगे । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारे लिये भी यही सोचती रहती कि इनके लिये कोई विकास नहीं करना है तो आज हिन्दुस्तान की सरकार आसाम के ट्राइबल के साथ उलझ रही है उधर मिजोरम से उलझ रही है तो निकट भविष्य में राजस्थान के ट्राइबलों के साथ ही सरकार को उलझना

(श्री दयाराम परमार)

पड़ सकता है । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार आदिवासियों के विकास के लिये जो भी योजनायें बना सकती है तो बनाये और उन्हें कार्यान्वित करें ।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग के बारे में सरकार ने इस बजट में बहुत बड़ी व्यवस्था की है । मैं इस बात को पहले ही निवेदन कर चुका हूं और फिर निवेदन कर रहा हूं कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों को जब तक काम-धन्धा नहीं मिलेगा तब तक वह लोग आगे नहीं आयेंगे । आपको मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग मेहनतकश हैं । हम सुबह से लेकर शाम तक काम करना चाहते हैं लेकिन हमको काम नहीं मिलता है । जब काम नहीं मिलता है तो हम उधर गुजरात में फिरते हैं और जैसे-तैसे करके अपना पूरा गुजारा करते हैं और यह माना जाता है कि हम गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं । सरकार हमें उठाने के लिये बकरियां देती हैं, बैल देने की व्यवस्था करती हैं और गाय देने की व्यवस्था करती है । मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बकरियां, बैल और गाय को लेकर कभी भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आ सकते हैं । इसलिये हम चाहते हैं सरकार ट्राइबल एरिया में उद्योग-धंधे लगाने के लिए अपनी कोई नीति बनाये चाहे वहां पर उद्योगपतियों को आने के लिए 45 पर्सेण्ट उनको अनुदान देना पड़े तो दें और किसी तरह से न हो तो सार्वजनिक उद्योग लगा करके आदिवासियों को धंधा दे । अगर धंधा नहीं नहीं दिया तो उन लोगों को काम नहीं मिलेगा और काम नहीं मिलेगा तो हम गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन करते रहेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कर्जा माफी की बात इस बजट में बड़ी जोर-शोर से कही गई है । माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यगण बराबर यह कहते आये हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया । 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर दिया । यह ठीक है कर्जा माफ हुआ है कुछ काश्तकारों को राहत मिली है । लेकिन इसको यदि गम्भीरता से सोचा जाय तो निश्चित रूप से यह तरीका गलत है कि हम केवल वोट लेने के लिये घोषणा कर दें कि अगर हम सत्ता में आ जायेंगे तो आपका कर्जा माफ कर देंगे और वह कर्जा सत्ता में आने बाद हमको माफ करते हैं तो भविष्य में इस देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं और वे सत्ता में आने के लिए आप 10,000 कह रहे हैं, वह 15,000 कहेगी, कोई 20,000 कहेगी तो फिर देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? इसका अनुमान लगा सकते हैं । इसलिये आप लोग बड़े खुश हुए होंगे कि हमने कर्जे माफ किये हैं । हमारे काश्तकार भी खुश हुए होंगे और हमें भी कोई तकलीफ नहीं है लेकिन यह जो हमने परिपाटी डाली है वह परिपाटी निश्चित रूप से गलत है सैद्धान्तिक रूप से गलत है और इस परिपाटी पर आने वाले समय में हम सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिये कि यह परिपाटी बनी रही तो इस देश का क्या होगा ।

(श्री दयाराम परमार)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्त्योदय योजना को बड़े जोर-शोर से कहा हैं। इस योजना को पुनर्जीवित किया है यह योजना पहले मर गई थी वापस जिन्दा किया है। वैसे कोई मरने के बाद जिन्दा नहीं होता हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस काम को किया है वह और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उस योजना को किस तरह से लागू करना चाहते है उसको आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। मैंने इसको समझा है और 2–3 बार पढ़कर कोशिश की है। उसमें यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति गरीब होगा उसका पहले चयन किया जाएगा फिर उस विभाग को कहा जाएगा। उदाहरण के लिए शिक्षा वाले को कहा जाएगा उसे शिक्षा में भेज दो और मेडिकल वालों को कहा जाएगा उसका इलाज करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उस गरीब के घर से 30 क़िलोमीटर की दूरी में कोई स्कूल नहीं होता तो शिक्षा विभाग उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए स्कूल खोलेगा या फिर कोई शिक्षा का माध्यम करके उसके पास किस तरह से ज्ञान पहुंचायेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। इसी तरह से मेडिकल के लिए 30 किमी. के एरिया में कोई भी मेडिकल संस्था नहीं है तो वहां पर मेडिकल विभाग का आदमी 30 किलोमीटर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले व्यक्ति की सहायता मेडिकल डिपार्टमेंट किस तरह से करेगा, यह मुख्यमंत्री जी, यह योजना मेरी समझ में नहीं आई।

मैं माननीय सभापति महोदय, इस सारे बजट को आदिवासियों के खिलाफ समझता हूँ। इसलिए इस विनियोग बिल का समर्थन न करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, महिला शिक्षा और महिला उत्थान की बातें तो सभी राजनीतिक दल, सभी जन प्रतिनिधि बड़े जोर-शोर से करते रहे लेकिन महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बने इस ओर गंभीरतापूर्वक न तो विचार किए गए और ना ही कोई ठोस कदम उठाए गये। महिलाओं में शिक्षा की कमी होने के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाई और वे हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहीं। यही कारण है कि उन्हें बहुत अत्याचार सहने पड़े। उनका बड़ा शोषण होता है और हर प्रकार की प्रताड़नाऐं महिलाओं को मिलती रहती हैं।

सभापति महोदय, आजादी में 40 वर्षों के बाद भी महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। मैं विशेष तौर कहना चाहूँगा कि सिरोही जिले में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है और उसमें भी ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत तो केवल मात्र एक प्रतिशत है। सिरोही जिला आदिवासी बाहुल्य होने के कारण बड़ा पिछड़ा हुआ है। वहाँ

(श्रीमती तारा भण्डारी)

का शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की बड़ी आवश्यकता है ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कन्या शिक्षा के बारे में सोचा है । कन्या विद्यालय खोलने के बारे में विचार किया है । इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में महिलाओं का बालिकाओं का सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है लेकिन शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों अपने एक आदेश शिविरा/माध्यमिक (अ) 2884/70 के जरिये राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में चल रहे है विज्ञान वर्ग को निरस्त कर दिया है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उस बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में केवल 3 ही ऐच्छिक विषय हैं हिन्दी, राजनीति शास्त्र तथा होम साइन्स हैं । ये ऐच्छिक होते हुए भी एक प्रकार से लेने के लिए अनिवार्य भी हैं क्योंकि इसके अलावा लेने के लिए उनके पास विषय ही नहीं है जिसे वे ऐच्छिक रूप में ले सके । पिछले दिनों वहाँ जो विज्ञान वर्ग बन्द कर दिया है उसे चालू करने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए थे प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए जन सहयोग एवं अध्यापकों के सहयोग से पूरा प्रयत्न करके यह वर्ग चालू किया गया था वहां पर कई बालिकाओं ने इसमें एडमिशन भी लिए और वहां का रिजल्ट भी 90 प्रतिशत रहा । लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं वहां थी, जन प्रतिनिधि हूँ, महिला हूँ और मेरे ही इस क्षेत्र के बालिका विद्यालय के विज्ञान वर्ग को बंद कर दिया गया है ।

(5:10 सायं)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, कहां तो हमारी बालिकाएं इस बात के लिए आशान्वित थी कि हमारे जिले में होम साइन्स ग्रुप बिल्कुल नहीं है तो हमारी यह नई सरकार होम साइन्स ग्रुप खोलकर हमारी बलिकाओं को उनकी रुचि और पसन्द के विषय में अध्ययन का अवसर देगी । परन्तु इस बार जो विज्ञान वर्ग बन्द कर दिया गया है इससे बालिकाओं में भारी रोष है । फिर भी मुझे उम्मीद है सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी बातों में लगे हुए हैं, उन्हें सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस वर्ष विज्ञान वर्ग जो बन्द कर दिया गया है उसे पुनः चालू किया जाय । साथ ही इसी स्कूल में होम साइन्स ग्रुप, संस्कृत, इतिहास और अर्थ शास्त्र वर्ग खोलकर सिरोही जिले में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय, बढ़ावा दिया जाय अगर देखो तो साहब गम्भीरता से लेओ ।

आज सिरोही जिले में महिला एस. टी. सी. की बड़ी आवश्यकता है । जैसा कि मेरे भाई ने अभी बताया कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाता है । वहां पर एक एस. टी. की सीट

(164)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है, एक सीट एस. सी. की है और तीसरी सीट जनरल है, तीनों सीटें मिलकर सिरोही जिला बनता है, उस जिले में अधिकतर एस. सी. और एस. टी. तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमारी बालिकाएं बाहर जाकर पढ़ नहीं पाती हैं, 10वीं 11वीं करके घर बैठ जाती हैं उन्हें आत्म-निर्भर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि आप सिरोही, जालौर और पाली जिलों के बीच में स्थान चयन करके वहां महिला एस. टी. सी. की स्थापना करें।

सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाओं में आज प्रधानाचार्यों और उस प्रधानाचार्यों की बड़ी भारी कमी है। पिछले लम्बे समय से शिक्षा विभाग में विधिवत डी. पी. सी. नहीं की गई है। अभी कुछ दिनों पहले सदन में भी जिक्र आया था कि वरीयता सूची में अंकित 2278 पर श्रीमती अमृत कौर को जम्प देकर पदोन्नति दे दी गई। इस बात से भी हमारी महिला प्रधानाध्यापिकाएं जो कि सूची में ऊपर हैं, कुछ प्रधानाध्यापक जो योग्यता सूची में ऊपर हैं उन सभी में बड़ा रोष है। एक तरफ रिक्त पद हैं और एक तरफ डी. पी. सी. के प्रति रोष है। मेरा यह सुझाव है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाय और विधिवत डी. पी. सी. करवाई जाय और जो भी योग्य उम्मीदवार है उन्हें पदोन्नति देकर के प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्यों को भरने की कार्यवाही की जाय।

बजट में उप योजना क्षेत्रों की भांति जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर तथा नागौर में एस. सी. एवं एस. टी. व निर्धन छात्र-छात्राओं को 5वीं तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं वर्दी इत्यादि देने की बात कही गई है वह बड़ा सराहनीय कार्य है इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा सिरोही जिला भी एस. सी./एस. टी. और पिछड़े वर्ग बाहुल्य वाला जिला है इस निःशुल्क पाठ्यक्रम में सिरोही जिले को भी जोड़ा जाय। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी बिराज गए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करती हूं कि सिरोही जिले को भी निःशुल्क पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए।

सिरोही जिले की शिक्षण संस्थाओं के लिए भवनों की बड़ी कमी है। कई स्थानों पर नीम के नीचे स्कूल चल रही है जैसे शिवगंज नगर, चौपावाली व खाड़ियावास के छात्र चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई करते है। इसके अलावा भी ऐसी कई स्कूलों में कई हायर सैकण्डरी स्कूलों के भवन बड़े जर्जर हो रहे है, कई स्थानों पर कमरों की बड़ी भारी कमी है, कही कई प्राथमिक शालाएं इतनी जर्जर हो गई हैं कि उनमें पढ़ने वाले बालकों के साथ खतरा हो गया है कि वह उनके नीचे बैठे या नहीं बैठे। मेरा सुझाव है कि हमारे पिछड़े जिले को ध्यान में रखते हुए जहां भवनों की आवश्यकता है वहां उपलब्ध करवाए जाए।

एक बात और मैं कहना चाहूंगी, वैसे तो इस बार बजट में प्रावधान नहीं किया

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है पर मेरा एक विशेष आग्रह है जो हमारे जिले की शिवगंज तहसील का ओड़ा गांव है। यह गांव ऐसा है कि एक तरफ बान्ध में डूब में आया हुआ है जब भी बांध ओवर फ्लो होता है तब बाहर जाने के सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। आज वहां रास्ता भी नहीं है कि वहां बालक-बालिकाएं बाहर पढ़ने के लिए जाये। एक तरफ तो बालक-बालिकाएं पढ़ने से वंचित रह जाते हैं और दूसरी वहां पर तकलीफ यह है कि मिडिल स्कूल नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि ओड़ा गांव को विशेष प्राथमिकता देते हुए चाहे इस बार बजट में स्थिति ऐसी नहीं है पर वहां के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि ओड़ा गांव में मिडिल स्कूल खोला जाय।

इसके साथ ही बजट में 2 कालेज खोलने की बात कही गई है। मैं तो यही बात कहूंगी कि हमारा जिला तो पिछड़ा जिला, शिवगंज नगर में 3–4 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, पास में सुमेरपुर और आसपास करीब 100 गांव हैं इनके कालेज के लिए या तो सिरोही जाये या पाली जाये। सिरोही और पाली के बीच में कोई कालेज नहीं है। इसलिए शिवगंज नगर में एक कालेज खोला जाये।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि पिछली बार भारी विरोध के बावजूद शिक्षकों और जन-प्रतिनिधियों के द्वारा बार-बार धरने देने और विरोध करने के बावजूद शिक्षा को जिला परिषदों को सौंप दिया गया है। शिक्षा को जिला परिषदों को सौंपने से कई प्रकार की वहां विसंगतियां उत्पन्न हो गई राजनीतिक भेद-भाव के कारण अध्यापक-अध्यापिकाओं के साथ भी अन्याय होता है और बालक-बालिकाओं के साथ भी अन्याय होता है क्योंकि कई स्कूलें तो ऐसी हैं जहां 200 बालकों के ऊपर एक भी अध्यापक नहीं है, कहीं ढाई सौ बालकों पर एक ही अध्यापक है, राजनीति भेद-भाव के कारण वहाँ वह लोग नहीं पहुंच सकते हैं इस कारण से बालकों के साथ जो अन्याय हो रहा है। इसलिये इस बात को कहना चाहती हूं कि शिक्षा को जो माध्यमिक शिक्षा को जिला परिषदों को सौंपा गया है उसे पुनः शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लिया जाय तो ही हमारी शिक्षा का उद्धार और कल्याण हो सकेगा।

इसी प्रकार से पंचायत समितियों के जो अप्रशिक्षित शिक्षक है उनकी भी बड़ी भारी विडम्बना है। कई जगहों पर कोर्ट के आदेशों से भुगतान हो चुके हैं, कई जगह भुगतान नहीं हुए है, कई लोग सरप्लस हो गये हैं। वह लोग अपना काफी समय गांवों में देकर प्रशिक्षित शिक्षकों की श्रेणी में आ चुके हैं, यानी ट्रेंड टीचर की श्रेणी में वे हैं। परन्तु इस प्रकार से कई पिछले दिनों सरप्लस कर दिए गए वह अपनी आजीविका के लिये दर दर भटक रहे हैं उनके अनुभव का लाभ लेते हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भी न्याय किया जाय।

आज हमारे राजस्थान में बेरोजगारों की भी बड़ी भारी समस्या है। हजारों डाक्टर्स, हजारों इंजीनियर्स, एम. पी. डब्ल्यू मास्टर्स...

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और अन्य कई लोग जो ट्रेंड भी हैं। जिन इंजीनियर्स पर लाखों रुपया हमारी राजस्थान सरकार का व अन्य लोगों का खर्च हुआ है वे बेरोजगार घूम रहे हैं। इन बेरोजगारों को समस्याओं के निवारण के लिए भी हमारी सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा। हमारा नौजवान बेरोजगार होकर भ्रमित होकर दिशाहीन हुआ भटक रहा है, उनको भी उनके उपयुक्त स्थान देकर लगायें। इस समस्या के निराकरण के बारे में भी सोचना होगा।

सभापति महोदय, घण्टी बज चुकी है। मैं आपका और समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है जिस प्रकार का अभावों और समस्याओं से ग्रस्ति हमें राजस्थान मिला है, जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति हमें इस बार मिली है उस सब को, मुद्दे नजर रखते हुए बड़ी गहरी सूझ-बूझ के साथ हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप सुविधाएं देने के लिए जो बजट पेश किया है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 60% भाग रखा है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं घोषणाओं और वादों में जाकर केवल इतना ही कहूंगी कि जिस प्रशासन से फेडअप होकर राजस्थान की जनता ने हमें यह राज सौंपा है, मैं अपनी सरकार से यह आशा करती हूं कि जनता के साथ भी इसी आधार पर बात कहना चाहती हूं कि यह जो बजट पेश हुआ है वह ग्रामीण, गरीब और श्रमिकों को महत्त्व देने वाला है और राजस्थान की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवरलाल जी।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो लोग पहले वर्षों तक सत्ता में रहे और उनके इतिहास की बात अगर यहां पर सन में कही जाती है तो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है यानी उनके किये गये कामों को याद करने से भी उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे कारनामों को याद क्यों किया गया? और दूसरी स्थिति जो उन्होंने कही है कि इस बजट से दिशा नहीं मिलती है मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा जब-जब बजट बनाये हैं दिशाहीन बजट ही बनाये हैं। माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने पहली बार, 1977 के बाद पहली ही बार इन्हें मौका मिला है और पहली बार यह साबित करने का प्रयास किया है कि यह शासन गांवों गरीबों और किसानों का है। 60 प्रतिशत राशि गांवों के लिये खर्च करके इन्होंने साहसिक निर्णय लिया है। भारत सरकार ने 50 पर्सेन्ट किया और इन्होंने 60 पर्सेन्ट किया है तो इनकी हमदर्दी गांवों की तरफ झलकती है। यह मैं कह सकता हूं।

इसी प्रकार से कई वस्तुएं जो कृषि पर आधारित उद्योग-धंधे हैं, कुटीर उद्योग-धन्धे

(श्री सांवरलाल जाट)

है उनके लिए भी इन्होंने राहत की घोषणा की है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लघु और कुटीर उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिलेगा। कुओं को बीमा योजना इन्होंने प्रारम्भ की है, निःसंदेह हम कह सकते हैं कि किसानों की बड़ी हिम्मत होगी और किसान अपने लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने में कामयाब होंगे। और उन्हें हतोत्साहित किया जाता रहा वर्षों से कर्जा ले लिया और कुआ खोदा उसकी फसल नीलाम हुई है, उनकी जमीन नीलाम हुई उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। यह भी एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान और राजस्थान की आज जो हालात हैं....पिछले 40 सालों में इन्होंने की है, क्या परिस्थितियां की हैं ? प्रत्येक प्राब्लम चाहे पंजाब की समस्या ले लीजिये, चाहे असम की समस्या ले लीजिये, चाहे दक्षिण की समस्याएं ले लीजिये, चाहे विदेशी सम्बन्ध ले लीजिये जो दशा इन्होंने पैदा की है उस दशा के होते हुए हालत सुधरने में समय लगेगा। यह अगर तीन महीने के अन्दर रिजल्ट चाहे निःसन्देह यह सम्भव नहीं है। आज राजस्थान की जो बजट की स्थिति है, जो हालत हमें मिली है, करोड़ों, अरबों रुपये की देनदारियां मिली हैं। हालत यह आ गई थी कि ब्याज चुकाने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ता था। इस दयनीय स्थिति के अन्दर जो एक साहसिक कदम उठाकर जो एक दूरदर्शितापूर्ण बजट बनाया है निःसन्देह मैं यह कह सकता हूं कि प्रोग्रेसिव बजट है।

अब यह कहते हैं कि स्कूल नहीं खोली गई। स्कूल आपने इतने खोल दिए। जहां पर आवश्यकता नहीं थी वहां पर स्कूले खोल दिये। अध्यापक आपने वहां पर नहीं पहुंचाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गांवों के अन्दर खोली हुई स्कूलें हैं वहां अध्यापकों की व्यवस्था कीजिये। जो चिकित्सालय खुले हुए हैं वहां पर आप डाक्टर्स की, कम्पाउण्डर्स की, स्टाफ की व्यवस्था कीजिए क्योंकि यह जिम्मेदारी आपकी महत्त्वपूर्ण है। नये आप तब खोलिए जब संसाधनों की कमी नहीं है। आज एक किसान के लिये जमीन की सीलिंग है और उनके लिये अगर ज्यादा जमीन है तो वह सरकार ने ले ली है दूसरों को अलाट कर दी है। शहरी सीलिंग के अन्तर्गत जिन-जिन की भी जमीन आती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं उसका कड़ाई से पालन कीजिए।

आज जो बाजार भाव चलते हैं जयपुर अजमेर और बड़े-बड़े शहरों के अन्दर मैं यह कह सकता हूं कि राजस्व में लाखों रुपये, अरबों रुपये आ सकते हैं, जिसे निःसन्देह हम गरीबों और किसानों के लिये लगा सकते हैं।

किसानों की कर्जा मुक्ति का नारा जब जनता दल और बी. जे. पी. के नेताओं ने दिया था तो यही कांग्रेसी लोग बड़ी मज़ाक उड़ाया करते थे। वह कहते थे कर्जा माफ नहीं हो सकता। और उसी जमाने में, उसी समय में उद्योगपतियों के जो उद्योग धन्धे फेल हो जाते थे सिकइण्डस्ट्रीज डिक्लियर करके उनका कर्जा माफ हो जाता था, गवर्नमेंट करोड़ों रुपयों का भार वहन करती

(168)

(श्री सांवरलाल जाट)

थी। परन्तु किसानों की जब बात आई तब यही लोग यह कहा करते थे। और जब जनता ने दिल्ली का राज बदल दिया तब इन्होंने पन्द्रह हजार रुपये कर्जा माफ कर देंगे हम क्योंकि इनकी कुर्सी छिन गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं आपने जो शुरूआत की है, किसानों के लिए जो न्याय संगत बात की है, निःसन्देह यह सराहनीय कदम है। आज आप सम्पूर्ण किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं परन्तु आपने जो पहल की है वह निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं वह किसानों के हित की बात हैं।

इसी प्रकार पेन्शन की बात है। किसान आजीवन सेवा करता है। अपनी सेवा, अपने परिवार की तो सभी करते हैं, देश की सेवा करता है देश के लिए अन्न उपजाता है। देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करता है। देश के लिए फोरेन करेन्सी किसानों की बदौलत मिलती है। किसान एक दाना खेत में डालता है, हजारों दाने पैदा होते हैं। परन्तु उसकी स्थिति दयनीय है। बुढ़ापे में बच्चे साथ छोड़ देते हैं। बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी हालत उस किसान से भी घटिया होती है उनके खुद के परिवार का वजन उसके ऊपर आ जाता है। जो सरकार ने जो फैसला किया है कि बुजुर्गों को पेन्शन देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए तो निश्चित रूप से संसाधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों के होते हुए भी इन्होंने जो फैसला किया है 70 साल की सीमा अगर कम कर दी जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि जिस गरीबी में वह जीवनयापन करते है, जो वह खुराक लेते हैं केवल मिर्च और रोटी चटनी खाकर वह जीवन बसर करते हैं। तो 70 की उम्र पार करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। इसका फायदा भी हो सकता है दूसरे लोग उठा लें। तो निश्चित रूप से मेरी विनती है कि आप इसके ऊपर गौर फरमाएगें।

किसानों के मेलों के ऊपर, पशुओं के ऊपर जो शुल्क लगाया है वह निःसन्देह में यह निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और जो मध्य राजस्थान है वहां पर बड़े-बड़े पशु मेले लगते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बहुत कम राजस्व की वसूली होगी अगर आप इसको माफ कर दें। और किसी तरीके से आप वसूल करें जैसे ब्यूटी पार्लर, माननीय सदस्य ने कहा था इस प्रकार विलासिता की वस्तुएं कई मिल जाएगी आपने बहुत ही पैनी नजर डालकर अबकी बार गरीबों को मुक्ति दी। तो इसी प्रकार इन लोगों के ऊपर भी, इनके धन्धों के ऊपर भी नजर डालकर आप यह सुविधा मुहैया करवा सकते हैं।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हू कि एक तो हमारे शासन को यही सोचना है कि गांवों के अन्दर अधिकारी और कर्मचारी किस प्रकार काम पर जा सकते हैं। क्योंकि आज भी हालत यह है जिस अधिकारी और कर्मचारी का स्थानान्तरण आप गांवों के अन्दर कर देंगे। दूसरे ही दिन एम. एल. ए. और मन्त्रियों के पास डेरे डालते घूमेंगे तो निःसन्देह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं या तो ग्रामीण भत्ता दीजिए या कठोर कार्यवाही करके उनको

(श्री सांवरलाल जाट)

गांवों में भेजिए। बार-बार अपनी कोई न कोई एप्रोच बताकर स्थानान्तरण निरस्त करवा लेते हैं। रोज लोग चक्कर काटते हैं हमारे यहां मास्टर नहीं हैं, हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं, हमारे यहां वैध नहीं है तो इन लोगों को अगर आप नियुक्ति नहीं देंगे, बाध्य नहीं करेंगे तो जो भी हास्पीटल्स खोले हैं, चाहे कुछ भी किया, कोई भी चीज हमारी सफल नहीं हो सकती है। जैसा कि कांग्रेस सरकार वाले पहले के जो हमारे साथी लोग हैं वह बार-बार कहते हैं हमने इतने स्कूल खोल दिए, इतने हास्पीटल्स खोल दिए परन्तु आज भी हालत यह है कि अगर किसी को इन्जेक्शन लगाना है तो वह बड़े शहर के अन्दर ही जाकर लगवा सकता है। क्योंकि न वहां पर कम्पाउण्डर मिलेगा, न वहां नर्स मिलेगी। यह मेरा निवेदन है कि किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था इस प्रकार से कायम करें और दूसरा जो लोग लम्बे समय से लगे हुए हैं, चाहे स्थानान्तरण पॉलिसी आप कुछ भी बनाइए परन्तु एक बार उनको हटाइए। क्योंकि गांवों के अन्दर उन्होंने जो दूषित राजनीति पैदा की है। आज आपसी झगड़े फसाद उन लोगों ने, यह राजनेता राजनीति करते हैं परन्तु यह सरकारी जो नौकर है उन्होंने एक प्रकार से अपना अखाड़ा जमा रखा है लोगों में आपसी गुटबन्दी पैदा करते हैं। आए दिन उनको पुलिस थानों में जाना पड़ता है।

इसी प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, सभापति महोदय के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के लिए हमारे अजमेर जिले की मुख्य समस्या मैं बता सकता हू और भी कई जगह होगी हमारे यहां पर मोटर लगी हुई है परन्तु जो मिनियम चार्ज है न्यूनतम चार्ज है उसका पचास पर्सेण्ट भी उपयोग नहीं होता है क्योंकि कुओं का पानी सूख गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे किसान जिनके कुओं के ऊपर पचास परसेण्ट जो न्यूनतम चार्ज है उस बिजली का कम उपयोग हुआ है कम से कम उनमे तो वास्तविक चार्ज के अनुसार ही राशि वसूल की जाए। इसी प्रकार अगर आप किसानों को बिजली के ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देंगे, शहर के अन्दर इण्डस्ट्री लगती है, जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पर उनको कनेक्शन मिल जाता है। उद्योगपति जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न वापस ले लेता है। एक साल, दो साल के अन्दर जितना इन्वेस्ट करता है उतनी राशि वह वसूल कर लेता है। परन्तु हमारे किसान की हालत यह है अगर कुंआ खोद लेगा दस साल तक इन्तजार करेगा। डीजल पम्प अगर लगाएगा तो उसकी लागत इतनी आ जाएगी क्योंकि जो बेचेगा जो भाव हैं फसल के बड़े फलेक्चुएडेड हैं। अगर फसल हो गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। फसल नहीं हुई तो भाव बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कम से कम बिजली तो प्राथमिकता के आधार पर आप किसानों को दें। अगर किसी को फैक्ट्री लगानी होगी क्योंकि वह तो सारा केलक्यूलेशन करता है, कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालेगा, अगर डीजल जनरेटर लगाएगा उसकी लागत भी जोड़ देगा और बाजार में माल बेच देगा। किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है इसलिए

(170)

(श्री सांवरलाल जाट)

किसानों को तो कम से कम जो 1983-1984-1985-1986 के पैंडिंग कनेक्शन्स हैं उनको जारी करवाने के आप आदेश करें जिससे किसान यह महसूस करे कि वास्तव में भैरोंसिंह जी ने जो 1977 में किया वही अब करने जा रहे हैं। क्योंकि यह एक बड़ी दयनीय स्थिति है उसका लाभ केवल वह किसान नहीं उठाएगा आपके राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के जो गांव हैं वहां पर कुएं हैं परन्तु खेती नहीं करते हैं क्योंकि उनकी लागत इतनी आ जाती है अगर वह पम्प से चलाए और बैलों से खेती नहीं हो सकती है तो यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार कुछ चीजें जो किसानों के काम में आने वाली हैं खाद बीज इनके ऊपर भी अगर आप टैक्स फ्री कर दें क्योंकि हरियाणा और हमारी जो सीमाएं है वह लगी हुई है। लोग बातें करते हैं हरियाणा वालों ने इतना दे दिया आपने क्या दिया। निश्चित रूप से यह भी आपके लिए बहुत प्रशंसनीय होगा क्योंकि कृषि उपकरणों के ऊपर जितनी भी छूट देंगे यह सारा का सारा आपका क्रेडिट होगा और किसान हमेशा आपको याद रखेगा, आपके लिए समर्पित रहेगा, पूर्ण लगन और मेहनत से काम करेगा।

इसके साथ ही आपकी सरकार का जो सबसे सराहनीय काम है, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहले एक बार देवीलाल जी अजमेर में आए थे जब पानी की बहुत भयंकर कमी थी उन्होंने कहा यह आनासागर तो पूरा भर गया तो इसको खुदाई करवाइए। राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहा हम कुछ दे देते हैं परन्तु सरकार ने क्योंकि उन्होंने कहा इस रेट से पैसा आपको देना पड़ेगा तो इन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया परन्तु माननीय शेखावत साहब का मैं आभारी हूं कि इन्होंने इस वर्ष जो मजदूरों की मजदूरी 22 रुपये की है वास्तव में तारीफ के काबिल है 14 रुपये से 22 रुपये करना निःसन्देह इनकी गरीबों के प्रति हमदर्दी है। आज की जो विकट परिस्थिति है फाइनेन्शियल पोजीशन और जो करारोपण की स्थिति है उसके बावजूद भी इन्होंने गरीबों को राहत देकर जहां-जहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है वीडियो पर कर लगाए अगर यह लीज टैक्स लगाए तो इनको आपत्ति होती है।

एक जो जवाहरात का उद्योग है, जयपुर का प्रमुख उद्योग था वह चौपट हो गया क्योंकि कम्पेरेटिवली टैक्स जो है दूसरी जगह कम लगता है तो वह सूरत में शिफ्ट होने लग गया। लोग विदेशों में काम करने लग गए। तो अगर उसको खत्म कर दिया तो आरोप लगाने लग गए कि यह स्थिति इसलिए हो रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपके इस कर को खत्म करने की वजह से इससे आपको काफी आमदनी होगी।

इसी प्रकार मैं अजमेर जिले की विकट स्थिति के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर में सिंचाई के साधनों

(श्री सांवरलाल जाट)

की पूर्णतः कमी है भू-जल वालों ने डार्क जोन डिक्लियर कर दिया। है मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां पर ट्यूबवैलस चल रहे हैं डार्क जोन हो नहीं सकता। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पुनः सर्वे करवाया जाए। इसी प्रकार चम्बल का पानी बहकर जमुना में मिल जाता और फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल का पानी हमारे से 100-150 कि. मी. से ज्यादा नहीं है। जब राजस्थान नहर बन सकती है जो पानी बहकर खाड़ी में जाता है वहां पर आप लिफ्ट कैनाल के द्वारा अजमेर व टोंक के गांवों की सिंचाई करके लाखों टन खाद्यान्न और कपास पैदा कर सकते है। कपास की धरती है हमारा अजमेर। कई मिलें हमारे यहां चलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन में यह नहीं हो सकता परन्तु इसमें योजना बनाई जा सकती है और आने वाले समय में यह सफल हो सकती है। इसी प्रकार बीसलपुर के सम्बन्ध में पहले निवेदन किया हमारे गांवों के नालों का पानी दूषित है, गांव वाले कूबड़े हो रहे है, टी. बी. हो रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस योजना के अन्दर गांवों वालों को पेय जल उपलब्ध करवाने की भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं पुष्कर की घाटी परली तरफ सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू करें जिससे कम से कम हमारा अजमेर जो राजस्थान का हृदय है, यह पूरब की तरफ नहीं बढ़ जाये यह मेरा आपसे अनुरोध है। कई विश्व बैंक और अन्य संस्थायें वृक्षारोपण के लिए संसाधन भी उपलब्ध करवाते है और ऋण देते हैं यह कार्यक्रम देकर अगर आप हमें अनुग्रहित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जिला तो लाभान्वित होगा ही राजस्थान को भी लाभ होगा। मैं यही कह सकता हूं कि जिन विकट परिस्थितियों में जो बजट आया है यह निःसन्देह गांवों का, गरीबों का हितैषी बजट है और यह पहले जो मुख्य मन्त्री जी ने की है मैं कह सकता हूं कि पूर्व मुख्य मन्त्री ने कभी भी नहीं की है। इस बार किसानों को खाद और बीज समय पर नहीं मिला मैं दावे के साथ कह सकता हूं। गये साल इन्होंने सब्सिडी के नाम पर कि 6 रुपये 7 रुपये प्रति किलो सब्सिडी देंगे परन्तु अजमेर जिले के किसी भी किसान को बीज नहीं मिला, ब्लेक मार्केटिंग में वह चला गया। निःसन्देह यह सरकार काम कर रही है। लोक कल्याणकारी कार्य के अन्दर अग्रसर है तो मैं निवेदन यही करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शान्तीलाल।

(अनुपस्थिति)

श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रियशन बिल पर अपने विचार रखते हुये जो मेरे से पूर्व वक्ता और विपक्षी दल के नेता ने इस पर विचार रखे वह मैंने बड़े ध्यान से सुने। मैंने ऐसा महसूस किया है कि शायद उन्होंने अपना बजट कभी पढ़ा नहीं। अपने बजट स्पीच जो आपके नेताओं ने दी है वह नहीं पढ़ी। कांग्रेस ने कुछ किया, निश्चित तौर से जो कटु आलोचना की है वह उसका परिणाम है और माननीय भरतपुर

(३२)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से आने वाले माननीय सदस्य श्री पण्डितजी ने जो इस बिल का समर्थन किया है वास्तव में मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने समर्थन करते वक्त जो बात कही शायद इस बजट के दिशा निर्देश के बारे में वह पूरी तरह से सजक नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की दोनों पार्टियों ने मिल कर राजस्थान की जनता के सामने रखा है इस बजट से नई सम्भानायें राजस्थान में पैदा नहीं हुई। राजस्थान की आम जनता में आशाऐं नहीं जगी कि जिससे कांग्रेस सरकार की परम्परा है, जिस वजह से नई सत्ता उभरी है उनकी छवि जनता में बन सके। मुझे इस बात की चिन्ता है कि पिछले चार पांच महीने गुजरे हैं राजस्थान में आज बजट प्रावधान किये हैं उससे इस प्रदेश के करोड़ों लोग है उनके मन में जो आशायें जगी थी वह पूरी इससे नहीं हो पायेगी। माननीय सभापति महोदय अगर हिन्दुस्तान में राजीव गाधी और उनके परिवार की परम्परा के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सबसे बड़ी साख बनी है, सब कुछ आलोचना के बाद भी तो उसका कारण यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तीन बातों पर बहुघ जबूती से कदम उठाये हैं। एक इस देश जो के मजदूर है इस देश के करोड़ों जो सर्वेहारा है उनके बारे में अपनादृष्टि-कोणबड़ा स्पष्ट किया है कि कारखाने में उनका हिस्सा होगा, कारखानों के प्रबन्ध में उनको हिस्सा मिले इस नीति पर बड़ी मजबूती से वह खड़े रहे। दूसरी उनकी यह बात कि इस देश के करोड़ों लोग भूमि हीन है, गरीब है जिनके पास जमीन नहीं है भूमि सुधार करके उनको जमीन दी जायेगी, उनको जमीन बांटी जायेगी और निश्चित तौर से इस देश के अन्दर अगर कोई सरकार परिवर्तन चाहती है वास्तव में किसानों पर अपना कोई असर चाहती है यह बिना भूमि सुधार के सम्भव नहीं है कि वे किसानों में ठहर सके। इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह कदम उठाये हैं कि हम नवीं सूची में रखेंगे भूमि सुधारों को इस पर कोई अपील नहीं होगी, कोई इस पर कोर्ट में नहीं जा सकेगा मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार ने, और तीसरी बात जो उन्होंने की है वह है अल्पसंख्यकों के बारे में आज हिन्दुस्तान का अल्पसंख्यक जो हमेशा कांग्रेस का वोट बैंक रहा आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज विश्वनाथ प्रताप सिंह का वोट बैंक है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बड़ी मजबूती से अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रह कर कदम उठाये हैं। राजस्थान की सरकार इन तीनों बातों में पिछडी। राजस्थान की सरकार ने भूमि सुधारों के बारे में जो इस प्रदेश के लाखों भूमिहीन है, जिनके पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं जिन्होंने हमेशा सपना लिया जमीन के टुकड़े का और जिन्होंने भूमि में श्रम करके जिनकी पीढ़ियों ने सारी जिन्दगी गुजारी है उनके लिए स्पष्ट तौर से इस राजस्थान की सरकार ने यह टका सा जवाब दिया है कि कोई भूमि अलाट नहीं करेंगे। उसी तरह से जिस तरह कांग्रेस के राज में होता रहा विशेष आवंटन के द्वारा बड़े-बड़े धनाढ्य लोगों को भूमि मिलती रहेगी। मुझे इस बात पर बहुत एतराज है कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इससे आपकी जो गांव के अन्दर छवि है, गरीब आदमी में वह छवि नहीं सुधरेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि आपने अपने बजट प्रावधानों में गरीब भूमि हीन हरिजन लोग जो है गांव के अन्दर छोटा धन्धा करते हैं रोजगार करते हैं उनके लिए जो व्यवस्था की है निश्चित तौर से उसका असर गांव के उस गरीब पर पड़े उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपने जो आपकी व्यवस्था है और राजस्थान में पिछले वर्षों में पुलिस का जो रवैया रहा है उसने निराशा पैदा कर दी हरिजन और गरीब के दिमाग में, अल्पसंख्यकों के दिमाग में। अभी तक इस प्रदेश में कोई स्थिति नहीं थी यह कांग्रेस की पैदा की हुई साम्प्रदायिक स्थिति थी जो कांग्रेस ने न चुनाव के पहले पूरे प्रदेश के अन्दर हिन्दु और मुसलमान गंगानगर में सिख और हिन्दू जो इस तरह की पैदा की स्थिति वह चुनाव के बाद पूरी तरह समाप्त हो गयी में इसके लिए हमारे राजस्थान के जो नये मुख्य मन्त्री है उनको बधाई देऊंगा कि एक भी दंगा हिन्दू मुस्लिम का नहीं हुआ और और उसके बाद भी चार जिलों में टाडा को लागू किया है। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमन्त्री जी का क्या होगा आपका प्रशासन और आपकी पुलिस जिस तरह से उस टाडा की धारा पांच को लागू करेगी उससे उन अल्पसंख्यक लोगों के दिमाग में जो लाखों मुसलमान है, सिख हैं जिनके दिमाग में भ्रम पैदा हुआ, एक ऐसा डर पैदा हुआ है कि उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा क्योंकि टाडा में जो 288 लोग गिरफ्तार है उसमें सारे के सारे मुसलमान और सिख है। इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई राजस्थान में मैं समझता हूं उसको दूर करने के लिए अगर आप यह चाहते हैं वह राजस्थान की आम जो गरीब लोग है उनमें, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश के लाखों जो नौजवान है बेकार मजदूर है उन्होंने उम्मीद की थी कि कांग्रेस से छुटकारा मिलने के बाद उनको रोजगार मिलेगा। पिछले 6 साल से अपाइमेंटस पर पूरा-पूरा का बैन है एक भी कर्मचारी का एक भी आदमी का अपाइन्टमेंट नहीं हुआ और आपने भी वही किया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है अभी भी हमारे इरीगेशन विभाग से और पी. डबल्यू. डी से कर्मचारियों की छंटनी हुई हमारे यातायात मन्त्री जी बैठे हैं इन्होंने छंटनी की इस तरह से आपका भी छटनी का कुल्हाडा उन लोगों पर चल रहा है जो 18 से 35 साल के नौजवान है। प्रदेश में लाखों बेरोजगार है उनके सामने क्या है। हमें उम्मीद थी कि आपका राज आयेगा उनको रोजगार मिलेगा। हम उम्मीद करते थे कांग्रेस के राज में छः साल तक पाबन्दी रही एक भी अपाइन्टमेंट नहीं हुआ आप हिम्मत करके अपाइन्टमेंट करेंगे पर आपने वही रखा। मुझे एक बात यह कहनी है कि इस सिलसिले में जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है हमारे पास साधन नहीं, मैं एक निवेदन करूं कि वित्त मन्त्रीजी अगर हिम्मत से काम लें तो इस प्रदेश में साधन हैं। वो जो विरोधी नेता के तौर पर उनकी हिम्मत थी वो अब उनको जबाब दे गई उनको इस प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों

(श्रीहेतराम बेनीवाल)

के पास जो पहले बकाया दिखती थी बड़े-बड़े कारखानों के मालिकों के पास जो बकाया लगती थी अब वो नहीं दिखती ।

(सांय 5-40)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

मैं दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, बिराज गये हैं और आते ही उन्होंने घण्टी बजा दी । मैं निवेदन यह करूंगा कि खैर यह मेरी बदकिस्मती समझो या अब उनकी सलाह । मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है और उसका प्रचार इतना हुआ है जिससे कांग्रेसी डरे हुए हैं । मुझे समझ में नहीं आया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है और भाषण देती है कुछ करे या नहीं करे, कांग्रेसी भाई पहले से डरे हुए हैं कि आप धीरे चलो, इसमें तेजी मत करो, इससे हमारा प्रशासन और हमारी मशीनरी बिगड़ जायगी । अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने से मशीनरी बिगड़ जायगी तो ऐसी बिगड़ी मशीनरी को ठीक करने का इलाज ही यही है कि निर्ममता से इस पर प्रहार किया जाय । मैं दो एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा । एक तो एग्जाम्पल है—एक बहुत बड़ा सेठ है कांकरोली का जिसकी बीस करोड़ रु. साल की आमदनी है उसकी फैक्ट्री की और अब तक ग्यारह करोड़ रुपया बकाया है चूंगी कर जो बकाया है । वह सन् 1981 का बकाया है और 1979 में जब चुनाव हुये, चुनाव की तैयारी हुई पार्लियामेंट की उस वक्त कांग्रेस के नेता लोग मिले उनसे, और मिलकर पूरा का पूरा बकाया सात करोड़ उसका माफ कर दिया । उस सेठ का छियालीस लाख रुपया लेकर सात करोड़ रुपया माफ किया गया उसके बाद उसका तीन करोड़ रुपया बकाया है । जिस कर्मचारी ने उसको नोटिस दिये । पूरी कमेटी बनी, प्रशासन की पूरी कमेटी जिसमें शासन सचिव थे और उन्होंने पूरी तैयारी की वसूली की, पर चुनाव आ गया । चुनाव आने से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने पता नहीं क्या सौदा किया, तुरत-फुरत, पूर्व मुख्य मन्त्री ने सौदा किया और उस सारी की सारी रकम को उसको माफ कर दिया । सात करोड़ रुपये उस सेठ को जिसकी बीस करोड़ रुपया साल की आमदनी है, उसको माफ कर दिया । राज्य सरकार में अगर हिम्मत है वसूल करने की, और कदम उठायेगी तो निश्चित तौर से यह पैसा वसूल होना चाहिए । अगर पैसा वसूल करेंगे तो निश्चित यह समझेंगे कि भैरोंसिंह जी ने बहुत बड़ी हिम्मत की है भ्रष्टाचार के खिलाफ । तीन करोड़ रुपया और बकाया हो गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपया, अब जो उसका हैं साल सवा साल, उसमें उसका बकाया हो गया । पर एक नये पैसे की वसूली नहीं हुई । नोटिस जिसने दिया उसका बाड़मेर में तबादला हो गया । जिस प्रशासक ने उसको नोटिस दिया इस वसूली के लिए, माननीय मुख्यमन्त्री जी से मैं कहूंगा, उस प्रशासक का तबादला बाड़मेर सिर्फ इस वास्ते हो गया कि उसको नोटिस क्यों दे दिया । क्या

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय मुख्य मन्त्री जी हिम्मत करेंगे

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दूसरा मुझे यह कहना है, अमरूदों के बाग के बारे में।

श्री अध्यक्ष : अभी तीन-चार सदस्य बोलने वाले हैं, 6 बजे तक का टाइम है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द कहूंगा।

माननीय पण्डित जी ने जो तथ्य दिये हैं वह पूरे नहीं दिये। यहां महाराजा भवानीसिंह जी की जमीन है। उन्होंने उस जमीन को, जब राजाओं की भूमि ली गई तब उस भूमि में उसको नहीं दिखाया। अपने खाते में नहीं दिखाया। उस भूमि को सरकारी बता दिया। उसके बाद जब वह जमीन अवाप्त होने लगी तब हनुमान सहाय की एक आनन्द सोसायटी है उसको बेच दी। आनन्द सहकारी समिति को बेच दी 48 बीघा जमीन उस समिति को 61 लाख रुपये में बेची जो हमारा नहरी विभाग है उसके सामने 48 बीघा जमीन है उस जमीन को उनको बेच दिया। उस जमीन को बेचने के बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ। पार्लियामेंट का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद एक मुकदमा दायर हुआ महाराजा भवानीसिंह के खिलाफ। एफ. आई. आर. दर्ज हुई। मेरे पास एफ. आई. आर. की नकल है। उस समय माननीय हरिदेवजी जोशी मुख्यमन्त्री थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उसके खिलाफ कि उन्होंने धोखाधड़ी की है, बाद में मेमोरेण्डम बनाया और उसको बेची है। उस जमीन का जो मामला था, श्री राजीव गांधीजी यहां आये चुनाव में प्रचार के लिए और दबाव देकर उस मुकदमें को वापिस करवा दिया। क्योंकि श्री भवानीसिंह जी कांग्रेस में चले गये। वह राजा उस अपोजीशन के खेमे को छोड़कर जो पूरा परिवार विरोध में रहता था, उसमें से महाराजा भवानीसिंह जी कांग्रेस में चले गये और पूरा मामला रफा-दफा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर राज्य सरकार राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज उठाती है तो यह कदम हम समझेंगे यह सही है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनगोपाल (अनुपस्थित) श्री मिश्रीलाल (अनुपस्थित) श्री नन्दकिशोर।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, विनियोग विधेयक का मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं मुझे आज इस बजट में सन् 1977 में माननीय भैरोंसिंह जी ने एक सोच दिया था, जैसा

(३६)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

अभी माननीय देवपुराजी ने बताया कि क्या किया, 1977 से पहले किसी भी गांव में, किसी भी गरीब को, किसी भी किसान को, किसी भी तरह की सहायता नहीं मिला करती थी। 1977 में ही यह सोच दिया कि गाँव की सेवा करो, किसान की सेवा करो, अन्त्योदयी की, पेन्शन की, सब सोच उस समय के दिये हुए थे। उस समय अधूरे रहे। आज फिर इस बजट में पहली बार जैसा सभी ने बताया कि साठ पर्सेंट बजट किसानों के लिए है और उसकी चार-पाँच योजनायें जिनकी सबको तारीफ करनी चाहिए, बीमा योजना, गांवों में ट्यूबवैल्स लगाने की योजना, फुव्वारा योजना, लिफ्ट योजना और पेन्शन योजना। पेन्शन योजना में जैसा अभी सुझाव दिया गया। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि जब यह पेन्शन योजना 1977 में लागू की थी तब इसको उम्र साठ वर्ष रखी गई थी। मैं भी इस बात के लिए, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस उम्र को वास्तव में साठ वर्ष ही किया जाय नहीं तो इसका लाभ कम आदमियों को मिल पायेगा। पहले भी साठ वर्ष की थी, अब भी साठ वर्ष ही रखा जाय। दूसरी बात एक और हैं प्रत्येक गांव में तालाब बनाने पर जोर दिया जाय, यह वास्तव में बहुत पुरानी योजना है और इसका हमें पूर्ण समर्थन करना चाहिये। ऐसे तालाब बनाये जाये जो मौके पर उनका सर्वे करके चाहे छोटे हों, लागत में छोटे हों या बड़े हों सिचाई के हों या मवेशी के पानी पिलाने के हों लेकिन गांव को लाभ देने वाले हों नुकसान नहीं देवें। इस योजना को उसमें शामिल करना चाहिए। यह सारी बातें जो लागू करने की होती हैं उनमें एक सबसे बड़ी बात आती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की सारे अखबारों में चर्चा होती है, सारे विज्ञान चर्चा करते हैं, लोक सभा और विधान सभाओं में भी चर्चा होती है जिसकी वजह से न सड़क बन पाती है, न सिचाई के काम हो पाते हैं, कहीं पुलियायें टूट जाती हैं और रोज कोई न कोई चर्चा होती है। हमें इस ओर सोचना पड़ेगा। यहां पर इतने आदमी बैठते हैं. अच्छे-अच्छे विद्वान और मनीषी हैं वह भी विचार करते हैं कि भ्रष्टाचार मिटता क्यों नहीं है। इसमें हमारी कहीं न कहीं कमी है, हमारी शिक्षा में कमी है या कौनसी कमी है, ऐसा रोग जो हमारे सारे विकास को रोकता है, सब चीजों की जड़ को खोखली करता है। उसके बारे में सभी को विचार करना चाहिए। यह भ्रष्टाचार मिटेगा, उसका लाभ अगर राजस्थान को मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा। गरीब के प्रति हम सारी योजनायें बनाते हैं। केवल भ्रष्टाचार बीच में ऐसा माध्यम आ जाता है जो सबको फेल कर देता है, हमारी योजनायें अधूरी रह जाती है। गरीब का शोषण होता है, कहीं कहीं ऐसी चीजें बन पाती हैं जो टूट जाती हैं उनका लाभ नहीं मिलता। पहले गरीब लोग कहा करते थे—कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जो शिक्षा पाता है वह कम बेईमान होता है, ज्ञान होता तो दूसरों की सेवा ज्यादा करता है। लेकिन समझ में नहीं

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

आता कि ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ती है त्यों-त्यों बेईमानी क्यों बढ़ती जाती है । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने पहले कामना की थी कि—

जगती कहीं ज्ञान की ज्योति, शिक्षा की यदि कमी न होती, तो ये गांव स्वर्ग बन जाते, पूर्ण शान्ति रस में सन जाते। फिर यह क्यों होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के विरोध में जो मुहीम छेड़ी है हम उसके साथ हैं, उस भ्रष्टचार को मिटाने में जो कल्पनायें हमने की थी, आजादी के पहले और अब हम उनमें क्यों नहीं लग जाते। मुझे एक बात का और भी दर्द हुआ, माननीय देवपुरा जी ने जो कहा था कि अधिकारी लोग ही, भ्रष्टाचार मिटाने की जो मुहीम छेड़ी है, वह डल हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट या बेईमान नहीं है जो इसका समर्थन करते हों। मैं उनको आगाह करता हूं कि सबको चाहिये कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहीम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें और भ्रष्टाचार को मिटायें, हमारे राजस्थान को और हमारे देश को आगे ले जावें। बाकी सारी योजनाओं का मैं पूर्ण तया समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु राज्य सरकार ने अभी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है मैं गंगानगर जिले के बारे में राज्य सरकार को अवगत करा देना चाहता हूं कि किस तरह से वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी बोलते हैं पर यह भ्रष्टाचार होता किस तरीके से है मैं इसके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे गंगानगर जिले के अन्दर कांग्रेस सरकार ने पिछले तीस सालों से एक परम्परा डाल रखी है उसका नाम है जुआ और सट्टा। जिले के अन्दर एस. पी. जहां बैठता है वहां जुआ होता है, सट्टा होता है और दूसरे जो शहर हैं वहां पर एस. एच. ओ. इन्चार्ज होता है महीने के, जैसे गंगानगर बड़ा शहर है तो पचासों हजार रुपये कोतवाली इन्चार्ज को मिलते हैं। इस तरह जो छोटे थाने हैं वहां पर महीने के 15 हजार रुपये और 20 हजार रुपये जुऐ और सट्टे के मिलते हैं यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है पिछले 35 सालों से चली आ रही है। इसके अलावा तहसीलों के अन्दर चाहे कोई किसान रजिस्ट्री कराने के लिए जाये, चाहे कोई व्यापारी जाये वहां पर डेढ़ प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत ली जाती है और उस रिश्वत को आज कल तो लोग यह महसूस करते हैं। यह तो कोई सरकारी कर है। हमारे यहाँ अभी डेढ़ प्रतिशत का रेट चल रहा है कई जगह दो प्रतिशत चलता होगा। भाव तो अपने ही ऊंचे हैं सब चीजों में। तो बिजली विभाग को जो किसान 10 हजार रुपये या 15 हजार रुपये की जो रिश्वत दे देते हैं उसके लिये कोई प्रायोर्टी नहीं है और जो पैसा नहीं देते हैं उसको

(श्री रामप्रताप कासनिया)

प्रायोर्टी का बहाना ले करके कनेक्शन से वंचित कर दिया जाता है । यहां तक कि घरों के कनेक्शनों में भी सौ-सौ रुपये पर मीटर के हिसाब से ए. ई. एन. और जे. ई. एन. लेते हैं । इसके अलावा सिंचाई विभाग में एक रिश्म और रिवाज और है मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो इंजीनियर लोग हैं ये सारे के सारे गंगानगर की तरफ ही क्यों दे रहे हैं इसमें सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि....

श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : गंगानगर में पैसे ज्यादा हैं ।

श्री रामप्रताप कासनिया : पैसा नहीं यह आप लोगों की परम्परा डाली हुई है । और आप चाहें तो मैं और भी पूरे ब्यौरे के साथ बता सकता हूं कि अफसरों के ट्रांसफर में कांग्रेस के समय दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये मैं किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता यह होता था ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अब ।

श्री रामप्रताप कासनिया : अब भी मेरी नजर में कोई आयेगा तो मैं चुकूंगा नहीं बताने में । बिल्कुल सही है अभी मेरी नजर में आया नहीं आने के बाद जरूर बताऊंगा अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे कि बजट के अन्दर कोई नई राहत नहीं दी गई है मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जब भी बजट पेश किया है तो कोई न कोई नया कर किसानों पर थोपा है इस बार कम से कम नया कर तो नहीं थोपा है भाई थाई छाछ रावड़ी हूं गंड़का कनै हूं फींच ना पड़ावों । लगायो कोनी यह ही अच्छा है इस बात की खुशी है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पशुओं पर, बैलों पर तो लगा दिया नया कर ।

श्री रामप्रताप कासनिया : हां, यह बिलकुल गलत है । पशुओं पर और बैलों पर यह जो कर लगाया है, किसान पर डाइरेक्ट इसकी मार पड़ती है । मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर बन्द होना चाहिये । सिंचाई विभाग के अन्दर जितनी भी पक्की नहरे और खाले बने हैं इनमें करोड़ों का घोटाला हुआ है । कागजों में तो नहर पक्की बनी हुई है पर न मौके पर कच्ची पड़ी है । इसकी सिंचाई मंत्री महोदय जांच कराकर इसको देख सकते हैं । मैं मौके पर जाकर बता सकता हूं कि यह नहर कागजों में तो पक्की है और एक किलोमीटर का टुकड़ा कच्चा पड़ा हैं, कहीं आधे किलोमीटर का कच्चा पड़ा है । सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच अवश्य करायें ।

अध्यक्ष महोदय ने मेरे को जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद । हालांकि समय कम दिया है ।

179

सूचना

कार्य सूची में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल की लिस्ट ग्राफ बिजनेस में परिवर्तन किया गया है। प्रश्न काल के तुरन्त बाद इस विनियोग बिल पर बहस होगी और तीन बजे तक उसका जबाब होकर इसको पारित किया जायेगा। उसके बाद बाकी पूरा समय सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए मिलेगा।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 20 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 5·58 बजे शुक्रवार दिनांक 20 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(08)

परिशिष्ट--1

तारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची

परिशिष्ट "क"

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अजमेर की वर्तमान में बन्द समितियों की सूची :

क्र.सं. पिचोलिया मार्ग

1. कडैल
2, तिलोरा
3. नांद
4. किशनपुरा
5. सराधना
6. नूरियावास

नागलेवा मार्ग

7. गोला
8. ओडास
9. मीमपुरा
10. केसरपुरा
11. आम्बा
12. बख्तावरपुरा
13. नांड

अराई मार्ग

14. इन्डोली
15. बीती
16. बरना
17. गोठियाना
18. देवपुरी
19. मण्डियानी
20. झाडोल
21. गुन्दली
22. काढ़ा
23. अराई
24. घोलपुरिया
25. टिकरवडा
26. दोथली
27. मण्डावरखुर्द

डीडवाडा मार्ग

28. रघुनाथपुरा
29. नलू
30. बुहारू
31. रामपुरा
32. खातोली
33. पीगलोद
34. रामनेर ढाणी
35. जुबलीपुरा
36. रूपनगढ़
37. माला
38. हरमाड़ा
39. डीडवाड़ा
40. खण्डाच

झड़वासा मार्ग

41. नासून
42. चावण्डिया
43. मटियानी
44. कुम्हारिया
45. कल्याणपुरा
46. डेराठू
47, देवमगरी

रामसर मार्ग

48. गादेरी
49. जडाना
50. स्यार

मसूदा मार्ग

51. केलू
52. हनुतिया
53. कल्याणपुरा
54. गुलाब जी का खेड़ा
55. गोरडा

सिंघावल मार्ग

56. राताकोटा
57. करांटी
58. सिंघावल
59. छछुन्दरा
60. शेरगढ़

कादेड़ा मार्ग

61. जेतपुरा
62. चावण्डिया
63. कुंडाखुर्द
64. कादेड़ा
65. फारकिया
66. सरसड़ी
67. पाडलिया
68. चापानेरी
69. शेषपुरा
70. भराई
71. पारा
72. काली तलाई का खेड़ा
73. गुलगांव
74. केलड़ी
75. नयागांव
76. कुशायता
77. चौसला
78. चांदथली
79. जूनिया
80. मेवदाकलां
81. बघेरा
82. जाल का खेड़ा
83. हिंगोनिया
84. कनईखुर्द
85. केरियाखुर्द

---

(182)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची

क्र.सं.	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	कार्यरत निर्वाचित संचालक मंडल/प्रशासक
1.	जयपुर	निर्वाचित संचालक मंडल
2.	सीकर	"
3.	कोटा	"
4.	भरतपुर	"
5.	अलवर	"
6.	सवाईमाधोपुर	"
7.	बीकानेर	"
8.	श्रीगंगानगर	"
9.	जोधपुर	"
10.	पाली	"
11.	अजमेर	"
12.	भीलवाड़ा	"
13.	टोंक	"
14.	नागौर	"
15.	जैसलमेर	"
16.	बूंदी	"
17.	झालावाड़	प्रशासक
18.	उदयपुर	"
19.	चित्तौड़गढ़	"
20.	डूंगरपुर	"
21.	बाँसवाड़ा	"
22.	चुरू	"
23.	बाड़मेर	"
24.	सिरोही	"
25.	जालौर	"
26.	झुंझुनू	"

(183)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 434 की सूचना

प्रपत्र "क"

अकादमियों की जनरल कौंसिल की नियुक्ति सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	अकादमी का नाम	जनरल कौंसिल की समयावधि
1.	राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर	15-12-89 से 3 वर्ष तक
2.	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	16-3-89 से 3 वर्ष तक
3.	राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर	7-6-89 से 3 वर्ष तक के लिए
4.	राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	7-1-89 से 3 वर्ष तक के लिए
5.	राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर	11-8-88 से 3 वर्ष तक के लिए
6.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	7-1-89 से 3 वर्ष तक के लिए
7.	राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर	1-4-88 से 3 वर्ष तक के लिए

प्रपत्र "ख

अकादमियों को विगत 3 वर्षों में दी गई अनुदान राशि अथवा अन्य का विवरण।

क्र.सं.	नाम अकादमी	दी गई अनुदान राशि व अन्य सहायता 1987–88	1988–89	1989–90
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	2,99,610	5,32,600	5,59,000
2.	राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर	3,36,250	4,30,000	5,55,000
3.	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर।	10,98,000	12,90,000	14,02,000

1	2	3	4	5
4.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर।	3,05,000	3,43,000	3,47,000
5.	राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर।	3,09,687	2,85,000	2,63,400
6.	राजस्थान बृज भाषा अकादमी, जयपुर।	1,40,000	2,00,000	2,00,000
7.	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।	15,56,260	12,26,000	14,10,000

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 437 की सूची

PIPLA IRRIGATION PROJECT

CHAPTER—III

TECHNICAL DATA OF BUND

1.	Catchment Area	13·3
2.	Intercepted cathment area	
3.	Free Gatchment area	13·3 Sqm
4.	Average Rainfall	20
5.	Monsoon Rainfall	20
6.	Gross Storage Capacity at F. T. L.	74·08 (mot)
7.	Dead Storage Capacity	7·67 ,,
8.	Live storage capacity	66·41 ,,
9.	Total length of Bund	101 (Ch.)
10.	Length of chute spillany	
11.	Length of Earthen portion	
12.	Maximum Flood discharge	83·00
13.	Maximum Height of Dam	35 ft.
14.	Top width of Earthern portion	14 ft.
15.	Slopes	3·1
	(a) U/s	
	(b) D/s	2·1
16.	F.T.I.	124·00
17.	M.W.L.	129·00
18.	T.B.L.	
19.	Free Board	
20.	Cill level of sluice	112·00
21.	Flood lift	5 ft.
22.	G.C.A.	930 Acres
23.	C.C.A.	875 Acres
24.	Prop. Irrigable Area	650 Acres
25.	Estimated Cost	129·73
26.	Intemanaity of Ingation	720 %

परिशिष्ट—5

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 438
(स्थगित)

प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नतियां

439. भरोसी लाल (हिण्डौन) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1990 में निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर किन-किन व्यक्तियों की पदोन्नतियाँ की गई ? इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने व्यक्ति थे ? सूची सदन की मेज पर रखें '

(2) गत 5 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई ? उनमें कितने पद अनुसूचितजाति/जन जाति के लिये आरक्षित थे ? क्या आरक्षण की पूर्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कौन-कौन पदोन्नति के लाभ से वंचित रहे और किस कारण से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त पदोन्नतियों का इन्द्राज रोस्टर पंजिका में अंकित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 89-90 के लिये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनोपरान्त जिन व्यक्तियों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इनमें से 167 व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ।

(2) गत 5 वर्षों में जिन व्यक्तियों की प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनोपरान्त पदोन्नति की गई थी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं उनमें से 233 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित थे, जिनमें से 173 पदों की पूर्ति हो चुकी है । शेष 60 पदों की पूर्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण से नहीं हो पाई । अतः कोई पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं रहा ।

(3) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई ।)

लालसोट तहसील में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

440. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) —क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील में चारागाह भूमि पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकारी जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में

(श्री पर सादीलाल मीणा)

प्रति वर्ष कितनी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या ठोस कार्यवाही की जाना प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के आधार पर राज्य सरकार को यह जानकारी है कि लालसोट तहसील में भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है । गत पांच वर्षों में चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	वर्ष	(क्षत्रफल बी. बि.)
1.	1985	850–10
2.	1986	855–10
3.	1987	133–15
4.	1988	799–15
5.	1989	848–10

(2) राज्य सरकार का अतिक्रमण को रोकने पर दृढ़ संकल्प है । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली एवं शास्ति से दण्डित करने का प्रावधान है, अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होने पर सिविल कारावास का भी प्रावधान किया हुआ है । इसी धारा के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है एवं की जा रही है ।

सूकड़ी नदी पर बांध

441. श्री गोपालसिंह (आहोर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—:

(1) बांकली बांध की नदी सूकड़ी को सरकारी तौर पर कितनी जगह किस रूप में बांधा गया है ? जिन-जिन स्थानों पर बांधा गया है उन स्थानों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध की गत दस वर्षों में कितनी बार चादर चली ? यदि नहीं, तो सरकार अच्छी वर्षा के उपरान्त भी बांध खाली रहने के क्या कारण मानती है ?

(3) सरकार अब अच्छी वर्षा पर भी बांध खाली नहीं रहे इसके लिये क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) बांकली बांध की सूकड़ी नदी एवं सहायक नदियों व नालों के ऊपर 12 स्थानों पर बांध बनाये गये हैं । इनका नाम व स्थान संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया हैं ।

(2) बांकली बांध पर गत 10 वर्षों में दो बार चादर चली है । अच्छी वर्षा होने पर बांध खाली नहीं रहता है । अभी चालू वर्ष 90-91 में इस बांध पर 9 फीट की चादर रखी

(3) अच्छी वर्षा में बांध भर जाता है अतः इसका प्रश्न नहीं उठता ।

सूकडी नदी पर बांधों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	तहसील	कुल भराव क्षमता (एम. सी. एफ. टी. में)
1.	सादडी	देसूरी	205·00
2,	बाजर वाला	,,	12·87
3.	राजपुरा	,,	89 70
4.	मांडीगढ़	,,	16·00
5.	मुठाना	,,	105·00
6.	बाना	,,	113·90
7.	सैली की नाल	,,	92·04
8.	डेडन डेडवान	,,	20·26
9.	छोडावाला	,,	55·41
10.	खेतलाजी	,,	14·39
11.	उँगटी	बाली	31·86
12.	बामणिया	,,	22·75
		योग :	7719·38

राजकीय लवण स्रोत डीडवाना के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

442. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) — क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना के प्रबन्धक श्री अरोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय ने दो वर्ष की सजा तथा 10,000/-रुपये का जुर्माना किया है ?

(2) क्या श्री अरोड़ा को बहाल करने के समय यह शर्त थी कि उन्हें लाभ के पद पर नहीं लगाया जावेगा ? क्या विभाग ने उन्हें लाभ के पद पर लगाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री वी. एम. अरोड़ा तत्कालीन प्रबन्धक राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना को भ्रष्टाचार के मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, जोधपुर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.8.87 में श्री अरोड़ा को दोषी मानते हुए धारा 161 आई. पी. सी. के अन्तर्गत अपराध करने के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/रु. अर्थ दण्ड. अदान पर तीन माह के कठोर कारावास से धारा 5 (1) (ए) सपठित धारा 5 (2) भ्र. नि अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास से तथा रु. 2000/-रु. के अर्थ दण्ड से तथा अर्थदण्ड न होने पर छः माह के कठोर कारावास से एवं धारा 5 (1) (डी) सहपठित धारा 5 (2) भ्र. नि. अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास से तथा रु. 2000/-के अर्थ दण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न होने पर छः माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। प्रबन्धक उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिस पर उक्त निर्णय का स्थान प्राप्त कर लिया है।

(2) श्री अरोड़ा को बहाल करने का आदेश कार्मिक (क-3) विभाग के द्वारा दिनांक 4-10-82 को जारी किया गया था जिसमें यह शर्त उल्लेखित नहीं थी कि श्री अरोड़ा को लाभ के पद पर नहीं लगाया जाना है। विभाग के पास प्रबन्धक के दो ही पद डीडवाना/पचपदरा स्रोत पर है जिनमें समय-समय पर एक दूसरे के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता रहा है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 जुलाई, 1990)

रणसी (जोधपुर) माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति

179. **श्री मिश्रीलाल चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय रणसी, जिला जोधपुर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्ष 1989-90 में मिलने

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

वाली छात्रवृत्ति नहीं मिली ? यदि हां, तो किन कारणों से व किसकी लापरवाही से ?

(2) यदि इसमें कोई अधिकारी दोषी है, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कितने विद्यालयों में विभिन्न विषयों के कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? सरकार का विभिन्न विषयों के इन रिक्त पदों पर नियुक्ति का कब तक विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रधानाध्यक का पद रिक्त होने तथा कार्यवाहक प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रवृत्ति नहीं उठाने जाने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिली ।

(2) जांच के आदेश दे दिए गए हैं जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में विषयवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(191)

विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में विषयवार रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पद	विद्यालय का नाम	विषय
1	2	3	4	5
1.	व्याख्याता	2	रासी. उमावि. मावी.	भो. शास्त्र, गणित
		4	रासी. उमावि. बोरुन्दा.	भो. शास्त्र, जीव विज्ञान गणित एवं इतिहास
		3	,, तिलवासनी	भो. शास्त्र वाणिज्य एवं इतिहास
		1	,, पीपाड़	गणित
		2	राबासी उ. मा. वि., पीपाड़	भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी
2.	व. अ. 10	2	रा. मा. वि., बाला	गणित एवं अंग्रेजी
		3	रा. मा. वि., उचियाड़ा	गणित, विज्ञान, अंग्रेजी
		2	रा. मा. वि., पीपाड़–2	गणित एवं विज्ञान
		2	रा. मा. वि., पीचियाक	गणित एवं विज्ञान
		1	राबासी उ. मा. वि. पीपाड़	उद्योग
3.	अध्यापक 09	1	रा. मा. वि., खारिया मिठापुर	
		1	रा. मा. वि. पिचियाक	
		1	रा. मा. वि., उचियाड़ा	
		2	रा. उ. प्रा. वि., बिलाड़ा न. 1	
		1	रा. उ. प्रा. शिवनगरी, बिलाड़ा	
		2	रा. मा. वि., पीपाड़ नम्बर 2	
		1	रा. मा. वि., भोमजी का बेरा	

(192)

चूरू तहसील में नामान्तरण के मामले

443. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) 23 अप्रेल, 1990 से 10 मई, 1990 तक राजस्व अभियान के अन्तर्गत चूरू तहसील में कितने नामान्तकरण खोले गए, कितने खाता विभाजन किए गए व कितने किसानों को खातेदारी अधिकार दिए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस अभियान के अन्तर्गत कैम्प कार्यालय तहसीलदार व गिरदावर सर्किल रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्व अभियान की जानकारी हेतु जिला कलक्टर, चूरू ने ग्राम पंचायतों को विधिवत सूचना नहीं दी? यदि हाँ, तो क्यों?

(4) जिले में इस अभिमान के अन्तर्गत कितने लोगों की कब से वृद्धावस्था एवं अन्य पेन्शन से लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 23-4-90 से 10-5-90 तक की अवधि में कोई राजस्व अभियान नहीं चलाया गया अपितु बकाया राजस्व कार्य का निस्तारण किया गया जिसके तहत 23 नामान्तकरण के मामले खोले गये। खाता विभाजन एवं खातेदारी अधिकार का कोई मामला निर्मित नहीं हुआ है।

(2) बकाया राजस्व कार्यों को निपटाने हेतु प्रत्येक भू-अभिलेख सर्किल और कैम्पों का आयोजन किया गया। दिनांक 18-4-90 को सम्भागीय आयुक्तों एवं जिला कलक्टरों की बैठक में हुये निर्णय के अनुसार ऐसा किया गया।

(3) राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23-4-90 को प्रति समस्त सरपंचों को अलग पत्र दिनांक 26-4-90 द्वारा दी गई है।

(4) इस अवधि में दिनांक 16-5-90 से 15-5-90 तक कुल 622 पेन्शन के मामले तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है।

वृद्धावस्था एवं अन्य पेशन से लाभान्वितों की सूची :—

परिशिष्ट "क"

1—वृद्धावस्था	380
2—विधवा	168
3—विकलांग	74
योग	622

गंगापुर की सहकारी समितियों पर बकाया

444. **श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर)** :– क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति गंगापुर की सहकारी समितियों पर कितना-कितना ऋण बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति बामनवास में बाटोदा, बरनाला एवं मोरपा में सहकारी समिति पर कितना-कितना ऋण बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अब तक ऋण वसूली की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) गंगापुर पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियों पर सवाई माधोपुर केन्द्रीय बैंक लि., की रुपये 160·27 लाख ऋण राशि 30-6-90 को बकाया है । समितिवार सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) पंचायत समिति बामनवास में बाटोंदा, बरनाला एवं मोरया ग्राम सेवा स. स. पर 30-6-90 को कुल रुपये 15·23 लाख ऋण राशि बकाया है, सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । ऋण वसूली के भरसक प्रयास किये गये हैं, किन्तु गत वर्षों में अकाल की स्थिति रहने के कारण तथा सरकार द्वारा शीघ्र ही पुराने अवधि पार ऋणों को माफ किये जाने की आशा में ऋणी सदस्यों ने ऋण राशि वापिस जमा नहीं कराई है ।

(194)

परिशिष्ट—1

पंचायत समिति गंगापुर की सहकारी समितियों पर दिनांक 30-6-90 को सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के बकाया सभी प्रकार के ऋणों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्रमांक	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति	गैर अवधिपार	अवधिपार	योग
1	2	3	4	5
1.	चकछावा	5·27	1·31	6·58
2.	तलावड़ा	2·69	7·63	10·32
3.	छोटी उदेई	3·28	1·14	4·42
4.	खिदरपुर	2·87	1·09	3·96
5.	उदेई कलां	3·94	2·92	6·86
6.	बूचौलाई	1·02	0·59	1·61
7.	टोकसी	7·80	6·58	14·38
8.	गांवड़ी कलां	1·90	1·04	2·94
9.	छावा	2·15	2·10	4·25
10.	नवगांव	1·97	0·32	2·29
11.	कुनकटा	1·19	2·54	3·73
12.	काढ़कला व खुर्द	1·45	5·37	6·82
13.	अलीगंज	—	1·24	1·24
14.	वामनबड़ोदा	2·11	1·80	4·11
15.	उमरी	1·60	2·40	4·00
16.	गंगापुर किसान	0·78	0·77	1·44
17.	खूंटला सिलोता	1·58	1·65	3·23
18.	मिर्जापुर	1·63	2·47	4·10
19.	नारायणपुर टटवाड़ा	9·34	3·59	3·93
20.	श्यारोली	1·54	7·38	8·92
21.	किशोरपुर	0·71	3·91	4·62
22.	मैडी	0·85	2·74	3·59
23.	सेवा	3·72	0·22	3·94
24.	वजीरपुर	2·44	7·69	10·13

1	2	3	4	5
25.	रायपुर	0·92	1·09	2·01
26.	पीलोदा	6·17	3·04	9·21
27.	सोहच्या	3·52	4·04	7·56
28.	कुसाय	2·21	3·67	5·88
29.	बडोली	4·82	5·26	10·07
30.	खण्डीप	1·60	2·39	3·99
	सहायोग	72·26	87·87	160·13
1.	गंगापुर राज्य कर्मचारी सहकारी समिति (अवसायन)	—	0·14	0·151
	योग	72·26	88·01	160·27

परिशिष्ट—2

पंचायत समिति बामनवास की निम्न तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर दिनांक 30-6-90 को बकाया सभी प्रकार के ऋणों का विवरण

राशि लाखों में

क्रमांक 1	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति 2	गैर अवधिपार 3	अवधिपार 4	योग 5
1.	बाटोदा	0·31	4·79	5·10
2.	बरनाला	1·37	3·09	4·46
3.	मोरपा	—	5·67	5·67
	योग	1·68	13·55	15·23

गोगुन्दा–कोटडा क्षेत्र के बांध

445. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) :–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा-कोटड़ा में सिंचाई के कितने बांध हैं तथा इनसे कितनी भूमि सिंचित हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) आदिवासी बहुत क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार की भविष्य में क्या योजनाएं हैं तथा कब तक लागू होंगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा एवं कोटड़ा में सिंचाई विभाग के आठ-आठ (कुल 16) तालाब हैं । जिससे सामान्यतः पूर्व भराव क्षमता पर क्रमशः 1579 एकड़ व 2127 एकड 3706 एकड सिचाई होती है सूची प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) तहसील गोगुन्दा में चार एवं कोटडा में नौ सिचाई योजनायें प्रस्तावित हैं जो पूर्व में एन. आर. ई. पी./आर. एल. ई. जी, पी./अकाल राहत के तहत निर्माणाधीन थी । इन मदों पर बजट उपलब्ध नहीं होने से उक्त सिंचाई योजनाओं को अधूरा छोड़ना पडा था अब इन कार्यों को प्लान मद एवं अन्य दूसरे मदों में पूर्ण कराना प्रस्तावित है । योजनाओं का शुरू कराना व पूर्ण होना बजट की उपलब्धि पर हैं । इन योजनाओं की सूची प्रपत्र "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

197

प्रपत्र-अ

कोटडा क्षेत्र के तालाबों की सूची

क्र. सं.	नाम तालाब	सामान्य सिंचित क्षमता
1.	भागा तालाब	403 एकड़
2.	जेड तालाब	112 एकड़
3.	रूपनी तालाब	257 एकड़
4.	माण्डवा	187 एकड़
5.	बक्सा का नाका	697 एकड़
6.	गमानी का नाका	158 एकड़
7.	मेंटा का नाका	263 एकड़
8.	खांपा पिक अप वियर	50 एकड़
		अ–2127 एकड

गोगुन्दा क्षेत्र के तालाबों की सूची

1.	गुनावल तालाब	120 एकड़
2.	बटेरी तालाब	64 एकड़
3.	चलवा तालाब	57 एकड़
4.	नान्देशमा तालाब	167 एकड़
5.	भारोड़ी तालाब	160 एकड़
6.	सुखेर तालाब	840 एकड़
7.	राणेराव (गोगुन्दा) तालाब	69 एकड़
8.	राव मादडा,	102 एकड़
		ब– 1579 एकड़

योग :—अ+ब 3706 एकड़

या 1500 हैक्टर

प्रपत्र—ब

प्रस्तावित कार्य की सूची तहसील गोगुन्दा एवं कोटड़ा

क्र. सं.	नाम योजना	संशोधित (1990) अनुमानित लागत (लाखों में)	सि. सि. ए. एकड़ों में
	तहसील गोगुन्दा		
1.	मूंज का नाका	89·18	655
2.	मदारड़ा	17·00	112
3.	शोमावास	47·09	337
4.	बांसलिया	18·00	98
	अ—	171·27	1202
	तहसील-कोटड़ा		
1.	मादड़ा (वास)	75·20	660
2.	केलथरा	42·00	420
3.	सावन क्यारा	41·20	360
4.	जानीवास	37·60	260
5.	काली डूंगरी	5·00	75
6.	करेली का नाका	5·00	75
7.	संदरूप	5·00	75
8.	बोरली का नाका	5·00	75
9.	खादरा	5·00	75
	ब—	221·00	2075

इसके अलावा छापरिया सिंचाई परियोजना का कार्य डी. पी. ए. पी. के तहत प्रगति पर है एवं वर्ष 90–91 में पूर्ण कर लिया जावेगा जिससे 165 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

446. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध इस समय कुल कितनी विभागीय जांच, अनुशासनिक कार्यवाहियां विचाराधीन हैं व कब-कब से चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने विभागीय जांच प्रकरणों में जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी जांच रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्णय ले लिये गये हैं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) इस समय राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम में केवल श्रीमती कृष्णासिंह प्रबन्धक के विरुद्ध 4 विभागीय जांच दिनांक 20-6-88 से विचाराधीन है।

(2) इन सभी जांच प्रकरणों में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(3) जांच रिपोर्टों पर सक्षम स्तर पर निर्णय विचाराधीन है।

राजगढ़ (चूरू) तहसील के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

447. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में तहसील राजगढ़ (चूरू) के उच्च प्राथमिक विद्यालय घानोरी बड़ी, ढाणी बड़ी, गोठ्या बड़ी, लसेडी, राघा छोटी, रावतसर कुजला, लम्बोर बड़ी, ढढ्ढक, बैरासर छोटा, नुहन्द, थिरपाली बड़ी, सुलखनिया को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में तहसील राजगढ़ (चूरू) के प्राथमिक शालाएं धाराएं छोटी, दुमकी, ग्वालीसर, थानमठई, गुडाण, थिरपाली छोटी सरदारपुरा को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी एवं उच्च प्राथमिक शालाएं क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1990-91 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) क्रमोन्नति निम्न आधारों पर की जाती है—

1. गांव की जनसंख्या
2. कक्षा 5/8 में छात्र संख्या
3. भवन की स्थिति
4. वित्तीय साधनों की उपलब्धि
5. क्षेत्रीय मांग

सलूम्बर को जिला बनाना

448. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर), एवं **श्री नारायण लाल** (लसाडिया) एवं **श्री गंभीरलाल मीणा** (सराड़ा) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जनजाति बहुल क्षेत्र विकास के आधार पर सलूम्बर को जिला मुख्यालय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में नये जिले बनाने का वर्तमान में कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा जिले मे सिंचाई अधीन राहत कार्य

449. **श्री देवेन्द्र सिंह** (बनेड़ा) :—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1980 से 1989 के दरमियान सिंचाई विभाग के मेजा बांध सरेरी, कोठारी एवं खारी बांध तथा तालाबों के केचमेंट एरिया में सिंचाई विभाग ने कहां-कहां कितने तालाब व एनिकट इत्यादि अकाल राहत/एन.आर.ई.पी /आर.एल.ई.जी पी./जे.आर.वाई. के तहत निर्मित कराये ?

(2) ऐसे तालाबों व एनिकट के निर्माण से सम्बन्धित उपरोक्त बांधों व तालाबों की भराव क्षमता पर कितना असर पड़ा ? उससे काश्तकारों को कितना नुकसान अथवा लाभ हुआ ?

(3) ऐसे एनिकट व तालाबों के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति किस विभाग ने प्रदान की ? क्या उपरोक्त सभी सम्बन्धित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराया गया ?

(4) क्या ऐसे बने एनिकट व तालाबों को, जो केचमेन्ट एरिया में निर्मित हुए हैं, तोड़ने के राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(5) ऐसे तालाब व एनिकटों पर राज्य सरकार का भीलवाड़ा जिले में उपरोक्त सभी योजनाओं में कितना रुपया व्यय हुआ ?

(6) क्या ऐसे निर्माण कार्य सरकार की नीति के खिलाफ हैं ? यदि हां, तो क्या जिन अधिकारियों की वजह से यह स्वीकृतियां हुयी उन पर राज्य सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मेजा बांध, सरेरी, कोठारी, झाडोल, जैतपुरा, खारी, अरवड, नाहर सागर एवं उम्मेदसागर के केचमेंट में वर्ष 1980 से 1989 के दौरान अकाल राहत एन.आर.ई.पी. आर. एल. ई. जी. पी./ एवं जवाहर सागर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये गये एनिकटों की सूचना संलग्न प्रपत्र 'अ' और 'ब' के अनुसार सदन के पटल पर रख दी है।

(2) उपरोक्त बांधों के केचमेंट से जिन एनिकटों का निर्माण कराया गया है उन बांधों में जितना पानी का अवरोध इन एनिकटों के निर्माण हुआ है उपरोक्त प्रपत्र (अ) के कालम संख्या 5 में दर्शाया गया है सभी एनिकटों बांधों में कुल मिलाकर 58.5 एम. सी. एफ. टी. बनता है जो कि नगण्य है। कोठारी एवं झाडोल बांधों के केचमेंट में जिन एनिकटों का निर्माण किया गया है उनमें 8 में से 6 अपूर्ण हैं। तथा जैतपुरा बांध के केचमेण्ट में कोई एनिकट निर्माण नहीं किया गया है। जिससे उक्त दोनों बांधों की भराव क्षमता पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है एनिकटों के निर्माण से सभी भूमिगत पानी के जलस्तर ऊपर हो जाने से आसपास के कुओं का सेजा बढ़ जाता है अतः एनिकटों के निर्माण से काश्तकारों को जो भी लाभ हुआ है वह अप्रत्यक्ष लाभ है। उक्त के अलावा काश्तकारों के मवेशियों को पीने का पानी भी उपलब्ध हुआ है।

(3) एनिकटों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार/जिलाधीश से जारी होने के बाद तकनीकी स्वीकृति सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) उपरोक्त योजनाओं के केचमेन्ट में निर्मित एनिकटों के निर्माण में संलग्न प्रपत्र सूची "अ" एवं "ब" के अनुसार कुल व्यय 244.59 लाख रुपये है।

(6) जी नहीं। छोटे-छोटे एनिकटों से भराव क्षमता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पास के कुओं का सेजा बढ़ता है जो उसके क्षेत्र की महती आवश्यकता है।

(202)

सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा के अन्तर्गत अकाल राहत कार्य/एन. आर. ई. पी./आर. एल. ई. जी. पी. एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित एनिकटों का विवरण मेजा बांध के केचमेन्ट में : (प्रपत्र ५)

क्र.सं.	एनिकट का नाम	तहसील	व्यय राशि (लाख रु.)	जल क्षमता एम.सी एफ.टी.
1.	गटूनिया	सहाड़ा	0.42	0.5
2.	झामरा	सहाड़ा	3.23	0.5
3.	उल्लेलाई	सहाड़ा	2.57	1.00
4.	बकाम	रायपुर	11.01	2.00
5.	थला	रामपुर	8.49	2.50
6.	बागोलिया	,,	6.92	2.00
7.	सुरास	,,	1.55	1.00
8.	धूलखेडा	,,	14.33	2.50
9.	झाड़ोल	,,	2.67	0.50
10.	नाथड़ियास	,,	19.60	2.50
11.	मोवर	,,	13.48	2.50
12.	पाटीयाखेड़ा	,,	6.48	1.00
13.	आसपुर	,,	10.10	2.00
14.	देवरिया	,,	5.61	1.00
15.	पालरा	,,	9.71	2.00
16.	सालीखेड़ा	,,	3.49	1.00
17.	काला घोड़ा	,,	8.04	2.00
18.	नान्दूड़ा	,,	1.25	0.5
19.	लारेयाखेड़ा	,,	0.63	0.5
20.	रायपुर बोराना	,,	0.36	0.5
21.	डेलास	माण्डल	8.81	2.00
22.	रामपुरिया	,,	6.46	2.00
23.	भातसरिया	,,	3.23	1·00
24.	संतोकपुरा	,,	1.03	0·5
			149.47	33.00

203

2. खारी बांध के केचमेन्ट में :—

1.	झालरा	आसीन्द	0.90	0.50
2.	आटोलिया	माण्डल	3.80	1.00
			4.70	1.50

3. सरेरी बांध के केचमेन्ट में :—

1.	लांछूड़ा	आसीन्द	1.30	0.50
2.	सुल्हेपुरा	"	2.53	1.00
3.	रैवास	"	0.95	0.50
4.	गागवास	"	1.76	0.50
5.	मालास	"	0.44	0.50
6.	दौलतगढ़	"	2.00	0.50
7.	सिंदडियास	माण्डल	1.48	0.50
8.	उण्डिया	माण्डल	4.51	1.00
			14.98	5.00

4. अरवड़ बांध के केचमेन्ट में :—

1.	रूपाहेली	हुरड़ा	2.41	1.00
2.	सिरड़िया	"	0.36	0.50
3.	टोंकरवाड़	"	4.00	1.00
4.	शिवसागर	"	0.46	0.50
5.	पड़ोदास	"	0.22	1.00
6.	आनन्दीपुरा	"	1.66	0.50
7.	सरेरी	"	1.67	0.50
8.	सोडार	"	4.24	1.00
9.	गढवालों का खेड़ा	"	3.58	1.00
10.	बावड़ी	शाहपुरा	0.98	0.50
11.	सांगारिया	"	3.25	1.00
12.	समेलिया	"	0.57	0.50
			27.20	9.00

(204)

5. उम्मेद सागर (बांध के केचमेन्ट में) :—

1.	रावला	बनेड़ा	3.15	2.00
2.	सालरिया	बनेड़ा	2.73	0.50
3.	ढीकोला	शाहपुरा	1·81	0·50
4.	ग्रालनी	शाहपुरा	2.63	1.00
			10.32	3.00

6. नाहर सागर बांध के केचमेन्ट में :—

1.	गांगली	शाहपुरा	3.73	1.00
2.	रलायता	"	3.79	1.00
3.	गेंगवा	"	7.23	2.00
4.	बससेड़ा	"	0.78	0.50
5.	मीणों का खेड़ा	"	1.75	0.50
6.	देवरिया	"	1.88	1·00
7.	सेहूनाल	"	3.22	1.00
			23.38	7.00

कुल व्यय :—230.25 लाख रुपये

प्रपत्र-ब

वर्ष 1980–1989 के दौरान निर्माण एनिकट पूर्ण/अपूर्ण कार्य सूची
कोठारी व खाड़ोल बांधो के एनीकटों में

क्र.सं.	मुख्य बांध नाम	नाम एनीकट	तहसील	प्रशासनिक स्वीकृति	तकनीकी	व्यय राशि	पूर्ण/अपूर्ण	योजना मद	कार्य स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11
1.	कोठारी	सालरिया	कोटड़ी	जिलाधीश 86172 दि. 28-1-87 89416 दि. 17-1-87	विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई	3·117	अपूर्ण	अकाल राहत	87–88
2.	कोठारी	सालरिया	कोटड़ी	जिलाधीश 87100 दि. 21-4-87	,,	1·54	अपूर्ण	अकाल राहत	87—88
3.	कोठारी	कंवलियास	कोटड़ी	,,		0·69	अपूर्ण	अकाल राहत	87—88
4.	कोठारी	चावंडिया	कोटड़ी	जिलाधीश 88426 दि. 31-12-86	,,	0·73	अपूर्ण	अकाल राहत	86—87
5.	कोठारी	बोरडियास	कोटड़ी	जिलाधीश 3484 दि. 2-2-86	,,	1·51	अपूर्ण	अकाल राहत	85–86 व 86–87
6.	कोठारी	महुवा खुर्द	बनेड़ा			1·41	पूर्ण	अकाल राहत	
7.	कोठारी	सुवाणा	भीलवाड़ा			1·48	पूर्ण	अकाल राहत	
8.	खाड़ोल	सरेरी	कोटड़ी	जिलाधीश 86172 दि. 28-1-87 व 89416 दि. 17-1-87	,,	3·76	अपूर्ण	अकाल राहत	86-87
						14·237			

206

रामनारायण एण्ड ग्रुप, अलवर द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

450. **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा) :—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर स्टेशन के पास रामनारायण एण्ड ग्रुप, अलवर ने 72 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) उक्त उद्योग को कब व किस विभाग ने किस रेट पर कितनी भूमि लीज पर दी है ।

(3) क्या उक्त उद्योग भूमि की जांच कभी हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) रामनाराय ग्रुप की 18 औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में 30 00 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर कलक्टर, अलवर द्वारा दिनांक 5-8-1980 को 99 वर्ष की लीज पर 40·32 एकड भूमि का नियमन किया गया है ।

(3) इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा कोई जांच नहीं करवाई गई ।

सरस्वती वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, अलवर

451. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) :—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर सैन्ट्रल बैंक द्वारा सरस्वती वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति को वर्ष 1987 में 50,000 रुपये की ऋण सीमा स्वीकार की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि समिति के 14 सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण ऋण का भुगतान नहीं किया गया एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने बैंक को उक्त समिति को अवसायन में लेने की सिफारिश को ?

(3) क्या यह सही है कि बैंक ने सहायक रजिस्ट्रार की सिफारिश की क्रियान्विति के विरुद्ध दिनांक 25-1-1990 को 60,000 रु. ऋण सीमा की स्वीकृति प्रदान कर दी ?

(4) क्या बैंक की 1-10-1989 से 31-12-1989 तक त्रैमासिक रिपोर्ट बैंक द्वारा 60,000 रु. की ऋण सीमा स्वीकार किये जाने के निर्णय पर घोर आपत्ति प्रकट की गई ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सरकार बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । यह सही है कि 14 सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण समिति को ऋण का भुगतान नहीं किया

(सहकारिता मंत्री)

गया। समिति को अवसायन में लाने हेतु कोई सिफारिश सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर द्वारा नहीं की गई।

(3) बैंक द्वारा समिति के पक्ष में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अलवर की सिफारिश पर 25-1-1990 को 60,000रु. हाईपोथिकेशन साख सीमा स्वीकृत की गई।

(4) समवर्ती अंकेक्षक द्वारा त्रैमासिक प्रतिवेदन में आक्षेप उठाये जाने पर बैंक के अधिशाषी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई तथा उन्होंने जांच पर आडिट एतराजों को सही नहीं पाया। अतः बैंक ने ऋण सीमा स्वीकार की।

नीमकाथाना उच्च माध्यमिक विद्यालय में अव्यवस्था

452. **श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमका थाना में कितने अध्यापक कार्यरत हैं? उनका नाम तथा वहां पदस्थापन की तिथि का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शाला में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ जनता द्वारा पूर्व में शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या शिकायतें की गई तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शाला का पिछले पांच वर्षों का परीक्षा परिणाम मय विषयवार कितना प्रतिशत रहा?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमकाथाना में 49 अध्यापक कार्यरत हैं। उनके नाम व पदस्थापन की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) श्री चुन्नीलाल अध्यापक द्वारा विद्यालय में अनियमितताएं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई एवं शिकायत निराधार पाई गई।

(3) पिछले पांच वर्षों का परीक्षा परिणाम संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 746 की सूची

तहसीलवार बकाया रहे नामान्तरकरणों की सूची दिनांक 11-7-1990

क्र सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	नागौर	64
2.	जायल	29
3.	परबतसर	14
		107

ह०
कलक्टर (भू अ. अ.)
नागौर

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 750 का विवरण

सहकारी बैंकों की पिछले 5 वर्षों की अमानतों की स्थिति

(राशि लाखों में)

वर्ष	शीर्ष सहकारी बैंक	केन्द्रीय सहकारी बैंक	नागरिक सहकारी बैंक
30-6-85	6514·30	12736·15	2013·88
30-6-86	8152·76	14646·30	2692·48
30-6-87	7383·77	17626·55	3076·55
30-6-88	8246·12	20028·98	3749·04
30-6-89	9633·63	21922·22	4693·41

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 759 की सूची :

भरतपुर जिले की तहसील डीग में चल रहे खनिज खण्डा, गिट्टी, बोल्डर के पट्टाधारीयों की सूची

क्रम सं.	नाम पार्टी	खान का नाम	तिथि से दस वर्ष
1.	मै. मोती लाल नन्नूमल मथुरा	सेऊ	3-5-87
2.	श्रीमती शशि खण्डेलवाल डीग	घमारी	25-2-81
3.	श्री बालकृष्ण गुप्ता डीग	ककड़ा	24-5-81
4.	रामस्वरूप गर्ग भरतपुर	खोह	5-7-82
5.	श्री हरद्वारीलाल डीग	नरायना	24-5-81
6.	श्री हरद्वारीलाल डीग	पहाड़ताल	1-5-81
7.	श्री हरद्वारीलाल डीग	श्योपुरा	5-9-88
8.	श्री अजमत खां डिगचोली	चुलहेरा	8-3-88
9.	श्री विजय सिंह कामां	घमारी	15-4-83
10.	श्री विजय सिंह कामां	घमारी	3-5-82
11.	श्री रमेश चन्द डीग	घमारी	23-5-88
12.	श्री रमेश चन्द डीग	घमारी	26-11-84
13.	श्री रहमत डिगचौली	डिगचौली	18-7-80
14.	श्री घनश्याम शर्मा घाटा	घमारी	12-3-86
15.	श्री ऋषि प्रकाश मथुरा	चुलहेरा	6-10-86
16.	श्री राकेशचन्द्र जैन डीग	घमापी	29-12-86
17.	श्री गोविन्द सिंह खोह	चुलहेरा	6-10-86
18.	श्री फतेह खां खोह	चुलहेरा	8-1-87
19.	श्री टीकमचन्द घाटा	घमारी	12-6-81
20.	श्री रामकिशन खोह	पदरवास	1-6-87
21.	श्रीमती वन्दना जैन डीग	घमारी	8-7-87
22.	श्री भगवान सिंह सुनहरा	घमारी	2-3-87
23.	श्री भगवान सिंह सुनहरा	घमारी	2-3-87
24.	श्री जगमोहन प्रसाद जुरहरा	पहलवाड़ा	12-8-87
25.	श्रीमति वन्दना जैन	घमारी	7-5-88
26.	श्री अनील कुमार गुप्ता भरतपुर	चुलहेरा	2-8-89
27.	श्री नसरू चुलहेरा	चुलहेरा	3-5-88
28.	श्री देवो घमारी	घमारी	22-7-88
29.	श्री देवो घमारी	घमारी	5-1-89

210

30.	श्री ठाकुर लालसिंह घमारी	घमारी	19-12-88
31.	श्री ठाकुर लालसिंह घमारी	घमारी	31-1-90
32.	श्री श्रीचन्द्र घमारी	घमारी	9-3-89
33.	श्री कल्लूसिंह घमारी	घमारी	5-5-89
34.	श्री गोपाल प्रसाद घिलावटी	नाहरा	18-10-89
35.	श्री छितरिया सिंह सुनेहेरा	घमारी	1-1-819
36.	श्री भगवान सिंह मुल्लाका	घमारी	6-1-90
37.	श्री जोरमल घमारी	घमारी	5-2-90
38.	श्री कमरू चुलहेरा	चुलहेरा	3-3-90
39.	श्री यदुनाथ प्रसाद डीग	पहलवाडा	21-3-90
40.	श्री प्रताप सिंह नाहरा	नाहराचौथ	17-5-90
41.	श्री रामहंस घमारी	घमारी	12-6-90
42.	श्री नवीं खां चुलहेरा	चुलहेरा	25-9-89

हस्ताक्षर
सैनि प्रभियन्ता
भरतपुर

211

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 227 की सूची

राजस्थान राज्य की ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं का जिलेवार विवरण, जिन्हें भवन बनवाने हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है :—

क्रम संख्या	नाम जिला	निजी शिक्षण संस्थाओं की संख्या
1.	जयपुर	35
2.	चित्तौड़गढ	2
3.	डूंगरपुर	1
4.	कोटा	11
5.	चुरू	1
6.	झुन्झुनू	2
7.	गंगानगर	4
8.	सीकर	1
9.	जैसलमेर	4
10.	भीलवाड़ा	8
11.	पाली	3
12.	नागौर	1
13.	बांसवाड़ा	6
14.	उदयपुर	32
15.	अलवर	14
16.	बीकानेर	12
17.	जोधपुर	18
18.	भरतपुर	4
19.	अजमेर	3
	योग :	162

212

शुद्धि पत्र

दिनांक 19 जुलाई, 1990

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	31	फोलियो	ताराकित	तारांकित
2.	31	फोलियो	जुलई	जुलाई
3.	31	फोलियो	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
4.	52	8	वलन	वलन
5.	53	1	(श्री भैंरूलाल)	—
6.	55	फोलियो	तारांमित	अतारांकित
7.	87	1	(श्री मदनलाल सैनी)	(कारागार राज्यमंत्री)
8.	138	फोलियो	जुलाइ	जुलाई
9.	139	फोलियो	9 जुलाई	19 जुलाई
10.	157	1	(श्री बृजराज मीणा)	(श्री मदनलाल सैनी)
11.	317	11	(सचेचक)	(सचेतक)
12.	372	1	का	की